राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या: 13

सोमवार,

22 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर जिले में 108 एम्बुलेंस का संचालन

254. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर जिले में 108 एम्बुलेंस का संचालन कहां-कहां किया जा रहा है? ब्लाकवार एम्बुलेंस की संख्या व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितनी 108 एम्बुलेंस खराब स्थिति में हैं? क्या सरकार खराब एम्बुलेंस के स्थान पर नयी 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) डूंगरपुर जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस का ब्लाकवार विवरण व बेस लोकेशन की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। 108 एम्बुलेंस को बेस लोकेशन से आवश्यकता अनुसार संचालित किया जाता है।

(2) डूंगरपुर जिले में कोई भी 108 एम्बुलेंस खराब स्थिति में नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम

(श्री गणेश घोघरा)

से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में डूंगरपुर जिले में 108 एम्बुलेंस गाड़ियां कितनी चालू अवस्था में हैं?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस योजना के अधीन डूंगरपुर जिले में कुल 36 वाहन हैं। इनमें से 108-एम्बुलेंस 13 हैं, 104-एम्बुलेंस इसमें से 16 हैं, बेस-एम्बुलेंस 07 हैं, और सारा विवरण परिशिष्ट-ब पर हमने संलग्न किया है।

अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस की जो संख्या है, वह मैंने आपको बताई, 13 है। उनमें से आसपुर ब्लाक में दो, बीछीवाड़ा में तीन, डूंगरपुर में तीन, सागवाड़ा में दो, सीमलवाड़ा में तीन 108 एम्बुलेंस संचालित हैं, जो कि विभिन्न बेस लोकेशन से संचालित हैं। इनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

बेस लोकेशन सामुदायिक केन्द्र बीछीवाड़ा की 108 एम्बुलेंस 08 नवम्बर, 2018 से आफ रोड थी परन्तु वहां उस दौरान बेस एम्बुलेंस संचालित थी। अब बेस लोकेशन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीछीवाड़ा पर खराब एम्बुलेंस को अन्य एम्बुलेंस से रिप्लेस कर दिया गया है और एक एम्बुलेंस, जो रिपेयरिंग मांगती थी, उसकी रिपेयरिंग कर दी गई है।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि जो अस्थाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वे पूरे समय पर ड्यूटी नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): हां, साहब, यह प्रश्न ही है। प्रश्न ही है, और 108 गाड़ी, जब फोन करते हैं तो एक घण्टे बाद पहुंचती है, वहां दूसरी व्यवस्था करनी पड़ती है। मरीज तो रास्ते में ही मर जाता है। 108 एम्बुलेंस गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस तरह कोई शिकायत होगी तो हम, जो सर्विस प्रोवाइडर हमारी कम्पनी है, उसके साथ बात करके इस समस्या का समाधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक सैकिण्ड। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा क्या यह सही है कि 108 के कर्मचारी, जो मरीज हैं उनसे पैसा वसूल करते हैं। ऐसी शिकायत आई है तो इसका भी जवाब दीजिये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसी शिकायत आयेगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 255

श्री जगसी राम।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री दीपेन्द्र सिंह।

नमक का उत्पादन

256. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में कितना-कितना नमक उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न स्थानों पर सरकारी भूमि पर भी लोग अवैध नमक उत्पादन कर रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां और कितनी भूमि पर?

(3) क्या यह सही है कि सांभर और नावां नमक उत्पादन क्षेत्र में नमक का अवैध उत्पादन हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) लवण आयुक्त, भारत सरकार के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान में जिलेवार नमक का उत्पादन निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	उत्पादन (मीट्रिक टन में) वर्ष 2018-19
1.	अजमेर	800280
2.	चूरू	1408
3.	जयपुर	29580
4.	जैसलमेर	4050

(उद्योग मंत्री)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**उत्पादन (मीट्रिक टन में) वर्ष 2018-19**
5.	जोधपुर	200000
6.	नागौर	1525700
7.	बाड़मेर	14300

(2) राजस्व ग्राम सांभर झील, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं राजस्व ग्राम सांभर झील, नावां जिला नागौर में क्रमश 175.02 बीघा, 64.701 हैक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध उत्पादन किया जा रहा है।

(3) राजस्व ग्राम सांभर झील, फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर एवं राजस्व ग्राम सांभर झील, नावां, जिला नागौर में क्रमश 175.02 बीघा व 64.701 हैक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध उत्पादन किया जा रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि इतना अवैध अतिक्रमण करके नमक उत्पादन अवैध तरीके से हो रहा है तो यह कब से हो रहा है और इसको रोकने के लिए आपने क्या कार्यवाही की, कब-कब कार्यवाही की? एक तो प्रश्न यह है।

दूसरा, इसके सम्बन्ध में, चूंकि राजस्थान सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा है, केन्द्र का 60 प्रतिशत हिस्सा है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी प्रोपर्टी है। इसके सम्बन्ध में आपने कई कमेटियां भी बनाई हैं, तो वह कमेटियां कब बनाई हैं और कब-कब मीटिंग्स हुई हैं, आज तक उनकी क्या प्रोग्रेस रही है, कृपया बतायें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कार्यवाही की। माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार 08.02.2010 को विनोद कपूर, आई.ए.एस. की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई, उसके अनुसार निम्न कमेटियां बनाने का उन्होंने सुझाव दिया। कमेटी-एक, रेवेन्यू सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप में बनी, उसमें कमिश्नर, इंडस्ट्रीज और ये सारे, जयपुर बिजली निगम के सारे अधिकारी वगैरह और उद्योग विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी बनी। कमेटी ने समय-समय पर मीटिंग करके, जो अतिक्रमण थे, उनको हटाने के लिए 91 में सक्षम कार्यवाही की

(श्री परसादी लाल)

सिफारिश की। इसके बाद दूसरी कमेटियां बनाईं, 15.06.2011 को, कलेक्टर, जयपुर और कलेक्टर, नागौर की अध्यक्षता में, उन्होंने भी प्रभावी कार्यवाही करके जो अवैध कब्जे हैं, उनको हटाने की कार्यवाही 91 में की है। मैंने अभी कहा है, विभाग को भी कहा है कि जो अतिक्रमण हैं, उनको हटाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें। मुझे पूरा विश्वास है कि विद्युत वितरण निगम के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, और कब्जेधारी बहुत होशियार हैं बिजली के कनेक्शन काट देते हैं, सोलर से अपने पम्प को चला लेते हैं। उन्होंने सोलर लगा लिया, उनको भी हटाने के लिए विभाग को निर्देश दिया है। हमने कलेक्टर्स को भी कहा है कि इन अतिक्रमणों को तुरंत हटाने की कार्यवाही करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से पूछा कि चोरी कब से हो रही है और रोकी क्यों नहीं गई? दूसरा, मैंने यह कहा कि कमेटियां बनी हैं, तो इन्होंने बताया कि 08.02.2010 में कमेटी बनी है और 15.06.2011 में भी कमेटी बनी है। नौ-नौ, आठ-आठ साल के बाद उन कमेटियों का कोई हश्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): वही आपसे अर्ज कर रहा हूं। क्या हश्र हुआ इन कमेटियों का, कोई अर्थ नहीं निकला और उत्पादन कितना चोरी कब से हो रहा है, इसका भी जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो चोरी कर रहे थे, केबल वगैरह डालकर, उनकी वी.सी.आर. भरी गई है, उनके कनेक्शन काटे गये हैं, उनकी केबल हटाई गई है। कुछ कमेटियों में विभिन्न निगमों के सी.एम.डी. और एम.डी. उसमें शामिल हैं, अजमेर डिस्काम के। समय-समय पर कार्यवाही की जाती है। विभाग इन कमेटियों के जरिये पूरी कोशिश कर रहा है कि चोरी को रोका जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश मीनाजी।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): मैंने पूछा, कब से चोरी हो रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। हरीश मीनाजी।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, तीन प्रश्न हो गये। हरीश मीनाजी।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, कब से चोरी हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलग ढंग से लेकर आएं।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): दस-दस वर्ष तक ...(व्यवधान) कोई असर नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलग ढंग से लेकर आएं। माननीय हरीश मीनाजी।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। जैसे मंत्रीजी ने अपने जवाब में दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके नमक उत्पादन हो रहा है। सरकारी जमीन का कस्टोडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है और यह बिजली से होता है, कई ट्यूबवैल्स चलते हैं, दूसरे चलते हैं, नमक के पानी के लिए, वह भी सरकार कनेक्शन देती है, कोई प्राइवेट कम्पनी नहीं है। मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि कितने रेवून्यू आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही की है और कितने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है, कृपया नाम समेत बताएं।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 91 में जो कार्यवाही की है, उसकी लिस्ट हमने माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दी है कि इतने लोगों के खिलाफ हमने कार्यवाही की है और डिस्काम के जो एम.डी. हैं, उन्होंने बराबर इस पर निगाह रखी है। किसी भी अवैध, तो जो काम कर रहा है, अवैध कब्जे हैं, उनको एम.डी. डिस्काम की तरफ से कोई कनेक्शन नहीं दिया है। जो कर रहे हैं, उनके भी कनेक्शन काट दिये। पूरी कोशिश करेंगे कि नमक का अवैध उत्पादन नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न में अलग से आप प्रक्रिया के अंतर्गत चर्चा के लिए प्रश्न लाएं।

अगला प्रश्न। डा. राजकुमार शर्मा।

नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय हेतु निर्धारित मानदण्ड

257. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) राजकीय क्षेत्र में नया अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) प्रदेश में कुल कितने राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं तथा उनमें किस-किस फैकल्टी में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ मुख्यालय पर नया राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) राजकीय क्षेत्र में नया अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य सरकार के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं। राजकीय क्षेत्र में नया अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का निर्णय, क्षेत्रीय आवश्यकताओं का गुणावगुणों के आधार पर आकलन करते हुए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

नया अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया व मापदण्ड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा निर्धारित है जो कि प्रति वर्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी Approval Process Hand Book में उल्लेखित होते हैं। आगामी सत्र 2019-20 में खोले जाने वाले नये अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के निर्धारित प्रक्रिया व मापदण्ड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी वर्ष 2019-20 Approval Process Hand Book का चैप्टर-I संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

प्रदेश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नये अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के निरीक्षण एवं मापदण्डों के पूर्ण होने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी Letter of Approval प्राप्त होने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है।

(2) राज्य सरकार के स्वायत्त-शासी संस्थान के रूप संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। नवलगढ़ मुख्यालय से जिला मुख्यालय सीकर एवं जिला मुख्यालय झुंझुनूं 30 से 40 किलोमीटर की परिधि में स्थित है एवं

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

जिला सीकर एवं जिला झुंझुनूं में क्रमश 05-05 निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें छात्रों के प्रवेश की संख्या कुल स्वीकृत निर्धारित सीटों से लगभग 20 प्रतिशत से भी कम है। अत: वर्तमान में विभाग के समक्ष विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ मुख्यालय पर नया राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी विद्वान हैं और उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें सबसे पहले तो यही लिखा है कि राज्य सरकार के कोई मापदंड ही निर्धारित नहीं हैं। हम इनसे इस बात की अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि कोई अधिकारी इनको लिखकर दे दे क्योंकि आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो मेरा निवेदन यह है कि अभी तक जितने भी कालेज खुले हैं, 15 की आपने सूची दी है तो क्या यह 15 बिना मापदंड के ही खोल दिये गये? क्या राजस्थान सरकार का इसमें कोई भी इन्वाल्वमेंट नहीं होता? क्या हम लोग और राज्य सरकार इस लायक नहीं हैं कि जहां पर आवश्यकता पड़े, वहां पर कालेजेज खोल सकें? सिर्फ आप यह ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वही पूछ रहा हूं। इनका यह जवाब है कि राज्य सरकार के कोई मापदंड निर्धारित नहीं हैं, तो अगर मापदंड निर्धारित ही नहीं हैं तो फिर खोल दो न, आज घोषणा कर दो। मापदंड निर्धारित नहीं हैं, ऐसे ही खोलते हैं तो फिर खोल दो। अब मेरा प्रश्न सबसे पहले यह है कि जयपुर संभाग में पांच जिले आते हैं। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप प्रश्न पूछें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सर, मेरा प्रश्न ही है।

श्री अध्यक्ष: हां, तो प्रश्न पूछें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): पांच जिले जयपुर संभाग में हैं। पांचों जिलों में कोई भी सरकारी इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। इन्होंने यह कहा कि निजी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप प्रश्न पूछिए। इन्होंने क्या कहा वह नहीं, आप तो आपका प्रश्न पूछें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं यह कहना चाह रहा हूं कि निजी इंजीनियरिंग कालेज से बचाने के लिए हमारे बच्चों के लिए नवलगढ़ में सरकारी इंजीनियरिंग कालेज खोलना प्रस्तावित है या नहीं? आपने न कर दिया इसलिए अब मैं क्या सवाल करूं? हाथ जोड़कर आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो फिर प्रश्न ही मत पूछो, बैठो फिर।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): यह लो, बैठ गया।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज बताना चाहूंगा क्योंकि माननीय सदस्य ने बात कही है कि राज्य स्तर पर कोई निर्धारित मापदंड नहीं हैं। मैं इसकी जानकारी देना चाहूंगा कि संबंधित विश्वविद्यालय जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, उनके मापदंड हैं और इधर ए.आई.सी.टी.ई. है। यूनियन लिस्ट में होने की वजह से ए.आई.सी.टी.ई. के जो नार्म्स एंड पैरामीटर्स हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है। उसी के आधार पर गवर्नमेंट केवल एन.ओ.सी. देती है और जहां तक सरकारी महाविद्यालय का प्रश्न कहा है तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि फीस में ज्यादा अंतर नहीं है। सरकारी महाविद्यालय की फीस 60 हजार है और निजी महाविद्यालय की फीस 70 हजार है। सरकारी महाविद्यालयों की फीस 60 हजार है तो ज्यादा अंतर नहीं है और दूसरा बताना चाहूंगा कि सीकर और झुंझुनूं में आलरेडी जो कालेज चल रहे हैं उनमें 3702 सीट हैं और एडमिशन प्रतिवर्ष 715 हो रहे हैं। मुझे खुद आश्चर्य हुआ जब मैंने इस विभाग का कार्यभार संभाला और इसीलिए मैंने अपनी डिमांड्स की बहस के दौरान यह कहा था कि टेक्निकल एजुकेशन पालिसी लाने की बात पर सरकार, हम विचार कर रहे हैं जिसमें सारी चीजों के नार्म्स, पैरामीटर्स, इंस्पेक्शंस, कैसा एक्सपेंशन करना चाहिए उसके तहत सरकार काम कर रही है और निश्चित ही आने वाले समय में न्यू टेक्निकल एजुकेशन पालिसी जो इस सरकार की, इस देश की, इस प्रदेश की पहली टेक्निकल एजुकेशन पालिसी होगी।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: निवेदन करूंगा कि निजी महाविद्यालयों में एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं, एक तो आप उस चीज की जांच कराएं क्योंकि वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो रही है इसीलिए तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सरकारी इंजीनियरिंग कालेज खुलेगा तो लोगों का विश्वास बनेगा। आज भी लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों पर है, सरकारी कालेजेज और सरकारी स्कूलों पर है। अगर हम निजी विद्यालय और महाविद्यालयों को जोड़ेंगे तो फिर अपने को सरकारी स्कूल खोलने की भी क्या आवश्यकता है? यही मेरी प्रार्थना आपकी तरफ से है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और देना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालयों की भी यही स्थिति कमोबेश है और जैसा कि पिछले समय क्वेश्चन भी लगा था, उसमें भी मैंने यह जवाब दिया था कि धौलपुर, करौली, जहां पर 5, 11, इस तरह के हैं। टोटल में इनके दूं, मैं आपको यह एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे भरतपुर का ही उदाहरण दे रहा हूं कि जहां पर 300 सीट हैं वहां 99 एडमिशन हुए हैं तो पूरा मैंने यह संलग्न किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसका आन्सर दीजिए। आप वही बोलिए।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सर, मैं वही कह रहा हूं कि राजकीय महाविद्यालयों की भी यही स्थिति है जो प्राइवेट कालेजों की है।

श्री अध्यक्ष: नवलगढ़ का प्रश्न है। माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि जब मापदंड निर्धारित नहीं हैं तो प्राइवेट कालेज खुल रहे हैं तो क्या सरकार वहां सरकारी कालेज खोलेगी या नहीं, यह सीधा प्रश्न है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कई बंद हो रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से सदन को बताना चाहता हूं कि कोई नया कालेज खोलने के लिए एप्लीकेशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अभी ए.आई.सी.टी.ई. ने अपने लेवल पर यह निर्णय ले लिया है, कमेटी बना दी है कि 2020 के बाद कोई- 'No Engineering College' और उस पर वह कमेटी काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री किसनाराम विश्नोई। रामप्रतापजी, बाद में।

लोहावट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

258. श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार तहसील मुख्यालय लोहावट पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त स्थान पर राजकीय महाविद्यालय के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) तहसील मुख्यालय लोहावट से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्नातकोत्तर स्तर का राजकीय महाविद्यालय, फलौदी संचालित है जिसमें सत्र 2018-19 में 1964 विद्यार्थी (1217 छात्र एवं 747 छात्राएं) अध्ययनरत थे।

तहसील मुख्यालय लोहावट में वर्तमान में निजी क्षेत्र में सहशिक्षा के 02 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर तहसील मुख्यालय लोहावट पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

(2) राजकीय महाविद्यालय खोला जाना राज्य सरकार की सतत प्रक्रिया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट भाषण के बिन्दु संख्या-131 के अन्तर्गत वर्तमान में महाविद्यालय से वंचित रहे उपखण्ड मुख्यालयों पर संभावनाओं के परीक्षण हेतु नई नीति लाकर चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय खोले जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि मेरे तहसील मुख्यालय से 31 किलोमीटर दूर महाविद्यालय है, वहां पर 2 हजार का नामांकन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 94 सीनियर स्कूल हैं और प्रतिवर्ष करीब दो हजार बच्चे सीनियर पास करके जाते हैं और पड़ौस में विधान सभा

(श्री किसनाराम विश्नोई)

क्षेत्र फलौदी है, वहां पर भी दो हजार बच्चे पास करके आते हैं तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि मरुस्थलीय इलाके में और जहां पर एस.सी., एस.टी. का घना आबादी क्षेत्र है, वहां विशेषकर मरुस्थलीय इलाके में भी क्या सरकार महाविद्यालय खोलने के लिए वरीयता रखती है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोहावट से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा वर्तमान बजट घोषणा में राजस्थान में छात्र और छात्राओं के मिलाकर करीब 35 राजकीय महाविद्यालय पूरे प्रदेश में खोलने की घोषणा की गयी है, जिसमें मरुस्थलीय क्षेत्र के महाविद्यालय भी हैं और एस.सी., एस.टी. क्षेत्र के महाविद्यालय भी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि कालेज खोलने की एक सतत प्रक्रिया है और आपके द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है कि लोहावट विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है तो मैं मानता हूं कि यह सीमावर्ती क्षेत्र भी है, डेजर्ट क्षेत्र भी है तो आगामी समय में जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया वहां पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और गुणावगुण के आधार पर हम इनके द्वारा की गयी मांग पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न, श्री रामलाल मीणा।

आदिवासी क्षेत्र के विकास हेतु आबंटित बजट

259. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा 2015 से 10 जून, 2019 तक कितना-कितना बजट किस-किस योजना में आबंटित किया गया? केन्द्र सरकार द्वारा भी उक्त अवधि में कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? क्या उक्त आबंटित बजट को व्यय कर दिया गया है? यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? व्यय किये गये बजट का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बजट से आदिवासी क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित हुए हैं? क्या सरकार की कोई नई नीति इस बजट के माध्यम से बनी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जनजाति कल्याण हेतु प्रदेश में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 (10 जून, 2019 तक) में राज्य सरकार और भारत सरकार से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को प्राप्त बजट एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार है:-

मद/वर्ष	आबंटन	व्यय
(अ) राज्य योजना		
वर्ष 2015-16	27,201,25	26,542,77
वर्ष 2016-17	24,190.22	24013.72
वर्ष 2017-18	26,751.30	26,229.36
वर्ष 2018-19	30,058.86	29,264.21
वर्ष 2019-20 (10 जून, 2019 तक)	8,355.69	3,680.07
(अ) केन्द्र योजना		
वर्ष 2015-16	26,239.60	25,292.27
वर्ष 2016-17	27,533.04	22,841.12
वर्ष 2017-18	23,530.04	23,395.26
वर्ष 2018-19	25,047.16	24,529.58
वर्ष 2019-20 (10 जून, 2019 तक)	1,125.10	509.58

जी हां। विगत पांच वर्षो में इस विभाग को उक्त आबंटित बजट में से संचालित योजनाओं पर 96 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जा चुका है। केवल मात्र 4 प्रतिशत राशि व्यपगत हुई है। यह राशि पूरे राज्य स्तर तथा विभाग में विभिन्न 300 से अधिक योजनाओं के बजट शीर्षो के अन्तर्गत व्यय की जाती है। इस नगण्य राशि को व्यावहारिक रूप से मानते हुए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं माना गया है, अत: किसी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध इस नगण्य व्यपगत (लेप्स राशि) के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 (10 जून, 2019 तक) प्राप्त बजट एवं व्यय राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए स्थापित नवीन आयामों की सूचना परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। सरकार की नई नीति इस बजट के माध्यम से प्रस्तावित नहीं है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

शिक्षा संबंधी शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाएं विस्तृत रूप से संचालित की जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए किये गये नवाचार योजनाओं में बजट आबंटित किया गया है। योजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'ब' और 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 प्रतिशत राशि जो इन्होंने बतायी है कि नगण्य है। कई विभागों का बजट भी 4 प्रतिशत, 5 प्रतिशत खर्च होता है। इस तरह से इतनी बड़ी राशि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी उत्थान के लिए खर्च नहीं होती और विभाग कहता है कि यह नगण्य है और कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर इन आदिवासियों का कल्याण कैसे सम्भव है?

दूसरा, इसमें एक और दिया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में जो इन्होंने दिया है, 10,417.33 करोड़ रुपये तो आबंटित हुआ, इतना का इतना ही, बराबर का बराबर व्यय हो गया, यह कैसे सम्भव है? इसको थोड़ा दिखवाना पड़ेगा। 2017-18 में जितना आया, उतना ही बता दिया इन्होंने कि यह व्यय है। एक हजार भी इधर से उधर नहीं हुआ है। यह कैसे सम्भव है?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017-18 की जो आबंटित राशि है, उसमें दोनों ही अलग-अलग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुन लें पहले। पहले सुनें। मंत्रीजी, आप बोलें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति हेतु प्रशासन द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है और योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति पर वित्त विभाग की सहमति उपरांत योजना राशि विभाग के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति जारी होती है। निजी क्षेत्र खाते में कोष कार्यालय द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति के आधार पर विभाग को निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरित की जाती है तथा हस्तान्तरित राशि वित्त विभाग द्वारा आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर व्यय

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

में दर्शाया जाता है। विभाग द्वारा निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि को संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को क्रियान्वयन एवं निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया जाता है। वर्ष 2017-18 के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।

माननीय सदस्य को और कहीं चिन्ता है तो और कोई जानकारी के लिए, और साथ ही, विभाग की तमाम योजनाओं के साथ में और जानकारी देने की आवश्यकता है तो मैं उनको जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसमें आंकड़ा इन्होंने परिशिष्ट-'अ' पर दिखाया है, वह तो विस्तृत मोटा आंकड़ा था, उसके बाद में जो डिवाइडेशन हुआ है, उसमें यह आंकड़ा दिखाया गया है, यह निश्चित रूप से संदेहास्पद है, इसको दिखाना पड़ेगा। एक और मेरे घर के आस-पास जो लिफ्टें लगी हुई हैं, उसमें भी जलोत्थान सिंचाई योजना का निर्माण बंद पड़ा है। जलोत्थान योजना में इन्होंने काफी पैसा खर्च किया है। जबकि जैसे सामली पठार के अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है, उसका सिर्फ कमरा बनाया, उसमें न तो मोटर लगी और न ही पाइप लाइन लगी। इसी प्रकार से, एक जलोत्थान योजना इन्होंने बनायी, सिर्फ उस समय के तत्कालीन मंत्री थे, उनके घर पर गयी, इसके अलावा किसी आदिवासियों के पास नहीं गयी, इनको भी दिखाया जाए और संबंधित जलोत्थान जितनी भी योजना है.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): इसी का है, साहब।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है सरकार से आपका?

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): इसी का है, इसकी इंक्वायरी करायी जाए।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस तरीके की कम्प्लेंट हमारे पास नहीं आयी है, अगर यह है तो मैं उनकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको और कोई प्रश्न पूछना है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): बस यही था। एक और इन्होंने जो क्षय रोग संबंधी बताया है, यह संदेहास्पद है, उस क्षेत्र में इस प्रकार की कोई योजना नहीं चल रही है। उस पर भी मंत्रीजी गौर करके जांच बिठायें, उसका भी काफी सारा पैसा उठा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसको समझें। 4 प्रतिशत की राशि खर्च नहीं हुई है, उनका कहना है कि 4 प्रतिशत सब्सटेंशल राशि होती है, तो दिखा लें कि 4 प्रतिशत की राशि जो खर्च नहीं हुई है, वह 4 प्रतिशत की राशि उन-उन योजनाओं में खर्च हो। यह उनका पहला प्रश्न था, उसमें देखें। दूसरा प्रश्न उनका था कि 10 हजार की राशि जो आपने बतायी है, उतना का उतना 100 प्रतिशत एक्सपेंडिचर बता दिया, तो उनका प्रश्न है कि क्या यह सम्भव है? इसको चैक करवाएं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय सदस्य को दिखाकर पूरी जांच रिपोर्ट बता दूंगा।

प्रश्न संख्या 260

श्री अध्यक्ष: श्री गुरदीप सिंह।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। इन्द्राज सिंह गुर्जर।

विराटनगर में पर्यटक स्थलों का विकास

261. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पर्यटन विकास के क्या-क्या कार्य कितनी राशि के कहां-कहां कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस पर्यटक स्थल का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थल हैं, जिनमें महाभारतकालीन व मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष पाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे स्थलों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

(4) क्या सरकार विराटनगर की बीजक की पहाड़ियों पर बना हुआ बौद्ध स्तूप का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अशोक शिलालेख, भीम की डूंगरी, बीजक पहाड़ी, केशवराय मंदिर आदि स्थलों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में राज्य सरकार द्वारा कुल राशि रु. 274.22 लाख के विकास कार्य कराये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा कुल राशि रु. 22.02 लाख के विकास कार्य कराये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' (1) पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

अन्य विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाएगा।

(3) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना अनुसार विराटनगर में बीजक की पहाड़ी पर स्थित उत्खनित स्थल संरक्षित स्थल है।

उत्खनन के दौरान वहां पर मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित गोलाकार स्तूप मिला है, जिसके 26 लकड़ी के अष्टाकार स्तम्भ थे तथा साथ ही मठ के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्राप्त हुए हैं। उक्त स्थल पर उनके द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' (1) पर उपलब्ध है।

(4) उपरोक्तानुसार।

(5) बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अन्य विकास कार्यों के लिए युक्तियुक्त निर्णय लिया जाएगा।

वर्तमान में विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने जानकारी दी है खण्ड एक में कि 67 लाख रुपये

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

स्वीकृत हुए और खर्च हुए41 लाख रुपये। खण्ड तीन में विराटनगर के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 800.73 लाख रुपये स्वीकृत हुए जिसमें खर्च हुए 164 लाख रुपये, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब इतना पैसा स्वीकृत हुआ तो पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें मुगलगेट एवं भीम की डूंगरी, विराटनगर, जयपुर के संरक्षण एवं विकास कार्य हेतु 41.88 लाख व्यय राशि है, अभी तक व्यय हुई है। बाकी जो डिटेल है वह मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड संख्या तीन में 8 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए और खर्च हुआ है164 लाख रुपये, इतने दिन इस राशि को क्यों रोका गया? यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा, बीजक की पहाड़ी पर महाभारत कालीन और मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यह राज्य सरकार और माननीय मंत्री महोदय ने माना है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि महाभारत कालीन पहली सभ्यता है राजस्थान में जहां विराटनगर में अवशेष मिले हैं और मौर्य कालीन सभ्यता मिली है तो क्या राजस्थान सरकार, पर्यटन विभाग इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित करने की मंशा रखती है और रखती है तो कब तक?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सदस्य महोदय को यह कहना चाहूंगा कि इन्टरप्रिटेशन सेन्टर की राशि 585.24 लाख के कार्य भूमि उपलब्धता में देरी हुई पिछली सरकार ने भूमि अलाट नहीं की, की भी तो बहुत लेट की और यह कार्य 4 अप्रैल, 2019 को हमारी सरकार आने के बाद शुरू करा दिया गया। इसमें 40 लाख रुपये व्यय होकर चारदीवारी का काम भी शुरू हो गया।

जहां तक सवाल है जो पुरातत्व की हमारी महत्वपूर्ण विरासत है उसको पुरातत्व विभाग और टूरिज्म विभाग दोनों ही देखभाल की पूरी मंशा रखते हैं और जैसा माननीय सदस्य चाहेंगे, अपने सुझाव और भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

तिजारा में संचालित आयुर्वेद औषधालय

262. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में आयुर्वेद के किस-किस प्रकार के कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में एक जनवरी, 2013 से मई, 2019 तक कब-कब किस-किस प्रकार के कितने नये पद सृजित, क्रमोन्नयन एवं कितने पद समाप्त किये गये? पदवार पृथक्-पृथक् वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में किस-किस प्रकार के कितने पदों पर नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां दी गईं? पृथक्-पृथक् वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालय के भवन कहां-कहां बने हुए हैं तथा कितने औषधालय किराये के भवनों में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार पुराने आयुर्वेद चिकित्सालय के भवनों का जीर्णोद्धार तथा जीर्ण-शीर्ण चिकित्सालय भवनों के स्थान पर नवीन भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा-अलवर में संचालित आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी, नर्स-कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र तिजारा-अलवर में एक जनवरी, 2013 से मई, 2019 तक विभागीय औषधालय/चिकित्सालयों में किसी भी संवर्ग के कोई भी पद समाप्त नहीं किये गये हैं और न ही सृजित किये गये हैं। तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कैडर रिव्यू से पूर्व एवं कैडर रिव्यू के पश्चात् चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत/क्रमोन्नत पदों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नव नियुक्त चिकित्सकों को पदस्थापित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सक (वर्ष - 2013)

1. जलालपुर-अलवर

चिकित्सक (वर्ष - 2015)

1. गातोली-अलवर

2. सी.एच.सी. तिजारा-अलवर

कम्पाउण्डर (वर्ष 2015 में)

1. चावण्डीकलां-अलवर

पदोन्नति का विवरण निम्नानुसार है:-

वरिष्ठ आयुर्वेदिक अधिकारी-।। (वर्ष 2018)

1. सिलारपुर-अलवर - 1
2. सी.एच.सी. टपूकड़ा-अलवर - 1
3. गोठड़ा-अलवर - 1

(4) वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। 400 नर्स और कम्पाउण्डर की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

(5) तिजारा विधान सभा क्षेत्र में विभागीय भवन में संचालित आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**नाम औषधालय**
1	ईशरोड़ा
2	गोठड़ा
3	गोतोली
4	झिवाणा
5	मण्डा
6	लुहादेरा
7	शाहबाद
8	सरेटा
9	सिलालपुर
10	चावण्डीकलां
11	चिकित्सालय तिजारा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

एक भी आयुर्वेदिक औषधालय या चिकित्सालय वर्तमान में किराये के भवन में संचालित नहीं है।

(6) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक तो हमारे तिजारा में पी.एम.ओ. की पोस्ट खाली है, जैसा कि लिस्ट में संलग्न है तिजारा में पी.एम.ओ. की पोस्ट खाली है। एक तो ब्लाक स्तर पर शायद कोई अधिकारी नहीं बैठता है तो पी.एम.ओ. की पोस्ट शीघ्र भरी जाए। इसके अतिरिक्त भी काफी पोस्ट खाली हैं। इसके अलावा, 7 जगह पर हास्पिटल्स की बिल्डिंग नहीं हैं, तो क्या हम उन पर नये भवन बनाने का विचार रखते हैं? और दो-तीन जगहों पर बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, तो क्या वहां नई बिल्डिंग बनाने का विचार है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये। दो प्रश्न हो गये, बैठिये।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले छज्जा गिर गया जिससे हादसा होने से बच गया। इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंगें, वहां पर इस तरह की स्थितियां हैं तो उन बिल्डिंगों का, उन भवनों का दोबारा जीर्णोद्धार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा, भिवाड़ी नगर परिषद् में हमारे एक भी आयुर्वेदिक हास्पिटल नहीं है तो क्या हम नई पोस्ट कर रहे हैं और क्या हमारा नया हास्पिटल खोलने का विचार है? मंत्री महोदय से यह निवेदन है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तिजारा विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालयों में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

(1) चिकित्सा अधिकारी संवर्ग - सृजित पद 17, कार्यरत 16 और रिक्त एक।

(2) नर्स-कम्पाउण्डर संवर्ग - सृजित 16, कार्यरत 12 और रिक्त चार।

(श्री रघु शर्मा))

(3) परिचारक संवर्ग - सृजित पद 8, कार्यरत 5 और रिक्त तीन।

इनके यहां कुल 41 हैं, उनमें से 33 भरे हुए हैं और 8 पद रिक्त हैं। जहां तक इन्होंने पी.एम.ओ. और एस.एम.ओ. 1 के पदों पर जो सवाल किया है उसमें एस.एम.ओ. 2 एवं एम.ओ. पद विरुद्ध कार्यरत हैं। पी.एम.ओ. एवं एस.एम.ओ. 1 के पद पदोन्नति के पद हैं जो नवीन कैडर रिव्यू में प्राप्त हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए वर्ष 2017-18 और 2018-19 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अभी तक आयोजित नहीं हुई है, उसको हम शीघ्र आयोजित करके और उनके पदोन्नति के काम को भी पूरा करेंगे।

जहां तक नर्स और कम्पाउण्डर के 400 पदों की रिक्तियों की भर्ती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रियाधीन हैं और ई.डब्ल्यू.एस. का रिजर्वेशन और हमारा एम.बी.सी. का रिजर्वेशन, 10 परसेंट रिजर्वेशन है और 5 परसेंट रिजर्वेशन को इसको जब इन्क्लूड करेंगे तो यह संख्या 456 हो जाएगी। यह जो बढ़े हुए 56 पद हैं, इनको स्वीकृति के लिए हमने वित्त विभाग को भेजा है। जैसे ही यह स्वीकृति प्राप्त होती है, भर्ती प्रक्रिया में इस संख्या को भी शामिल कर लिया जाएगा।

जहां तक नवीन भवनों की बात है, इनके ज्यादातर तो सरकारी भवनों में ही संचालित हैं लेकिन दो, तिजारा और टपूकड़ा सी.एच.सी. के भवन में संचालित हैं आयुर्वेदिक औषधालय और गहनकर की जो जगह है वह पटवार घर में चल रहा है और जलालपुर और निम्बाहेड़ी, वह सार्वजनिक स्थान पर चल रहा है तो जैसे ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं, एन.एच.एम. इस बात को करता है, निर्माण का काम भी वही करता है, मेन्टीनेंस का काम भी वही करता है, तो जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे जहां भवनों की कमी है, वैसे तो अभी भी सरकारी भवनों में ये चल रहे हैं, एक भी प्राइवेट जगह पर नहीं चल रहा, एक भी किराये पर नहीं चल रहा है लेकिन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम यह भवन निर्माण के काम भी सम्पन्न करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि हमारे भिवाड़ी नगर परिषद् में बहुत बड़ी आबादी है तो भिवाड़ी में एक हास्पिटल खोलने का विचार रखते हैं क्या?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं यह सब संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर बात है। क्षेत्रीय भावनाओं को देखते हुए और माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने जो बात रखी है उसका परीक्षण करवाकर हम निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 263

श्री हमीर सिंह भायल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री चेतन सिंह चौधरी।

डीडवाना में नमक उत्पादन इकाइयां

264. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में वर्षों से नमक उत्पादन किया जाता रहा है? यदि हां, तो विगत दस वर्षों से कहां-कहां कितनी नमक उत्पादन इकाइयां कितने नमक उत्पादन क्षमता के साथ कितने भू-भाग पर संचालित की जा रही हैं? सरकार द्वारा इन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधा व आर्थिक मदद एवं अनुदान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत कनेक्शन के अभाव में नमक उत्पादन इकाइयों का विकास अवरूद्ध हो गया है? यदि हां, तो कब से? विद्युत कनेक्शन से वंचित इकाइयों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रत्येक नमक उत्पादन इकाई को विद्युत कनेक्शन जारी करने एवं ऋण सुविधा देकर इनके समग्र विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। डीडवाना नमक झील में कुल 1641 नमक क्यारियां स्थित हैं। वर्ष 2000 में निजीकरण के पश्चात् 2-2.50 लाख क्विंटल वार्षिक उत्पादन है। नमक उत्पादन इकाइयां 4776 बीघा भूमि में संचालित की जा रही हैं। सरकार द्वारा इन्हें सुविधा व आर्थिक मदद अनुदान नहीं दी जा रही है।

(उद्योग मंत्री)

(2) डीडवाना में नमक उत्पादन इकाइयों द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर नियमानुसार विद्युत कनेक्शन जारी कर रही है तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र की नमक उत्पादन इकाई के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु कोई पत्रावली लंबित नहीं है।

(3.) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या जिला उद्योग केन्द्र, नागौर द्वारा डीडवाना नमक उद्योग को विद्युत कनेक्शन देने के लिए शासन उप सचिव, राजकीय उपक्रम विभाग; आयुक्त, उद्योग विभाग; अधीक्षण अभियंता, नागौर को कोई पत्र लिखे गए थे? अगर लिखे गए थे तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा खण्ड 2 में बताया कि कोई पत्रावली लंबित नहीं है। उद्योग विभाग को भी इस तरह का कोई पत्र नहीं लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, इसी के अंदर है कि 25.03.2019 को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इन ही 3 व्यक्तियों को लैटर लिखे गए। आज दिन तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पत्र की कापी मेरे पास है और डिपार्टमेंट के पास भी है। मैं यही जानकारी देना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा अगला सप्लीमेंट्री यह है कि एक तो एनजीटी की क्या विद्युत कनेक्शन पर आपत्ति है? जब भी विद्युत कनेक्शन लेने जाते हैं, तो यह बोल दिया जाता है कि एनजीटी की आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, दो प्रश्न हैं। एक तो उन्होंने कहा कि पत्र की कापी है और दूसरा प्रश्न यह है।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कनेक्शन संबंधी मामला अजमेर डिस्काम का है। डिस्काम से हमने जानकारी चाही है कि इस तरह की कोई पत्रावलियां लंबित हैं क्या? उन्होंने कहा है कि इस तरह की एक भी पत्रावली डिस्काम में लंबित नहीं है। दूसरा, इन्होंने पत्र का कहा है, पत्र की भी मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है। विभाग से पूछा है। इनका सवाल इससे

(श्री परसादी लाल)

संबंधित नहीं था। पत्र होगा तो उसमें जो भी कार्यवाही की जा सकती है, वह कार्यवाही करेंगे। लेकिन यह कनेक्शन संबंधी मामला हमारे उद्योग विभाग का नहीं है। यह डिस्काम से संबंधित है। कोई भी अगर निर्देश होगा, इनका पत्र आएगा तो हम डिस्काम के एम.डी. को भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न, एनजीटी के बारे में?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): एनजीटी की डीडवाना में इस तरह की कोई कार्यवाही हमारे ध्यान में नहीं है। एनजीटी का एक अलग मामला है। उसमें पाली और दूसरी जगहों पर आई है। यहां डीडवाना और सांभर में एनजीटी की इस तरह की कार्यवाही अभी नहीं आई है।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक जानकारी मंत्री जी से चाहूंगा कि डीडवाना नमक उद्योग की ब्राइन की गुणवत्ता एवं उपलब्धता क्या है? अगर ब्राइन की गुणवत्ता एवं उपलब्धता कम है तो सरकार कोई ऐसे कदम उठा रही है, जिससे कि इसकी गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़े?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बारिश कम होने के कारण गुणवत्ता और उत्पादन में कमी आई है। मैंने उत्तर में आपको सारा रिकार्ड दिया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 265

श्री धर्मेन्द्र कुमार।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रामप्रसाद।

भील जाति को मीणा में दर्ज करने पर आपत्ति

266. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र दक्षिण में रहने वाले भील समुदाय/भील जनजाति को मीणा बनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्व रिकार्ड सन् 1932 के अनुसार उक्त क्षेत्र में रहने वाले भील समुदाय, भील जनजाति के व्यक्तियों को मीणा के स्थान पर

(श्री रामप्रसाद)

भील करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी नही।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार में इस तरह के आशय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि भील एवं मीणा अलग-अलग जातियां हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): अनुसूचित क्षेत्र में भील जनजाति को 1932 के राजस्व रिकार्ड में भील लिखा हुआ है। इस भील को वापस मीणा क्यों किया गया? क्या कारण थे? मीणा को वापस सरकार भील में करने का विचार रखती है कि नहीं रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 1932 के बाद 06.09.1950 को भारत सरकार के गजट में भील सम्पूर्ण राज्य में अनूसूचित जनजाति में लिखा गया। उसके बाद 29.10.1956 को पुन: संशोधन करते हुए भील और भील मीणा, भील/भील मीणा और अलग से मीणा, इनको अनुसूचित जनजाति में अजमेर जिला, सिरोही जिले के आबू रोड तालुका तथा झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण राज्य के लिए जातियां, अनुसूचित जनजाति में शामिल की गईं। उसके बाद 20.09.1976 को, यह 3 बार हुआ है, भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करने में भील, भील मीणा और मीणा, अनुसूचित जनजाति सम्पूर्ण राज्य के लिए, सम्पूर्ण राजस्थान के लिए किया। जहां तक 1932 का सवाल है, 1932 के बाद में संशोधन एक बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार हो गया। भील को मीणा में कन्वर्ट करने का राजस्थान सरकार का नहीं है, अगर कोई बात आएगी तो यह भारत सरकार को लिखा जाएगा। उसके आधार पर ही यह सब कुछ होता है।

जहां तक खातेदारी का सवाल है, 1932 के बाद में जो खातेदारी टीनेन्सी एक्ट की धारा 1952 यानी संवत 2002, संवत 2012, उसके अंदर जो व्यक्ति, जिस जाति का वहां पर था, वही लिखा गया है। उसका चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। संवत 2002, संवत 2012 में एक बात जरूर थी कि

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जो काश्तकार खातेदार नहीं होकर गिरदावरी के आधार पर खेत में बैठा था, उसको खातेदारी दर्ज की गई है। उस खातेदारी में अगर भील ने उसमें मीणा लिख दिया तो अलग चीज है। बाकी किसी प्रकार का सरकार की तरफ से आदेश नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): मीणा लिखा हुआ है। अगर वह गलत है तो संशोधन करने का सरकार का विचार है या नहीं है? जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसमें मीणा लिखते हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि यह भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि 1932 के बाद 1956 और 1976 के अंदर जो संशोधन हुए हैं, उसके अलावा मीणा, भील नहीं लिखते, भील को मीणा नहीं लिखते। या तो भील ही लिखा जाएगा, या भील मीणा लिखा जाएगा, या मीणा, मीना लिखा जाएगा। इसके अलावा हम चेंज नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजकुमार रोत।

मालमाथा गांव (डूंगरपुर) की जमीन का हस्तान्तरण

267. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर पंचायत समिति बिछीवाड़ा का राजस्व गांव मालमाथा कब अस्तित्व में आया और उस समय गांव की जनसंख्या कितनी थी? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) राजस्व गांव मालमाथा के अस्तित्व में आने के समय उक्त गांव में निवासरत परिवार कौनसी जमीन पर निवास करते थे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या मालमाथा गांव के बिलानाम जमीन पर निवासरत आदिवासियों की 1976 बीघा जमीन को बिलानाम से वन विभाग को हस्तान्तरण कर दी गई है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त गांव की बिलानाम जमीन जो वन विभाग को हस्तान्तरण हुई है उस आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जिला डूंगरपुर पंचायत समिति बिछीवाड़ा का राजस्व गांव मालमाथा भू-प्रबंध संवत 2014 अर्थात् वर्ष 1958 के पूर्व से मूल ग्राम के रूप में अस्तित्व में है। उस समय की गांव की जनसंख्या उपलब्ध नहीं है। गांव के मौतबिरान से जानकारी अनुसार गांव की जनसंख्या लगभग 125 बताई है।

(2) राजस्व गांव मालमाथा के अस्तित्व में आने के समय उक्त गांव में निवासरत परिवार उनकी पैतृक खातेदारी जमीन पर निवास करते थे।

(3) मालमाथा गांव में कुल 1976.04 बीघा बिलानाम जमीन जरिये नामान्तकरण संख्या 305 दिनांक 16.03.1985 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित हुई है। नामान्तकरण की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। जो भूमियां वन के रूप में वन विभाग को स्थानान्तरित की गई हैं, उन भूमियों के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि क्षेत्र में गैर वानिकी कार्यों के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास उत्तर आया है, मैंने यह पूछा है कि जब राजस्व गांव मालमाथा अस्तित्व में आया, उस समय जनसंख्या कितनी थी? सरकार की तरफ से जवाब आया है कि जब 1958 में अस्तित्व में आया, उस समय 125 जनसंख्या थी। लेकिन 1951 में जब मतदान हुआ है तो उस गांव से 188 लोगों ने मतदान किया है। 1958 का आंकड़ा यह बता रहा है कि वहां की जनसंख्या 125 है और 1951 का आंकड़ा यह बता रहा है कि वहां 188 लोगों ने मतदान किया। जो जवाब आया है वह सही नहीं आया है।

इसके अलावा, मेरा जो दूसरा सवाल है कि जब मालमाथा गांव अस्तित्व में आया, तो वह लोग कौनसी जमीन पर निवासरत थे? यहां पर उत्तर आया है कि पैतृक खातेदारी जमीन। लेकिन खसरा नंबर क्या था? उसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।

तीसरा जो मेरा सवाल है, वह यह है कि मालमाथा गांव की 1976 बीघा जो वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है तो उनमें जो बिना आदेश, आदेश का कोई हवाला नहीं दिया गया है, सिर्फ नामांतरण संख्या 305 दर्शायी गई है। मैं कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट जो सवाल है मेरा, वह भी

(श्री राजकुमार रोत)

गलत है और सैकंड सवाल है, जो भूमि वन विभाग को 1988 में हस्तांतरित की गई है, 1951 से वह लोग वहीं रह रहे थे, जब राजस्व ग्राम अस्तित्व में आया 1958 में, इसका इसमें कोई हवाला नहीं दिया है कि खसरा नम्बर क्या था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न, केवल प्रश्न।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि क्या यहां हस्तांतरित हुआ वह गलत है या सही है? वर्तमान में वन अधिकार अधिनियम के तहत जो पट्टे जारी किए जा रहे हैं तो क्या सरकार वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे देने की मंशा रखती है या नहीं रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल के जवाब में भी मैंने कहा है कि ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जिसके अंदर इस गांव की जनसंख्या का विवरण हो। स्पष्ट तौर पर यह बोला गया उस जवाब के अंदर, मौतविरान जो लोग हैं, उनके अनुसार यह चीज थी। कोई रिकार्ड उस समय उपलब्ध नहीं था इसलिए जैसा आप बता रहे हैं कि गलत है, वह गलत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल किया कि क्या इस जमीन के अंदर पट्टे देने की सरकार मंशा रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बिलकुल मंशा रखती है। आने वाले 6 महीने के अंदर जो वनाधिकार अधिनियम, 2006 है उसके नियमानुसार जितने भी प्रकरण होंगे, उनको सबको पट्टे दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जमीन पर वर्तमान में 1000 पट्टाधारियों ने वन अधिनियम 2006 के तहत अपना दावा पेश किया है लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रशासन की मंशा यही है कि उनको पट्टा नहीं दिया जाए। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाह रहा हूं कि जिन 1000 लोगों ने दावा पेश किया है, उनको पट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 में जिला प्रशासन ने तमाम जो कब्जे थे, उनके सर्वे किये। आज जितने लोग भी पात्रताधारक होंगे उन सभी को पट्टे दिए जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि फोरेस्ट एक्ट, 2006 के नियमों की पालना करते हुए सरकार की मंशा है कि सभी लोगों को जो पात्रताधारक हैं, उनको पट्टे दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, 1958 के पहले गांव नहीं था, 1951 में माननीय सदस्य ने कहा है कि वोट पड़े हैं, तब 188 आदमी मैम्बर थे। आपने जवाब दिया कि वे लोग पैतृक खातेदारी पर बैठे हुए थे। 1985 में फोरेस्ट डिक्लेयर किया, फोरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो आदिवासी वहां बैठे हैं, उनको जमीन मिलनी चाहिए। यह एक ऐसा केस है, जिस केस में सरकार के पास रिकार्ड नहीं है। सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि 1958 के रिकार्ड नहीं हैं, वहां पर आदिवासी बैठे हुए हैं। फोरेस्ट राइट एक्ट है, आप विभाग को निर्देश प्रदान करके इन आदिवासियों को फोरेस्ट राइट की जगह उनके खातेदारी राइट मिले, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि फोरेस्ट एक्ट में आने वाले समय के अंदर इन आदिवासियों को पट्टे दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 268

श्री शंकर सिंह रावत।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्रीमती शकुंतला रावत।

बानसूर के चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

269. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बानसूर एवं नारायणपुर सीएचसी में महिला गाइनिक चिकित्सक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों सीएचसी पर उक्त चिकित्सक लगाने व क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बानसूर में ग्रामवासियों द्वारा भवन एवं भूमि

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उपलब्ध कराने पर महिला चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम मुण्डावरा पंचायत हैडक्वार्टर पर विगत छह वर्ष पूर्व सरकार द्वारा पीएचसी खोली गयी थी, क्या सरकार उक्त पीएचसी का नामकरण भामाशाह श्रीमती पार्वती देवी के नाम से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार हरसोरा एवं कराना पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर की सभी सीएचसी एवं पीएचसी रामपुर, बानसूर, नारायणपुर, हरसोरा, गढ़ी, मुण्डावरा, कराना, हमीरपुर, हाजीपुर में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार बानसूर सीएचसी को 30 शैया से बढ़ाकर 100 शैया का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर में महिला गाइनिक चिकित्सक पदस्थापित नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद पदोन्नति का है। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर शीघ्र लगाने पर विचार किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बानसूर को 50 शैयाओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है, जिस हेतु विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे।

कस्बा नारायणपुर में वर्तमान में 30 शैयाओंयुक्त सामुदायिक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। वर्ष 2018 में शैयाओं की उपयोगिता दर 26.33 प्रतिशत रही है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर की शैयाओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर में औसतन 6 प्रसव प्रतिदिन हो रहे हैं। इस हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर में पृथक् से 15 शैयाओंयुक्त जननी सुरक्षा योजना वार्ड संचालित है, जो कि वर्तमान डिलीवरी लोड के अनुसार पर्याप्त है।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.06.2013 के द्वारा ग्राम मुण्डावरा, पंचायत समिति थानागाजी, जिला अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

भामाशाह श्रीमती पार्वती देवी के नाम से उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नामकरण हेतु राज्य सरकार के दान नियमावली के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) ग्राम हरसोरा एवं कराना, पंचायत समिति, बानसूर, जिला अलवर के अन्तर्गत आते हैं। पंचायत समिति, बानूसर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 2.64 लाख है, जिसमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर व रामपुर संचालित हैं।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरसौरा व कराना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी हां। चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जा सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रकिया/ स्थानान्तरण से प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जा सकेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

विभाग में नर्सिंग/पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(6) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर को 50 शैयाओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति अभी अपेक्षित है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि वित्तीय स्वीकृति नहीं है नारायणपुर में, तो कब तक करने का विचार रखते हैं? बानसूर में प्रशासनिक स्वीकृति निकल गई तो वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी हो जाएगी?

नामकरण के लिए मुण्डावरा के सारे डाकूमेंट, दस्तावेज यहां पर दे दिए, कब तक यह नामकरण हो जाएगा?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक स्वीकृति बानसूर के लिए जारी हुई है 30 बैड से 50 बैड की, यह 2012-13 के वित्तीय वर्ष में हुई थी। दुर्भाग्य से सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो उधर बैठे हैं हमारे साथी, उनकी सरकार आ गई थी और 5 साल इन्होंने वित्तीय स्वीकृति रोक दी। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठे हुए नहीं बोलेंगे।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो बोल ही नहीं रहे हो, आप बोल गये? अच्छी बात है। चलो बढ़िया है।

श्री अध्यक्ष: आप शांत बैठे थे। आप बोल रहे हैं क्या? आप भाग ही ले लेते उसमें। आप भाग लेते क्वेश्चन में फिर। माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब तो बोल गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको सदन में बोलने को मजबूर कर दिया।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद आपको, आपने इनको बोलने के लिए प्रेरित किया उसके लिए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा तो करके आये थे माननीय राठौड़ साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा नाम नियमावली के नियम बने हुए हैं, उसमें 50 से 75 प्रतिशत तक कुल लागत का भामाशाह के द्वारा पैसा दिया जाता है तो राजकीय पहले लिखते हैं, उसके आगे दान देने वाले का नाम लिखकर उसका नामकरण करते हैं। अगर कोई दानदाता 75 प्रतिशत से अधिक राशि देता है तो उसमें 'राजकीय' नहीं लिखकर सारा नाम उसी का लिख दिया जाता है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 100 परसेंट राशि दी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस अस्पताल के लिए जो पार्वती देवीजी के नाम से किया जाना है, हम इसका नामकरण 'राजकीय श्रीमती पार्वती देवी चिकित्सालय' के नाम से नामकरण कर दिया जाएगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम से पिछली सरकार के मंत्रीजी ने घोषणा की थी, तो वह स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने के लिए कब तक वहां पीएचसी खोलेंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले विधायक कोष से मैंने पैसा दिया था एम्बुलेंस के लिए, जो आज तक नहीं खरीदी गई पिछली सरकार द्वारा द्वेषतापूर्ण होने के कारण। अपन कब तक यह खरीदकर अस्पताल को डोनेट करवा देंगे? पिछली सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं था।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसका मैं परीक्षण करवा लूंगा, और क्या किया जा सकता है वह मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम करेंगे।

(12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

शीला दीक्षित, श्रीमती, पूर्व मुख्य मंत्री, दिल्ली

दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च, 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से आर्ट्स में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती शीला दीक्षित वर्ष 1984 से 1989 तक कन्नौज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की सांसद निर्वाचित हुईं तथा भारत सरकार में संसदीय मामलात मंत्रालय की राज्य मंत्री रहीं।

दिल्ली विधान सभा की सदस्य रहीं श्रीमती दीक्षित वर्ष 1998 से 2013 तक लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्य मंत्री रहीं। आपके कार्यकाल के दौरान दिल्ली के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिल्ली प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए फ्लाई ओवर्स के निर्माण के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। कुशल प्रशासक रहीं श्रीमती दीक्षित मार्च, 2014 से सितम्बर, 2014 तक केरल के राज्यपाल के पद पर आसीन रहीं।

सरल एवं सौम्य स्वभाव की धनी श्रीमती दीक्षित महिलाओं के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं। 'स्टेटस आफ वूमेन' विषय पर गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको आल लेडी लीग फार आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस द्वारा 'डिकेड अचीवर्स अवार्ड-2013' प्रदान किया गया। सार्वजनिक जीवन में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध रहीं श्रीमती दीक्षित ने पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सहित अनेक पदों पर कार्य किया।

श्रीमती शीला दीक्षित का दिनांक 20 जुलाई, 2019 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्रीमती शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अविनाश एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम पाला (मेड़तासिटी) निवासी श्री शिवराज चौहान द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी के संबंध में दिनांक 16.09.2016 को दर्ज करायी गई एफ.आई.आर. पर ठोस कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से महिला बाल विकास विभाग, बूंदी में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

(3) श्री छगनसिंह एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के नेतरा गांव के छात्र मनोहरसिंह राजपुरोहित के दिनांक 23.12.2016 से लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) बाबुलाल (झाडोल), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में आये दिन लगने वाले जाम से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर नगर निगम सीमा से बाहर बसी कॉलोनीयों को नगर निगम सीमा में शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय व निजी महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की प्रक्रिया में खामियां होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से खरीफ 2019 हेतु फसली

(श्री अध्यक्ष)

ऋण वितरण योजना में किसानों की साख सीमा घटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में दिवंगडा उप-तहसील के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के मेडिकल कालेजों के छात्रों की फीस वृद्धि करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से अन्य राज्यों की ओ.बी.सी. वर्ग की महिलाओं के सीमावर्ती क्षेत्र में विवाह करने पर जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में जर्दा के अत्यधिक सेवन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री संदीप कुमार, सदस्य की ओर से भिवाड़ी में नवनिर्मित पानी की टंकी गिरने से एक महिला की मौत हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री अभिनेष महर्षि, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ स्थित खसरा नं. 965 की गैर मुमकिन श्मशान भूमि को सिवायचक भूमि में तब्दील कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर, श्री संदीप कुमार एवं श्री अभिनेष महर्षि को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

ई.डब्ल्यू.एस. के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। समय और दिनांक मैं आपको बाद में सूचित करूंगा।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों

(श्री अध्यक्ष)

द्वारा बांटी जा रही फर्जी डिग्रियों से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(2) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंधन के अभाव में पेयजल योजनाओं के संचालन में आ रही बाधाओं के संबंध में।

(3) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग का कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

(4) श्रीमती निर्मला सहरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के चिकित्सालयों में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भरे जाने के संबंध में।

(5) श्री जे.पी. चंदेलिया, सदस्य की ओर से बगड़ थाना क्षेत्र के ग्राम नूनिया गोठड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने के संबंध में।

(6) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर-नापासर-जसरासर मेगा हाई-वे बनवाये जाने के संबंध में।

(7) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर में पंजाब से आ रहा केमिकल युक्त पानी मिलने से क्षेत्र में बढ़ रही बीमारियों की रोकथाम किये जाने के संबंध में।

(8) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से प्रदेश में हिन्दू धर्म के प्रथम अवतार श्री मत्स्य भगवान के अवतरण दिवस चैत्र शुक्ला तृतीया को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के संबंध में।

(9) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से रामगढ़ (अलवर) में नगरपालिका का गठन किये जाने के संबंध में।

(10) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर पदयात्रियों की सुविधा हेतु सड़कों पर चार फीट चौड़ा पदमार्ग बनवाये जाने के संबंध में।

(11) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के नेतरा गांव के छात्र मनोहरसिंह राजपुरोहित के दिनांक 23.12.2016 से लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में अन्य किसानों की जमीनों पर खेती करने वाले किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उपरोक्त सारे 295 के प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे, क्योंकि आज होम की डिमांड है।

(पढ़ी मानी गयीं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 22 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 31 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं- श्री फूल सिंह मीणा एवं श्री गोपीचन्द मीणा सदस्यों द्वारा वर्तमान सत्र में उन विषयों को सदन में उठाया जा चुका है। अत: उन्हें सदन में विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी। शेष 2 पर्चियां निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	नाम मा. विधायक	विषय
1.	श्री पब्बाराम	फलौदी विधान सभा क्षेत्र में कोलायत लिफ्ट की नगरासर वितरिका व पोकरण लिफ्ट में निर्धारित पानी छोड़ने तथा 2005 में जम्भेश्वर लिफ्ट के कमांड को पुन: जोड़ने के संबंध में।
2.	श्री रामलाल शर्मा	जयपुर डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के साथ हो रहे शोषण के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा। श्री मदन दिलावर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जर्दे का अत्यधिक सेवन

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तम्बाकू और उसके उत्पाद मानवता के सबसे बड़े शत्रु हैं। भारत आज सबसे बड़ा देश होने जा रहा है तम्बाकू का उपयोग करने में और हिन्दुस्तान में 2700 मौतें प्रति दिन तंबाकू के उपयोग से होती हैं। जो 18 वर्ष से कम आयु के युवा हैं, उनमें 82 प्रतिशत युवा तम्बाकू का उपयोग सीख जाते हैं और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जर्दा उत्पादन बेचना व विद्यालयों के नजदीक बेचना अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा सरकार ने कानून बनाया हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कानून की कितनी

(श्री मदन दिलावर)

पालना होती है, इसकी जानकारी आप सबको है। इसके लिए कोटपा कानून बना हुआ है, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद, अधिनियम बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। अपने-अपने स्थान पर जाएं। माननीय सदस्य, प्लीज, आप जीरो ऑवर की महत्ता को ही खतम कर देंगे। एक मिनट, मदन जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, तम्बाकू का उपयोग करने से हम सब लोग जानते हैं कि कैन्सर जैसी भयंकर बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, दमा की बीमारी होती है। मुंह का कैन्सर हो जाता है तो जबड़े में छेद हो जाते हैं, जबड़ा बदलना पड़ता है, जीभ काटनी पड़ जाती है और कई प्रकार के कैन्सर होते हैं। इसके कारण, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2700 मौतें प्रतिदिन इससे होती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया हुआ है, जिसका नाम है, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम। रोक होने के बावजूद भी, कानून बनने के बावजूद भी, इसमें सज़ा और जुर्माने का प्रावधान होने के बावजूद भी लगातार विज्ञापन हो रहे हैं। दूरदर्शन पर, अखबारों में और होर्डिंग्स के माध्यम से इसका प्रचार किया जा रहा है लेकिन कोई भी एजेंसी इनको रोकने के लिए आगे नहीं आ रही है। क्या यह सरकार लगातार इस कानून की अवहेलना कर रही है, क्या यह सरकार लोगों को मरने के लिए छोड़ रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं यह सार्वजनिक स्थानों पर तो पूर्णतः प्रतिबन्धित है, चाहे विद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सार्वजनिक कोई भी स्थान हो, वहां पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन लगातार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इतना तो हो कि जितने सरकारी संस्थान हैं, चाहे वे विद्यालय हैं, चाहे अस्पताल हैं, चाहे अन्य कर्मचारी जो नौकरी करते हैं, वह स्थान हैं, कार्यालय हैं, सबमें प्रतिबन्धित होना चाहिए। फिर भी कोई इसका उपयोग करता है तो जैसा इसमें पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की सज़ा का प्रावधान है तो कम से कम उनको नोटिस देकर निलम्बित करना चाहिए, रोकना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): विद्यालयों में और यहां विधान सभा तक में माननीय सदस्य जर्दा का उपयोग करते हैं, यहां पर बैठ कर

(श्री मदन दिलावर)

खाते हैं तो कम से कम यह विधान सभा तो संकल्प लें कि यहां पर इसका उपयोग नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभी विद्यालयों में, सभी सरकारी संस्थानों और प्राइवेट संस्थानों में यह पूर्णत: प्रतिबन्धित होना चाहिए क्योंकि यह लोगों की जान के साथ खतरा है, यह लोगों के साथ खेल रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, मंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जर्दा एवं गुटखा के बारे में अपनी चिंता प्रकट की है, वह निश्चित रूप से जायज है। वर्ष 2012 में राजस्थान राज्य में तम्बाकूयुक्त गुटखा पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबन्ध हमारी सरकार ने लगाया था और जर्दा पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने के लिए 2003 से ही केन्द्रीय अधिनियम सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद अधिनियम लागू हैं। यह केन्द्रीय अधिनियम है और इस अधिनियम के तहत अब तक 2 लाख 85 हजार 561 उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही की गई है तथा उनसे 1 करोड़ 26 लाख 69 हजार 127 रुपये की राशि वसूल की गई है, सर्च और सीजर की कार्यवाही भी की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिले में हर तीन महीने में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन होता है और विज्ञापन के जरिये शिक्षण संस्थाओं में, सब जगह मॉस-अवेयरनैस के कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं। अभी इस साल 30 जनवरी को सर्वोदयी दिवस पर, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि को जोधपुर में हमने नशा मुक्ति की शपथ दिलायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिन में 1 करोड़ 14 लाख.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 1 करोड़ 14 लाख लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली और मुझे यह सदन को जानकारी देते हुए खुशी है कि डब्ल्यूएचओ ने राजस्थान सरकार को इस काम के लिए सम्मानित किया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार ने ई सिगरेट को प्रतिबन्धित किया है। हुक्का बार जो अलग-अलग रेस्टोरेंट्स में

(श्री रघु शर्मा)

चल रहा है, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इसी सत्र में हुक्का बार पर भी कोई प्रभावी कानून लेकर आएं। सरकार का प्रयास यह है कि यह जो नशे की प्रवृत्ति है, इस पर अंकुश लगे। इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की बात है और भारत सरकार का खुद का बना हुआ एक्ट है तो कुछ प्रयास दिल्ली से हों, कुछ प्रयास यहां से हों। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई राज्य सरकार दोषी है, यह तो पूरे देश के लिए कानून लगा हुआ है इसलिए इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री अध्यक्ष: संदीप कुमार। माननीय सदस्य, प्लीज, अब अलाउ नहीं। माननीय सदस्य संदीप कुमार। माननीय सदस्य, प्लीज, मैं अलाउ नहीं करूंगा। संदीप कुमार।

भिवाड़ी में पानी की नवनिर्मित टंकी गिरने से महिला की मौत

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे भिवाड़ी नगर परिषद् में एन.सी.आर.पी.बी. के तहत कोलकाता की एक कम्पनी डब्ल्यू.पी.आई.एल. की ओर से भिवाड़ी में 16 पानी की टंकियों का निर्माण किया गया जिसमें से एक टंकी ट्रायल के दौरान ही रात को पानी भरने के बाद सुबह लगभग 6.30 गिर जाती है। वह पानी की टंकी शहर के बीचों-बीच थी, उसके गिरने से कोर्ट परिसर की आधी बिल्डिंग टूट जाती है, एक सफाई कर्मचारी इसमें दब जाता है, स्कूलों के बच्चे उस समय स्कूल जा रहे थे उनमें 4-5 बच्चे घायल हो जाते हैं। इसके अलावा, एक महिला ज्ञानमती पाण्डे, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उनके पति 20 साल से भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो अपनी रोजी-रोटी के जुगाड़ के लिए यहां पर आए हैं, वह महिला वहां पर घायल हो जाती है। वह 15-16 दिन तक अनेकों अस्पतालों में चक्कर काटते रहे, पहले भिवाड़ी, फिर अलवर, अलवर से भिवाड़ी, फिर भिवाड़ी से गुड़गांव चक्कर काटते रहे। उनके पास पैसों का अभाव था और इधर-उधर से कर्जा लेकर साढ़े छह लाख रुपये उनके इलाज में लग गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पधारो म्हारै देश की धारणा की बात राजस्थान के लोग-बाग़ करते हैं, पर उसको किसी ने कोई मदद किसी तरह की नहीं दी। जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा तो उन्होंने तुरन्त कार्यवाही करते हुए कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा पर उनका कहना यह था कि उसकी यहां की लोकल कोई आई.डी. नहीं है, हमारे यहां के निवासी

(श्री संदीप कुमार)

नहीं हैं, इस कारण से मुख्य मंत्री सहायता कोष से पैसे नहीं मिल सकते। अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति हमारे यहां पर 20 साल से लगातार रह रहा है, वह यहां फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है तो कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि मुख्य मंत्री सहायता कोष से उसको राशि मिलनी चाहिए। इसके अलावा, जिस कम्पनी के कारण से इस तरह की घटना हुई ट्रायल के दौरान ही भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है रात को पानी भरा, सुबह टंकी गिर जाती है तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): इसके अलावा, जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस महिला को आर्थिक सहायता मिले। मात्र साढ़े पांच लाख रुपये कम्पनी वालों ने दिये हैं....

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य। धन्यवाद, हो गई बात। माननीय सदस्य, हो गई बात।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। भगवान ने बचाव कर दिया पर यदि दो घंटे बाद गिरती और उसमें यदि हमारे वकील साहिबान और मजिस्ट्रेट के साथ कोई घटना हो जाती तो क्या उस समय उनके साथ भी इस गरीब महिला की तरह ही बर्ताव होता? मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान देते हुए उसको अच्छा-सा मुआवजा मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, तिजारा विधान सभा क्षेत्र के भिवाड़ी के सेक्टर 1, 2, 3 में निर्मित उच्च जलाशय क्षमता 560 किलो लीटर अचानक दिनांक 12.3.2019 को सुबह लगभग.....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, टू-द-पाइंट, आज डिबेट है। मुआवजा मिले या नहीं मिले, बाकी डिबेट्स हम नहीं कर पायेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): बता रहा हूं। इसका निर्माण कार्य 23.8.2017 से प्रारम्भ कर जनवरी, 2019 तक पूरा करना था। इसके अन्तर्गत एक महिला जो रास्ते से गुजर रही थी, वह घायल हो गई। उनको इलाज के दौरान 50 हजार रुपये और उसके बाद साढ़े पांच लाख मृत्यु के बाद दिये गये। इस प्रकार से महिला के परिजनों को कुल 6 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बीमा राशि का भी लाभ इन्हें दिया जाएगा।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

उक्त प्रकरण में तत्कालीन सहायक अभियंता श्री नीलेश कुमार और अधिशाषी अभियंता रामकिशन यादव को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलम्बित कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, महिला को मुआवजा मिला या नहीं मिला?

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मुआवजा अभी दिया गया है। बड़े दबाव के बाद 50 हजार रुपये, इलाज के समय उसको पैसे नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अब समाप्त हुआ। अभिनेष महर्षि जी। बैठें, प्लीज, बैठें। माननीय सदस्य, बैठें। अब अलाउ नहीं है। श्री अभिनेश महर्षि।

रतनगढ़ की गैर मुमकिन श्मशान भूमि का सिवायचक में परिवर्तन

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। रतनगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 965, जो संवत् 2025 से लगातार श्मशान भूमि के रूप में रिकार्ड में दर्ज थी। 965 श्मशान हैं, 964 श्मशान भूमि हैं, 966 श्मशान भूमि हैं। प्रजापत समाज और अन्य सभी समाजों द्वारा श्मशान घाट के रूप में काम में लिया जाता रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को मृत्यु के बाद जमींदोज करने का कार्य भी, उस भूमि पर लगातार लम्बे समय से हो रहा है।

अभी 11 तारीख को तहसीलदार महोदय एक प्रार्थना पत्र पेश करते हैं एसडीएम साहब को, उस भूमि की किस्म को परिवर्तन करने के लिए। 12 तारीख को रजिस्टर में दर्ज होता है, 12 तारीख को ही तहसीलदार जी के यहां, एसडीएम साहब के यहां पर उस श्मशान भूमि के लिए प्रजापत समाज और अन्य लोग एक प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमें सुनवाई का मौका दिया जाए, हमें सुना जाए और हमें पक्षकार बनाया जाए। उसी समय रिपोर्ट मांग ली जाती है सेम डे, 12 तारीख को ही रिपोर्ट मांगी जाती है, 12 तारीख को ही तहसीलदार जी रिपोर्ट पेश करते हैं, 12 तारीख को ही खारिज कर दी जाती है, 12 तारीख को ही उसका रिकार्ड के अंदर परिवर्तन करके छुट्टी का दिन होते हुए भी दफ्तर खुलवाकर उससे रिकार्ड को परिवर्तन करने का काम किया जाता है।

(श्री अभिनेष महर्षि)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसके अंदर आसपास के जो भूमाफिया लोग हैं, जिनकी जमीनें हैं, उनका इस पर इंट्रेस्ट है और उनके दबाव में, सरकार के दबाव में आकर के यह किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना यह है कि उस भूमि को, चूंकि ये भावना से जुड़ा हुआ है, धार्मिक भावना का मामला है, छोटे-छोटे बच्चे वहां पर जमींदोज हैं और असंख्य हैं। उन सबको बचाते हुए, मेरा निवेदन है कि इस भूमि को वापस श्मशान भूमि के रूप में परिवर्तित करने का काम किया जाए।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): खसरा नम्बर 965 सैटलमेंट के समय सिवायचक राजकीय भूमि के रूप में दर्ज थी, त्रुटिवश वह जमीन श्मशान के रूप में दर्ज हो गई, उसका शुद्धीकरण करके वापस त्रुटि को सुधार कर उस जमीन को राजकीय कार्य के लिए आरक्षित कर दी गई है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह कभी भी दर्ज नहीं थी।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें, आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ये दर्ज कभी भी नहीं थी, सर।

श्री अध्यक्ष: पब्बाराम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कोलायत लिफ्ट की नगरासर वितरिका व पोकरण लिफ्ट में पानी छोड़ने तथा जम्भेश्वर लिफ्ट के कमांड को जोड़ना

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाप क्षेत्र में 5 सालों में 4 साल अकाल पड़ता है और ऐसे में हमारी लिफ्ट योजनाएं, उस क्षेत्र के लिए संजीवनी का काम करती हैं। इसमें कोलायत लिफ्ट है, नगरासर वितरिका है। इसमें पिछले काफी समय से मैं प्रयास कर रहा हूं परन्तु सिल्ट निकालकर के सिंचाई का पानी नहीं दिया जा रहा है।

दूसरा, हमारी जम्भेश्वर लिफ्ट से 50 हजार 45.89 हैक्टेयर का क्षेत्र सिंचित था, परन्तु 2005 के आंदोलन के समय में हमारे क्षेत्र को काट दिया, लगभग 2 हजार हैक्टेयर काट दिया गया। मेरा, माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि वे उस क्षेत्र को पुन: जोड़ें।

(श्री पब्बाराम)

तीसरी, जो पोकरण लिफ्ट है। माननीय महोदय, इसमें 140 क्यूसेक पानी निर्धारित है। पिछले पांच साल से लगातार सिल्ट निकालना, ठेका देना, पैसे उठाने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है और 50 क्यूसेक बताया जा रहा है, परन्तु पानी दूसरी जगह जा रहा है।

आपके माध्यम से निवेदन है कि उस पोकरण लिफ्ट में भी 140 क्यूसेक पानी दिलवाकर किसानों को लाभ दिलवाने की मेहरबानी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रामलाल शर्मा।

जयपुर डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादकों का शोषण

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान जयपुर डेयरी के अन्दर हो रहे भ्रष्टाचार की ओर इंगित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जयपुर डेयरी के दो प्लांट एक नदबई के अंदर और एक मेरे कालाडेरा ग्राम में स्थित है। लेकिन दुर्भाग्य देखो, दो प्लांट सरस डेयरी के होने के बावजूद भी जयपुर डेयरी के अध्यक्ष द्वारा किसान केसरी नामक पशु आहार, जो इन्हीं के परिवार के सदस्य द्वारा संचालित फैक्ट्री है और जबरन दुग्ध उत्पादन सरकारी समिति के जो सदस्य हैं, उनको डराकर धमकाकर यह कहते हुए कि तुम्हारे दुग्ध को बंद कर दिया जाएगा, यदि किसान केसरी नामक पशु आहार समितियों के माध्यम से बेचने का काम नहीं करोगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा, जबकि डेयरी के नियमों 20.2/5 में लिखा हुआ है। ''संघ के हुए किसी ठेके में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित अथवा संघ द्वारा बेची या खरीदी जाने वाली किसी सम्पत्ति में कोई हित हो अथवा उन नियोजनों या ऋणों को जो उसके संघ से लिया हो, को छोड़कर किसी व्यावसायिक संव्यवहार में हित हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।'' अध्यक्ष महोदय, बार-बार समितियों के सदस्यों की शिकायत के बावजूद भी जयपुर डेयरी के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज और, जयपुर डेयरी के एमडी के द्वारा विभिन्न समितियों के द्वारा मिलावट के नाम पर आज डेयरी बंद की जाती है, उसके दो दिन बाद में ही उन डेयरियों को पुन: संचालित किया जाता है। जिस भेदभावपूर्ण तरीके से जयपुर डेयरी काम कर रही है। अंतिम निवेदन में

(श्री रामलाल शर्मा)

यह करना चाहूंगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, जयपुर डेयरी के द्वारा जिस तरीके से बीएमसी का आबंटन किया जा रहा है। 2 हजार लीटर एकत्रित करने वाली समिति को बीएमसी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जबकि 200 लीटर दुग्ध उत्पादन करने वाली समिति को बीएमसी अलाट की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, तीनों विषय पशु आहार जिस तरीके से प्राइवेट कम्पनी का इन समितियों के माध्यम से बिक रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और जिस तरीके से (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मिलावट के नाम पर बीएमसी समितियों को भंग किया जाता है, उनकी जांच कराई जाए और तीसरा अंतिम निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से बीएमसी का अलाटमेंट किया जा रहा है, उसकी भी जांच कराई जाए और जयपुर डेयरी के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय रिप्लाई दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: पाइंट आफ इंफोरमेशन।

श्री अध्यक्ष: कोई इंफोरमेशन नहीं होता, बैठो आप। प्रताप सिंह खाचरियावास।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की अधिसूचना प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3-ए/16188 दिनांक 10.7.2019, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.7.2019 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: पुर: स्थापित किये जाने वाले विधेयक, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019, शांती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री अध्यक्ष: विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019, श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री अध्यक्ष: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019.

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुर:स्थापित करें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,42,95,46,000/- (ग्यारह अरब बयालीस करोड़ पिचानवे लाख छियालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 13-आबकारी की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13-आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,68,79,20,000/- (एक अरब अड़सठ करोड़ उनासी लाख बीस हजार) तक की

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या 16 - पुलिस की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,37,59,89,000/- (पैंसठ अरब सैंतीस करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

मांग संख्या 17 - कारागार की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,94,37,97,000/- (एक अरब चौरानवे करोड़ सैंतीस लाख सतानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री अध्यक्ष: चर्चा प्रारम्भ। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

मांग संख्या 6, 13, 16 व 17 पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 16 और 17 तक अपने को सीमित रखूंगा। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए कानून-व्यवस्था अच्छी हो, यह उसकी पहली आवश्यकता है और हर सरकार इस बात का प्रयास करती है कि उस राज्य में शांति बनी रहे, कानून-व्यवस्था ठीक हो, लोगों को न्याय मिल सके, अपराधी को सज़ा मिल सके, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि हम इस बात को महत्व तो बहुत देते हैं, बातों में भी बहुत देते हैं लेकिन इसके लिए जो बजट अलाटमेंट होता है, उसमें उस तरफ ध्यान कम से कम जाता है और इसके कारण से जब तक आप उसको वैल इक्विप्ड नहीं करोगे,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जब तक उनको सब प्रकार की सुविधाओं से जोड़ करके उनके काम करने की क्षमता नहीं बढ़ायेंगे, तब तक यदि हम उनसे बहुत उम्मीद करते हैं तो जितना आप उनसे चाहते हो, उतनी सफलता नहीं दे पाते हैं। मैं सोचता हूं कि इस विभाग को राजनीति के दायरे में रखें आप भले ही, लेकिन उसको सब साधनों से परिपूर्ण करें और उनको इस काबिल बनायें कि वो हमारे लॉ एंड आर्डर को अच्छे से अच्छे प्रकार से मैन्टेन कर सकें। मैं आपके सामने जो फीगर रख रहा हूं वह इस कारण से कि बजट ही उसका सबसे बड़ा आधार होता है लेकिन बजट के बारे में हमारा और आपका जो सोच है, मैं आपको बता रहा हूं कि 2004 से 2009 तक हमारे पास रहा। हमने पुलिस की 16 की जो डिमाण्ड है उस पर 831 करोड़ रुपये 2004 में बजट रखा था और उसके बाद 2008-09 में जब हमने छोड़ा था तो 1535 करोड़ रुपये बजट हुआ पुलिस का। इसका मतलब हमने 84 प्रतिशत बजट को बढ़ाया और कुछ साधनों से उसको जोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद जब आपकी सरकार आयी तो 1916 करोड़ से आपने अपना बजट शुरू किया और 3058 करोड़ रुपये पर समाप्त किया। इसकी जो वृद्धि है, वह 59 परसेंट है। यानी 84 परसेंट की वृद्धि 59 पर आई और उसके बाद फिर आपने 2014 में हमको दिया और हमने इसको 3681 करोड़ प्रारम्भ में पुलिस को पैसा दिया और 2018-19 का हमारा बजट बी.ई. 5943 था और आर.ई. में हुआ 6170 लेकिन अभी एक्चुअल मार्च तक का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हुआ तो यह वृद्धि है 71 प्रतिशत। अब आपने जो किया है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप उनसे उम्मीद तो बहुत करते हैं लेकिन बजट देने में जिस प्रकार की कंजूसी करते हैं, फिर आप उनसे उम्मीद लगाते हैं। आपने इस बार जो बजट दिया 2019-20 का उसमें प्रोविजन रखा है, 6245 करोड़ रुपये। इसका मतलब जो इसमें इजाफा हुआ वह केवल 75 करोड़ का। अब 75 करोड़ के इजाफे में मांग संख्या-16 के जितने भी सैक्शन हैं, उनकी आप पूर्ति कैसे करोगे? फिर आप यह कह रहे हो कि हम 12 हजार कांस्टेबल्स की भर्ती भी करेंगे। 12 हजार कांस्टेबल्स की तनख्वाह और बाकी इस विभाग की जो साधन-सुविधाएं हैं, वे क्या इस 75 करोड़ से पूर्ति कर सकते हैं? उनसे उम्मीद तो बहुत सब लोग करते हैं, लेकिन हम उनको साधन क्या देते हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए।

इसी तरह, मांग संख्या-17 जेल। इस जेल विभाग का तो दुर्भाग्य रहा। खूब कोशिश करने के बाद भी जनता के मापदंड पर हम खरे नहीं उतर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पाते हैं। हर प्रकार की समस्याएं वहां हमें नीचा देखने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसमें कई प्रकार की कमियां हैं वे तो कभी आगे बतायेंगे लेकिन अभी बजट पर बता रहा हूं। हमने 2004-05 में जो बजट रखा वह 35 करोड़ दिया और जब हमने छोड़ा था तो लास्ट बजट हमारा 55 करोड़ का था, 55.8 परसेंट हमने बजट बढ़ाया। उसके बाद 2009 से लेकर ये जो आपके पास रहा 2013-14 तक, वह 62 करोड़ से शुरू किया, 108 करोड़ पर समाप्त, 73 परसेंट की बढ़ोतरी। यह बढ़ोतरी एकदम सीधी 62 से 108 तक आयी। इसमें आपने जेल को थोड़ा-सा स्ट्रैन्थन करने का प्रयास किया लेकिन उसके बाद ये जो 2014 से 2019 में जो काल खंड हमारा आया हमने 142 करोड़ से शुरू किया और 206 करोड़ पर इसको एंड किया अर्थात् हमने लगभग 63 परसेंट की बढ़ोतरी की और फिर आपने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी जो आपने बजट दिया है, आप फिर से विचार करना अगर कुछ सम्भव हो सकता है तो इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना है। जेल की सबसे ज्यादा दुर्गति अगर है, तो उसके कारण से है। अभी आपने बजट दिया है और जो हमने दिया, उसकी आर.ई. थी 2018-19 की, वह 206 करोड़ की थी। आपने अभी अपना बजट दिया 194 करोड़, अर्थात् आपने अपना बजट दिया है, माइनस 12 करोड़ का। आप उनसे उम्मीद तो करते हो काम के बारे में, जबकि उनकी सबसे दयनीय स्थिति है, वह मैं फिर कभी जेल के बारे में बताऊंगा।

(12.36 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसी तरह से, अभियोजन में जब तक हम बजट अलोकेशन करते समय इसको प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम जो सबसे आवश्यक है, स्टेट के लिए अगर अमन, चैन, शांति बनी रहे, वह नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभियोजन में भी आपने ऐसा ही किया। हमने 19 करोड़ से शुरू किया, 35 पर खतम किया, 86 परसेंट की बढ़ोतरी की। उसके बाद आपका काल रहा, 41 से आये आप 50 पर, 22 परसेंट की केवल बढ़ोतरी की अभियोजन में और उसके बाद हमने 54 से शुरू किया और अभी हमने 59 करोड़ इसकी आर.ई. पर हमने समाप्त किया और अभी आपने दिया, आप इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर विचार करो कि जब आप बजट बनाते हो तो आपका बजट का वैसे ही 7-8 परसेंट की तो अपने-आप ही एक तरह से आपकी बढ़ोतरी आ जाती है, अपने-आप में महंगाई के कारण से। अभी आपने दिया है, हमने जो 90 करोड़ रुपये खर्च किये आर.ई. में, वो आपने दिया है 91 करोड़ 29 लाख, अर्थात् आपने सारा मिलाकर के 92 लाख रुपये केवल इसमें बढ़ाया। अब इस 92 लाख का बजट बढ़ा करके आप इस सारे के सारे सैक्शन को देखना चाहते हैं।

इसी तरह से, सम्पूर्ण होम को लें। अगर 16 की डिमाण्ड में जितने भी उसके सैक्शन हैं तो उनमें बजट की स्थिति क्या है। 2004-05 में 916 करोड़ था, जो हमने 1613 पर आपको दिया। आपने 2082 से शुरू किया, 3279 पर समाप्त किया। उसके बाद 3962 से हमने शुरू किया और अभी हमने 6569 करोड़ रुपये पर छोड़ा है। अभी आपने 6648 करोड़ किया है। इसका मतलब केवल और केवल पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में 69 करोड़ केवल बजट में इजाफा है। फिर आप इस डिपार्टमेंट से जो उम्मीद करते हैं, उसमें यह डिपार्टमेंट खरा नहीं उतरता है। दुर्भाग्य क्या है कि हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है, वह मेरी सरकार रही, आपकी सरकार रही, आलोचना करिये कोई दिक्कत की बात नहीं, कमियां सब में रही। अपराध हर समय हुए हैं, लेकिन अपराध का जो ग्राफ है, उसके बारे में भी अपनी एक निगाह जानी चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप इस अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सारे आंकड़े बता रहे हैं कि आप अपराध में असफल हो रहे हो। 2008 में जब हमने आपको सरकार दी थी तब राजस्थान का सम्पूर्ण अपराध साल भर का 1,51,174 था, वह बढ़कर जब आपने हमको वापस सुपुर्द की, उस समय 1,96,224 क्राइम का टोटल फिगर था, अर्थात् उस समय आपके 30 परसेंट की बढ़ोतरी हुई टोटल अपराधों में और अभी हमने आपको जो दिया है यह पहला रिकार्ड होगा शायद। मैं सोचता हूं कि हमने अपराध को घटाया और अपराध हमने आपको जो सुपुर्द किया, वह केवल 1,71,000 दिया अर्थात् 1,96,000 से हमने कम करके 1,71,000 पर लाये अर्थात् माइनस 12.5 परसेंट राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में अपराध को घटा करके इस सरकार को सुपुर्द किया है और आज आपको सुन करके ताज्जुब होगा, देख करके ताज्जुब होगा। विचार करिये, केवल इसलिए नहीं कि मैंने कहा इसलिए बुरा है और आपने कहा इसलिए अच्छा है, इसको न मानो, इन 6 महीनों में केवल अपराध की जो स्थिति है, वह मैं बता रहा हूं। 6

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महीनों में राजस्थान में अपराध का जो रिकार्ड है वह 1,10,374 है अर्थात् 28 परसेंट, एक-दो परसेंट नहीं 28 परसेंट अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। यह इस बात का इंडिकेशन है कि वास्तव में अपराध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बारे में विचार करिये। पिछली बार हम बड़ा प्रयत्न करके माइनस 12 पर लाये थे। अबकी बार केवल 6 महीने में 110374 यानी 28 परसेंट की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इससे भी ज्यादा दुख का कारण है, वह महिला अपराध की दृष्टि से है, क्योंकि हम हिन्दुस्तान में महिला अपराध की दृष्टि से 2013-14 तक नंबर 2 पर आते थे। प्रयत्न पूर्वक हमने कोशिश की कि कुछ पायदान हम नीचे उतरें और उसके बाद हम 3 पर आये, 3 के बाद 4 पर आये और अभी हम हिन्दुस्तान में महिला अपराध की दृष्टि से 5वें पायदान पर हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट 2016 के बाद पब्लिश नहीं हुई इसलिए वास्तविक आंकड़े उसके बाद ही पता लग पायेंगे। लेकिन 2008 में जब हमने आपको सरकार दी तब 15174 महिला अपराध के आंकड़े थे। जब आपने हमको दी तो वह हो गया 29,195, मतलब 92 परसेंट वृद्धि। मैं केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर इस पर निगाह जरूर डालिए कि आखिर इस प्रकार से अपराध में वृद्धि कैसे हो रही है। उसके वापस जब 2018 में हमारे पास आया तो हमने 29 हजार से अपराध घटाकर 27,594 अर्थात् माइनस 5.5 महिला अपराध पांच साल में घटाकर आपको दिया और आपने इन 6 महीनों में, आप आंकड़ों को थोड़ा-सा गौर कीजिए, देखिए, केवल इधर से पत्थर उधर फेंका, उधर का पत्थर इधर फेंका, हा, हू करके खतम कर दिया तो हम उस जगह नहीं पहुंच सकेंगे जिसके बारे में हमको बैठकर शांति से विचार करना चाहिये। मैं आपको केवल 6 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं, राजस्थान में अब तक महिला अपराध के 20,522 अपराध दर्ज हो गये, इसका मतलब 49 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है केवल 6 महीने में, इस पर विचार करना चाहिये।

इसी तरह से, अनुसूचित जाति के ऊपर जो अपराध हैं, 2008 में 1183 पर आपको दिया, आपने हमको वापस 1651 पर दिया, अर्थात् 39 परसेंट की बढ़ोतरी थी। उसके बाद 2018 में जब हमने आपको वापस दिया तब 1095 थे, माइनस 34 परसेंट अनुसूचित जाति के अपराधों में कमी लाये। इस समय जो अपराध बढ़ा है, उससे सदन को चौकन्ना होना पड़ेगा कि अनुसूचित जाति का अपराध केवल 6 महीने में 784, मतलब 43 परसेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जन जाति जो मेरा क्षेत्र है, उसमें मैंने आपको दिया था 4985 पर, आपने मुझे वापस सुपुर्द किया 6465 पर, अर्थात् प्लस 29 प्रतिशत। उसके बाद 2018 में हमने वापस आपको जब दिया तो 4607 पर दिया, अर्थात् माइनस 29 परसेंट अपराध अनुसूचित जन जाति में घटाकर आपको दिया और अभी केवल 6 महीने में प्लस 35 परसेंट अपराध बढ़ा है। यह सब आंकड़े आपको, मेरे को, सदन को, राजस्थान को चौकन्ना करता है कहीं न कहीं काम करने के बारे में।

अब मैं आपको 6 महीने का रिजल्ट बताता हूं आपको क्या तकलीफ हुई है। यह फीगर जो आपका हर महीने का चार्ट निकलता है कि हमारे अपराध की जून तक की स्थिति क्या है, केवल उसके फीगर बता रहा हूं। मैं केवल जून महीने की तुलना कर रहा हूं। जून 2018 से जून, 2019, इसमें हमारे टाइम में जून, 2018 में टोटल आईपीसी अपराध थे 15,569 और जून, 2019 तक आपके हो गये, एक महीने का कह रहा हूं, यह हो गया 22,519, अर्थात् 61 परसेंट बढ़ोतरी हुई, इसके बारे में विचार करना चाहिये। अगर 2017, 2018 और 2019 इन तीनों का जनवरी से लेकर जून तक का आंकड़ा देखें तो वह और भी आश्चर्यजनक है। 2017 में अपराध था, 86,939, 2018 में हुआ 87,024 और 2019 में अभी हुआ है 1,10,340, इसका मतलब 26 परसेंट की बढ़ोतरी 2017 से अधिक है। 2018 से तुलना करें तो भी 26 परसेंट अधिक है। यह अपराधों का ग्राफ इस बारे में बता रहा है कि राजस्थान में अपराधों के बढ़ने की प्रवृत्ति बहुत तेज है।

महिलाओं के बारे में केवल 6 महीने की तुलना बता रहा हूं, जून, 2018 में जो अपराध थे वह 2370 थे, अभी जून में जो आपके अपराध हुए हैं, वह 4928, इसका मतलब 107 परसेंट, 2018 के जून से लेकर 2019 में 107 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। अगर साल के हिसाब से आप लेना चाहें तो मैं सोचता हूं कि 2017 के जून महीने तक जो अपराध थे, वह 14,008 थे, वह 2018 में हुए 12,628 और अभी 2019 में हुए हैं 20222, इसका मतलब 46 परसेंट की बढ़ोतरी है, इस पर थोड़ा-सा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। केवल बात कह देने से काम नहीं चल पायेगा, इसको देखो।

इसी तरह से, मैंने आपको बताया अनुसूचित जन जाति में भी इसी प्रकार की बढ़ोतरी हुई है। 6 महीने 2017 के, 6 महीने 2018 के, 6 महीने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

2019 के, अगर तुलना करें तो 101 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। 2018 से 2019 की तुलना करें तो 101 की बढ़ोतरी हुई है और 2019 के केवल मई से जून की करें, केवल आपका ही समय है तो उसमें भी 4 परसेंट की बढ़ोतरी है।

एक्सीडेंट के बारे में आप और मैं सब चिंतित हैं। मैंने भी खूब प्रयास किया कि वास्तव में यह एक्सीडेंट राजस्थान के लिए कितना बड़ा अभिशाप है कि 10 हजार से अधिक एक्सीडेंट होते हैं और परिवारों की क्या दशा होती है। लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सके। हमने भी केबिनेट सब कमेटी बनाई, प्रयत्न किया, लेकिन मुश्किल से 400-500 एक्सीडेंट कम हुए और कुछ डेथ कम हुई। लेकिन अभी आपका 6 महीने का आंकड़ा बता रहा है, वह बड़ा चौंकाने वाला है, 6 महीने में 18 जून तक 11,479 एक्सीडेंट हुए थे और अभी तक 6 महीने में 12,599 एक्सीडेंट हो चुके हैं। उस समय 5,287 डेथ हुई थीं, अभी हो गई 5,613, अर्थात् एक्सीडेंट की भी बढ़ोतरी हो रही है।

नेशनल क्राइम रिपोर्ट में हम कहां स्टेंड करते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट में हमने पहले से कंडीशन सुधारी है, पिछले पांच सालों में थोड़ा सा सुधरा है लेकिन अभी भी कोई संतोषप्रद कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी हम कई जगह बहुत पीछे हैं। हत्या में छठे स्थान पर हैं 17 राज्यों में, जिनकी हमारी जितनी पोपुलेशन है या जिनका इससे बड़ा एरिया है, उन्हीं से कम्पेरिजन किया हुआ है, 6ठे स्थान पर थे। हत्या के प्रयास में 10वें स्थान पर थे, बलात्कार में हम चौथे स्थान पर हैं। बलात्कार में हमसे ऊपर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, उसके बाद चौथा अपना है। बलात्कार के प्रयास में हम 3 स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, बंगाल हमसे ऊपर है। डकैती में 9वां स्थान है, लूट में 10वां स्थान है और दहेज मृत्यु में भी हमारा 5वां स्थान है। यह नेशनल क्राइम रिपोर्ट के आधार पर भी बहुत ज्यादा इस डिपार्टमेंट के बारे में चिंता करके इस फीगर को ठीक करना पड़ेगा।

बलात्कार की घटनाएं आप और हम जो पढ़ते हैं, उसका वर्णन करके मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि मेरे समय बलात्कार हुआ या नहीं हुआ मैं उसको स्वीकार करता हूं, उस समय भी हुए, आज भी हो रहे हैं, पर जिस प्रकार के अपराध लगातार इस समय हुए हैं, इसको थोड़ा-सा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, हमारे सिस्टम में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई कमी है या हम देरी करते हैं, उसके कारण से कुछ होता है। मुंडावर की घटना, थानागाजी, बयाना, राजगढ़, उदयपुरवाटी और सबसे बड़ी अभी डूंगरपुर में एक बहुत शर्मनाक घटना हुई सीमा ही लांघ गई। कांस्टेबल की पत्नी को रिजर्व पुलिस लाइन से उठाकर ले गया और खेरवाड़ा में उसके साथ बलात्कार हुआ। पुलिस लाइन से ज्यादा सुरक्षित जगह कौनसी होगी, अगर उसमें भी हम अपने आपको नहीं संभाल सकें तो मैं सोचता हूं इस बारे में..। नाबालिग बच्चियों के साथ तो दुनियाभर के हैं। हाई कोर्ट में अभी आपके डीजी साहब उपस्थित हुए और उनके सामने हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में रेप के मामले बढ़ रहे हैं। डीजी ने इस बात को स्वीकार तो किया पर उन्होंने हाई कोर्ट में तर्क क्या दिया, वह हमको शर्मसार करता है। क्या यह तर्क कहना इस प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने बचाव में कहा स्वीडन में रेप 56 प्रतिशत है, हम अभी 10 पर ही हैं, इसका मतलब 56 के नजदीक जाना चाहते हो। यह सोचकर तर्क दिया। इतना बड़ा अधिकारी क्या तर्क देता है? इस प्रदेश को शर्मसार करता है। इसमें किसी से कम्पेरिजन करने की जरूरत है। इसे हम कम करने का प्रयास करेंगे। ऊपर तो स्वीकार कर लिया कि हां, वास्तव में घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन यह तर्क देकर हमको और ज्यादा नीचा दिखाने का काम कर दिया, ऐसा मैं सोचता हूं।

आप साम्प्रदायिक दंगों के बारे में भी थोड़ा-सा विचार करिये। ये साम्प्रदायिक दंगे काबू में आ सकते हैं, अगर कहीं घटना होते ही... क्योंकि यहां कुछ सिरफिरे लोग होते हैं। गलती तो दो लोगों की होती है। मोटर साइकिल, मोटर साइकिल से टकरा गयी और उसको साम्प्रदायिक रंग दे दिया। अगर तुरंत उसी समय उसको काबू करके, जिनको भी बुलाना है उनको बैठाकर समझाकर उस बात का निपटारा किया जा सकता है, तो वह रूप नहीं लेगी। अगर उसमें आधा घंटे का डिले हो गया और इसने उसको दो थप्पड़ मार दिये और उसको इसने दो थप्पड़ मार दिये तो वह साम्प्रदायिकता के जहर में चला गया। उसके कारण से प्रदेश की जिस प्रकार की क्षति होती है, वह बहुत ही दु:खद होती है।

आप खूब बताएंगे कि 2009 और 2014 की साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। ऐसा नहीं है, आपके समय में भी 24 साम्प्रदायिक दंगे हुए। 74 घटनाएं ऐसी हुईं जो साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले रही थीं। भाजपा सरकार में केवल 9 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं और 32 ऐसी घटनाएं हुईं जो साम्प्रदायिक दंगे का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रूप ले रही थीं। हमने इस पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आपका चश्मा हमको साम्प्रदायिक के रूप में देखने का हो गया। जैसे हम कोई इंसान नहीं हैं। हमारे में इंसानियत बची ही नहीं है और आप ही लोगों में बची है। आप जिस प्रकार के तर्क देकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं, यह कोई ठीक बात नहीं है। मैं आज भी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने अपने पांच सालों में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की है, उसकी हिन्दुस्तान में प्रशंसा हुई है। एक गलती कोई यह नहीं निकाल सका कि हमने अनियमितता की है। इतनी परफेक्ट बनायी है कि गुलाब चन्द कटारिया भी अपने लड़के को सलेक्ट करना, कोई एस.पी. भी अपने लड़के को नौकरी देना, तो कांस्टेबल की नौकरी वह नहीं दिला सकता है क्योंकि हमने सारे सिस्टम को ऐसा बदला है, अंकगणित के आधार पर और उसके बाद भी जैसे दौड़ होती है, तो उसके चिप लगती रहती है कि उसने कितने सैकिंड में किया। उसका सीना नपेगा, पहले छोटा कर देते, कभी बड़ा कर देते। दुनिया भर लिटीगेशन होता। कई बच्चे, चार-चार साल बाद कोर्ट से वापस अपना सीना नपवाते। चार साल में सीना बढ़ेगा-घटेगा। चूंकि, यह उनका अधिकार है।

आपने देखा होगा कि हमने यह ऐतिहासिक किया है जिसके लिए मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं। अगर आपको फोर्स को ताकत देनी है तो इनके प्रमोशन के सिस्टम को ठीक करो। हमारे यहां डीवाईएसपी सलेक्ट होता है तो सीनियरिटी से प्रमोशन होकर वह आईजी तक बन सकता है, डीजी तक बन सकता है। वह तो बहुत अच्छा आदमी है। हमारा कांस्टेबल परीक्षा देकर, पास होकर आता है। उसकी हर बार परीक्षा लेकर उसको प्रमोट करते हो। इस कारण 28-28 साल तक वह केवल कांस्टेबल की फीती लगाता है और जब उसका फार्म भरता है, तब उसको कितनी पीड़ा होती है? मैंने बार-बार प्रयत्न किया है। अधिकारियों के साथ कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। पिछले टर्म में भी किया, सफलता नहीं मिली। इस बार भी मेरे चार साल इसमें निकल गये लेकिन अंततोगत्वा मैं इस बात पर डिपार्टमेंट के सब लोगों को मना सका कि नहीं, सीनियरिटी के आधार पर भी प्रमोशन होना चाहिए। अगर उसकी सर्विस बुक खराब है, उसका रिकार्ड खराब है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दाग है, उसे हटा दीजिए। इसलिए एक साथ 6 हजार कांस्टेबल्स को मैंने हैड कांस्टेबल बनाकर फीती लगाकर दी है, ताकि उसके मन में उत्साह पैदा हो। मैं चाहता हूं कि आगे आप भी प्रमोशन 50 परसेंट उनकी सीनियरिटी और 50 परसेंट टेस्ट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से दें जिससे वह बच्चा जो 3 साल की कांस्टेबल की नौकरी कर चुका, उसको भी परीक्षा में बैठने दें। यदि उसमें टैलेंट है तो वह उस परीक्षा को पास कर जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। कांस्टेबल से लेकर सीआई तक के प्रमोशन 50 परसेंट इससे हो, 50 परसेंट प्रमोशन उससे हो। निश्चित रूप फोर्स में काम करने के बारे में एक जद्दोजहद पैदा होगी और वे अच्छा रिजल्ट देंगे।

मैं भ्रष्टाचार विभाग को धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में पिछले पांच सालों में जिस प्रकार के संगीन केस बनाये हैं। मुझे राजनीति में इतना लंबा समय हो गया। ऐसे लोगों पर हाथ डालने की कोई हिम्मत नहीं करता है, लेकिन राजस्थान के भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट ने उन पर हाथ डाला। हाथ ही नहीं डाला, जेल के सींख़चों में डाला। मैं सोचता हूं कि 269/14 है। ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में जैसी भर्तियां हुईं। कोई डिग्री का पता नहीं, कब हुआ, उसका पता नहीं है। उसके कारण से आपने देखा होगा जय नारायण विश्वविद्यालय का कुलपति, सिंडीकेट का सदस्य और पता नहीं कौन-कौन जेल की सज़ा खाकर आये हैं। यह प्रकरण एसीबी ने जांच करके निकाला है।

इसी तरह से जोधपुर की यूआईटी में जो प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन चारों में भी कई लोग जेल की हवा खाकर आये। 108/16, 109/16, 110/16 और एक ऐसा। ऐसे चार मुकदमे दर्ज हुए। उसमें बड़े से बड़े अधिकारी अरविंद माथुर से लेकर सारे लोग जेल में जाकर आये।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि 251/15 खान प्रकरण। राजस्थान का खान प्रकरण जिस प्रकार बना, उस खान प्रकरण में हमारा सैक्रेटरी लेवल का आदमी भी उसमें दोषी पाया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मैं सोचता हूं कि कोई भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारी पिछली सरकार ने इस बात की हिम्मत की कि चाहे कोई भी हो, अगर गलती है तो उसका दंड भुगतना चाहिए। उसमें पंकज गहलोत भी है, अशोक सिंघवी है। उस समय का दलाल संजय सेठी था।

इसी तरह से, प्रकरण 115/16, यह चिकित्सा विभाग में हुआ। इसमें नीरज कुमार को एसीबी ने पकड़ा और उसके खिलाफ केस बनाकर चालान पेश किया है। मैं सोचता हूं कि एसीबी के इतने प्रकरण हैं। यह मैं किसी पटवारी या किसी कांस्टेबल का नहीं बता रहा हूं। जो हाइएस्ट रैंक पर बैठे हुए जो लोग हैं, उन सब लोगों के खिलाफ भी केस बनाने में एसीबी सफल हुई है। उन्होंने प्रकरण चलाया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि भारत भूषण गोयल, जो उपखण्ड अधिकारी है। अभी आपके डीएसओ, जोधपुर हैं। उस डीएसओ ने जिस प्रकार का कमाल किया, उस केस को खोलकर उनके खिलाफ सब प्रकार की कानूनी कार्यवाही की है। मैं सोचता हूं कि वास्तव में, एसीबी ने इस बारे में अच्छा काम किया है। उसे आपको देखना चाहिए।

राजस्थान में हमने कोशिश की है। सीसीटीएल, जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। हम हिन्दुस्तान में सबसे पीछे चल रहे थे। यह जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही टैक्निकली हमारी सारी चीजों की पुलिस के बारे में हमारी जानकारी आएगी। 2017 तक बिहार और हम हिन्दुस्तान में सबसे लास्ट में थे, जहां हमारे यहां यह सीसीटीएल का सिस्टम लागू ही नहीं हो पाया था, लेकिन हमारी टीम ने कोशिश की। इस कोशिश से आज राजस्थान ने हिन्दुस्तान के ऊपर के तीन राज्यों में अपना जो स्थान बनाया, उसका कारण यह है कि हमने उस सिस्टम को सुधारने का प्रयत्न किया। उसके प्रयत्न के कारण से आपने देखा कि राज्य के सभी पुलिस थानों सीसीटीएल के अंतर्गत आनलाइन एफआईआर एवं रोजनामचा भी दर्ज हो रहा है। अगर आप आज अभी यहां चाहें कि राजस्थान के खेरवाड़ा में कौनसा मुकदमा दर्ज हुआ है तो आप अभी उस मुकदमे के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में इतना डेटा कमप्लीट किया। कई राज्य आज तक इसको नहीं कर पाये। रोजनामचा भी हमने इसमें डाल दिया, उसके कारण इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। हमने वाहन चोरी के लिए ई-एफआईआर प्रारम्भ की है ताकि किसी को कहीं नहीं जाना पड़े। गुमशुदा बच्चों के बारे में भी इसी प्रकार किया है। कोई भी व्यक्ति अपने केस के बारे में कि मुकदमा दर्ज हुआ है आज वह किस पोजीशन में है, नागरिक पुलिस कार्यवाही के बारे में एसएमएस के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मेरे मुकदमे की फाइल आज की तारीख में कहां पड़ी है, कौन इसको देख रहा है? मैं सोचता हूं कि यह सारा का सारा प्रयत्न हुआ। आप लोगों को यह लगेगा कि हमने किया, वह अच्छा नहीं लगा। आपके पिछले पांच सालों के कार्यकाल में आप आरएसी की नयी बटालियन नहीं बना पाये। हमको केन्द्र से मदद भी मिलती थी, थोड़ी हमको भी करनी पड़ती थी। हमने प्रयत्नपूर्वक पिछले टर्म में हाड़ी रानी बटालियन बनायी है, यह पूरी महिलाओं की थी। राजस्थान की पहली महिला बटालियन होगी है, जो महिलाओं की बटालियन बनाकर अजमेर में दी। उसके बाद तेरहवीं बटालियन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जेल सुरक्षा के लिए बनायी। चौदहवीं बटालियन पहाड़ी-भरतपुर के लिए बनायी। उसके बाद प्रतापगढ़ में हमने महाराणा प्रताप बटालियन, जो नयी बनायी है। इसी तरह से, एक और बटालियन बनायी। और मेवाड़-भील क्रोप्स की द्वितीय बटालियन बांसवाड़ा में बनायी। एक तरह से हमने एक के बाद एक पांच बटालियन बनाकर अपनी फोर्स को मजबूत करने का प्रयास किया है, जिसके कारण से कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति आये तो हम इसे ठीक कर सकें। सज़ा दिलाने के बारे में - हमारी जो एफएसएल यूनिट है। यद्यपि राजस्थान की काफी आगे बढ़ी है लेकिन अभी भी इसमें और सुधार की पूरी गुंजाइश है। एफएसएल जितनी ताकतवर होगी, उतना ही हम अपने केस के बारे में अभियुक्त को दंडित करने में सफल होंगे। कई ऐसे झगड़े हो जाते हैं कि मर्डर हो जाने के बाद भी पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण... लेकिन एफएसएल के द्वारा छोटा-सा बाल भी कहीं रह गया, छोटे-से नाखून पर कहीं ब्लड लगा रह गया तो अब हमारे पास सब प्रकार के साधन हैं, जिनसे हम इनको कर सकते हैं। हमने सारे संभागीय केंद्रों पर एफएसएल की यूनिट स्थापित कर दी है।

(13.00 बजे)

राजस्थान के हर जिले में मोबाइल यूनिट हमने दी है लेकिन उसके काम के बारे में जरूर मोनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वास्तव में जिले की जो यूनिट है, उसको काम भी है या नहीं है, वह जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। हमको जितने मुक़दमे दिये, उसकी तुलना में हमने काफी मुकदमों को कम करने का प्रयास किया है।

एक जो नया प्रयोग किया, जिसमें हमारा कुछ नहीं लगा। केवल हमने सारे खाते एसबीआई बैंक में किये और एसबीआई बैंक से एक एमओयू किया कि पुलिस के सारे खाते केवल आपके बैंक में ही रहेंगे। उससे हमें क्या एडवांटेज मिला? केवल खाते खुलाने के कारण से जितना भी पुलिस बल है, जिसका खाता उसमें हैं, वह तीस लाख का अपने आप इंश्योर्ड हो गया। अगर किसी कारण से ड्यूटी पर उसकी मौत हो जाती है तो तीस लाख रुपया, हमें कुछ नहीं जमा कराना है। केवल खाते खुलाने के कारण से उस पुलिस को तीस लाख रुपया, कहीं दंगे में, कही जाते हुए अगर ट्रेन में भी वह ड्यूटी पर जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो तीस लाख तो इसमें से मिलेगा,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बीस लाख का हमने सरकार की तरफ से नियम बनाया है, उसमें से मिलेगा। एक व्यक्ति को पचास लाख रुपये तक, एक कांस्टेबल तक के व्यक्ति को हमारे सिम्पली बैंक खाता खोल देने के कारण से मिलता है। इसमें यदि वह एयर ट्रेवल कर रहा है और उसकी डैथ हो गई तो एक करोड़ रुपया, बैंक हमारी पुलिस को उपलब्ध कराएगा। मैं सोचता हूं कि हमने कोशिश की हमारी पुलिस को जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं, जितना उसको सफल कर सकते हैं, प्रयास किया है।

कई प्रयोग भी किये हैं हमने। मैं सोचता हूं कि आप इनके बारे में देखें। जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट में और जयपुर पूर्व एसपी के यहां जो बच्चे भीख मांगते हैं या जो बच्चे गुम जाते हैं या जो बच्चे अपने परिवार को ढूंढ नहीं पाते हैं, पूरा एक अभियान चलाकर हमने उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, गांधीनगर थाना उसके लिए जयपुर में चूज किया और उसको सब प्रकार से सक्षम बनाया ताकि वह उन बच्चों को ढूंढ कर आगे पहुंचाए।

मैं सोचता हूं, इस दृष्टि से बालश्रम से मुक्त कराए गये बच्चे 2016 में 1350, 2017 में 2020, 2018 में 1119 बच्चों को हमने मुक्त कराया और उनको उनके घर तक पहुंचाया। भिक्षावृत्ति के अंदर, भिक्षावृत्ति केवल भिक्षावृत्ति नहीं है। इसके पीछे वे बच्चे हैं, जो अपने घर से उठा लिए गये हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि उनका परिवार कहां है। उन बच्चों से जो लोग भिक्षा मंगाकर के अपना धंधा चलाते हैं, वह इन बच्चों को इस बात के लिए तैयार करके लगाते हैं। जब उनको पकड़ा तो उन बच्चों की जानकारी करते-करते हमने उन बच्चों को, 2016 में 543 बच्चों को उनके घर पहुंचाया, 2017 में 583 बच्चों को पहुंचाया और 2018 में 1188 बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाने का काम किया। यह यूनिट सफलतापूर्वक चल रही है। इसको यदि और स्ट्रेन्थन करें तो मैं सोचता हूं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं।

मैं सोचता हूं कि यह जो होमगार्ड हैं इन होमगार्ड के बारे में अगर आपने कभी देखा हो तो 2004 में, 2004 अभी गया है, पन्द्रह साल पहले, इनका जो दैनिक मेहनताना था, वह 75 रुपया था। 2004 में इनका दैनिक मेहनताना था 75 रुपया। इसको बढ़ाकर के 350 तक लाए और अभी 2018 में हमने एक रेडिकल चेंज किया है, जिसके लिए कई लोग मना कर रहे थे। हमने कहा नहीं, अगर यह पुलिस की वर्दी पहनकर खड़ा रहता है तो यह पुलिस वाला ही है। इसको क्यों कम पैसा मिले? हमने उसको 693 रुपया,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सीधा 693 रुपया अगर वह ड्रेस पहनकर हमारा होमगार्ड खड़ा रहता है तो उसको दिया है। जो बिना वर्दी के काम करता है, उसको भी हमने 590 रुपया दैनिक दिया है। इसी का असर पड़ा कि नागरिक सुरक्षा में भी जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनको भी हमने 620 रुपया देना चाहा।

हमने यह जो अभय कमांड, जो हर संभाग पर कायम किया। आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको जिले तक ले जाइये ताकि कम से कम हम अपराध को रोक सकें और हमारी फोर्स अपराधी तक जल्दी से जल्दी कम समय में पहुंच जाए। हमने जो यह सातों अभय कमांड सेंटर बनाए यद्यपि खर्चा आया, सरकार पर भार भी पड़ा लेकिन सातों अभय कमांड सेंटर संभाग पर तैयार हो गये। मैं चाहता हूं अब जो बड़े जिले हैं जिनको आप क्षमता के हिसाब से पहले ले सकते हैं, अलवर को ले सकते हैं या जहां क्राइम ज्यादा है, वहां भी इस प्रकार के अभय कमांड सेंटर अगर तैयार करें तो निश्चित रूप से अच्छा है।

मेरे को पता नहीं दूसरा डिपार्टमेंट क्या करता है, क्या नहीं करता है, परन्तु पुलिस डिपार्टमेंट में जिनकी बहुत दागीली सर्विस है, जिनका रिकार्ड खराब है, जिनके काम इतने खराब हैं कि कई बार शर्म आती है कि उसके कारण से सारा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। मैंने प्रयत्न करके ऐसे लोगों को, 167 लोगों को नौकरी से बर्खास्त करके घर भेजा हैं। इसमें हमने प्रयत्न किया कि एडीजी लेवल के अधिकारी को उसका रिकार्ड बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा। हमने अपने एएसपी को भी उसके खराब रिकार्ड के आधार पर सेवा से मुक्त किया। मैं चाहता हूं कि यह काम हर डिपार्टमेंट में हो। अच्छे लोगों को आप प्रोत्साहित करें और जो डिपार्टमेंट के लिए दागी बनकर बैठ गए हैं, ऐसे लोगों की स्क्रूटनी करते जाएं। हर साल पांच-पचास लोगों को घर भेजने का काम करें ताकि यह नहीं हो कि हम एक बार नौकरी में आ गये तो पक्के हो गये, ये नहीं चलेगा।

सबसे बड़ा जो दु:ख है मुझे, मैंने भी प्रयत्न किया लेकिन सफलता नहीं मिली, वह है कारागृह। इस कारागृह की रोज शिकायतें पढ़ते हैं तो सबको बड़ा अजीब लगता है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कारागृह बिल्कुल डम्प हो गया। कारण क्या है कि एक समय ऐसा था कि पुलिस कांस्टेबल का और जेल प्रहरी का एक समान वेतन था। आज उनके वेतन में इतना बड़ा अंतर हो गया कि कोई इसमें आना ही नहीं चाहता है। अगर कभी उसका सिलेक्शन भी हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
जाता है तो थोड़े दिनों के बाद वह यहां से भागना शुरू करता है। अगर नहीं भी भागता है तो कोई न कोई घटना-दुर्घटना वहां होती है। उस घटना-दुर्घटना के कारण से उसकी 16 की कार्यवाही, 17 की कार्यवाही शुरू होती है, प्रमोशन बंद, कोई लेना-देना नहीं। जिदंगी भर जहां भर्ती हुआ, वहीं खतम हो जाता है। इस कारागृह की नौकरी को अच्छा बनाने के बारे में कोई सिस्टम डवलप कीजिए। मेरे हिसाब से मेरे पास कोई अधिकारी ऐसा नहीं है, पिछले कई सालों से जिसको मैं जेल सुपरिन्टेन्डेंट बना सकूं क्योंकि सबकी सर्विस बुक में कोई न कोई रिकार्ड खराब पड़ा है। इस कारण से कोई व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं होता है। यही नहीं अभी अजमेर की घटना आपने और मैंने पढ़ी, ये केवल अजमेर में नहीं है। मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं। ईमानदारी से मैं इसको स्वीकार करने में कहीं शर्म नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार का काम हर एक जेल में होता है। कुछ बदमाश ऐसे हैं, जो जेल में रहकर अपने आप को बदमाश भी साबित करते हैं और आय का स्रोत भी बना लेते हैं। वह वहां रहना पसंद करते हैं ताकि वह सेफ बचे रहते हैं और जितने भी नये जो किसी कारण से, किसी की गलती हुई या परिवार में कोई झगड़ा हुआ, ऐसे अच्छे-भले लोग भी, अगर उनको जेल में दो तीन, चार दिन, पांच दिन के लिए भी भेजा जाता है तो उनको टार्चर करते हैं, उनसे पैसा मंगाने का काम करते हैं। यह सारी की सारी जेल में कमोबेश कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें यह नहीं होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो मेकेनिज्म आप डवलप कर सकते हैं, उसको डवलप करने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत प्रयास किया। हमने इतने जैमर लगाए और इसलिए लगाए थे कि जैमर के कारण से शायद यह जो सिम और मोबाइल का जाना है, यह कंट्रोल हो जाएंगे। हमने जिस कंपनी को यह काम दिया, सब काम करने के बाद भी हमको सौ प्रतिशत सफलता नहीं मिली। जिसको आपने यह जैमर लगाने का काम दिया, उसका भी पूरा रिकार्ड मंगाकर उसके खिलाफ भी कार्यवाही करें। हमसे उसने यह बात की थी कि इसके बाद में आपका कोई भी इल्लीगल मोबाइल, सिम नहीं जा पाएंगी लेकिन आज भी बेरोकटोक जा रही हैं। कंट्रोल नहीं हो रही है। इसको आप देखिए।

हमारी जेलों में हमारे पास जो कैदी हैं, उनकी संख्या, अभी कई जेलों में तो यदि आदमी सोना चाहे तो 6 फीट के अपने शरीर को लम्बा नहीं कर सकता है। यदि आपको जाने का मौका मिले तो देखें। बहुत अफसोस होता है कि वास्तव में करवट भी नहीं बदल सकता है। इस तरह से पैक होकर के बैठे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं। अभी राजसमंद की जेल में आप जाइये और राजसमंद की जेल में देखिए जो आपकी स्ट्रेन्थ हैं, उस स्ट्रेन्थ के हिसाब से आपके पास क्या है? अब वहां आपको जगह मिली हुई है, उस जगह पर नई बनाओ। अब बना तो रहे हैं हम, डूंगरपुर और दो बना रहे हैं लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो पा रही है और जेल की जहां-जहां आवश्यकता है, उसको बनाने का काम कीजिए। हमने कोशिश की। 37 बैरक बनाकर इस संख्या को कंट्रोल करने का प्रयास किया लेकिन इसमें सफलता हमको अभी भी सेंट-परसेंट नहीं मिली। हमने कोशिश की थी, जयपुर में 500 की कैपेसिटी हमने बढ़ाई, बीकानेर में 400 की कैपेसिटी बढ़ाई, 36 नई बैरक बनाकर हमने 1639 और लोग रह सकें, उनकी सुविधा हमने बढ़ाई। उच्च कारागृह अजमेर में भी 264 की बढ़ाई। लेकिन इसके बाद में भी अभी भी उसमें संख्या की दृष्टि से हमारे पास जेल नहीं हैं।

एक प्रार्थना मैं जरूर करता हूं, इनकी जो वेतन विसंगति है, हर लेवल पर, हर कमेटी ने इसको रिकमंड किया है। हाई कोर्ट ने भी रिकमंड किया है लेकिन फिर भी वित्त विभाग कोई न कोई कमी-खामी निकालकर उस फाइल को घुमा देता है। आपने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट है। सारे कागज आपके पास तैयार हैं लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी फाइनैंस, मैं सोचता हूं कि वह भी तो इंसान है, नौकरी में लगा है तो कोई पाप तो नहीं किया। इसके कारण से जिसकी भी नौकरी दूसरी तरफ आती है, वह छोड़कर भाग जाता है। कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। जेल की दुर्दशा को सुधारना है तो इस वेतन विसंगति को सुधारें, आपने जो कर दी उसको अपन किसी तरह से सुधार करके ठीक करेंगे तो जेल के सिस्टम को भी सुधार सकते हैं।

अब आपमें से कई लोग आलोचना करेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं कि आपने मुक़दमे विथड्रा किये हैं। मैं आज भी आपको निमंत्रण देता हूं, जहां तक मेरी कोशिश हो सकती है, मैंने वह मुक़दमे विथड्रा किये हैं जो पोलिटकली किसी आंदोलन के कारण, किसी और चीज में थे उनको जरूर विथड्रा किया। जहां तक मेरे ध्यान में आया, चाहे वह मेरी पार्टी का था, चाहे कोई नजदीक का था, मैंने किसी भी मुक़दमे को, किसी भी दृष्टि से हटाने का प्रयास नहीं किया। जितना सम्भव हो सकता था उतने मुक़दमे मैंने विथड्रा करने का प्रयास किया है। आज भी, आपने 57,300 केस पिछले टर्म में, छोटे बड़े सारे किये, मैं अभी भी 49,141 मुक़दमे ही विथड्रा कर पाया, इसमें वह छोटी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किस्म के मुक़दमे भी हैं, लोक अदालत के द्वारा जिनका निर्णय होता है। जो लघु प्रकृति के मुकदमे हैं, 45,297 केस हटाए, 498 एक ही धारा के मैंने 576 केस हटाये। आबकारी अधिनियम का एक साथ ही फैसला हुआ, छोटी-छोटी पांच बोतल, सात बोतल का मुकदमा बना हुआ, आदिवासी बार-बार पेशी पर आता है, खर्चा करता है, उसमें से हटाया। यह सारा मिलाकर किया है।

इसके अलावा, मैंने राजनीतिक दृष्टि से भी, जो लोग थे, उनका मुकदमा हटाया। मैं आज भी आपको कहता हूं, जाने-अनजाने कोई गलती हुई हो, कभी भी गलत मंशा से, कोई भी अभियुक्त चाहे बीजेपी का हो का या कांग्रेस का हो, कानून के सामने न तो बीजेपी होती है, न कांग्रेस होती है, न जात होती है, न बिरादरी होती है, कानून के सामने कानून अपना काम करता है। मैंने उसको करने का प्रयास किया।

मेरी फिर आपसे विनती है, प्रार्थना है कि अगर वास्तव में आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो तो इस पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है, उनके अच्छे काम भी हैं। अगर हम साल में एकाध फंक्शन ऐसा करें जिसमें स्टेट भर से ऐसे लोग जिन्होंने अच्छे काम किये, जैसे हम 5 सितम्बर को शिक्षक सम्मान करते हैं, वैसे ही पुलिस में जो अच्छा काम करते हैं, चाहे वह कांस्टेबल हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, उस आदमी को सार्वजनिक स्थान पर लाकर अगर सम्मानित करोगे तो मैं सोचता हूं कि दस-बीस उस लाइन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। केवल उनको रोजाना खराब हो, खराब हो, कहकर उनको ढींठ बनाने से काम नहीं चलेगा। उनको सुधारने की ओर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। धरती पर ऐसा कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ है जो सौगंध खाकर पैदा हुआ हो कि मुझे तो खराब ही रहना है लेकिन परिस्थितियां कई बार उसको खराब कर देती हैं।

ट्रांसफर के बारे में कहना चाहूंगा कि ट्रांसफर के संबंध में थोड़ा सख्ती कीजिए। लम्बे समय तक एक ही जगह जमे रहते हैं चाहे कांस्टेबल हो या सीआई हो। घूम-घूमकर वहीं आ जाते हैं। कुछ तो हमारे अधिकारी भी बहुत कलाकार हैं। वह जहां पर जाते हैं, उसको साथ ले जाते हैं। अगर आप इस लिस्ट को भी खंगालोगे तो आपको उस अधिकारी के साथ उसके परमानेंट, वह जोधपुर होगा तो भी वह ही होगा, कोटा, बूंदी जाएगा तो भी वह ही उसके साथ होगा क्योंकि वह परफेक्ट आदमी है। इसका मतलब अगर वह परफेक्ट आदमी काम की दृष्टि से है तो दूसरी जगह भी काम आ सकता है। वह उनके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साथ ही कैसे अच्छा काम करता है, बाकी के साथ काम क्यों नहीं कर सकता है, दूसरी जगह भी कर सकता है। एक बार निगाह डालो कि ऐसे कौन-कौनसे अधिकारी हैं, जो अपने साथ, अपने स्टाफ के कई लोगों को ले जाकर इस डिपार्टमेंट को गंदा करने का प्रयास करते हैं। उन पर सख्ती करने का प्रयास कीजिए।

सभापति महोदय, आपसे फिर विनम्र प्रार्थना है, आलोचना करके मेरे इधर पत्थर फैकेंगे, मैं भी फैकूंगा, इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इस फोर्स का मोरल बनाना पड़ेगा, इसको साधन देने पडेंगे। जो इक्विपमेंट हो सकते हैं, वह दें। आज की तारीख में हमारे पास सब प्रकार की उपलब्धियां हैं। आज की तारीख में हमको सब प्रकार की सुविधाएं हैं। उस पुलिस को ताकतवर बनाने का प्रयास करेंगे तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से हम लॉ एंड आर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। आज भी हो रहा है, आज भी कर कौन रहा है, वही कर रहा है। उसमें कोई कमी-खामी भी होगी, दो-चार गंदे लोग भी होंगे, उनके कारण से सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में सारा ही सत्यानाश हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आज भी कह सकता हूं कि इस डिपार्टमेंट में आज भी अच्छे आफिसर्स हैं। बहुत ईमानदार आफिसर्स हैं। उनकी तुलना नहीं की जा सकती हिन्दुस्तान में कई लोगों से। ऐसे अधिकारियों को आप काम देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करो। डिपार्टमेंट को थोड़ी शाबाशी भी दीजिए, गलती करता है तो दण्ड भी दीजिए, तब तो हम इस डिपार्टमेंट को सुधार सकेंगे। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव। (व्यवधान) विराजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 6, 13, 16, 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति महोदय, चोरी के संबंध में.....

श्री सभापति: बलजीत जी, एक मिनट विराजो। क्या फर्माया आपने?

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मेरे झुन्झुनूं जिले में पिछले एक महीने से ऐसा कोई कस्बा नहीं है जिसमें चोरी नहीं हो रही है, साथ में चोर मारपीट भी करते हैं।

श्री सभापति: आपके बोलने का मौका आए तब आप फर्माना।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): कल रात को पूर्व मंत्री ...

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सुंदरलाल जी के यहां चोर घुसे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। अंकित नहीं होगा।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। मैं दोनों ही पक्षों के माननीय वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से जब इनके साथ बैठें तो इनको इस बात के लिए समझाएं कि आसन की परम्पराएं हैं...(व्यवधान) इसकी सूचना क्या देनी है, जब बोलने का विषय आए तो बोलेंगे। इसमें एक्सीडेंटल ऐसी चीज हुई हो जिसकी इन्फोर्मेशन सदन को अभी मिलना जरूरी है, ऐसी कोई चीज नहीं है। माननीय श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 6, 13, 16, 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। किसी भी राज्य की उन्नति के लिए जरूरी है कि वहां का लॉ एंड आर्डर अच्छा हो। शरीफ आदमी, शांति प्रिय आदमी, इज्जत के साथ रह सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम धंधा कर सके। लॉ एंड आर्डर को ठीक बनाने के लिए जरूरी है कि हमारा पुलिस महकमा है, उसको हम कैसे स्ट्रांग बना सकें। कैसे पुलिसकर्मियों का मनोबल हाई रख सकें। जनता को भी पुलिस पर कैसे विश्वास हो, एक शरीफ आदमी पुलिस पर कैसे विश्वास कर सके, जो पुलिसकर्मी गलत करें, उसको हम कैसे पकड़ सकें, इन सारी चीजों के लिए कौन-कौनसे कदम सरकार उठा सकती है, इस ओर ध्यान दिया जाए।

मैं माननीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मौजूदा सरकार को। जनता की लगातार यह बात रही कि थानों के अंदर कैमरे लगाए जाएं ताकि यह पता चल सके कि एसएचओ से दिन में मिलने कौन-कौन आ रहा है। यह पता चल सके कि पीड़ित आदमी थाने के अंदर आता है, उसके साथ पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है। आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि भू माफिया, हिस्ट्रीशीटर एसएचओ के रूम में बैठकर चाय-काफी पीकर जाते हैं। पीड़ित पक्ष एफआईआर दर्ज कराने आता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, जैसे वह कोई मुलजिम हो, स्वयं कोई हिस्ट्रीशीटर हो, कोई आतंकवादी हो।

(श्री बलजीत यादव)

इसलिए आदरणीय गहलोत साहब ने यह घोषणा की कि प्रत्येक थाने में एक स्वागत कक्ष बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उनकी रिकार्डिंग को कोई पुलिस अधिकारी डिलीट नहीं कर पाएगा। इससे पुलिस के जो लोग जनता के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते तो उनके मन में डर होगा और जनता को इससे बहुत राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात सरकार से कहना चाहता हूं, पूरे राजस्थान की स्थिति है, जैसा आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता अभी बोल रहे थे कि कुछ लोग होते हैं, कोई अधिकारी कहीं भी जाए, हमेशा उसी के साथ जाएंगे। किसी थाने का, कोई एसएचओ आए, वही सब कर्ताधर्ता होंगे। ऐसा लगने लगता है कि एसएचओ भी उन्हीं पर निर्भर है। उसका कारण है कि वह सारे उलटे-सीधे काम धंधों वालों से मिले हुए रहते हैं। कमाई कैसे ज्यादा होती है, आते ही एसएचओ को बता देते हैं। इसका यह प्रभाव पड़ता है कि जो आदमी ईमानदारीपूर्वक काम करता है वह कुंठा में जीता है।

आदरणीय कटारिया साहब बता रहे हैं कि कांस्टेबल का प्रमोशन ही नहीं होता है। उनमें हीन भावना आने लगती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कांस्टेबल की ड्यूटी 12 घण्टे रहती है। 12 घण्टे ड्यूटी करने के बाद फिर उसको काम दिया जाता है कि नोटिस तामील कराकर लाने हैं। अब आपको, यह पासपोर्ट बनना है, इसका वेरिफिकेशन करने जाना है। कहीं पर कोई झगड़ा या दंगा हो गया तो उसको वापस बुला लिया जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि 24-24, 48-48 घण्टे कांस्टेबल के शूज के लेस खोलने तक का उसको मौका नहीं मिलता है। ऐसे में हमारा यह अपेक्षा करना कि कांस्टेबल का व्यवहार जनता के साथ अच्छा हो, उसका व्यवहार मधुर हो, वह विनम्र हो, मैं सोचता हूं कि यह हमारे सोचने की एक नादानी होगी। जो व्यक्ति इतने तनाव में हो, इतने दबाव में हो, आम तौर पर कई बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है और हम देखते हैं कि फलां कांस्टेबल ने प्रेशर में आकर सुसाइड कर ली और अधिकारियों का, सीनियर अधिकारियों का जो व्यवहार होता है, सभापति महोदय, मैं बहुत से कांस्टेबल्स को जानता हूं, जो कहते हैं कि बच्चों को भी इसलिए थाने में नहीं रखते कि पता नहीं कौनसी गंदी-गंदी गालियां आफिसर्स आकर हमें देने लग जाएं और कहीं हमारे बच्चे सुन लें। इस डर में वह जीता रहता है।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, केवल कुछ लोग मलाई चाटते हैं और उस कांस्टेबल को खुद का व्हीकल ले करके इंवेस्टीगेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो जेब से पैट्रोल भरा कर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उसको पैट्रोल भत्ता कम से कम दो-तीन हजार रुपये दिया जाए। उसको इस महंगाई के जमाने में दो हजार रुपये मैस अलाउंस मिलता है, जो कम से कम उसको चार-पांच हजार रुपये दिया जाए। साप्ताहिक अवकाश सबको मिलता है। उस कांस्टेबल ने कौनसा गुनाह कर दिया। उसको भी साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। उसकी ड्यूटी का टाइम आठ घण्टे किया जाए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। क्राइम बढ़ रहा है, चोरियां बढ़ रही हैं। थाने से अपेक्षा रखते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करो, जबकि स्टाफ उसके पास 40 प्रतिशत रहता है।

मेरे क्षेत्र में भैंस चोरियां रोज होती हैं। मेवात की गैंग्स आती हैं, सभापति महोदय, गाड़ी में पत्थर भरकर लेकर आते हैं। अगर कोई कांस्टेबल पुलिस की मोटर साइकिल पर जा रहा है तो वे ऐसे पत्थर मारते हैं, जैसे गोली के समान लगे, और सामने के सामने देखते हुए भैंस को बैठाकर ले जाते हैं। आज तक कोई पकड़ में नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अलवर जिले में और खास तौर से मेरे बहरोड़, मुण्डावर में ये घटनाएं रोज हो रही हैं। इसके लिए वहां पर पुलिस को व्हीकल्स दिये जाएं, अत्याधुनिक हथियार दिये जाएं। जो स्टाफ की कमी है, सभी थानों में, बहरोड़, नीमराणा, मांडन, शाहजहांपुर, मुण्डावर, इन सभी में स्टाफ को पूरा किया जाए। कुछ लोग, जो बरसों से जमे हुए हैं, ऐसे लोगों को चेंज किया जाए। पता नहीं, उनके क्या हो गया, कौनसी जड़ पकड़ गये कि कोई उनको हटा ही नहीं पाता, कोई सरकार बदल जाओ। हमेशा देखने को मिलता है कि वही कांस्टेबल या वही रीडर या वही ड्राइवर पावर में चल रहा है। उसी से जा करके दो नम्बरी लोग मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बदला जाए। जो इनोसेंट लोग हैं, जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए।

कमिश्नरेट में जो लगे हुए हैं, दूसरी जगह लग रहे हैं, उनको मूल वेतन का 25 प्रतिशत भत्ता अलग से दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि जो जोधपुर, जयपुर कमिश्नरेट में लगे हुए हैं, जैसे मुख्य मंत्रीजी के यहां, गवर्नर साहब के यहां, सी.आई.डी., ए.सी.बी. में लगे हुए हैं उनको भत्ता मिलता है,

(श्री बलजीत यादव)

उसी प्रकार से इनको भी दिया जाए और राजस्थान रोडवेज में, क्योंकि कांस्टेबल इंवेस्टीगेशन के लिए जाता है, दूर-दूर जाना पड़ता है, उसको फ्री पास दिया जाए। अन्य स्टेट में दिया जाता है तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं दिया जाए। मेरी मांग है कि उनको यह फ्री पास दिया जाए। 2004 से पूर्व के पुलिसकर्मियों के वेतन से 550 रुपये मेडिक्लैम के नाम पर काटे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि उनको भामाशाह की तर्ज पर कार्ड बनाकर दिया जाए, जिससे उनके पास पैसे न हों तो भी वे हास्पिटल में इलाज करा सकें। सभापति महोदय, कर्मचारियों की बंद की गई पुरानी पेंशन स्कीम पुन: चालू की जाए। यह भी मैं सरकार से मांग करता हूं।

सभापति महोदय, होमगार्ड के जो लोग हैं, जिनका जिक्र अभी प्रतिपक्ष के नेताजी ने किया, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाह रहा हूं कि कुछ लोगों को तो पूरे 12 महीने ड्यटी मिलती है। जो बड़े-बड़े अधिकारियों के घर पर लगे हुए हैं या जिनके पास सिफारिश है, या सैक्टर प्रभारी को तीन-पांच हजार, जो भी हो सके, रिश्वत के दे देते हैं, तो कह देते हैं कि वी.आई.पी. आदेश हैं, उसको पूरे 12 महीने ड्यूटी मिलती है। जिसकी कोई पहुंच नहीं है या जिसको रिश्वत देना मंजूर नहीं, उस व्यक्ति को दो महीने की ड्यूटी करके घर बैठा दिया जाता है। ऐसे केस पकड़ में भी आये हैं। कुछ सैक्टर प्रभारियों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई है। जो महिला कर्मी हैं, उनको तरह-तरह से दबाया जाता है, तरह-तरह से उनको ड्यूटी लगाने के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इस ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनजस्टिस किसी के साथ भी न हो। मैं तो यह मांग करता हूं कि होमगार्ड को भी पूरे 12 महीने ड्यूटी, जो अभी 28 हजार होमगार्ड्स कार्यरत हैं, उन सबको दी जाए। वैसे ही हमारे पुलिस की कमी है तो इनकी सेवा पूरे 12 महीने ली जाए और रिटायरमेंट की आयु सीमा, जो आपने 55 साल कर रख रखी है, उसको बढ़ा करके 60 साल किया जाए।

सभापति महोदय, एक वैलफेयर के नाम पर 10 प्रतिशत इनके वेतन में कटौती कर दी जाती है। करोड़ों रुपये उस वैलफेयर के नाम पर इकट्ठा हो रखा है और गलत तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। किसी भी होम गार्ड के वैलफेयर के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं किसी आफिस में ए.सी. लगा दिया जाता है, कहीं किसी दूसरे काम में लिया जाता है। जयपुर के अन्दर ही मुझे पिछले दिनों पता चला कि 28 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं और सब

(श्री बलजीत यादव)

जिलों में अलग-अलग हैं तो जो इतना पैसा पड़ा हुआ है और जो होम गार्ड के वेतन से काटा हुआ है तो यह किसी भी तरह से उनको लौटाया जाए। मैं तो कहूंगा कि आगे से, यह 10 प्रतिशत उसकी कटौती बंद की जाए। यह मैं मांग करता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, थोड़े समय में ही कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मांग संख्या 13 के तहत मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रेस कांफ्रेंस की कि कोई भी शराब की अवैध दुकान कहीं भी नहीं खोली जाए। सभापति महोदय, दुकान एक अधिकृत होती है और पांच-पांच, दस-दस दुकानें शराब माफिया अलग-अलग जगह, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में खोल देते हैं। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि बहरोड़ मेरा विधान सभा क्षेत्र है। कोई भी वहां पता करवाये, मुझे चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़ा हो, मैं पुलिस की आंखों की किरकिरी बना, मैं आबकारी विभाग की आंखों की किरकिरी बना लेकिन एक भी अवैध शराब की दुकान मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नहीं है। इसलिए मैं सदन से कहना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं कि जब एक निर्दलीय एम.एल.ए. लड़-झगड़ करके अवैध दुकानें अपने विधान सभा क्षेत्र से हटा सकता है तो पूरे राजस्थान से भी अवैध दुकानों को हटाया जा सकता है।

सभापति महोदय, ओवर-रेट की समस्या, प्रिंट रेट से ज्यादा जयपुर में भी शराब बिकती हुई आपको मिलेगी। भूमाफियाओं के हौंसले बुलंद हैं। मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में 100 प्रतिशत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 75 प्रतिशत दुकानों पर प्रिंट रेट के अलावा शराब नहीं बिक रही है कितने ही चाहे मुकदमे दर्ज करवाये।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): बस, समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, जब मैं विधान सभा आया तो मुझे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 1998 के अभ्यर्थियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। सुप्रीम

(श्री बलजीत यादव)

कोर्ट ने 30.07.2002 को निर्णय दिया कि जिले व ग्रामीण के बोनस अंकों को हटाकर नई वरीयता सूची जारी करके उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): बस, खतम कर रहा हूं, सभापति महोदय, एक मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, 46 दिन से कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं। पन्द्रह सौ से दो हजार तक ये अभ्यर्थी हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इनको भी नियुक्ति दी जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्योंकि ये 1998 से दर-दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं। इसलिए इनके प्रति सहानुभूति रखते हुए सरकार इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दें। (व्यवधान) धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिये। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-6- न्याय प्रशासन और मांग संख्या-16 पुलिस पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, यह दोनों मांगें ऐसी हैं, जिनका संबंध आम अवाम से है।

श्री सभापति: कुछ मांगें और भी हैं। माननीय सदस्य, कुछ मांगें और भी हैं जिनका आप जिक्र ही नहीं कर रहे हो, क्या बात है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, और भी हैं। आबकारी भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अपने मताधिकार से जिस सरकार को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप उन पर बोलना नहीं चाहते या कोई विशेष बात है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं इन दो पर ही अपने आपको सीमित कर रहा हूं।

श्री सभापति: दो पर ही?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिस सरकार को मत की पेटी से आम व्यक्ति पैदा करता है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उससे सबसे पहले वह दो चीज चाहता है। एक, उसको सुरक्षा मिले, उसकी जिंदगी को सुकून मिले। मुझसे पहले प्रतिपक्ष के नेता ने आंकड़ों के साथ अपनी बात को कहा और, माननीय सभापति महोदय, आंकड़े चीख-चीखकर यह कह रहे हैं कि आज इस राजस्थान के अंदर आम व्यक्ति दहशत की जिंदगी जी रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी दोनों वर्तमान में बेकाबू हैं। माननीय सभापति महोदय, इस पुलिस की इस नई सरकार में जिन्होंने सदारत की वह डी.जी.पी. साहब जिस दिन सेवानिवृत्त हो रहे थे, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वह 14 तारीख को इंटरव्यू में यह कहते हैं कि इस काल-खंड के अंदर इस सरकार के रहते हुए कुल मिलाकर अपराधों में 46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। मैं समझता हूं कि उनका यह बयान इस सरकार की बानगी अपने आपमें सिद्ध कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बहस को मुख्य रूप से न्याय प्रशासन पर केंद्रित करना चाहूंगा। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, पर एक बात हम सबकी जबान से निकलती है कि हमारा जीवन कानून के शासन से चलता है, जिसको हम रूल आफ लॉ भी कहते हैं। यह न्याय प्रशासन जो अपने निर्णय से कार्य-पालिका के माध्यम से पूरे इस कानून के शासन को लागू करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, जो लगातार सात बार इस विधान सभा में हैं और ऐसे बिरले अवसर आए हैं, जब न्याय प्रशासन पर इस विधान सभा में कभी चर्चा हुई है। मार्च, 2007 के अंदर चर्चा हुई और आज अब 12 साल बाद, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आसन को कि 12 साल बाद आज फिर न्याय प्रशासन पर आपने चर्चा रखी है।

माननीय सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि वर्ष 2007 में जब न्याय प्रशासन पर इस सदन में चर्चा हुई, उस समय माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। श्री नाथूसिंह गुर्जर, मोहम्मद माहिर आजाद साहब सहित चार माननीय सदस्यों को माननीय उच्च न्यायालय ने एक नोटिस भी दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन विधान सभा की अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा सिंहजी को कि उनकी सूझबूझ से इस राजस्थान के अंदर, एक बार यह स्थिति बनी थी कि विधायिका एवं न्यायपालिका में टकराहट हो जाए, वह टकराहट बची।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, यह मैं नहीं कहता, यह दुनिया कहती है कि हमारे पास जो संविधान है, वह इस विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान है और इस संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उन्होंने जिस प्रकार इस संविधान को बनाया, उनकी दूर-दृष्टि, उनकी सोच इस संविधान के अनुच्छेदों में आज भी अपनी याद को ताजा करती है।

माननीय सभापति महोदय, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके कर्तव्यों की, इनकी कार्य-प्रणाली की, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इसकी विस्तृत चर्चा की गयी है। लोकतंत्र के इन तीनों स्तम्भों में परस्पर समन्वय रहे, परस्पर सम्मान भी रहे इसीलिए हमारे संविधान में चैक एण्ड बैलेंस इस आधार पर संविधान के अंदर अलग-अलग अनुच्छेदों के अंदर, इन तीनों, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को अपने काम करने के लिए स्वतंत्रतापूर्वक अधिकार दिया है।

माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल 53 से 73, इन आर्टिकल्स में केन्द्रीय कार्यपालिका, केन्द्र सरकार कानून बनाकर जिस कार्यपालिका से कानून को लागू करवाती है, उसके बारे में विस्तृत तौर पर व्याख्या की गयी है। लोक-सेवक के कर्तव्यों के बारे में व्याख्या की गयी है और आर्टिकल 153 से 167, राज्य सरकार की वैधानिक शक्तियों से और राज्य सरकार में कार्यपालिका के कर्तव्यों की व्याख्या की गयी है और उसी तरह आर्टिकल 79 से 122 में हमारा सर्वोच्च सदन लोक सभा, उसकी कार्य-पद्धति क्या होगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसके बारे में व्याख्या की गयी है और आर्टिकल 168 से 213 में विधान सभा की शक्तियों और कार्य-प्रणाली के बारे में व्याख्या की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह बात कर रहा हूं। यह जो आपने हमें पुस्तक दी है, जो आपके आसन पर रखी है, यह पुस्तक भी आर्टिकल 208 (1) के अंदर जो नियम-प्रक्रिया बने हैं, जिसके तहत मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, यह अधिकार भी हमें संविधान ने दिया है।

माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल 214 से 237 में न्यायपालिका के कर्तव्यों के बारे में विस्तृत तौर पर व्याख्या की गयी है और यह भी कहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य को पूरा करेगी। इसके साथ ही,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यायपालिका अगर कोई आदेश देती है और उस आदेश की पालना यदि नहीं होती, जिस कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की चर्चा हम करते हैं, बात हम करते हैं, आर्टिकल 129 के अंदर यह प्रावधान संविधान के अंदर किया है कि न्यायपालिका के आदेश को लागू करना, यह किसी भी चुनी हुई सरकार का कर्तव्य है इसीलिए, माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की बात कही है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य रूप से लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ का काम संविधान के अंदर बताया गया है। विधायिका कानून बनाये, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करे और कार्यपालिका बने हुए कानून को लागू करने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आर्टिकल 122(1) है, इसमें संसद में सदस्य अपनी कोई बात कहते हैं तो वह निर्भीकतापूर्वक कह सकते हैं और यह आर्टिकल 212 (1) में जब मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं जो बात कहूंगा इस नियम और प्रक्रिया के तहत उसको कोई न्यायालय प्रसंगत नहीं कर सकता।

मैंने भी आपसे कहा कि 12 साल बाद यह बहस हो रही है और उससे पहले 2007 के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे माननीय सदस्यों को नोटिस दिये थे पर इस संविधान के अंदर यह प्रदत्त अधिकार है, माननीय सभापति महोदय, जिसका उपयोग मैं कर रहा हूं। यह भी सही है कि आर्टिकल 121 के अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य के लिए किये गये किसी आचरण पर लोक सभा में चर्चा नहीं हो सकती तो यहां भी आर्टिकल 211 के अंदर विधान सभा के अंदर भी हम माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की चर्चा नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, संविधान में विस्तृत रूप से प्रावधान करने के पश्चात् भी कई ऐसे मौके आए हैं, माननीय सदस्य, जब विधायिका और न्यायपालिका आमने-सामने रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक चर्चित मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। आप पुराने सदस्य हैं। माननीय गृह मंत्रीजी का काम आप देख रहे हैं, आपको भी ध्यान होगा। उत्तर प्रदेश में एक केशव सिंह प्रकरण हुआ था। माननीय सभापति महोदय, उस केशव सिंह प्रकरण में यह हुआ था

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि एक केशव सिंहजी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने दो साथियों के साथ उत्तर प्रदेश की विधान सभा में, तत्कालीन सदस्य थे श्री नारायण पांडे, उनके खिलाफ अपमानजनक पर्चे बांटे और पर्चे चिपका दिये। श्री नारायण पांडेजी ने सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा। सदन ने उस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के सामने भेज दिया और समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि इन तीनों लोगों ने जो पर्चे बांटे हैं, चिपकाये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय उनको बुलाकर उनकी भर्त्सना करें।

माननीय सभापति महोदय, 18 दिसम्बर को सदन ने विशेषाधिकार समिति की सिफारिश मान ली और उसके बाद तीनों सदस्यों को नोटिस दिया कि आप सदन में उपस्थिति हों। दो माननीय सदस्य तो उपस्थित हो गये पर केशव सिंहजी उपस्थित नहीं हुए क्योंकि प्रतापसिंहजी, वह थोड़ा हेकड़ थे। तब जब वह उपस्थित नहीं हुए तो माननीय सभापति महोदय, 14 मार्च को तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष ने वारंट जारी करके केशव सिंह को गिरफ्तार करवाया और सदन के अंदर जब उनकी पेशी हुई तो माननीय अध्यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछे। स्वभाव में थे कुछ, उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया और पीठ करके खड़े हो गये। आसन के सामने पीठ देकर खड़े हो गये, जिस प्रकार कई बार, मैं आपका नाम नहीं लूंगा कौन होते हैं, पर होते हों।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद हुआ क्या? विधान सभा ने केशव सिंह को 7 दिन का दंड दे दिया और लखनऊ की जेल में भेज दिया और उसके बाद केशव सिंह चले गये इलाहाबाद हाई कोर्ट में। माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी रोचक बात है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वह गये 226 में और सी.आर.पी.सी. 491 में, हाई कोर्ट ने क्या किया? सभापति महोदय, केशव सिंह को न केवल जमानत दे दी, बल्कि नोटिस जारी कर दिया। एक तो विधान सभा के मार्शल को जारी कर दिया और एक विधान सभा के अध्यक्ष को कर दिया कि आप न्यायालय में उपस्थित हों। आपने अपने अधिकारिक क्षेत्र के बाहर जाकर इसको सज़ा कैसे सुनायी? उसके बाद क्या हुआ कि जब विधान सभा के अध्यक्ष को नोटिस मिल गया तो विधान सभा के अध्यक्षजी ने विधान सभा के अंदर प्रस्ताव रखा और जिन दो जजों ने यह नोटिस जारी किया था, उन दोनों जजों की गिरफ्तारी का वारंट भेज दिया। जब उन दोनों जजों की गिरफ्तारी का वारंट चला गया तो वह दोनों जज इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बैंच में गये, 28

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जज बैठे। 28 जज बैठकर, उन्होंने विधान सभा के जिस वारंट से दोनों जजों को गिरफ्तार करना चाहते थे, उस वारंट को रद्द कर दिया। उसके बाद विधान सभा के अंदर दुबारा बैठक हुई। उन्होंने 28 के 28 हाई कोर्ट के जजों को तलब कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, सभापति महोदय, न्यायपालिका और विधायिका में जो टकराहट है, उसकी संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, उसके बाद जब यह मामला पूरे देश में चर्चित हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दखलदांजी की। उन्होंने उसको प्रेसीडेंट रैफरेंस के लिए भेजा और प्रेसीडेंट रैफरेंस में जब यह मामला गया तो उसके बाद, सभापति महोदय, एक आर्टिकल 143 में प्रेसीडेंट रैफरेंस में उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ में चला गया। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो दखलदांजी थी, वह गलत थी। केशव सिंह को बचे हुए चार दिन की जो सज़ा थी, वह काटनी पड़ी और इसके साथ ही उन्होंने यह जरूर कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के बारे में, कर्तव्य के बारे में चर्चा करने का अधिकार नहीं है।

यही नहीं, सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा, अभी परसों पूरे बैंककर्मियों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की एक स्वर्ण जयन्ती मनायी। यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ, मिसेज इंदिरा गांधी ने किया, उस समय उच्च न्यायालय में मामला गया और उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया। उसी समय एक मामला और गया। यह जो रियासतों के अंदर प्रीवीपर्स दिया करते थे, उसको भी मिसेज गांधी ने एक मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद उस प्रीवीपर्स को रद्द किया। वह मामला भी माननीय उच्चतम न्यायालय में गया। उच्चतम न्यायालय ने दिसम्बर, 1970 में उसे रद्द कर दिया। उसके बाद, सभापति महोदय, संविधान का 24वां संशोधन हुआ। उसमें यह अधिकार ले लिया कि संविधान के किसी भी भाग में संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है और उसके बाद मिसेज गांधी ने संविधान में संशोधन करके, संविधान का 25वां और 26वां संशोधन किया उन्होंने और उसके बाद अपने उस फैसले को लागू कराया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं आपका ध्यान एक और मामले की तरफ आकर्षित कराना चाहूंगा। शाहबानो मामला आपने सुना होगा। शाहबानो मामले में क्या हुआ? सभापति महोदय, यह शाहबानो का मामला था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो, 1985 का है। शाहबानो मामले के अंदर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि शाहबानो के पति ने तलाक दिया तो उसको निर्वाह भत्ता मिलेगा। हाहाकार मचा दिया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उसमें किसने क्या कहा? और उसके बाद क्या हुआ, सभापति महोदय, उस समय के प्रधान मंत्री को एक एक्ट लाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए। मुस्लिम मूवमेंट प्रोटेक्शन आफ राइट आन डाइवोर्स, 1986 और उसमें कह दिया कि अब शाहबानो, तुम्हें उम्र भर का नहीं मिलेगा। इद्दत पीरियड होता है 90 दिन का, माननीय सदस्य, किसी भी मुस्लिम महिला को 90 दिन का ही निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह मामला अब फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया। इस एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। लतीफ बनाम यूनियन आफ इंडिया और उसको फिर कहा गया, जब तक वह मुस्लिम औरत दूसरी शादी नहीं कर लेगी, तब तक उसको यह भत्ता मिलता रहेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में यह कोई बिरला व्यक्ति होगा, जिसका न्याय प्रशासन से कभी न कभी ताल्लुकात नहीं पड़ा। सभापति महोदय, हमारी न्यायपालिका में एक विधिक सिद्धान्त, जिसके बारे में चर्चा हमेशा होती है “Justice should not only be done; but must also appear to be done” और सभापति महोदय, आज हो क्या रहा है? एक मकान मालिक अपने किरायेदार से मकान खाली कराने के लिए वाद करता है। सिविल कोर्ट में वाद चलता है। 25 साल के बाद उसको डिक्री मिलती है और डिक्री मिलते ही, उस डिक्री के निष्पादन के लिए 10 साल और जंग के लिए उसको मैदान में उतरना पड़ता है। यह जो न्याय के अंदर इतना विलम्ब है, यह निश्चित तौर पर न्याय व्यवस्था में समाज का विश्वास खण्डित करता है।

सभापति महोदय, अगर आप देखो, आप तो कई बार श्रीमान् न्यायालय में गये हैं और मैं समझता हूं, माननीय यातायात मंत्रीजी, आपका और हमारा तो कई बार पाला पड़ा है। न्यायालय में जाएं, सभापति महोदय, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, आदमी के खड़े होने के लिए जगह नहीं और अंदर से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिल्लाती हुई भीड़ के मुंह से एक ही बात निकलती है तारीख तारीख, तारीख और तारीख। यह कोई फिल्मी डायलाग नहीं है। यह उस व्यक्ति की पीड़ा है, जो व्यक्ति न्याय के लिए आज न्यायालय में जाता है। आज न्यायालय के अंदर कोई व्यक्ति जाए तो उसके लिए खड़े रहने को जगह नहीं है, पीने के पानी की जगह नहीं है।

सभापति महोदय, अभी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड ने यह कहा है कि पिछले तीन दशकों में मुकदमों की रफ्तार दुगनी हुई है। आज मैं निवेदन करूं कि मुकदमों के हालात क्या हैं? आज जो एक बार इस मुकदमे के चक्कर में आ गया तो दो पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उसको तैयार होना पड़ता है।

सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 54 हजार से ज्यादा मामले पैंडिंग हैं और पूरे देश के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर 47 लाख 64 हजार मामले हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर 4 लाख 29 हजार मामले आज पैंडिंग हैं। राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों में 17 लाख 32 हजार 308 मामले पैंडिंग है और उसमें 46 प्रतिशत पक्षकार सरकार है। यानी सरकार ने इन मामलों को कहीं न कहीं दायर किया है।

सभापति महोदय, आज अगर अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध कोई उच्च न्यायालय में चला जाए, चाहे सिविल रिट पिटीशन हो, चाहे क्रिमिनल रिट पिटीशन हो, एक दशक का चला गया। जेल में पड़ा है तो जेल में पड़ा है। आज जो सम्मन एक बार जारी हो गया, पुलिस तंत्र द्वारा सम्मन को तामील कराने में बरसों लग जाते हैं। गवाह तलब करना है तो उसमें बरसों लग जाते हैं और, सभापति महोदय, इस हिन्दुस्तान में सबसे चर्चित पुराना मामला कौनसा है? सबसे पुराना मामला है अयोध्या वाला। तीन साल तो अयोध्या प्रकरण में इस बात के लिए लगा दिये कि जो दस्तावेज दिये गये थे, उनको अनुवाद करना था। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, तीन साल तो इसमें लग गये।

सभापति महोदय, एक तरफ तो आर्टिकल 21 हमें मौलिक अधिकार देता है। मेरा मौलिक अधिकार है कि समयबद्ध तरीके से मुझे न्याय मिले। न्यायपालिका के सामने मैं जाऊं, यह मेरा अधिकार है और दूसरी तरफ, तारीख और सिर्फ तारीख।

सभापति महोदय, 1987 में एक विधि आयोग बना था। उसने कहा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

था कि 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 न्यायाधीश होने चाहिए, पर आज हो क्या रहा है कि 10 लाख लोगों पर 15 न्यायाधीश भी नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अभी उन्होंने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जुलाई महीने में लोक अदालतें लगायीं। इन लोक अदालतों ने 61 हजार मामले निपटाये। क्या यह लोक अदालतें, जो साल में एक बार लगती हैं, क्या प्रत्येक माह में एक बार नहीं लग सकतीं? सदन को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरा एक मैं निवेदन करूं, शायद मेरी बात से कोई इत्तेफाक रखे या नहीं रखे, आज अगर न्यायालय में कोई मुकदमा चला गया तो पहला सवाल होता है कि जज साहब कौन हैं और फिर दूसरा सवाल होता है, इन जज साहब के सामने वकील कौन चलेगा। यह जज साहब कौन हैं और वकील कौन चलेगा। यह पिछले दरवाजे से हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर रही है। मैं समझता हूं और, सभापति महोदय, मैं मेरे तजुर्बे से कह सकता हूं कि अधीनस्थ न्यायालय, जो हमारे सबोर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबोर्डिनेट कोर्ट्स का काम तो एक ही रह गया कि किसी हालत में कोई मेजर रिलीफ किसी को मत दो, चाहे मैरिट पर बनता हो। उनका तो एक ही काम है, या तो सज़ा कर दो या बेल रिजैक्ट कर दो। मैंने तो भुगता है, सभापति महोदय, एक मामले में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिस्चार्ज हुआ। हंगामा मच गया और मैंने जिस आदमी को डायस पर ही देखा था, मैंने मेरे केस की पैरवी खुद की थी, उस पर कई अंगुलियां उठने लग गयीं। सभापति महोदय, आज हमारी सबोर्डिनेट कोर्ट्स मामले को टालने के लिए या उच्च न्यायालय में अपील में फैसला हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदय, अभी जस्टिस के.एस. अहलूवालिया के रिटायरमेंट पर रैफरेंस हुआ था। उन्होंने अपने रिटायरमेंट रैफरेंस में अपनी पूरी सेवाओं के निचोड़ में जो बात कही, वह मैं आधा मिनट में पढ़कर सुनाता हूं-

"Presiding officers of our subordinate courts filled with anger or are they suffering from frustration?

My brother judge being bench partner shall bear with me that for injuries caused on hands for offence under section 307

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(IPC), life imprisonment was awarded. I'm imploring Hon'ble chief justice, and brother and sister judges to sensitize Judges of sub-ordinate judiciary so far sentencing is concerned.

A safe syndrome has crept in the lower judiciary, which perceives, that it is safe to deny bale or convict accused and leave everything at the doorsteps of High Court".

क्या बात कहती है यह? मतलब एक जज ने अपनी सारी सेवाओं के बाद यह कहा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कि आज हमारी सबोर्डिनेट सर्विसेज की हालत क्या है?

सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, पर अब एक निवेदन जरूर करूंगा। यह पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन, इसका इतना वाइडर स्कोप हो गया, मतलब कोर्ट आज सरकार के कामकाज के अन्दर दखलंदाजी करने का हो गया। जब से मुम्बई में, 1976 में मुम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई का प्रकरण आया, फ्लड गेट खुल गया, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, यह जनहित याचिका लगाने का जो पवित्र साधन था, स्कोप था उसका इतना बढ़ गया, पर्दे के पीछे से कुछ लोगों का काम यह रह गया और यह कहने में कोई दिक्कत नहीं, यह पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन आज पर्सनल इन्टरेस्ट लिटिगेशन हो गया। मैं यह भी कहूंगा पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन की तो कोई बड़ी बात नहीं, यह 156 का सी.आर.पी.सी. में चाहे इस्तगासा हो, चाहे पी.आई.एल. हो, पिछली बार जब हम लोग सरकार में थे हम Rajasthan Vexatious Litigation (Prevention) Act लेकर आये थे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपको दो मिनट कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, एक बार आपने सुना होगा अपने रामनिवास बाग़ में एक बरड़िया कालोनी विकास समिति बनाम रामचन्द्र कासलीवाल में एक जनहित याचिका में कहा, रामनिवास बाग़, यह बाग़ है, यहां यातायात का क्या काम है, रामनिवास बाग को बंद कर दिया जाए, यातायात बंद कर दिया जाए और पूरे में घास लगा दी जाए। पूरे के टेण्डर होने को हो गये, घास लगाने की प्रक्रिया चालू हो गयी, इतने में दूसरे जज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साहब आ गये तो पूरा जो हमारा ट्रैफिक अब केओस हो गया, ट्रैफिक पूरा बाधित हो गया, नहीं, पूरा दरवाजा वापस खोलो, इसमें वापस ट्रैफिक चलेगा। सभापति महोदय, आप और हम गणेश मंदिर जाते हैं, एक बार उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया कि गणेश मंदिर में जो जाएगा तो धूप है, बैरिकेड लगाओ, ऊपर छत लगाओ और उसके कुछ ही दिनों बाद में दूसरे न्यायाधीश महोदय ने कह दिया यह छत हटाओ। मतलब आज अगर आप देखो, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन, जो पी.आई.एल. है इसका स्कोप है पर किसी जगह पर अगर जज साहब के, अगर बस्ती के अन्दर सफाई नहीं हुई, एक लेकर और म्युनिसिपैलिटी, जे.डी.ए. कल सफाई करो। मतलब यही रह गया है, सभापति महोदय। आज मैं समझता हूं कि न्यायिक सक्रियता निश्चित तौर पर होनी चाहिए पर आज यह जो आफिसर गैलेरी में बैठे हैं, इनका एक पैर हाई कोर्ट में है, रोज हाई कोर्ट में पेशी में, असल में ये ताबे ही वहीं आते हैं, ये वहां खड़े मिलते हैं।

सभापति महोदय, अब यह जो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर आजकल बड़ा विवाद चला जजेज की नियुक्ति के लिए, मैं उस लम्बे विवाद में नहीं जाता पर मैं एक जस्टिस रूमा पाल हैं, उनका एक बयान उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा The process of appointments of judges to the Superior Court was possibly the 'best kept secrets' of the Country. मतलब यह कैसे होता है, यह सीक्रेट है। आज कालेजियम और नेशनल जुडीशियल कमीशन पर मैं नहीं जाऊंगा, पर आई.ए.एस. की परीक्षा है, आज हमारी कार्यपालिका में सर्वोच्च पद पर बैठे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. हैं, तो आई.जे.एस. की परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? क्या उसके माध्यम से हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं आ सकते?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात खतम कर रहा हूं।

यह जो राजस्व न्याय में मामले हैं इससे भी आम आदमी बड़ा दु:खी है। हाई कोर्ट ने भी प्रसंज्ञान लिया, उन्होंने कहा कि हर जिले में तीन-तीन एस.डी.ओ. रखो डेडिकेटेड जो सिर्फ इन मामलों को निपटाये। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हमने न्याय आपके द्वार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्यक्रम चलाया, हमने 56 हजार 667 शिविर लगाये और एक करोड़ से ज्यादा लोगों को, किसानों को छोटे-मोटे मामले हैं, नामान्तरण का मामला है, पत्थर गढ़ी का मामला है, उसको रिलीफ दिया, 523 ग्राम पंचायतों को हमने वाद फ्री किया, इसको क्यों नहीं कर सकते?

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी मैंने चीफ जस्टिस का एक बयान पढ़ा था, फुल बैंच का था, यह जो पहले माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, उन्होंने कहा, अब यह जरूरत नहीं है, कानून के सामने, संविधान के सामने हम समान हैं। सभापति महोदय, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि आज जब हम यहां बहस कर रहे हैं, +++ ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): कटौती प्रस्ताव पर बोलें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, इनके कटौती प्रस्ताव में सिर्फ राजगढ़ का अंकित है। राजगढ़ पर कटौती प्रस्ताव है इनका, इसके अलावा यह किस सब्जैक्ट पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज विराजिये। मुझे बोलने दें, मुझे पता है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, मामला सब-जुडिस है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। मामला सब-जुडिस है, कोई चर्चा नहीं होगी। अंकित नहीं किया जाए। प्लीज विराजें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): 000

श्री सभापति: कर्नाटक सम्बन्धित कोई भी जो बात कही गई है वो विलोपित होगी। मामला सब-जुडिस है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, अब आप विराजें। श्रीमती शकुन्तला रावत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा है, मैं तो बैठ गया। आपकी आज्ञा से मैं तो बैठ ही गया, सभापति महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): जुडीशियल एक्टिविज्म के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं?

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, प्लीज। प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपको मालूम है, इस सदन के अन्दर कोई आज्ञाकारी हैं तो मैं ही हूं आपका। मैं तो बैठ गया एक मिनट में पर, सभापति महोदय, मैंने जो बात कही, मंत्री महोदय, मैंने यथार्थ कही है। आज जो हो रहा है उसको कहा है। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर हमारा न्याय प्रशासन गतिशील होगा। हमें न्यायपालिका पर, निष्पक्षता पर गर्व है और न्यायपालिका की प्रक्रिया के अन्दर जो कमियां आ रही हैं, उनको निश्चित तौर पर दूर करना चाहिए और कानून व्यवस्था के बारे में क्या बात करनी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज सहयोग करें, विराजिये। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कानून व्यवस्था तो आपने ऐसी कर दी, न कानून है न व्यवस्था है। यह लोक सभा चुनावों में आपको मालूम पड़ गया और अब फिर मालूम पड़ जाएगा।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, मैंने नाम पुकार लिया। अब एक बार विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सर, पवन व्यास हत्याकांड से बूढ़े पिता बाहर रो रहे हैं, गृह मंत्री महोदय, ध्यान दीजिए।

श्री सभापति: विराजिये। मैंने श्रीमती शकुन्तला रावत का नाम पुकार लिया। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा हे।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): 000

श्री सभापति: विराजिये, आसन पैरों पर है। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़ साहब, विराजिये, आप विराजिये, विराजिये आप।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिये, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। विराजिये, विराजिये। बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। किसी का अंकित नहीं होगा। शांति रखें, विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। बैठिये। लाइव देख रहे हैं पूरा आपको, राजस्थान लाइव देख रहा है यू-ट्यूब पर। विराजिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: विराजिये। किसी का अंकित नहीं होगा। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): न्याय के लिए तो न्यायपालिका जाना पड़ेगा आपको, मुझे तो मिलने के लिए कहा है तो आप मेरे चैम्बर में ले आओ, मैं मिलने के लिए तैयार हूं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, आज

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मांग संख्या 6, 13, 16 और 17, न्याय, आबकारी, पुलिस और कारागार पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, यह चारों ही मांग न्याय, आबकारी, पुलिस और कारागार जनता के एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर ये तीनों ही संस्थाएं, सरकारी तंत्र अगर सही तरीके से निःस्वार्थ होकर और अपना स्वार्थ छोड़कर काम करें तो राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपराधों पर रोक लग सकती है।

पुलिसकर्मी जिस दिन से वर्दी धारण करते हैं, उस वक्त जो शपथ लेते हैं अगर उस शपथ को वे हमेशा याद रखें और उसको लेकर कदम से कदम मिलाकर चलें तो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वे घटनाएं नहीं हों और जो जनता भी उन्हें सपोर्ट करे।

(14.00 बजे)

हमने जब भी पिछले सत्र में कोई प्रश्न लगाया हो, चाहे स्थगन लगाया हो, 295 हो और सदन के अंदर कोई क्वेश्चन उठाया तो जो पिछली कांग्रेस सरकार थी या उससे पिछली बार थी, उनके आंकड़ों का पुलिंदा लेकर के, सिर्फ और सिर्फ आंकड़े गिनवा दिये जाते। हम नहीं कहते हैं कि किसने कौनसी भावना से काम किया। अच्छी भावना से काम किया होगा लेकिन सिर्फ आंकड़े गिनवाकर के, ताने मारकर के, कि आपकी सरकार ने यह किया, हमारी सरकार में इतने आंकड़े हो गए, आपकी सरकार में इतने आंकड़े हो गए और आत्मा से कार्य कर रहे हैं। इतना कह करके पल्ला झाड़ लिया जाता था। सभापति महोदय, जब कि पूर्ण बहुमत में सरकार थी। महिला मुख्य मंत्री थीं। आज बड़ी-बड़ी चर्चाएं और फिर वही आंकड़े गिनवा रहे हैं। क्यों नहीं उस टाइम कोई ऐसी नीति बनाई? मंशा अच्छी थी। हो सकता है, कोई मजबूरी रही होगी लेकिन जैसे आंकड़े गिनवाते थे, हम नये आये थे, हम सोचते थे कि महिला मुख्य मंत्री हैं और गृह मंत्री भी आत्मा से काम कर रहे हैं। शायद वह कोई ऐसी नीति बनाएंगे जिससे महिला अपराधों पर, सभी अपराधों पर कोई रोक लगेगी। लेकिन होता क्या था कि सिर्फ आंकड़े गिनवा करके बैठ जाते थे।

सभापति महोदय, कागजों में योजनाएं तो बहुत बनाईं। नियम भी बना दिये गये। हम महिला एवं बाल विकास समिति की तरफ से जाते थे थानों को चैक करने, महिला डेस्क का बोर्ड लगा होता था लेकिन हकीकत में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

क्या हालत है? नाम लिखने में तो एक नंबर पर, कोई योजना बने, अख़बार में नाम हो, आफिस में नाम हो, नाम तो लिख देते थे लेकिन पिछले शासन काल में क्या सुनवाई हुई थी? वहां हम जाते तो कुछ भी नहीं मिलता था। पिछली बार हमारे एक माननीय सदस्य सदन में बोल रहे थे कि अलवर में बहुत शांति है। अपराध जिस दर से बढ़ रहे थे, उनको रोकने के लिए बार-बार सदन में कहा गया कि एक एस.पी. आफिस अलवर में और खोला जाना चाहिए लेकिन नहीं खोला गया। अगर इतने ही हितैषी थे तो उस टाइम क्यों नहीं खोला? मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक बार मांग करते ही एस.पी. आफिस अलवर में खोल दिया गया।

सभापति महोदय, गिनवाने की बात हो रही थी। पिछली सरकार में एक दो वीक के अंदर ही लगातार अलवर सिटी में घर में घुसकर के ज्वैलर्स की हत्या हुई, एक अध्यापक की हुई, एक राहगीर की हुई, आफिस में घुसकर के विद्युत कर्मचारी की हुई। अगर इस तरह से गिनवाते रहे तो इस चीज का अंत नहीं होगा। पूरे 5 वर्ष बीत गये, लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे कि अपराधों पर रोक लग सके। महिला सुरक्षा की भी ऐसी कोई नीति नहीं बनाई कि आगे से अगर कोई भी महिला या बच्ची से अपराध करने की सोचे तो उसकी रूह कांप उठे। इसकी हम उम्मीद करते थे लेकिन नहीं किया।

सभापति महोदय, आंकड़े गिनाकर वाहवाही लेते, लेकिन काम करने में सरकार जीरो थी। मैंने भी मांग की थी कि एक डिप्टी आफिस खोला जाए, नफरी बढ़ाई जाए, चौकी खोली जाए लेकिन द्वेषतापूर्ण, सरकार के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी।

सभापति महोदय, पुलिसकर्मी कई बार मानसिक रूप से आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच जाते हैं। महिला पुलिसकर्मी आत्महत्याएं करती हैं। उच्चाधिकारी बैठे हैं, वह क्यों नहीं उनकी मानिटरिंग करते? अगर कोई महिला कर्मी एक भी कागज देती है तो उस पर गौर होना चाहिए। पिछली बार तो नहीं हुआ लेकिन अगर वर्तमान में कोई कागज किसी आफिस में आता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए जिससे कि कोई भी पुलिसकर्मी डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने की नहीं सोचे। कई बार पुलिसकर्मी हमारे पास कोई समस्या को लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि आप जाओ और एस.पी. से, आई.जी. से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मिल लीजिए तो उसके अंदर उनसे मिलने के लिए भय होता है। इस भय को समाप्त किया जाए कि वह अपने अधिकारी से अपनी व्यथा खुलकर के बता सके, वह कह सके। अगर वह छुट्टी पर चला गया तो उसको एस.पी. आफिस में पेश होना पड़ेगा। इस व्यवस्था का सरलीकरण किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, पुलिस का व्यवहार कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति आए तो उससे लड़ाकू विमान की तरह से व्यवहार करते हैं। यह व्यवहार क्यों होता है? क्यों नहीं, अधिकारी उनकी वीकली, पंद्रह दिन या महीने में एक मीटिंग करें कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? जनता के साथ संवाद होना चाहिए। नाम के लिए सीएलजी की मीटिंग में चर्चा तो होती है, लेकिन अगली मीटिंग में उस पर गौर होना चाहिए कि पिछली मीटिंग में कौन-कौनसे थानों के, कौन-कौनसे मुद्दे रखे गये थे और उस पर क्या इम्प्लीमेंट हुआ? इसको भी देखना पड़ेगा।

जो पुलिसकर्मी एक ही थाने पर कई वर्षों से रह रहे हैं, वह वहां जड़ जमा लेते हैं। उनको इधर से उधर दूसरी तहसील में करते रहना चाहिए जिससे कि कई बार जो दबाव वाली हरकतें होती हैं, वह नहीं हों। कई बार तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक खेत से दूसरे खेत में मोटर साइकिल लेकर जा रहा है और उसका चालान काट दिया जाता है। ऐसी जो छोटी-छोटी घटनाएं होती हैं, और जब कहा जाता है कि भई, क्या बात है, तो कहते हैं कि ऊपर से आदेश था। यह कौनसा ऊपर से आदेश है? इस तरह के यह जो नियम, कानून हैं, इन पर भी बैठकर के चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक परिवार में मान लो कोई रिश्तेदार अपराधी है, तो उसके सारे परिवार वालों का नाम लिखकर के, जो पढ़ने वाले युवा हैं, उनका भी नाम उसके अंदर लिख दिया जाता है। उनको भी बिना जांच किये ही, नाम के आधार पर अपराधी घोषित करके, उनका जीवन खराब कर दिया जाता है जबकि उसमें एफिडेविट लगे होते हैं। ऐसी चीजों को भी एक बार देखने की जरूरत है।

सभापति महोदय, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप प्रेस के माध्यम से एक स्टेटमेंट दें कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और कोई व्यक्ति पड़ा है तो उसको जो उठाकर अस्पताल ले जाएगा, उसे हम पुरस्कृत करेंगे। अगर आप उसको पुरस्कृत करें तो खर्चा में वहन

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

करने के लिए तैयार हूं जिससे कि सड़क पर लोग उसकी वीडियो नहीं बनाएंगे, उसे तुरंत उठाकर के अस्पताल ले जाएंगे। इस तरह से आप सभी जिलों के एस.पी. को निर्देशित करें। कई बार एक्सीडेंट हुआ और वह सड़क पर पड़ा रह जाता है। उसको लोग उठाते हुए डरते हैं। कानून है, सारी चीजें हैं, लेकिन गांव, देहात, कस्बे का आदमी इतना नहीं समझता है, इस तरीके का एक कदम उठाया जाए तो इससे राहत मिलेगी। जनता पुलिस की मदद भी करेगी। पुलिस के वाहन हैं, थानों पर कई बार हम फोन करते हैं, दो-दो घंटे ही नहीं पहुंचती है उनकी गाड़ियां ही खराब हो जाती हैं। पिछली बार तो सरकार ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, पता नहीं, कितनी मांगें उठाई कि इनकी छुट्टियों की कोई नीति बनाई जाए जिससे कि ये आराम से काम कर सकें। महिला पुलिसकर्मियों को क्वार्टर दिये जाने चाहिए। रोडवेज को पैसा जमा कर उनको पास देना चाहिए जिससे कि वे आफिसों में टीए डीए लेने के लिए चक्कर नहीं लगाएं। वर्दी भी उनको मन पसंद की खरीद सकें तो उनको पैसा मिलना चाहिए। वेतन की जो विसंगति है वह भी दूर करके उनको राहत देनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट है तो क्यों नहीं एक ही नियम बनें जिससे कि वे सही तरीके से काम कर सकें। राज्य सुरक्षा एवं सतर्कता आयोग का गठन किस आधार पर होता है, क्या होता है, क्यों नहीं, इसका गठन करके हम इन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, चाहे अवैध खनन हो, ऐसे जो काम हों, उनके लिए यह नहीं कि कोई जिसके पास रवन्ना भी है, ट्रैक्टर के सारे कागज भी हैं, लेकिन वह फोरेस्ट से जा रहा है या थाने के पास से निकल रहा है तो पुलिसकर्मी उसकी जांच नहीं करेंगे। पहले उसको थाने में बंद कर देंगे फिर केस लगाकर जांच करेंगे तो इस तरह से ग्रामीणों के साथ जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, न्याय में मेरे बानसूर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायालय पूर्व से ही संचालित है लेकिन जो बीच की कड़ी है, एसीजेएम कोर्ट वह वहां पर नहीं खोला गया। पिछली बार अलवर जिले में अन्य विधान सभा क्षेत्र में खोला गया लेकिन द्वेषतापूर्ण क्योंकि वहां कांग्रेस की विधायक थी इसलिए नहीं खोला गया जबकि बहरोड़ में पहले था और दुबारा खोल दिया गया। क्या हम नहीं थे, आप और खोलिए, सभी जगह

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

खोलिए, लेकिन मेरे बानसूर में जो बीच की कड़ी है, एसीजेएम न्यायालय, वह खोलें, क्योंकि मेरे यहां की जनता को इसके लिए बहरोड़ जाना पड़ता है और कोई परिवहन सुविधा भी वहां तक आने जाने के लिए नहीं है। हजारों मुकदमे पैंडिंग पड़े हैं और बहरोड़ जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाई कोर्ट की तरफ से भी सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है कि बानसूर में एसीजेएम कोर्ट खोला जाए। आपसे मेरा अनुरोध है कि वहां बिल्डिंग भी तैयार है, मैंने बनवा दी, आप सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी वहां पर बैठा दें, जिससे कि वहां का कोर्ट चल सके, मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दें, जिससे लोगों की परेशानी खतम हो जाए और लोगों को बानसूर में ही न्याय मिल सके और लम्बित जितने भी प्रकरण हैं, उनकी जांच करवाकर तुरंत निस्तारण होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बानसूर में अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी खोली जाए, अगर सरकार की तरफ से खुलती है तो बिल्डिंग मैं बनाकर देने के लिए तैयार हूं विधायक कोटे से।

माननीय सभापति महोदय, एसीएम का पद भी मेरे यहां कई दिनों से रिक्त पड़ा है, वह भी तुरंत भरा जाए। गांव वालों को रेवेन्यू केसेज में बहुत ही दिक्कत आती है इस तरीके की।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है शराब का। मैं पिछली बार भी यही सोच रही थी कि महिला मुख्य मंत्री हैं, इसलिए महिलाओं और बच्चों के दु:ख को शायद अच्छे से समझती होंगी। मैंने मामला उठाया था, क्योंकि पूर्ण बहुमत में सरकार थी और महिला होने के नाते महिलाओं के दु:ख को समझेंगी, इस शराबबंदी को पूरे राजस्थान में लागू कराएंगी लेकिन नहीं की। माननीय सभापति महोदय, अब मेरा अनुरोध है कि अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी शराब की पूर्ण बंदी हो।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मेरे बानसूर का बता रही हूं, भूता, शाहपुर, कुंडली, ऐसे अनेकों गांव हैं जहां एक-एक गांव में, एक-एक पंचायत में पचास से साठ, सत्तर तक विधवा महिलाएं हैं, छोटे-छोटे बच्चे मुझे चिट्ठी लिखकर देते हैं, नाम भी नहीं लिखते अपना कि हमारा नाम मत बताना मैडम, हमारे पिताजी की शराब छुड़वा दो। माननीय

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि यह बड़ा फैसला होता है तो राजस्थान की पूरी महिलाएं, बच्चे आपको बहुत-बहुत दुआ देंगे। ऐसा कड़ा फैसला लेना चाहिए, मेरा आपसे यह अनुरोध है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, जितने भी अवैध ठेके चल रहे हैं और बगैर रजिस्ट्रेशन के हैं, उनको बंद किया जाना चाहिए। स्कूलों के पास हैं, मंदिरों के पास हैं, राजकीय कार्यालयों के पास में हैं। मेरा अनुरोध है, माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर राजस्थान को यह तोहफा दें तो बहुत ही सराहनीय होगा।

माननीय सभापति महोदय, कारागार पर तो मैं इतना ही कहूंगी कि कारागार में जो कैदी रहते हैं, उनको शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए हर महीने कैम्प लगाए जाने चाहिए जिससे कि जो आए दिन मारपीट होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, मर्डर तक हो जाते हैं, जैसा इनके पिछले काल में था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, एक लाइन और रही है। होम गार्ड को नियमित करें, इनकी 55 वर्ष आयु है रिटायर होने की, 60 वर्ष होनी चाहिए। इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसी रिटायरमेंट आयु, वहां 62 वर्ष है, इसको लागू करके इनको परमानेंट करने की सरकार से मैं सिफारिश करती हूं कि इनको परमानेंट किया जाए। इनमें बहुत सारी महिलाकर्मी भी हैं, उनको आए दिन इस तरीके की परेशानी उठानी पड़ती है, दूसरी नौकरी वे नहीं कर सकतीं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पुलिस, कारागार, आबकारी और न्याय व्यवस्था पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, हम लोग दोहरी गुलामी की उस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसमें सालों तक मुगलों का, उसके बाद अंग्रेजों का और उसके बाद जागीरदारी राज था, उसमें हम रहे। इस पृष्ठभूमि में हमारी

(श्री संयम लोढ़ा)

परवरिश हुई, इस पृष्ठभूमि में हम लोग आगे बढ़े, वह सारी सोच का प्रभाव हम लोगों पर रहता है, हम लोग यह समझते ही नहीं हैं कि बल प्रयोग एक अपराध है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मां अपने बच्चे को पीट देती है, उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि इस बच्चे को पीटना अपराध है, वह बच्चे को पीटना अपना अधिकार समझती है। बाप कभी गुस्सा हो, मां को पीट देता है तो इस तरीके की पृष्ठभूमि से हम लोग आए हुए हैं। पुलिस का जो नौजवान है, पुलिस का जो आदमी है, वह इसी पृष्ठभूमि से, इसी समाज से नौकरी में आया है। जो समाज यह मानता है कि बच्चे को पीटना अपराध नहीं है, मां को पीटना अपराध नहीं है, पत्नी को पीटना अपराध नहीं है तो ऐसी परवरिश और ऐसे माहौल से आए हुए पुलिसकर्मी की सोच बदलने में शासन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रशिक्षण देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, जेल में कैदी जाता है, हम किस मानसिकता से जेल को देखते हैं। उस कैदी का सुधार हो, वह कैदी जेल से बाहर निकले तो वैसा अपराध फिर करने की सोच लेकर नहीं निकले। उस जेल के अंदर वह उस अपराध की मानसिकता से बाहर आ सके, इस बात का माहौल देने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हमारे अपने परिवार का कोई व्यक्ति अगर कभी जेल जाए तो क्या हम पूरी चिंता नहीं करते कि हमारे वह परिवार का सदस्य वापस उस जेल में कभी न जाए, हम उसको सुधारें, उतना उसमें परिवर्तन लाएं। हम अपने बच्चे को जेल में ऐसा माहौल देते हैं कि वह जेल से बाहर निकलता है, गुस्से से भरा होता है, उपेक्षा से पीड़ित, और बाहर आकर उसी एक अपराध के बदले कई अपराध करने की श्रृंखला में आगे बढ़ता चला जाता है।

माननीय सभापति महोदय, शुक्रवार की शाम हुई क्या हालत है हमारे बच्चों की, पूरी रात शुक्रवार को पार्टी करते हैं, शुक्रवार को नहीं करेंगे तो शनिवार को पार्टी करेंगे, शराब के नशे में डूब जाएंगे। ड्रग्स, स्मैक, इनसे मां-बाप पीड़ित हैं, कितनी जगह अपने बच्चों का जीवन बदलने के लिए धक्के खा रहे हैं, क्या हमारी नई पीढ़ी को नशे की दुनिया से बाहर लाने के लिए कोई सोच, कोई हमारी मानसिकता, कोई हमारी कार्य योजना, कोई हमारी इच्छा शक्ति, कोई हमारा संकल्प है? छोटे-छोटे कस्बों के अंदर स्मैक है, स्कूल के बच्चे पी रहे हैं, स्कूल के बच्चे नशा कर रहे हैं। किस तरफ हम भगवान राम और भगवान कृष्ण की भूमि के बच्चों को, नौजवानों को ले जा रहे हैं? क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

हमें अपनी इच्छाशक्ति नहीं दिखानी चाहिए? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, क्या हमारी पुलिस है? मैं गुजरात की सीमा से लगे सिरोही जिले से आता हूं, आबू रोड पर तीन पुलिस थाने हैं दस किलोमीटर के दायरे में। वहां से पांच किलोमीटर पर हमीरगढ़ की पुलिस चौकी है। इस साल जनवरी से जून के बीच गुजरात की उस पुलिस चौकी ने 237 मुकदमे अवैध शराब के दर्ज किये। कौन भिजवा रहा हैं, वहां गुजरात में शराब? मद्य निषेध है वहां पर। उस जमाने से मद्य निषेध है, जब वहां कांग्रेस की सरकार थी। कौन चिह्नित करके ऐसे अधिकारियों को लगा रहा है? कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा है। मुकदमों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ रही है? सम्मन तामील नहीं होते हैं, गवाह नहीं आते। ये सब काम कौन देखता है सम्मन तामील कराने का और गवाह बुलाने का? आप ताज्जुब करेंगे, सम्पत्ति के विवाद में ऐसे मामले आपके सामने आएंगे, जिनमें 36-36 बार नयी तारीखें पड़ी हैं, गवाह पेश नहीं होने के कारण, उस पर बहस शुरू नहीं होने के कारण, बिना किसी कारण के।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान हाई कोर्ट ने खुद 2018 में माना है कि सम्पत्ति दावे के 2158 मामलों में औसतन ढाई से तीन साल निचली अदालत से जो कार्यवाही हुई थी, उस पर हाई कोर्ट में रोक लगी है। यह कम आंकड़ा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हत्या जैसे संगीन अपराध में 268 मुकदमे हाई कोर्ट में रोक के कारण डेढ़ साल तक आगे नहीं बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना दी। संगीन से संगीन अपराध के मामलों में गवाह बदल जाते हैं, होस्टाइल हो जाते हैं, पक्षद्रोही हो जाते हैं, दबाव के कारण। देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। क्या हुआ था आसाराम बापू के प्रकरण में, क्या हुआ था सोहराबुद्दीन में, क्या हुआ कौसर बी में, क्या हुआ तुलसी प्रजापति में, क्या हुआ जेसिका लाल में, क्या हुआ बैस्ट बेकरी में? गवाहों पर जानलेवा हमले हुए। गवाह मारे गये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हम गवाह संरक्षण योजना को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

क्या बजट प्रोविजन है, हमारा गवाह संरक्षण योजना के लिए? राजस्थान का विधिक सेवा प्राधिकरण आपसे पांच करोड़ रुपये मांग रहा है काफी समय से, आप पांच करोड़ रुपये उन्हें देने के लिए तैयार नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, न्यायाधीश सरकारी मनमानी से बचने का हमारा आखिरी माध्यम होते हैं। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने काफी बातें कही। शाहबानो तक ले गयीं। शाहबानो तक मत जाइए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रावधान किया था कि सीजेआई इसके अध्यक्ष होंगे, आप पार्लियामेंट में अमैंडमैंट ले आए। आपने अमैंडमैंट पारित कर दिया। आप उस सीजेआई के प्रावधान को खतम कर रहे हैं। आप सिर्फ जज के प्रावधान ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? क्या देश के नागरिकों को न्याय दिलाने में सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश की क्षमता पर आपकी पार्टी की केन्द्र सरकार को भरोसा नहीं है? आप चुनना चाहते हैं कि उन सुप्रीम कोर्ट के जजों में कोई एक ऐसा नाम मिले, जो हमारे डिक्टेशन पर चल सके तो उसकी भर्ती कर दें। ऐसे नागरिक अधिकारों की रक्षा होगी? माननीय सभापति महोदय, आरटीआई एक्ट में अमैंडमैंट ला रहे हैं। सैक्शन 13, 16 एवं 27 में क्या अमैंडमैंट ला रहे हैं? आप पांच साल की अवधि को हटाकर यह अधिकार सरकार को देना चाहते हैं कि अपनी मर्जी से जो अवधि वे रखना चाहेंगे, वह रखेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर दर्जा था। सूचना आयुक्त का निर्वाचन आयोग के आयुक्त के बराबर दर्जा था। वेतनमान और शर्तें वही थीं। आज सारे आरटीआई एक्ट में अमैंडमैंट करके वेतनमान और शर्तें रखने का अधिकार भी भारत सरकार अपने हाथ में लेना चाह रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। इतना बड़ा पब्लिक मैंडेट मिला, जनता ने 300 से ज्यादा सीटों से सत्ता में बैठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायर में लाइए। आपमें ऐसा करने का क्यों साहस नहीं है? क्यों लोगों के प्रति आप जवाबदेह नहीं बनना चाहते? आप अमैंडमैंट ला रहे हैं आरटीआई एक्ट को कमजोर करने के लिए। जो संस्था बनायी हुई है, उसे कमजोर करने के लिए। हिन्दुस्तान के नागरिकों को यह जानने का अधिकार मिले कि पोलिटिकल पार्टी क्या कर रही है। यह अधिकार आप नहीं देना चाहते।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। पूरी दुनिया में न्यायाधीशों को लेकर नोर्म्स बने हुए हैं। भारत में प्रति दस लाख सिर्फ 19.66 न्यायाधीश हैं। अमेरिका में दस लाख पर 107 हैं, इंग्लैंड में 51, कनाडा में 75, आस्ट्रेलिया में 41 हैं, लेकिन हम 19.66 के फीगर पर अटके हुए हैं, लाखों मुकदमों के लंबित होने के बाद भी।

माननीय सभापति महोदय, आप एक रिटायर्ड जज को ह्यूमन राइट्स कमीशन में लाते हैं। जब कभी आपको बहुत गम्भीर जांच करानी होती है, उसकी अध्यक्षता में आप कमीशन बैठाते हैं। आप आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में भेजते हैं, दुनिया भर के ट्रिब्यूनल्स में भेजते हैं तो क्या हमें इतने पद कम होने के बाद भी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र 62 से 65 वर्ष नहीं करनी चाहिए? प्रस्ताव आते हैं, फिर अटक जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, क्या हालत है कोर्टों की? वित्त मंत्री धौलपुर से पहले कांग्रेस राज में भी आए। धौलपुर की पूर्व महारानी भी वित्त मंत्री के रूप में रहीं। इतने बजट पेश किये। क्या मैं आपके माध्यम से पूछ सकता हूं कि धौलपुर में एक जूनियर जुडीशियल के रहने का मकान भी है? इतने बड़े-बड़े महकमे संभाले धौलपुर के लोगों ने, एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट के रहने के लिए वहां मकान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आप बहुत ताज्जुब करेंगे, मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास नीचे स्टेनो नहीं है, पिओन नहीं है, होम गार्ड के जवान से वह काम चला रहा है।

मैं एक किस्सा पढ़ रहा था, करौली का। वहां मजिस्ट्रेट के आगे बैठने का जो टेबल होता है, उसके लिए एक पाटा लगाया हुआ था। वह पाटा मजिस्ट्रेट के ऊपर गिर गया। यह इसी साल की घटना बता रहा हूं मैं। भिवाड़ी में पानी की एक टंकी बन रही थी, वह टंकी कोर्ट पर गिर गयी। वह तो ठीक हुआ उस समय सुबह का टाइम था, सुनवाई का टाइम नहीं था, लेकिन एक महिला मजदूर की मौत हुई। अगर कार्यवाही चल रही होती और तब यह घटना हुई होती तो? मुंसिफ साहब भी जाते, वकील भी जाते, फरीद भी जाते। हमारी क्या सोच है? हम नीचे जुडीशियल आफिसर को मिनिमम फैसिलिटीज नहीं देना चाहते। एक जुडीशियल आफिसर ट्रांसफर होकर जयपुर में आती है नयी सलैक्ट होकर। आप सर्किट हाउस में उसे तीन दिन रहने देते हैं। कहां

(श्री संयम लोढ़ा)

जाएगी तीन दिन के बाद, होटलों में रहेगी? हम उन्हें सुविधाएं नहीं देकर खुद पद से विचलित होने पर बाध्य करते हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि राजस्थान सरकार लॉ सैक्रेटरी के साथ मीटिंग करके जो बुनियादी कमियां जुडीशियल सिस्टम में हैं, उन्हें ठीक करे।

माननीय सभापति महोदय, कोर्ट में आप जाइए। फरीद आते हैं, क्या कोई खाने की व्यवस्था है? कोई प्रोपर कैंटीन है? कोई प्रोपर टायलेट है? कोई प्रोपर पानी का अरेंजमैंट है? क्या हालात बने हुए हैं? आप जाकर देखिए। किस तरह का भीड़ भरा माहौल है। क्या पार्किंग का अरेंजमैंट है? कुछ चीजें अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त के लिए सही नहीं होगा। राजस्थान हाई कोर्ट को लीजिए आप। 50 पद हैं, 24 जज हैं। एक आज रिटायर हो रहे हैं। अगले तीन माह में दो और रिटायर हो जाएंगे। बहुत अनफार्च्यूनेट बात बताऊंगा आपको। राजस्थान की ओर से जिन जुडीशियल आफिसर्स के प्रमोशन के दस नाम भेजे गये। पहले नंबर के आदमी का हो गया, हाई कोर्ट में सलैक्शन और दसवें नम्बर के आदमी का हो गया। बीच के लोग लटकते रहे। अब बताइए आप, उन आठ जुडीशियल आफिसर्स की फ्रस्ट्रेशन क्या होगी? जो पीछे था उनसे, वह सीनियर हो गया। यह भारत सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिह्न है कि आप किस ढंग से नियुक्तियां कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में हमारे गहलोत साहब की सरकार को आए 7-8 महीने हुए हैं। क्या आपने महिला आयोग में नियुक्ति की? क्या आपने मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति की? क्या हमने किसान आयोग में नियुक्ति की? क्या हमने एससी-एसटी आयोग में नियुक्ति की? क्या हमने लोकायुक्त नियुक्त किया? क्या हमने मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया? आप संवैधानिक संस्थाओं को पूरा महत्व देंगे तब जाकर लोगों को रिलीफ मिल सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्पोजल आफ केसेज क्या हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में 2016 में 34 जज थे और इन्होंने 2761 फैसले किये, 2017 में हाई कोर्ट में 35 जज थे और 3196 फैसले किये, 2018 में 25 जज थे और 4074 फैसले किये। इसी तरीके से, अधीनस्थ न्यायालयों में 2016 में 894 जज थे और 1542

(श्री संयम लोढ़ा)

फैसले किये, 2017 में 1044 जज थे और 1450 फैसले किये और 2018 में 1099 जज थे, 1336 फैसले किये। मुकदमों की पैण्डेंसी आप देखिये। एक साल की सीमा के भीतर पुराने मुकदमे हैं, 38.69 परसेंट, एक से तीन साल के हैं 19.12 परसेंट, पांच से दस साल के हैं 14.86 परसेंट, दस से बीस साल के हैं 14.1 परसेंट, बीस से तीस साल के हैं 1.77 परसेंट और तीस साल से भी ज्यादा पुराने 0.14 परसेंट हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के जो टाप टेन क्राइम के जिले हैं, वे सारे वरिष्ठ नेताओं के जिले हैं, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों तो उन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि वे अपने-अपने जिलों के अन्दर अपराध नियंत्रण के अन्दर प्रभावी भूमिका निभाएं। टाप टेन जिले हैं जयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और बीकानेर।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस मौके पर यही विनती करना चाहता हूं कि आज देश की न्यायपालिका है, वह भीतर से टूटी हुई है और अविश्वास से भरी हुई है। हमने पिछले साल वह दृश्य, वह परिदृश्य देखा है, जो इस देश की 70 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि चार सुप्रीम कोर्ट के जजेज को लोगों के बीच में आकर कहना पड़ा कि प्रजातंत्र खतरे के अन्दर है। यह हालात क्यों पैदा हुए हैं? इनके अन्दर, न्यायपालिका के अन्दर वापस विश्वास भरने का दायित्व किसका है? आज भी हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, कालेजियम ने रिकमंड किया नाम, सरकार ने वापस लौटाया, फिर कालेजियम ने रिकमंड किया, फिर सरकार ने लौटाया। 70 साल की हिस्ट्री में आपको एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम ने दूसरी बार जब वापस नाम भेज दिया है तो सरकार ने नियुक्ति नहीं की हो। इस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि लोगों की हिम्मत का एक स्थान है, न्यायपालिका......

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वे कहते हैं, ठीक है, कोर्ट में देख लूंगा तो इसे देख लूंगा के हमारे हौसले को जिन्दा रखिये, यह मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस पर दो-तीन बातें निवेदन करूंगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने मुकदमों की बातें कही हैं लेकिन, यह

(श्री संयम लोढ़ा)

देखिये कि मुकदमे पहले भी दर्ज होने में पुलिस थाने में आनाकानी होती थी। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने 29 मई, 2019 को आदेश निकाला कि थाने में अगर 154 (1) में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो एसपी के आफिस में 154 (3) के अन्दर मुकदमा रजिस्टर होगा। CCTNS में एफआईआर की एंट्री होगी, एसपी आफिस में अधिकृत 3-4 पुलिस अधिकारियों की आई.डी. का उपयोग किया जाएगा, एंट्री से थानाधिकारी को अवगत कराया जाएगा, प्रकरण पंजीबद्ध करने के दूरभाष व ई-मेल से निर्देश दिये जाएंगे, मूल रिपोर्ट को स्केन करके एफआईआर में अटैच किया जाएगा, एसएचओ CCTNS पर आई.ओ. की सूचना देगा, प्रात:कालीन रिपोर्ट में ऐसे प्रकरणों पर टिप्पणी आएगी, एसएचओ द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने की जांच करके विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ये कारण हैं मुकदमों की संख्या बढ़ने के।

महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिये हैं, एक भी महिला ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके पास अपराध दर्ज कराने आए और उसका अपराध दर्ज नहीं हो लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान की मौजूदा सरकार ने विशेष अनुसंधान इकाई महिला अपराध के बाबत गठित की है, IUCAW और दस पद उसमें दिये हैं। एक डीवाईएसपी, तीन इंस्पैक्टर, दो थानेदार, एक हैडकांस्टेबल, 3 कांस्टेबल और ड्राइवर। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे पुलिस के साथियों के सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए.....

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): डीवाईएसपी से डीजी तक 60 लाख रुपये, एएसआई से सीआई तक 40 लाख रुपये और कांस्टेबल के लिए 20 लाख सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का प्रावधान किया है।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी मुकदमों के बढ़ने का जिक्र कर रहे थे। यह सही है कि 26.43 परसेंट मुकदमे अधिक हुए हैं लेकिन मैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहता हूं कि इस ड्यूरेशन में आपके वक्त में जो निस्तारण हुए थे, उससे मुकदमों का निस्तारण इन छह महीनों में ज्यादा हुआ है। 71175 मुकदमों का निस्तारण किया है, जो आपके कार्यकाल के पिछले साल की तुलना में 9 परसेंट अधिक है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की पुलिस को सैल्यूट करना चाहता हूं। किस बात के लिए करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने उस जज्बे को हमारे सामने जिन्दा रखा है कि सब कुछ इतना बिगड़ा नहीं है। बांसवाड़ा में एक 14 साल की लड़की से बलात्कार हुआ, उसका बच्चा मृत पैदा हुआ, पता करने का कोई रास्ता नहीं था कि उसके साथ अपराध करने वाले लोग कौन हैं। जो भी पुलिस अधिकारी था, आईओ था, एसपी था, राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि 23 लोगों का डीएनए मिलान बांसवाड़ा की पुलिस ने किया और डीएनए मिलान करके असली अपराधियों को पकड़ लिया। इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं ब्यावर की आपको बताता हूं, 6 साल की लड़की से रेप हुआ, पुलिस ने अज्ञात पुलिस वाले पकड़े।

माननीय सभापति महोदय, बातें करने से कुछ नहीं होता। राजस्थान, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो जो आपके वक्त में आया, छठे नम्बर पर था। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो चूरू में गृह मंत्री के रूप में बैठक ली थी, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। 'पुलिस का बर्ताव ऐसा कि मुझे गृह मंत्री बने रहने का हक नहीं, अपने ही विभागों के कामों से शर्मिन्दा, लोग गुंडों से ज्यादा पुलिस से परेशान दिख रहे हैं, जन सुनवाई के दौरान जनता ने जिस तरह से मुझे बोला है, वह शर्मिन्दा करने वाला था।' उस बैठक में पांच और मंत्री भी मौजूद थे माननीय सभापति महोदय। इससे ज्यादा कोई कथन बताया नहीं जा सकता। इनके वक्त में सितम्बर, 2018 के आपको कुछ फीस बता रहा हूं, भीलवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में साढ़े चार रुपये लेकर पुलिस ने चाचा से समझौता करवा दिया, पीड़िता की बहन के इस्तगासे पर मुकदमा हुआ, एक अख़बार ने स्टिंग किया 80 किलोमीटर दूर से सितम्बर, 2018 में, ट्रक लेकर आये, कैसे बजरी के साथ पुलिस भी बिकाऊ होती गई, भास्कर ने खरीदी 25,000 में पांच टन बजरी, पांच जगह पुलिस ने घूस में लिए 8 हजार रुपये, 80 किलोमीटर सफर तय करके बजरी.....

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं खतम करूंगा, वाइंड-अप कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। सहयोग करें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री मदन दिलावर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सुनिये, आपको निर्णय उससे करना पड़ेगा माननीय सभापति महोदय, कि जिस वक्त आप शासन में थे, देश के दूसरे शहरों में आपकी क्या स्थिति थी। आप देखिये उत्तर प्रदेश का..... सुझाव तो देने दो, दो मिनट। दो मिनट सुझाव दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, आप विराजिये। विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है, किसी का अंकित नहीं होगा। विराजिये। समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से विनती करना चाहता हूं कि आप लॉ एण्ड आर्डर और इन्वेस्टिगेशन को सैपरेट करिये।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अब आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दूसरा, आपके पास एएसआई तो आधे हैं नहीं, थानेदार भी आधे हैं नहीं तो आपके पास जितने पढ़े-लिखे पुलिस के कांस्टेबल हैं, आप छोटे मामलों में उनको इन्वेस्टिगेशन का पावर दीजिये जिससे आपका दबाव कम हो सके और उनका भी उत्साह बढ़ सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो झूंठे मुकदमे हो रहे हैं, आप जयपुर के अन्दर अगर पिछले छह महीने का भी देखेंगे, इस छह महीने का भी देखेंगे तो 70 परसेंट अपहरण के मुकदमे झूठे पाये गये, पिछले साल भी और इस साल भी लेकिन अभियोजन पक्ष कोई कार्यवाही नहीं करता इसलिए अभियोजन पक्ष को आप सुदृढ़ करिये। जो हमारे यातायात पुलिस के कार्मिक हैं, आप उनको इलैक्ट्रोनिक ट्रांसपोंड़र दीजिये, कैमरे वाला सिस्टम दीजिये जो हैदराबाद में है...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मदन दिलावर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, एक और आखिरी बात, अब आप राज में आ गये हो, वह तो आप बताना जवाब में कि ये जो बातें कर रहे थे न एसीडी की, उस एकल पट्टा वाले प्रकरण के अंदर, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं, 90 बी के अंदर कहां लिखा हुआ है कि आप किसी कम्पनी को पट्टा नहीं दे सकते हैं या आपको किसी व्यक्ति को ही पट्टा देना है। टार्गेट करके एसीडी के माध्यम से एक...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक आईएएस अफसर को और एक आरएएस अफसर की जिंदगी को खराब करने का काम इस सरकार ने किया है और टार्गेट लिस्ट दी गई है एसीडी को कि इन-इन जनप्रतिनिधियों को फंसाना है, इन-इन अधिकारियों को फंसाना है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, वह आदमी जिसने उसे पट्टा प्रकरण में जेडीसी रहते हुए मामला रिकमंड किया था, उसी आदमी ने यूडीएच का सैकेट्री रहते हुए उसको रिजैक्ट किया और जिस संधु ने फाइल पर ही आर्डर कर दिया था कि पट्टा निरस्त कर दिया जाए, उसके बाद भी टार्गेट करके उस आदमी को आपने मुकदमे के अंदर बुक किया, अगर आपने उस पर न्याय नहीं किया तो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी आपको कभी माफ नहीं करेगी।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर। कृपया शांत रहें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं आबकारी से अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूं। शराब बहुत खराब है और पूरे देश को बर्बाद करके रखा है और गरीबी का मुख्य कारण एक शराब भी है, परन्तु सरकार निरन्तर इसको संरक्षण देती जा रही है, बढ़ाती जा रही है और इससे इनकम करती जा रही है। मेरा मानना है कि शराब से कभी आय नहीं होती है, शराब से जितने अपराध होते हैं, जितनी उसमें पुलिस लगती है, जितना अदालतों का समय जाया होता है, जितना चिकित्सालय का खर्चा होता है, सारा का सारा जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि आय माइनस में जाती और पोजिटिव नहीं होती है, सरकारों को आय नहीं होती है। फिर भी कुछ अर्थशास्त्री यह कहकर इसको बरकरार रखना चाहते हैं, शराब को लगातार चालू रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं है। ये ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, सरकार लगातार आबंटित दुकानों का अमाउंट बढ़ाती रहती है, कभी 10 परसेंट, कभी 20 परसेंट, कभी 30 परसेंट, यहां तक भी कोई बात नहीं, पर जो दुकान आबंटित करती है, उसकी ब्रांचें खोलने की अघोषित रूप से अनुमति दे रखी है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी एक ग्राम पंचायत में 10 गांव हैं और लाइसेंस एक है तो दस की दस गांव में ब्रांचें है, परंतु मेरे यहां माननीय धारीवाल जी जवाब देते हैं कि एक भी दुकान अवैध नहीं है। धारीवाल जी, इतना असत्य बयान कम से कम इस राजस्थान की विधान सभा में तो न करें। मैं लाया हूं, मैं खुद गया हूं, फोटो खींचकर लाया हूं, दुकानों पर होकर आया हूं, वह आपको भी बता देता हूं।

(श्री मदन दिलावर)

मैं बात करूं, कोटा शहर के वार्ड नम्बर 24 में एक दुकान है, 10 दुकानें अवैध चल रही हैं। सरकारी डिस्पेंसरी के पीछे नीचे मकान में, वार्ड नम्बर 24 में नया गांव है मां की रसोई रेस्टोरेंट के पास वाली गली में, वार्ड नम्बर 4 में ही आवरी रोड पर संजीवनी स्कूल के पास, उसके बाद नया गांव में भील बस्ती में, आवरी में बाबा भूत की मंदिर के पास, रावतभाटा रोड पर नया गांव पानी की टंकी के पास, ये एक दुकान की ब्रांचें हैं।

मैं बात करूं डोलिया पंचायत की, तो डोलिया गांव में दो ब्रांचें हैं। किशनपुरा गांव है, उसकी दो ब्रांचें हैं। ऐसे गिरधरपुर हाउस में दो ब्रांचें हैं। ऐसे ही लगभग सब में ब्रांचें हैं, जिनकी मैं फोटो भी प्रस्तुत कर रहा हूं, फोटो भी दिखा रहा हूं सदन को कि मैं खुद जाकर के फोटो खींचकर लाया हूं लोगों से बात की है कि हां हम तो रोज ले जाते हैं लेकिन सदन में गलत जवाब दिलाने के लिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करोगे? क्या नीचे से जिला आबकारी अधिकारी रहता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करोगे क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा जवाब सुनेंगे आप, आप अपना सवाल पढ़ लीजिए, या तो सवाल को किस तरीके से पूछा जाता है, इसकी टेक्निक समझ लीजिए, आपने पूछा कि अवैध दुकान क्या होती है, दुकान वह होती है, जिसको शाप एण्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस मिला हुआ हो, ये जो ब्रांचेज की बात आप कर रहे हैं, ये दुकानें नहीं हैं। मेरा जवाब सही है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं इनका जवाब भी पढ़कर सुनाता हूं। इनका जवाब है, आबकारी जिला कोटा व बारां में नियमानुसार स्वीकृत होकर संचालित मदिरा दुकानात के अतिरिक्त कोई भी अवैध मदिरा संचालित नहीं है। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है इसका मतलब?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने दुकानों के बाबत पूछा है और मैंने यही कहा कि कोई भी दुकान अवैध नहीं है।

श्री सभापति: इसका मतलब यह है कि दुकान लाइसेंस की है वे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वे दुकानें नहीं हैं, वे घर में बिक रही है चुपचाप...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): चलो मेरी गलती हो गई तो क्या इन ब्रांचों को अधिकृत मानते हो, इन ब्रांचों को चलने दोगे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ब्रांचें चल रही हैं, जिनकी देखरेख में जहां पुलिस है, आबकारी अधिकारी है, सब है, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करोगे? क्यों नहीं करोगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): निश्चित तौर पर अगर गलत पाए गये तो कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही हुई भी है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं कहता हूं, मैंने जो कहा एक भी बात गलत साबित हो जाए तो राजस्थान की विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा मैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोटा शहर में ही कार्यवाही हुई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात कहें। हर बात में क्वेशचन नहीं पूछें, आप अपनी बात कहें। मंत्री जी जवाब देंगे, तब जवाब दे देंगे। आप अपनी बात कहें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, मैं इनसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो इतना निवेदन कर रहा हूं। फिर और देखें सुकेत में गोरिया की खान पायगा में, देवली खुर्द में ब्रांच चल रही है, चांद बावड़ी में ब्रांच चल रही है। फिर वहीं कोटा शहर में वार्ड नम्बर 24 में गाडीवाला बस्ती में, विधायक कालोनी में, मदन दिलावर के मकान के सामने, जो न्यू मेडिकल कालेज का रास्ता जाता है, उस झौपड़ी में दुकान चल रही है। हरिओम नगर कच्ची बस्ती में, कृष्णा नगर में चल रही है और अजय आहूजा नगर काली माता के पास चल रही है वार्ड नम्बर 25 में, अजय आहूजा नगर में श्मशान रोड पर चल रही है। ऐसे ही अनेक दुकानें हैं। ये चाहे तो मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा।

मेरा निवेदन यह रहेगा लोगों को मरने के लिए मत छोड़ो, शराब पीकर के पत्नी की हत्या कर देता है, बच्चों की हत्या कर देता है, मां की हत्या कर देता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, इतने के बावजूद भी....

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं होगा। विराजिए आप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरी प्रार्थना है कि जो अवैध शाखाएं चल रही हैं आपने एक अधिकृत रूप से दुकान दे रखी है, उसकी शाखाएं चल रही हैं, उसको रोकें, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। ये मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर के।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यहां पर कहा गया है कि हम सारी की सारी एफआईआर दर्ज करते हैं और यहां से आर्डर भी हुए हैं मुख्य मंत्रीजी के, डीजी साहब के उस पर दस्तखत भी हैं और आर्डर भी प्रसारित हुए। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र का अतारांकित प्रश्न था, 860 के जवाब में दिया है। मैं बताना चाहता हूं रामगंज मण्डी का एक हाल। मैंने पूछा था कि रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में 15 दिसम्बर, 2018 से 10 जून, 2019 तक कितने मामले दर्ज हुए हैं और कितने परिवाद और कितने आवेदन आए हैं। ऐसा मैंने पूछा, आए तो कितने हैं 2428, 2428 लोग अपनी वेदना लेकर आए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है, मारपीट हुई, बलात्कार हुआ है। लूट हुई है दर्ज कितने हुए, माननीय सभापति महोदय, 267, आए 2418, दर्ज हुए 267 सारे के सारे मामलों में ऊपर लेन-देन करके, आज भी परिवाद पड़े हुए या डाल दिये गये हैं। मेरा इतना निवेदन है इस सरकार से सारे 2428 परिवादों को वापस निकलवाएं, उन आवेदनों को देखें और दुबारा पूरी जांच कराएं और जांच कराकर एक-एक प्रकरण पर कार्यवाही करें तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों के साथ लूटपाट हुई है। कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, उन पर कार्यवाही नहीं हुई। कितनी लूट की घटनाएं होती हैं, डकैती की घटनाएं होती हैं, उन पर कार्यवाही नहीं हुई। कितने 307 के मुकदमे हुए तो उन पर कार्यवाही नहीं हुई, पता चल जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही एक दूसरे थाने का बताना चाहता हूं तुलनात्मक, दूसरे थाने में तो क्या होता है और रामगंज मण्डी में क्या होता है? मैंने अटरू थाने का भी पूछा था तो अटरू में 1012 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 846 में चालान पेश कर दिया। यानी ये उसकी अपेक्षाकृत काफी ठीक है इसलिए, माननीय सभापति

(श्री मदन दिलावर)

महोदय, यह कहना कि यहां पर सभी लोगों को न्याय मिलता है, ठीक नहीं है। आमजन में विश्वास होना चाहिये था वह नहीं हुआ, आमजन में डर बैठा हुआ है। आमजन डरा हुआ है थाने में जाने से डरता है, थानेदार खुद चोरी करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक थाने में गया, जाकर मैंने रेत का ढेर देखा तो मैंने पूछा कि यह रेत कहां से आयी तो बताया कि यह तो सरकारी थाना है, यह तो आएगी ही आएगी। मैंने कहा यह तो एक किसान लेकर आया था रेत, आप तो उसकी उठा लाये और 36 हजार रुपये जुर्माना कर आये तो बताया कि साहब, यह तो सरकारी है, यह तो आएगी ही आएगी। मैंने माइनिंग अधिकारी को बुलाया और पूछा कि रेत कहां से आई तो वह बोला कि साहब, यह तो सरकारी है। मैंने कहा कि मैं आपकी शिकायत करूंगा। आपके खिलाफ कार्यवाही कराऊंगा। फिर 34 हजार रुपये की रसीद कटाई और थानेदार ने किसके नाम से कटवाई, किससे पैसा लिया, और माइनिंग की 34 हजार रुपये की मैंने थानेदार से रसीद कटवाई तब जाकर मामला शांत हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि थाने में बैठकर के खुद थानेदार बजरी का धन्धा कर रहे हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। मुझे इसके लिए धरना देना पड़ा और ये कह रहे हैं कि कार्यवाही हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो एसपी के पास दर्ज होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब आपके सारे थाने नाकारा हो चुके हैं। आपको उन पर विश्वास नहीं रहा है और इसलिए एसपी के आफिस में दर्ज होगी। थाने में जाने से व्यक्ति कितना डरता है तो एसपी आफिस में जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो सकती। यह और मुकदमे नहीं करने का, यानी मुकदमों को और कम करने का, यानी ज्यादा अपराध बढ़े और एसपी के आफिस में कोई डर के मारे जाए नहीं इसलिए षड्यंत्र किया है कि कम से कम मुक़दमे कैसे उजागर हों। अपराधियों को संरक्षण कैसे मिले उसका षड्यंत्र हुआ है। होना तो यह चाहिए था, माननीय सभापति महोदय, यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो एप्लीकेंट कहीं भी जाकर एसएमएस करे एसपी को, डीवाईएसपी को, व्हाट्स अप करे, ई-मेल करे तो तुरंत सूचना मिलते ही महिला के घर जाए और कहे क्या हुआ है। वहीं बैठ करके रिपोर्ट दर्ज करे। वहीं बैठ करके बयान दर्ज करे तो मैं समझता हूं कि

(श्री मदन दिलावर)

कुछ राहत मिल सकती थी पर राहत देने की कोशिश नहीं की गयी। उनको परेशान करने की कोशिश की गयी। अब पूछा जाए कि इतने दिनों में कितने मुकदमे एसपी के आफिस में दर्ज हुए होंगे। मैं समझता हूं नगण्य। प्रतीकात्मक हुए होंगे। जिस रफ्तार से थानों में दर्ज होते थे उससे भी कम हो गये। इसलिए महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, और उसका एक जीता-जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूं। रामगंज मंडी में एक प्रतिभा हत्याकांड हो गया। प्रतिभा नाम की महिला को उसके सास-ससुर और देवर ने रस्सी गले में डाल कर मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टर ने लिखा कि दम घुटने से मौत हुई है लेकिन इसके गले पर काफी खरोंचें हैं और उसने सब खरोंचों का वर्णन भी किया। तीन दिन तक पुलिस ने कोई चर्चा ही नहीं की। जब वे भाग गये, जब मारने वाले फरार हो गये, उसका तीया भी नहीं किया, बहू के तीये की रस्म तो पूरी करते, सास-ससुर उसके पहले ही फरार हो गये, फिर अब ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से दो लोग पकड़ में आये। आज भी दो मुख्य मुलजिम पकड़े नहीं गये हैं। रामगंज मण्डी का एक-एक व्यक्ति कह रहा है चूंकि इसमें पैसे का बड़ा लेन-देन हो गया है इसलिए सारे के सारे अधिकारी चुप हैं। माननीय सभापति महोदय, इतने बड़े हत्याकांड के मुलजिम पकड़े न जाएं, क्यों नहीं पकड़े जाएं? क्या प्रयास हो रहे हैं? कोई प्रयास नहीं हो रहा है। ठंडे बस्ते में मामला चला गया है। मेरी मांग है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): देखिये, माननीय सभापति महोदय, मैंने 2.40 से बोलना शुरू किया था उसमें तीन मिनट वह खा गये। 2.43 पर बोलना चालू किया है।

श्री सभापति: आसन को यह निर्देश देने की जरूरत नहीं है। आपको आसन निर्देश देता है कि अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बारां शहर में किस प्रकार से दबंग लोग, गुंडे लोग, बदमाश लोग, सम्पत्तियों को हथिया रहे हैं। एक जैन परिवार है, धीरेन्द्र नाम का व्यक्ति है, उसके पिताजी ने 1955 में जमीन खरीदी। उसने एक छोटी-मोटी दुकान लगायी थी। वह दुकान उसकी चली नहीं। बाद में मकान बनाने

(श्री मदन दिलावर)

लगा। उसने नगरपालिका से परमीशन ली। नगरपालिका से परमीशन मिल गयी। फिर वह निर्माण करने लगा तो नगरपालिका ने यह कहा कि इसके निर्माण की जो परमीशन दी है, इसकी जांच करेंगे। जांच करने के नाम पर उसको रोक दिया। स्टे दे दिया, फिर वह कोर्ट में गया। कोर्ट ने लोक अदालत में भेज दिया, लोक अदालत में वहां के ईओ का और उसका समझौता होता है और समझौते में खुद लिखकर आते हैं कोर्ट में कि इनका निर्माण वाजिब है और मैं किसी भी प्रकार से इसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, दखलंदाजी नहीं करने का वादा करके आने के बाद उसमें पूरी दखलंदाजी की गयी।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य। सबको बोलना है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): और वहां के लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जो वहां मदरसा चलता है, उसके लोग हैं वे उसको धमकाते हैं कि पाँच करोड़ की जमीन है, आप यहां निर्माण नहीं करोगे। आपका काम तो उधर चार मूर्ति की तरफ महाराणा प्रताप चौराहे की तरफ है। यह हमारा इलाका है, यदि बेचना हो तो पचास लाख में बेच जाइये। नहीं तो यहां निर्माण नहीं कर सकते हो।

श्री सभापति: श्री दानिश अबरार।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): फिर इसमें वहां का एसपी और वहां का कलेक्टर सहयोगी बन जाता है। उसको तोड़ने के लिए एसपी दो सौ पुलिस वाले भेजते हैं। ईओ मांगता है 15 लोग और जाते हैं 200 लोग।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, समाप्त करें। सहयोग करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उसके निर्माण को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह जबरदस्त गड़बड़ हो रही है, माननीय सभापति महोदय। यह बारां शहर में हिन्दू विहीन करने का षड्यंत्र चल रहा है उस इलाके को। कई मकान खरीद लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि..

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये, सहयोग करें। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये। मुझे पता है आप कौन से वक्ता हैं। प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, निर्देश मानिये सहयोग करें। प्लीज विराजिये। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं शोर्ट में कर रहा हूं। इसलिए मैं निवेदन यह कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, कि जिस प्रकार से हिन्दू विहीन करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, बारां को, उसकी जांच करनी चाहिए। एसपी की जांच करनी चाहिए। कलेक्टर की जांच करनी चाहिए कि उसकी स्वयं की स्वामित्व की जमीन को कैसे तोड़ने के आदेश दिये, कैसे पुलिस भेजी, क्यों भेजी और उन गुंडों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की और 10 -15 लोगों को डरा-धमका करके दो-तीन साल में वहां उनके प्लाट खरीद लिए और वहां से उनको भगा दिया है कि यह हमारा एरिया है। हिन्दुस्तान है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री दानिश अबरार।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 के अनुदान की मांग संख्या-6, 13, 16 और 17 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, मैं मेरी बात एक शेर से शुरू करूंगा क्योंकि बात आज पुलिस और न्याय की हो रही है। 'कुछ जुल्म ओ सितम सहने की आदत भी है हमको, कुछ यह है कि दरबार में सुनवाई भी कम है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है।' (व्यवधान) आपने यह तो कह दिया कि सही कहा, लेकिन किस संदर्भ में कहा वह अब आप जान जाओगे। साहब, मैंने वफा की बात इसलिए कही कि नेता प्रतिपक्ष का जब भाषण चल रहा था तो उन्होंने जिक्र किया था एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का और आंकड़े बताये जा रहे थे तीन नंबर, चार नंबर, दो लाख, पांच लाख, दो हजार केस। सर्वप्रथम मैं एक सवाल करना चाहूंगा अपनी बात शुरू करने से पहले कि एनसीआरबी की बात कही गयी, सर, एनसीआरबी बनाई गई 1953 में और 1953 में एनसीआरबी बनाने के बाद उसका आखिरी पब्लिकेशन 2016 में हुआ तो मैं जानना चाहूंगा सामने बैठे मेरे साथियों से कि अगर इतने ही अच्छे आपके आंकड़े थे और इतने ही अच्छे आपकी दिल्ली

(श्री दानिश अबरार)

की सरकारों के आंकड़े हैं तो आपने एनसीआरबी का पब्लिकेशन बंद क्यों कर दिया? क्यों बंद कर दिया? आप लोगों ने इसलिए बंद किया क्योंकि जब आंकड़े खुलते हैं, जनता में जाते हैं तो उनके विश्लेषण आते हैं और जब विश्लेषण आते हैं, तो सारी सच्चाई खुल जाती है।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, कुछ आंकड़े मैं भी बताना चाहूंगा। आखिरी पब्लिकेशन एनसीआरबी का 2016 में हुआ तब तत्कालीन भाजपा का राज था और उस आखिरी पब्लिकेशन में क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया कि इस देश में नवें स्थान पर राजस्थान था क्राइम में, जिसमें मुकदमे दर्ज हुए 2 लाख 51 हजार 147, महिला उत्पीड़न में राजस्थान चौथे नंबर पर था और मुक़दमे दर्ज हुए 27422, दलित उत्पीड़न में राजस्थान तीन नंबर पर, मुकदमे दर्ज हुए 5134 और एसटी के लिए दो नंबर पर। आपने जयपुर की बात की थी, जयपुर पूरे हिन्दुस्तान में था चौथे नंबर पर, मुकदमे दर्ज हुए थे 330, जब बात चल रही थी वफा की, यह जो आंकड़ों का जाल एनसीबीआर के माध्यम से बीजेपी ने बताया था, मैं समझता हूं सामने वाले साथियों का मानना है कि न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसलिए इन आंकड़ों के खेल में नहीं जाकर यह बात बताना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है, अगर आपने कहा कि मुकदमे ज्यादा दर्ज हुए हैं तो इसलिए हुए हैं क्योंकि जब पीड़ित थाने में जाता है तो हमारी सरकार की संवेदनशीलता है कि मुकदमे दर्ज होते हैं। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता है।

सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगा माब लिंचिंग के ऊपर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भाषण में कहा कि माब लिंचिंग के ऊपर कानून बनेगा। सभापति महोदय, यह माब लिंचिंग चीज क्या है? जब यह माब लिंचिंग होती है तो इंसान जानवर बन जाता है और इंसानियत, इंसानियत का खून कर देती है। यह माब लिंचिंग होती है तो निहत्थे लोगों की बर्बरता से हत्या हो जाती है। जब माब लिंचिंग होती है तो भीड़ तंत्र कानून तंत्र के ऊपर हावी हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान में पहलू खान का प्रकरण हुआ तो गौ रक्षकों ने उस पहलू खान को गौ तस्कर बना दिया और

(श्री दानिश अबरार)

उसकी माब लिंचिंग में हत्या कर दी। मैं कहना चाहूंगा उन गौ रक्षकों से जिन्होंने इस पहलू खान की हत्या कर दी, आज हम श्री राम जी की बात करें तो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लिए लेख लिखा है। वह दोहा पढ़कर मैं सुनाना चाहूंगा-

दैहिक दैविक भौतिक तापा।

राम राज नहिं काहु हि ब्यापा॥

सब नर करहिं परस्पर प्रीति।

चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति।

इसका मतलब राम राज में किसी भी मनुष्य को दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं से परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी मनुष्य आपस में प्रेम से रहते हैं व नीति और मर्यादा के तत्पर रहकर अपने अपने मनुष्य जीवन की पालना करते हैं। यह लिखा है तुलसीदास जी ने। जो लोग माब लिंचिंग में विश्वास करके गौ रक्षक बनकर अगर हत्या करते हैं तो वह गौ रक्षक नहीं हैं, वह श्री राम जी के रक्षक नहीं हैं। मैं समझता हूं राम जी के नाम पर तबरेज की हत्या करते हैं, वह राक्षस के रक्षक हैं, श्री राम जी के रक्षक नहीं हो सकते। सभापति महोदय, माब लिंचिंग में एक भीड़ तंत्र आता है और किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है। हमें सीखना पड़ेगा कि घर के परिवार का आदमी जाता है उसका दर्द क्या होता है, परिवार पर क्या बीतती है, पीड़ा क्या होती है। उस परिवार का पालन पोषण आगे कैसे होगा, इसके दर्द का एहसास हमें सीखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और आज बनास नदी मेरी विधान सभा क्षेत्र में से जाती है। मैं जब से विधान सभा का सदस्य बना हूं, बजरी को लेकर सब चिंतित होते हैं। उधर से भी चिंता होती है, इधर से भी चिंता होती है। सभापति महोदय, मैं बजरी के लिए दो मिनट बोलना चाहूंगा, इसका इतिहास बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, 1 अप्रैल, 2011 से 30 अप्रैल, 2013 तक के लिए हमारी सरकार में नवलसिंह राणावत जी के नाम पर आरसीसी ठेका दिया गया था, जिसमें सवाईमाधोपुर था, खंडार था, मलारना डूंगर था और चौथ का बरवाड़ा था। और पैसे कितने लिए जाते थे, 8 टन अगर ट्रैक्टर में जाता था तो पैसे लिए जाते थे 180 रुपये, 16 टन अगर ट्रक

(श्री दानिश अबरार)

में जाता था, पैसे लिए जाते थे मात्र 370 रुपये और अगर 30 टन का ट्रोला जाता था तो पैसे लिए जाते थे मात्र 700 रुपये। यह कांग्रेस की सरकार के जमाने में था। महोदय, उसके बाद 23 मई, 2012 को सरकार का नोटिफिकेशन आया, तब हमारी ही सरकार थी, हमने कहा कि यह आरसीसी ठेके की प्रथा बंद करेंगे और खनन के पट्टे का प्रावधान लेकर आये ताकि आमजन को भी बजरी खनन का काम करने का मौका मिल सके। उसके पश्चात् 25 नवम्बर, 2013 को सुप्रीम कोर्ट में सिविल रिट पिटिशन नंबर 9703/9706, 2013 लगी, जिसमें माननीय सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा कि बिना ईसी के भी खनन का प्रावधान हो सकता है और खनन की अनुमति दे दी। यहां तक थी हमारी कांग्रेस की सरकार जो आमजन के लिए भी सोच रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन दे दी थी। महोदय, उसके बाद खेल शुरू होता है, 19 दिसम्बर, 2013 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और खनन की अस्थाई कार्य अनुमति जारी कर दी। महोदय, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर कोई भी युवा होता तो किसी भी युवा को अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार नशा करा दो और जब उसको उसकी लत लग जाती है तो लत लगने के बाद उस नशेड़ी के घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले दुःखी होते हैं। यह जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 19 दिसम्बर, 2013 में किया, उसके बाद में मुझे कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि यह राजस्थान पुलिस, बजरी पुलिस बन गई। पूरे पांच साल बीजेपी का राज रहा और हुआ क्या, जब तक वहां बजरी का खनन चला, जब तक वहां पर ठेकेदार का खनन चला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस ठेकेदार की मदद करने के लिए जो काम ठेकेदार को करना चाहिये था, वह काम पुलिस के माध्यम से कराया और जब पुलिस के माध्यम से काम कराया, जो नशा कराया, जो लत लगा दी, वह लत बहुत ही बढ़ती चली गई। इसका आलम यह रहा कि बजरी खनन इस हद तक चला गया कि फिर से सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और 16 नवम्बर, 2017 को ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में बात समाप्त करें अपनी।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सर, इसके बाद मेरी एक बात और है। 16 नवम्बर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर रोक लगी। सर, आपको दो मिनट देने पड़ेंगे, बात सदन में लाना जरूरी है।

श्री सभापति: आप मिलकर माननीय मंत्री जी को नोट करा दें।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सर, जब इस पर पूरी रोक लग गई, अब इतिहास की बात तो क्या बताऊं, आपने मुझे मना कर दिया, मैं चार दिन पहले की बात बताता हूं। चार दिन पहले रोक लगी हुई है। ट्रैक्टस्ट्रोली सड़क पर निकल रहे थे, हमारे खुद के जिला कलेक्टर महोदय के सामने बजरी की ट्रैक्टर-ट्रोली निकली। महोदय, हमारे कलेक्टर महोदय ने खुद ने उन ट्रैक्टर ट्रोलियों का पीछा करके पकड़ा और पकड़ने के बाद, मुझे अफसोस है कि पुलिस को वहां आने में आधा घंटा लग गया। एक तरफ हमारे कलेक्टर साहब थे ....

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सर, एक मिनट और लेना चाहूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा। इसके बाद जब पुलिस की कार्यवाही हुई तो पुलिस ने बंद कर दिया मुहम्मद जाबिर जो पांच दिन पहले विदेश से आया था, यह उसके पासपोर्ट की कापी है। खैर, इस बात को मैं समाप्त करता हूं, एक आखिरी बिन्दु ले रहा हूं क्योंकि यह कहना जरूरी है।

सर, पुलिस कस्टोडियल डेथ की बात कहना चाहूंगा। मैं आपका दो मिनट का समय लूंगा।

श्री सभापति: आप मिलकर माननीय मंत्री महोदय को लिखकर दे देना, प्लीज समाप्त करें आप।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सर, यह बात सदन में कहना जरूरी है।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर। विराजिए माननीय सदस्य, अब मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए आप, प्लीज सहयोग कीजिए। विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, प्लीज विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। नहीं, अब अलाउ नहीं करूंगा।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): सर, एक शेर बोलकर बात समाप्त कर रहा हूं।

(श्री दानिश अबरार)

हमारे जीने का तरीका थोड़ा सा अलग है,
हम उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीते हैं,
गुजर जाएगा यह दौर भी, जब खुशी नहीं ठहरी
तो गम की क्या औकात है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, पुलिस पर सदन में जो चर्चा चल रही है, इस सदन में मेरे अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जब पुलिस का जिक्र आता है तो ज्यादा समय आलोचना की दृष्टि से बात की जाती है। पर मेरी मान्यता यह है कि आज यह जो विधान सभा चल रही है, यह पुलिस के संरक्षण में ही चल रही है। अगर पुलिस का इतना बड़ा जाब्ता हमारे संरक्षण के लिए बाहर नहीं होता तो इस सहजता से हम यहां पर बैठकर अपनी बात नहीं कर सकते थे। जो पुलिस की आलोचना करते हैं। हममें से अधिकांश के लिए अपनी सुरक्षा के लिए अगर पुलिस का गार्ड नहीं हो तो बहुत विचलित हो जाते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस समाज का दर्पण है। पुलिस का जो स्वरूप है, वही स्वरूप हमारे समाज का है। मुझे खुशी है कि राजस्थान में पुलिस के शिखर पर जो हमारे अधिकारी पहुंचते हैं, उनके कार्यकाल को व्यक्तिगत तौर पर देखने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं वे ही डीजीपी बनते हैं। मुझे इस बात को सुनकर और अख़बार में समाचार पढ़कर, जब पिछले डीजी रिटायर हुए, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि डीजी पुलिस (मुख्यालय) की प्राथमिकता को थाना पुलिस ने दरकिनार कर दिया। यह जाने वाले डीजीपी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। मेरी जो प्राथमिकता है, जो उन्होंने दिशा दी, वह थाना पुलिस में, जहां पर आम आदमी का कांटेक्ट होता है, वहां उसे दरकिनार कर दिया।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने पुलिस के संबंध में जब मीटिंग ली तो उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन में बंद होगी राजनीतिक दखलंदाजी। उन्होंने इसे सहजता के साथ कह तो दिया, मगर इसे लागू करना उतना सहज नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जिस जिले से आता हूं, उसके बगल वाले में एक निहायत ईमानदार एसपी लगाया गया था। मगर उस व्यवस्था, जिसमें से हम निकलकर आये हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हममें से बहुत पर

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

आपराधिक बैकग्राउंड के केसेज हैं और पार्लियामेंट में भी हैं। बहुत को जेल का भी अनुभव है। तो इसकी पालना करना कि दखलंदाजी नहीं होगी। हमारे अलवर से आये एक भाई ने कहा था कि उनके यहां पर शराब की अवैध दुकान नहीं चलती, ज्यादा रेट भी नहीं ली जाती। मैं उनको बधाई दूंगा, पर ऐसे कितने विधायक हैं? माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे विपक्ष के नेता और पूर्व गृह मंत्री जी, जिन्हें एक बार नहीं, दो बार गृह मंत्री रहने का सौभाग्य मिला। उन्होंने जो कुछ कहा, उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना और जब वे बोलने लगे तो मैं वहां पर था। फिर मैं यहां पर आकर बैठा। मैंने सोचा पूर्व गृह मंत्री जी अपने अनुभव से क्या कहते हैं? उन्होंने आंकड़े पेश किये। आंकड़ों के माध्यम से बहुत कुछ कहा जा सकता है और उन्होंने अपराध का ब्यौरा बताया कि हमारे समय यह आंकड़ा था और आपके समय यह है। आंकड़ों को तो रोका जा सकता है। केस दर्ज नहीं हों तो आंकड़े रूक जाएंगे। मैं यह उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी को प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने यह कहा कि केस कितने भी हों, अगर कोई आदमी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने आये, अवश्य उसकी रिपोर्ट दर्ज करें। यह बहुत बड़ी बात है। यह इसलिए कह रहा हूं कि इस साल में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। महात्मा गांधी का उल्लेख किसलिए कर रहा हूं? हमारे पूर्व गृह मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 2016 में जब वे प्रदेश के गृह मंत्री थे, उस समय महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी को, जब पूरा देश शहीदों को नमन करता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं। उन सारे शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराया। उस 30 जनवरी को जिस दिन महात्मा गांधी शहीद हुए थे, उसी दिन सांगोद में चौराहे पर लगी मूर्ति को योजनाबद्ध तरीके से हथौड़ियों से हटाकर, आदमक़द मूर्ति हथौड़ियों से हटायी गयी, एक सफेद चद्दर में लपेटी गयी। एक ठेले में लाश के रूप में उसे हटाया गया। उसका प्रकरण जब सांगोद थाने में दर्ज किया गया तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। आप आंकड़ों का उल्लेख कर रहे हैं कि इतने मुकदमे दर्ज हुए।

अभी यूपी के अंदर वही की वही घटना दोहरायी गयी, 30 जनवरी को। महात्मा गांधी के पुतले पर एक टाय पिस्टल से वार किया गया। मुझे खुशी है कि उनके खिलाफ कार्यवाही हुई और जुर्म बना। यह उल्लेख इसलिए

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

कर रहा हूं कि जो घटना 30 जनवरी को सांगोद में हुई, उसमें पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वही राजनीतिक दखलंदाजी। जब राजनीतिक दखलंदाजी होगी तो एसएचओ लेवल के अधिकारी की क्या मजाल है कि वह पुलिस में मुकदमा दर्ज कर ले।

सभापति जी, मैं सदन की जानकारी में इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जब आईजी, कोटा से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हमने इसकी लीगल राय ले ली है और कोई जुर्म नहीं बनता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि आईजी रैंक का आदमी यह बात कहे तो। मैंने कहा कि आईजी साहब, आपके माथे के ऊपर तो महात्मा गांधी की तस्वीर लग रही है। मैं अभी टेबल पर चढ़कर इस तस्वीर को नीचे उतार दूं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मगर उनको समझाने के लिए मैंने यह बात कही कि जुर्म होगा या नहीं होगा? उन्होंने कहा, होगा। मैंने कहा, आपके बंद कमरे में जुर्म होगा और वहां चौराहे पर जुर्म नहीं। आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। सभापति जी, मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बहुत कुछ व्यवस्था बिगड़ी है तो वह राजनीतिक दखल से हुई। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने राजनीति करने वालों के कुछ मुकदमे वापस हटाये हैं। यह शर्मनाक बात है। चाहे कांग्रेस हटाये या बीजेपी हटाये। उसका दुष्प्रभाव क्या होता है? उसका दुष्प्रभाव यह होता है कि जब पुलिस चौराहे पर किसी आदमी को गलत काम करने पर रोकती है तो पुलिस को यह ध्यान में रहता है कि इसको तो पहले भी रोका था और क्या हुआ उसके बाद? इस प्रकार से हम अपने राजनीतिक दलों के लोगों को खुश करने के लिए कार्यवाही करते हैं, उसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता है।

आप घंटी बजाएं, उससे पहले मैं दो-तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं पुलिस के तीन रूप देखता हूं Good, Bad और Ugly. जो अच्छा होता है, उसका भी उल्लेख हमारे पूर्व गृह मंत्री जी ने किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो बड़े-बड़े प्रकरण पकड़े, उनका उल्लेख किया। अच्छा होता कि वे कोटा का भी उल्लेख करते जहां पर यूआईटी के चेयरमैन को पकड़ा था। यह ताजी बात थी, पर उन्होंने पुरानी बातों का उल्लेख किया। एसीबी में जो काम हो रहे हैं, अगर उनका अख़बार में छप जाए। उनको अलग से हम कोई प्रोत्साहन देते हैं। मुझे पता नहीं, पुलिस में अलग से यह व्यवस्था है या नहीं, देनी चाहिए और एंटी करप्शन से संबंधित कोई आदमी किसी केस को सफल

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

करता है तो पुलिस महकमे में अलग फंड होना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाए ताकि भ्रष्ट लोग सामने लोग आएं। कुछ मसले ऐसे हैं, जिनसे आम आदमी को बहुत तकलीफ होती है और जिसको हम क्राइम कहते हैं।

माननीय सभापति जी, मेरा हमेशा से सोचना यह है कि हम जिसको अपराध की दृष्टि से देखते हैं। जो बहुत बड़ी संख्या में अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, वे इसको रोजगार की दृष्टि से देखते हैं और उनको मालूम है। उन्होंने ध्यान से सुना है, जो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज समाज में कानून का भय नहीं है। जो आदमी अनजाने में क्राइम कर देता है और जेल में जाता है, वह तो जेल से भयभीत रहता है, मगर मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो आदतन अपराधी है, उसे जेल का कोई भय नहीं है। जितना बड़ा अपराधी है, जितना बड़ा डकैत है, उसको तो कतई डर नहीं है। जब उसको इस बात का डर हो कि अब मैं बाहर सुरक्षित नहीं हूं तो वह जेल जाना पसंद करता है।

अभी एक घटना धौलपुर में हुई। जब एक डकैत को समझ में आया कि अब बाहर रहना खतरनाक है तो उसने कहा कि अब सरेंडर करने का इससे बेहतर मौका नहीं है, नहीं तो मारे जाएंगे। सभापति जी, सरेंडर कैसा होता है? पुलिस में जो अधिकारी उसके सम्पर्क में हैं, उनको बुलाया जाता है। कोई गवर्नर के यहां काम कर रहा है, उससे सम्पर्क किया गया कि इस डकैत को सरेंडर कराओ। कोई थानेदार है, क्या संकेत देते हैं, जब वह डकैती करता है तो उसको इन लोगों का संरक्षण है। जब वह आता है तो अपनी मूंछें रंगाता है, बाल रंगाता है, कपड़े नये पहनता है और उसकी बंदूकें लिए पुलिस वाले बाहर बैठे रहते हैं। यह पुलिस का अग्ली सीन है। यहां हम बात कर रहे हैं पुलिस के उच्चाधिकारियों की, जो अपराध में पकड़े गए। एंटी करप्शन के माध्यम से जिन लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा। कोटा में हमारे एक एसपी थे, शहर के एसपी। गत शासन में भ्रष्टाचार करते हुए एंटी करप्शन ने उनको पकड़ लिया, फिर बहाल किया, 2014 में पकड़ा, 2015 में बहाल किया। शासन पलटा, उसी अधिकारी को हमने डीआईजी बना दिया। क्या संदेश दे रहे हैं हम पुलिस में? राज पलटा या नहीं पलटा, उसका तो कुछ नहीं पलटा, वह तो अपनी जगह बदस्तूर है।

माननीय सभापति जी, पूरे राजस्थान में एक धंधा बन गया है, अवैध हथियारों का। बहुत सहजता से, बहुत सस्ती कीमत पर अवैध हथियार मिल जाते हैं। जो कानून में विश्वास नहीं करते हैं, उनको तो बहुत सहजता से

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

अवैध हथियार उपलब्ध हो जाता है और जो कानून में विश्वास करते हैं, उनके लिए हमने क्या व्यवस्था की है? जिस आदमी के पास पुश्तैनी हथियार था, किसान के पास अपनी फसल के लिए टोपीदार बंदूक थी। सरकार ने किया क्या है? 2015 में बंदूकों के लाइसेंस की जो फीस थी, रिवाल्वर के ऊपर 150 रुपया शुल्क लिया जाता था नये रिवाल्वर लेने के लिए। सरकार ने उसको 4000 किया। राइफल पर 100 था, 2500 रुपया किया। 12 बोर पर 100 था, 2000 रुपया किया। टोपीदार पर 50 रुपया था, 1500 रुपया किया। अब इस लाइसेंस को जब रिन्यू कराना है, सिर्फ एक शोभा के लिए उसके घर पर रखा हुआ है कि कभी कोई घर में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसका उपयोग कर सके। 150 रुपये लिए जाते थे रिन्युअल के, अब 2500 कर दिए राइफल के। इसी प्रकार, टोपीदार के जो 15 रुपए लिए जाते थे, उसको 1500 कर दिया। एक गरीब किसान खेत पर टोपीदार बंदूक कोई जंगली जानवर आ जाए भगाने के लिए, सुरक्षा के लिए है। आपने इसको कमाई का जरिया मान लिया। जो कानून में विश्वास करें, उसको तो आपने बिल्कुल उधेड़ दिया और चुनाव होते हैं, हर चुनाव में कोई आदेश नहीं है, सारे लाइसेंस जमा कराएं। यह लोग-बाग़ अपराधी हैं। कलेक्टर ने फरमान दे दिया कि आप बंदूक जमा कराइए। क्यों जमा कराएं? नहीं जमा कराओ तो पुलिस वाले रोज-रोज आ रहे हैं। लोगों को पुलिस का भय वैसे ही बहुत है। इनको परेशान नहीं किया जाए, इसका समाज में गलत असर जाता है।

कुछ बातें मैं चालान के बारे में, चालान को राजस्व का एक रूप मान लिया। टारगेट दे दिए कि आप चालान करिए और इतना टारगेट आपको अचीव करना है। वह राजस्व कमाई का जरिया हो गया। किसको परेशान करते हैं आप? कोई औरत मोटर साईकिल पर अपने बच्चे को लेकर जा रही है...

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, मेरा यह कहना है कि लोगों को इस रूप में तंग नहीं किया जाए। चालान करना है तो जो बजरी के बड़े-बड़े ट्रक हैं, इनका चालान करें। चालान करना है तो ओवरलोड़ भारी ट्रोले, जो सड़कों पर माल लेकर जा रहे हैं, उनका चालान करें। जो परेशान है, उनको परेशान नहीं करें। इससे व्यवस्था बिगड़ती है। जो आपके कांस्टेबल हैं, जिनको चौराहे पर खड़े कर रखे हैं, उसका ध्यान चौराहे पर नहीं है। उसका ध्यान शिकार पर है कि कोई आए बिना लाइसेंस के जिसको मैं

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

पकड़ सकूं और पकड़कर दोनों के दोनों कोने पर चले जाएं। जहां लोगों को तकलीफ होती है, हमें सदन में उन बातों का भी ध्यान रखना है। केवल आंकड़ों में न उलझ जाएं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे को टोकना मत। मैं अपने आप ही बैठ जाऊंगी। मेरे को जितना बोलना है, उतना बोलकर बैठ जाऊंगी। मुझे रोकना मत क्योंकि फिर मैं मेरी बात भूल जाती हूं। आज पुलिस की मांग है, कारागार की मांग है, आबकारी की मांग है, सारी मांगें हैं। मगर मैं पुलिस के ऊपर बोलना चाहूंगी क्योंकि मुझको पुलिस के ऊपर गर्व भी है। मैं खुद पुलिस आफिसर की लड़की हूं। मेरा पूरा परिवार पुलिस का है। मैं पुलिस के ज्यादा खिलाफ तो नहीं बोलूंगी मगर कुछ ऐसी बाते हैं, जो कहनी चाहिए, वह जरूर कहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस का रवैया इस सात-आठ महीनों के अंदर जिस तरीके से रहा है, मैं यह कहना चाहूंगी कि आप पिछला रिकार्ड उठाकर देख लीजिए और अभी का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। कितनी वारदातें हो रही हैं, छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसे जो बदमाश लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जोधपुर शहर एक ऐसा शहर है जो शांत शहर है। मगर आज की तारीख के अंदर कोई एक चेन पहन कर भी बाहर नहीं निकल सकता जबकि जोधपुर शहर में दस-दस, बीस-बीस तोला सोना पहनकर महिलाएं निकल रही थीं लेकिन आज एक चेन तक नहीं पहन सकती। मैं अभी चार-पांच दिन की बात बताती हूं। घांचियों का बास, दो लड़के मकान के अंदर घुस गए, हैलमेट पहने हुए और महिला ने जब चिल्लाना शुरू किया तो उसको चाकू मारा। आज भी वह हास्पिटल में एडमिट है। यह स्थिति है। पुलिस का मोरल दिनों-दिन गिरता जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि पुलिस के मोरल को ऊंचा लाएं। पुलिस का मोरल ऊंचा कैसे होगा? जब सरकार इनको मदद करेगी तो पुलिस का मोरल ऊंचा होगा।

सभापति महोदय, हर थाने में, हर चौकी के अंदर नफरी कम है। नफरी बढ़ानी चाहिए। अगर नफरी नहीं बढ़ेगी तो सुरक्षा कहां होगी? नफरी बढ़ेगी तब ही सुरक्षा होगी। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि ज्यादा

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

से ज्यादा चौकियों में एएसआई नहीं लगे हुए हैं। कई चौकियां तो ऐसी हैं जिनके ताले ही बंद हैं। ताला भी नहीं खुला होगा। कई ऐसी चौकियां हैं, जो वर्षों से गेट के अंदर हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। चौकी कहां चल रही है, नागौरी गेट के अंदर, चौकी कहां चल रही है, जालौरी गेट के अंदर, चौकी कहां चल रही है, मेड़ती गेट के अंदर, चौकी कहां चल रही है, स्वस्ति गेट के अंदर। चौकियां तो गेटों के अंदर चल रही हैं। मजे की बात यह है कि, मैं ऐसा समझती हूं और बहुत घूमती हूं। मेरे साथ भी धोखा। कोई चौकी वालों ने शिकायत की तो मैंने पूछा एएसआई कहां है? चौकी कहां है? चौकी का ही पता नहीं। चौकी का पता नहीं तो चौकी गई कहां? डिप्टी यहां बैठ गया तो चौकी कहां गई? पता चला कि चौकी मंदिर के अंदर चल रही है। मंदिर कौनसा? रामदेव बाबा के मंदिर में। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि चौकी मंदिर में लगेगी तो पब्लिक का क्या होगा? मेरे को तो खुद को बहुत घमंड है कि मेरे जोधपुर का मुख्य मंत्री है। मैं समझती हूं कि ज्यादा से ज्यादा कार्य होना चाहिए। पुलिस चौकी अगर मंदिर में लग रही है तो इससे ज्यादा तो कोई शर्म की बात ही नहीं हो सकती। पता लगाया, पहले तो कहा कि मंदिर में है। मैंने कहा कि मंदिर कौनसा, मंदिर तो खूब हैं तो बताया कि बाबा के मंदिर के अंदर चौकी लग रही है।

अब आप अंदाजा लगा लीजिए, चौकी में भी ए.एस.आई नहीं है, पूरे आदमी नहीं हैं। थाने में जाओ तो पूरे आदमी नहीं हैं। थाने में जाओगे तो पता चलेगा कि कोई डाक लेकर गया है, कोई साइकिल सवार है, कोई किसी के यहां लगा हुआ है, कोई जज साहब के यहां लगा हुआ है। इस तरह से आदमी चले जाते हैं और थाने में आदमी नहीं मिलते हैं तो जनता की क्या सुरक्षा होगी। अपन जनता की बातें करते हैं, यहां पर बैठकर बड़े-बड़े भाषण देते हैं, बातें करते हैं, मगर इस बात पर तो जाओ कि कहां तक अपनी गाड़ी पहुंचेगी और कहां जाएंगे? इस बात पर आपको सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, मैं सूरसागर विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वहां पुलिस थाने में रिक्त पड़े पदों को भरने की व्यवस्था करें। नफरी बढ़ाएं। नवीन पद सृजित करने के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के पुलिस थानों में अपुलिस क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सूरसागर ऐसी जगह है, वहां पर कुछ, मैं जाति तो नहीं बताती, मगर कुछ

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

ऐसे लोग हैं जिससे साल में दो-तीन जबरदस्त झगड़े होते हैं। पुलिस तैनात हो जाती है, दो-दो, तीन-तीन महीने तक नहीं जाती है। मैं चाहती हूं कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। मैंने अधिकारियों से कहा कि यहां सीसीटीवी कैमरे लगाओ ताकि पता चल सके कि किसने बदमाशी की, किसने नहीं? जो करता है उसका तो कुछ करते नहीं हो, जो नहीं करता उस पर करते हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फण्ड नहीं है। मैंने कहा कि हमसे दस लाख रुपये लीजिए, हम आपको फण्ड देंगे।

माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा एमएलए लैड का पैसा मैं पुलिस थानों और हास्पिटल के अंदर ही देती हूं। इसी तरीके से, शहर के अंदर सिटी पुलिस थाना है, वहां दो थाने लग रहे हैं ए और बी। उस थाने की ऐसी खराब स्थिति है कि मैं आपको क्या बताऊं। नीचे वाला तो एक करोड़ लगाकर मैंने सुधरा दिया। ऊपर वाले की स्थिति बहुत खराब है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उसके लिए जेडीए से 1 करोड 35 लाख का बजट सैंक्शन है मगर आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब तक तो वह थाना बनकर तैयार हो जाता। वह हैरिटेज थाना है। बहुत जबरदस्त थाना है, अब तक तैयार हो जाता लेकिन उसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, शहर के अंदर कंजस्टेड जगह है, आने-जाने की बहुत तकलीफ रहती है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगी कि शहर के अंदर जैसे खांडा फलसा है, जालौरी गेट है, गाछा बाजार, कपड़ा बाजार, साइकिल मार्केट है, यहां पर ई-रिक्शे चलाए जाएं। टैम्पो प्रदूषण फैलाते हैं, ई-रिक्शे चलाए जाएं, जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा पांच मिनट का सवाल और है। सूरसागर में कायलाना, माचिया सफारी पार्क, क्षेत्र काली बेरी, कबीर नगर, गेवा, बागा, बापू कालोनी में नई पुलिस चौकियां खोलने की व्यवस्था करें। सूरसागर एरिया बहुत बड़ा है और आज की तारीख में वहां पर एक भी चौकी नहीं है। चौकियां खोली जाएं ताकि जनता को सुविधा मिल सके। माइनिंग एरिया है, लोगों को काफी राहत मिलेगी। मैं आपसे विनती करती हूं कि चौकियां खोली जाएं।

इसी तरह से, देवनगर थाना नया सैंक्शन हुआ है, खुल गया है। हमारी सरकार में सैंक्शन हुआ था और वह खुल गया है। मगर वह एक रूम

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

के अंदर थाना चल रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक रूम के अंदर थाना चलेगा तो वह जनता का क्या काम करेंगे? कहां स्टाफ रहेगा, कहां टाइपिस्ट रहेगा, कहां कम्प्यूटर वाला बैठेगा, कहां महिला डेस्क होगा? कोई पता नहीं है। एक रूम में चल रहा है, किराए के भवन में चल रहा है। कितना किराया देना पड़ता है। महिला थाना भी किराए के भवन में चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन मंत्री भी हैं, कम से कम जमीन तो दिलाएं, बनाने की हम जिम्मेदारी लेंगे। कई दानदाता आ जाएंगे, हम हमारा फण्ड देंगे, एमपी साहब से लेंगे, बना देंगे, मगर जमीन देने की व्यवस्था तो करें। जमीन ही नहीं है तो फिर हम थाना कहां बनाएंगे, चौकियां कहां बनाएंगे? चौकियों का तो अभी आपको बताया कि मंदिरों के अंदर चल रही हैं, कहीं और चल रही हैं, इस तरह से व्यवस्था है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर। श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, इस प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। राजस्थान का मुख्य मंत्री मेवाड़ का गांधी है, इससे बढ़िया संयोग शराबबंदी के लिए और कोई नहीं हो सकता। मैं सदन के सभी सदस्यों से, आपसे यह निवेदन करता हूं कि शराबबंदी के लिए जनमत कराया जाए। जनता की राय जाननी जाए कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है? शराबबंदी को लागू रखना चाहती है या शराबबंदी लागू करना नहीं चाहती है?

हम सब जानते हैं कि शराब अपराधों की जननी है। बहुत से परिवार शराब के सेवन से निम्न स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं हो पाती है। परिवार की आमदनी शराब पीने में चली जाती है और उसके बाद शराब से होने वाली बीमारियों के इलाज में चली जाती है। परिवार के बच्चे व अन्य सदस्य आर्थिक परेशानी में रहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि युवा पीढ़ी का भविष्य सुधारें और परिवारों को सही जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करवाएं। केवल राजस्व प्राप्ति के लिए शराब की बिक्री का मैं इस सदन के मार्फत, आपके मार्फत विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, अक्सर शराब की दुकानें जहां लगती हैं, वहां के

(श्री सुरेश मोदी)

आसपास के लोग उसका विरोध करते हैं। नियम इस तरह के हैं कि दुकान वहीं पर लगती है जहां पर शराब का ठेकेदार चाहता है और अधिकारी उसमें सहयोग करते हैं। नियम यह है कि स्कूल और मंदिर के पास शराब की दुकान नहीं लगेगी। लेकिन स्कूल और मंदिर की जो परिभाषा है, वह इस तरह की बनाई गई है कि उसमें गांव के स्कूल और मंदिर कवर नहीं होते, उस परिभाषा में नहीं आते। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सभी स्कूलों और मंदिरों के पास शराब की दुकानें नहीं लगनी दी जाएं। घनी आबादी के बीच भी शराब की दुकानें नहीं लगने दी जाएं।

मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं। नीमकाथाना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भूदौली रोड पर एक शराब की दुकान लगाने दी। एक अध्यापिका जो प्राइवेट स्कूल चलाती थी, वह मेरे पास आई और उसने निवेदन किया कि पिछली बार भी शराब की दुकान मेरे स्कूल के पास चलती थी, वह थोड़ी दूरी पर थी। वहां पर लोग शराब पीकर लोगों को बहुत परेशान करते थे। आने-जाने वाली महिलाओं पर छींटाकशी करते थे। स्कूल पढ़ने आने वाले बच्चों पर उसका बहुत गलत असर पड़ता था।

(15.40 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

अब इस बार दुकान स्कूल के और भी पास स्थापित की जा रही है। मैंने आबकारी निरीक्षक से बात की, उन्होंने लीपापोती कर दी, जिला आबकारी अधिकारी से बात करने के लिए कहा। मैंने जिला आबकारी अधिकारी से बात की। उन्होंने भी लीपापोती कर दी कि स्कूल की परिभाषा में यह स्कूल नहीं आता। स्कूल तो स्कूल है और छोटे बच्चों का स्कूल है। ऐसी क्या परिभाषा है, जिस परिभाषा में यह स्कूल नहीं आता। मैंने भी नियमों का हवाला देकर जिला आबकारी अधिकारी से यह निवेदन किया कि इसे जिलाधीश के पास, नियमों में जो कमेटी बनाने का प्रावधान है, उस कमेटी में इस मामले को रखा जाए। उन्होंने मुझे यह कहा कि हम यह मामला जिलाधीश की कमेटी में रख देते हैं लेकिन इसकी सुनवाई, आचार संहिता लगी हुई है, इसके हटने के बाद होगी। आचार संहिता हट गई, लेकिन दुकान आज भी बदस्तूर वहां लगी हुई है। जिलाधीश की उस कमेटी की आज तक मीटिंग नहीं हुई। मैं इस सदन के

(श्री सुरेश मोदी)

माध्यम से इस मामले की जांच करने की मांग रखता हूं और जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं।

सरकार के द्वारा शराब की दुकानें खुलने की समय सीमा तय है, आठ बजे तक दुकानें खुलेंगी लेकिन किसी भी दुकान के पास जाकर देख लीजिये। ग्रामीण क्षेत्र में, आसपास में कोई न कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई न कोई ऐसी जगह मुकर्रर है, जहां पर शराब मिलती है, 24 घण्टे मिलती है। ऐसी भी जगहें हैं, जहां बैठकर पीने की भी सुविधा है। अनधिकृत दुकानों का एक खेल अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। एक पंचायत में एक अधिकृत दुकान होती है लेकिन इससे कई गुना ज्यादा अनधिकृत होती हैं। एक ठेकेदार एक दुकान के पैसे सरकार को देता है और अपने क्षेत्र में, उनके क्षेत्र बंटे हुए हैं, पुलिस की और आबकारी विभाग की मिलीभगत से कई अवैध दुकानों का संचालन करते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

अभी पिछले दिनों सरकार ने आबकारी नियमों में, मार्च, 2018 में ही परिवर्तन किया। उसका कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। मैं एक उदाहरण के जरिए मेरी बात सदन में रखता हूं। एक आयुर्वेदिक दवा आसव अरिष्ट का उत्पादन होता है, जिस पर पहले 50 रुपये का लाइसेंस शुल्क लिया जाता था और 20 रुपये बॉंड की फीस ली जाती थी। कुल 70 रुपये लगते थे। इस दवा में बाहर से अल्कोहल का कोई मिश्रण नहीं किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक द्रव्यों का समावेश होता है, जिससे सैल्फ जनरेटेड अल्कोहल 2 से 5 प्रतिशत उत्पन्न होता है। अब आबकारी विभाग ने मार्च, 2018 से लागू नये नियमों में ऐसे उत्पादों की अलग श्रेणी को न रखकर अफीम, भांग और ज्यादा अल्कोहल युक्त जो औषधियां हैं, उनके साथ में ही इसको रख दिया है। कोई अलग श्रेणी नहीं की, जिसकी वजह से इनका वार्षिक शुल्क 30 हजार रुपये, 70 रुपये की जगह 30 हजार रुपये सालाना हो गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि आसव अरिष्ट जैसे उत्पादों को इस भारी फीस से छूट दी जाए ताकि इन आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण चालू रह सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार का निवेदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि पुलिस की कार्य

(श्री सुरेश मोदी)

प्रणाली की वजह से पुलिस से केवल गरीब और आम आदमी डरता है। अपराधी पुलिस से नहीं डरता है। यही कारण है कि हमारे राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। राजस्थान पहले बहुत शांतिप्रिय राज्य था। हम पहले सुनते थे कि बिहार में, यू.पी. में बड़े-बड़े जघन्य अपराध होते हैं लेकिन वही अपराध आज हमारे यहां आम हो गये हैं। यह भी आम धारणा है कि अपराध पुलिस की सांठ-गांठ से होते हैं। अपराधी निरंकुश घूमते हैं एवं पकड़े जाने पर जल्दी छूट जाते हैं। बाहर आने के बाद फिर अपराध करने लग जाते हैं। आज महिलाओं व एस.सी., एस.टी. से सम्बन्धित कानूनों का भी गलत उपयोग किया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन कानूनों की समीक्षा की जाए और इनके गलत उपयोग को रोका जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): एक मिनट। आज हालात यह हैं कि आम आदमी की रिपोर्ट बगैर सिफारिश दर्ज नहीं होती। दर्ज हो जाती है तो लम्बे समय तक कार्यवाही नहीं होती। कार्यवाही होती है तो सभी अपराधियों पर नहीं होती। अगर होती है तो उसमें कुछ धाराएं, जो हल्की हैं, उन्हें जोड़कर ही निपटारा कर दिया जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): मैं पुलिस के खाली पदों को भरने का भी सरकार से अनुरोध करता हूं एवं जरूरत के हिसाब से थानों में नये पद स्वीकृत करने का भी निवेदन करता हूं। मैं पुलिसकर्मियों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि करने एवं पुलिस को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने का भी अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री निर्मल कुमारजी कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सभापति महोदय, पुलिस के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। मैं ज्यादा समय न लेकर केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा।

कई बार दीया तले भी अंधेरा होता है कि जयपुर जिला राजधानी जिला है, और जैसा अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि जोधपुर में भी नफरी की स्थिति ठीक नहीं है तो मैं समझता हूं कि जयपुर में तो होने का सवाल ही नहीं है। मेरे यहां जितने भी थाने हैं, लगभग 25 से

(श्री निर्मल कुमावत)

30 प्रतिशत स्टाफ की भारी कमी है। एक सबसे बड़ी तकलीफ है, स्टाफ की पोस्टिंग की। मैं पूरे सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा और आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि बारबार मांग उठी कि राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो मगर राजनीतिक हस्तक्षेप भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। मेरे यहां तमाम जितने भी आफिसर्स हैं, पुलिस के अलावा भी जितने भी महकमे हैं, सब जाति-विशेष के लिए आरक्षित हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, जनता यह सब देख रही है।

सभापति महोदय, अभी हाल ही में मेरे यहां पर 14 जुलाई को एक घटना हुई। एक पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। पंचायत द्वारा उपखण्ड अधिकारी को लैटर लिखा गया कि हमें पुलिस जाब्ता दिया जाए। उपखण्ड अधिकारी ने डीवाई.एस.पी. को लिख दिया कि आप जाब्ता उपलब्ध कराएं। सेम-डे लैटर चलकर सेम-डे उनको जाब्ते की इजाजत मिल गई। 14 तारीख, जो इतवार का दिन था, अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही की गई। पंचायत द्वारा लगभग 65 आदमियों को नोटिस दिया गया लेकिन कार्यवाही केवल सात पर की गई तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह पुलिस को भी देखना पड़ेगा कि पुलिस की आड़ में राजनीति न हो। आप तो अपना काम करने गये हैं, अधिकारियों की ड्यूटी बजा रहे हैं। मगर उसमें भेदभाव हुआ, तब लोगों ने आब्जेक्शन किया और पट्टेशुदा जिनके कागज कमप्लीट थे, उन्होंने अपनी बात रखी तो पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। पुलिस का उसमें काम भी नहीं। पुलिस तो यही कहती रही कि हम तो हमारे अधिकारियों के आदेश की, ड्यूटी की पालना कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं हों, यह पुलिस को देखना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर हो सकता है कि मैं खुद भी गलत काम करवा रहा हूं तो वह काम कैसे बचे इसके लिए आपको देखना पड़ेगा।

दूसरा, कई बार हमको देखने को मिला है कि 50 प्रतिशत स्टाफ किसी समुदाय विशेष का हो जाता है और अन्य स्टाफ थोड़ा-सा रह जाता है। आप यह बताइये, कभी कोई डी.आई.जी. या कोई डी.जी. या आई.जी. या एस.पी. कोई गिरफ्तारी करने नहीं जाते, पुलिस थाने के अन्दर बैठकर सीधी-सीधी कोई कार्यवाही नहीं करते। आम आदमी का काम पड़ता है तो सबसे पहले थाने में ही जाता है। उसको वहां कांस्टेबल या थानेदार ही मिलता है।

(श्री निर्मल कुमावत)

अगर उसको वहीं न्याय मिल जाएगा, उसकी वहीं निष्पक्ष सुनवाई हो जाएगी तो कभी आला अधिकारियों तक जाने की भी नौबत नहीं पड़ेगी। सरकार ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि एस.पी. आफिस में भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। मगर एस.पी. तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, साहब। जब थाने में जाने के लिए आदमी डरता है तो एस.पी. तक जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि सेम जाति के या समुदाय के लोग एक जगह न हों, आप इस पर थोड़ा गहनता से विचार करें। कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है।

दूसरी बात, अतिक्रमण वाली मैंने आपको निवेदन कर दी कि सरकार इसको गम्भीरता से ले और भविष्य में इस प्रकार की कोई मनमर्जी न हो। किसी आफिसर द्वारा ड्यूटी पर कोई कोताही नहीं की जाए। पूरी नियम-प्रक्रिया से सबके साथ बराबर कार्यवाही हो, इसकी आप कार्यवाही करें लेकिन कुछ काम पुलिस से जबरदस्ती भी करवाये जा रहे हैं। अभी बजरी की बात यहां बार-बार उठी थी। निश्चित तौर पर कानून के खिलाफ है, सब है। पुलिस को उस पर पूरी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। मगर जब पुलिस का काम अपराध को रोकने का है, अन्य हमको हजार काम करने हैं, कानून व्यवस्था बनानी है तो यह 24 घण्टे काम पुलिस का भी नहीं है कि वह बजरी के ट्रक पकड़ती रहे। उनको थाने के अन्दर रखने की भी जगह नहीं है। जयपुर के, राजधानी के जितने भी थाने हैं, मैं समझता हूं पैर रखने की भी जगह कहीं नहीं बची। मैं सरकार से यह चाहूंगा कि इस प्रकार के कामों में सरकार भी दखल देकर पुलिस का थोड़ा भार कम करे। यह काम, व्यवस्था दूसरे को भी दे।

यातायात के बारे में भी मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राजधानी में लगातार हादसे हो रहे हैं। अभी हाल ही में तीन-चार हादसे जयपुर में हुए हैं। इसमें सब लोग राजनीति से ऊपर उठकर, पूरा सहयोग प्रशासन का करके, जैसा कोटा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि परिवार को तकलीफ नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए और जितना भी यूथ है या जो युवा हैं, जो कानून की पालना नहीं करते हैं, उन पर बिना किसी राजनीतिक दखल के सख्त कार्यवाही करें। इतनी ही बात कहकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गजराजजी खटाणा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के तहत, बहुत ही गंभीर विषय के बारे में आपको बताना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार आप बैठ जाइए। एक मिनट आप बैठ जाइए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, कोटा में 90 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग जो पेंशनर्स हैं, वह धरने पर बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। कृपया, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, प्लीज आप बैठ जाइए। अंकित नहीं होगा, आप बैठ जाइए। आप एक बार बैठ जाइए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: हां, खटाणाजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): पाइंट आफ आर्डर तब उठाया जाता है, जब नियमों का उल्लंघन हो।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, आपने पुलिस, आबकारी, कोर्ट और जेल की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

सबसे पहले मैं पुलिस की बात करना चाहूंगा। पुलिस के बारे में एक तरह से जनरल पर्सेप्शन है कि लोग पूरे समाज में और जहां पर भी इनकी पोस्टिंग होगी, जहां पर भी यह अपना काम करेंगे, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गयी है। हम इस बात के लिए कोई न कोई आयोग गठित करें, कमेटी गठित करें, हम कोई ऐसा काम करें जिससे पुलिस की जो नेगेटिव इमेज है, वह किसी तरह से कोई पाजिटिव रूप में बदले और एक सहयोगी के रूप में समाज के, अपराधों को रोकने के लिए सहयोगी के रूप में अपना काम शुरू करे। इसमें भी संदेह नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां से हम आते हैं, मैं बांदीकुई से आता हूं तो वहां जब मैं गांव में जाकर देखता हूं तो पुलिस की कार्य प्रणाली अपने आपमें इस तरह का एक मिसाल पेश करती है कि हम लोग

(श्री गजराज खटाणा)

अगर कहीं बोल देंगे तो वह पाजिटिव काम कर देंगे अन्यथा इनजनरल वह लोग काम ही कुछ और करते रहते हैं। यहां पर कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। मैं जब गांव में देखता हूं तो उनका काम है ट्राली पकड़ना, लोगों की बजरी जा रही है, वह पकड़ लेना। पत्थर जा रहा है, वह पकड़ लेना। कहीं रोड पर खड़े होकर वसूल करना, इस तरह का एक चक्रव्यूह बन गया है और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई अकेले पुलिस से यह काम नहीं होने वाला है। हम सब लोग जन-प्रतिनिधि और जो भी इससे संबंधित लोग हैं, वह इसको रोकने का प्रयास करें तो मैं कई बार यह महसूस करता हूं कि पुलिस की कार्य प्रणाली में डाइरेक्ट दखलंदाजी कहीं न कहीं हम जन-प्रतिनिधियों को करनी चाहिए और ऐसी एक व्यवस्था करनी चाहिए पुलिस अधीक्षक लेवल पर, डी.सी.पी. लेवल पर कहीं न कहीं इनको इन्वाल्व करके ऐसी कोई पाजिटिव कार्य प्रणाली बनानी चाहिए ताकि वह लोग इस तरह की कार्य प्रणाली में संदिग्ध नहीं रहें।

बजरी एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि आप किसी भी जिले में चले जाइए, वहां पर बजरी अपने आपमें एक मुद्दा है और वसूली का एक तरीका बन गया है, एक साधन बन गया है। इसको हमको रोकने के लिए सख्ती से सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक और सभी चाहे वह राजनीतिक लोग हों, चाहे वह पुलिस के लोग हों, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, पर बजरी के इस पूरे चक्रव्यूह को रोकने के लिए सब चाहते हैं कि यह रुके पर यह रुक नहीं पा रहा है तो इसको रोकने के लिए हमें कोई न कोई व्यवस्था क्रिएट करनी चाहिए।

साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र बांदीकुई में मैंने यह मांग की है कि वहां पर एक महिला थाना खोला जाए ताकि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, उनकी जल्दी से जांच हो जाए और सही तरीके से जांच करके केस अंजाम तक पहुंचें।

बात रही कोर्ट की, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहकर, मेरे बांदीकुई क्षेत्र में दो ए.डी.जे. कोर्ट हैं पर वहां पर इतना कंजेशन है कि वहां पर न तो खड़े रहने की जगह है और न वकीलों के बैठने की जगह है तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इसके लिए अलग से व्यवस्था करके जमीन अलाट करवाकर

(श्री गजराज खटाणा)

कोई बड़ी जगह लेकर उनको ज्यादा साधन उपलब्ध करवाए जाएं और वहां पर वकीलों के बैठने की भी व्यवस्था हो। सब लोग की वहां पर सुनवाई ठीक से हो जाए, टाइम से हो जाए और वहां काम ठीक से चले।

बात रही आबकारी की, आबकारी में हमें इनजनरल, जहां पर भी जाएंगे तो वहां पर जो कोई इंस्पैक्टर लगा होगा, डी.ई.ओ. लगा होगा, जो भी कोई लगा होगा, वहां पर अपना एक अलग ही खेल चलता है। आप देखेंगे कि वहां पर एक दुकान अलाट है, दूसरी दुकान, मेरे को तो अचम्भा हुआ कि यह हो क्या रहा है? वहां पर मैंने पता किया तो एक ही नाम से एक दूसरी जगह भी दुकान चल रही है तो मैंने कहा कि यह क्यों चल रही है? तो कहते हैं कि साहब, यह गोदाम के नाम पर चल रही है। यह पता नहीं क्या व्यवस्था है? गोदाम के नाम के ऊपर दुकान चल रही है। रात को दस, ग्यारह, बारह बजे तक भी बिक्री चल रही है। यह एक ऐसी व्यवस्था जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम सब लोगों को यह जो शराब बिक्री, अभी मोदीजी जिक्र कर रहे थे कि यहां पर शराब-बंदी लागू हो जाए। शराब-बंदी तो गुजरात में भी लागू है, पर उस गुजरात की शराब-बंदी के कारण कितनी परेशानियां हैं? वहां पर तो हमारे यहां से भी ज्यादा दो नंबर की शराब मिलती है और इस पूरे राजस्थान को, गुजरात में जो शराब जाती है, यहां से तस्करी होकर जाती है, उससे राजस्थान खुद अपने आपमें पीड़ित है और रोज कहीं न कहीं ट्रक पकड़े जाते हैं। इतने कार्टन आज पकड़े गये, कल इतने कार्टन पकड़े गये तो शराब-बंदी नैतिक रूप से तो सही है लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो शराब-बंदी से बहुत सारे ऐसे नए अपराध क्रिएट हो जाते हैं जिससे मैं नहीं समझता कि यह प्रैक्टिकल स्टेप होगा।

जेलों की जो व्यवस्था है, आपने दो-तीन दिन पहले अजमेर जेल का किस्सा सुना होगा तो मैं जेलों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि कोई ठीक से सुधार हो, कोई आयोग बने और वहां पर बंदियों को रहने की, काम करने की ठीक से कुछ व्यवस्थाएं हों और हमारा जो स्टाफ है, उसको भी हम अच्छी ट्रेनिंग दें ताकि इस तरह के नए-नए जो कांड खुल रहे हैं, वह इस तरह के कांड नहीं खुलें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, धन्यवाद।

बधाई एवं आभार

चंद्रयान-2 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण पर इसरो (ISRO) के वैज्ञानिकों को बधाई

श्री सभापति: मैं आप सभी को एक बधाई संदेश देना चाहता हूं।

देश के लिए यह हर्ष का विषय है कि चंद्रमा पर भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण आज सफलतापूर्वक किया गया। इस ऐतिहासिक मिशन में लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रयान-2 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण पर मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से ISRO के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं।

सूचना

चूरू के अंदर टिड्डी दल का हमला

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह टिड्डियों का हमला लगातार हो रहा है। मेरे गृह जिले के अंदर सरदारशहर तहसील के कीकासर, रंगाईसर, धीरासर, मलसीसर, कंवलासर, सोनपालसर, यहां पर टिड्डी आ चुकी हैं।

माननीय सभापति महोदय, वहां पर दो अधिकारी गये और वहां पर टिड्डियों के दर्शन करके, दूर से उन्होंने नमस्कार किया और वापस आ गये। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या नमस्कार करने से, उन टिड्डियों से आपका क्या कोई संबंध है कि उड़कर अपने आप चली जाएंगी? वहां पर कोई स्प्रे करते, कोई वहां पर इंतजाम करते।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह सबको नियम सिखाते रहते हैं, यह कौनसे नियम से आ रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पाइंट आफ इन्फार्मेशन। हां-हां, आप भी बोल सकते हैं।

श्री सभापति: राठौड़ साहब, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने मुझे अलाउ किया तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि अभी-अभी बाजरे की फसल उगी है। यह टिड्डी पूरी फसलों को तबाह कर देगी। पाकिस्तान, बलूचिस्तान से आ रही हैं। मैंने पहले भी एक बार यह मामला सदन में यहां पर उठाया था, उस वक्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि वह केन्द्र सरकार के सम्पर्क में हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अभी-अभी लोगों ने यह कहा कि पूरे दिन कम से कम एक हजार बीघा से ज्यादा जगह पर टिड्डी फैली हुई है। माननीय सभापति महोदय, आप निर्देश फर्माएं, किसान का बचाव हो।

श्री सभापति: राठौड़ साहब, कार्यवाही में आ गया अब तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, कोई काग्निजेंस तो लो। आप थोड़े ही, वह नमस्कार करके कैसे चले आए टिड्डी दल को?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हमारे कृषि मंत्रीजी से बातचीत करके उस पर कार्यवाही करवाएंगे।

श्री सभापति: श्री मेवारामजी जैन।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, नमस्कार करके तो इसलिए चले गये क्योंकि आप उनके साथ नहीं थे। आपको उन अधिकारियों के साथ जाना चाहिए था। आप साथ गये ही नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, प्लीज। माननीय सदस्य श्री मेवारामजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 6, 13, 16 एवं 17 पर विचार

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-17 कारागार, मांग संख्या-13 आबकारी, मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन और मांग संख्या-16 पुलिस पर चर्चा हो रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि पूरे प्रदेश में किस तरह से शांति रहे, अमन रहें, चैन रहे, लोग शांति से कैसे जीएं, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यह सारी व्यवस्था उनके जिम्मे है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ने का मेन कारण सबसे ज्यादा तो मैं शराब मानता हूं और उसके बाद में बेरोजगारी है और जिस तरह से यह भू-माफिया पनप रहे हैं, बजरी माफिया पनप रहे हैं, यह जो दिनोंदिन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से कानून व्यवस्था खराब हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से

(श्री मेवाराम जैन)

शराब चल रही है, शराब से हालांकि राज्य सरकार को आय होती है, यह बात तो सही है, पर इससे नुकसान कितना हो रहा है? यह जितने भी आप अपराध देखेंगे कि 80 परसेंट झगड़े, बलात्कार, मर्डर, आपस में जिस तरह से यह अपराध बढ़ रहे हैं, इसकी मेन जड़ शराब है। शराब को कैसे भी करके धीरे-धीरे करके हमको इसको बिलकुल बंद करना होगा, तब जाकर यह आपके अपराध के ग्राफ में कमी आएगी।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको नौकरी नहीं मिलने से वे बेरोजगार बैठे हैं। वे नशे के आदी हैं तो उनको तो शाम को शराब चाहिए। कैसे ही करके भले ही कोई चोरी करो, डकैती डालो, खर्चे के लिए पैसे चाहिए और इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं।

चाहे आप बात करें, सबसे ज्यादा आज, अभी इन पांच-सात सालों में आप देख रहे हैं कि जो बजरी माफिया पनप रहे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा पुलिस पर प्रश्न चिह्न लगाया है तो बजरी की वजह से हुआ है और पुलिस बदनाम हुई है। इससे पहले इस तरह के आरोप कभी नहीं लग रहे थे, इस तरह का कोई भ्रष्टाचार भी नहीं था, सबको भ्रष्ट कर दिया। एक सिर्फ पुलिस ही नहीं, इसमें कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं कई ठेकेदार जुड़े हुए हैं कई एजेन्सियां जुड़ी हुई हैं। इन सबको हम कैसे ठीक कर सकें, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बजरी की व्यवस्था, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करें, चाहे इसके लिए कोई और मिल-बैठ कर रास्ता निकालें तो इसके ग्राफ में कमी आ सकती है।

सभापति महोदय, शराब की बात करें, सभी ने चर्चा की, सुझाव भी दिये। रात को आठ बजे के बाद भी दुकानें खुलती हैं। हम प्रयास करें कि रात आठ बजे के बाद शराब की बिक्री बिलकुल नहीं हो, इसको कैसे पाबन्द करें। इस पर हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जहां ठेका है, ठेके के पास में ही लोग वहीं शराब ली दुकान पर, और वहीं पर पीने बैठ जाते हैं। 50-100 लोग दिन को, शाम के टाइम देखोगे तो वहीं शराब पीते हुए मिल जाएंगे। वह फिर बाद में बाजार में घूमेंगे तो अपराध होगा ही। वह शराब पीये हुए मोटर साइकिल चलाएंगे तो यह एक्सीडेंट उसी से होता है। कम से कम शराब के ठेके पर तो शराब नहीं पीयें, घर जाकर पीये तो अलग बात है। इस पर ध्यान देना जरूरी है।

(श्री मेवाराम जैन)

सभापति महोदय, आज जिस तरह से चर्चा चली, जिस तरह से शराब के साथ-साथ डोडा, अफीम, स्मैक पनप रहा है युवाओं के अंदर, और आप देखेंगे डोडा कहां से कहां तक आ रहा है, यह किस प्रकार आ रहा है? अब इस पर सभी को सोचना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि एक हजार किलोमीटर दूर से बोर्डर पर आ जाते हैं, कितने बीच में थाने होंगे, चौकियां होंगी, जिला मुख्यालय होंगे, फिर भी आ रहे हैं। इसकी रोकथाम करना बहुत ही जरूरी है। आज स्मैक की बात करें तो जितने छोटे और युवा बच्चे हैं, वह नशे की लत में जा रहे हैं। उनकी जिंदगी खराब हो रही है। उनको हम कैसे रोकें, इस पर हमें प्रयास करना चाहिए।

पुलिस के बारे में बहुत बातें कीं। बातें तो हम कर रहे हैं, इन पर कितना बोझ है, इनको कैसे हम मजबूत करें, कैसे हम इनको संसाधन दें, किस तरह से इनकी नफरी कम है, उसको बढ़ाएं, किस तरह से पद खाली हैं, यह सारी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर शांति व्यवस्था कायम हो पाएगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में जो अवैध शराब, जो हथकड़ शराब है, वह बनाकर बेचते हैं, फिर उससे कई तरह के जहरीले कांड हो जाते हैं जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं। उन पर सख्ती हो और जो ब्रांचों की बात है, दुकान एक अलाट की, उसकी गांवों में पांच ब्रांचें खोल दीं। कम से कम जिस जगह पास में शराब नहीं मिलेगी तो लाने में जरूर कम बिकेगी और लोग उसका उपयोग भी कम करेंगे, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा हो, एस.सी., एस.टी. की सुरक्षा हो और जिस तरह से बात चल रही थी कि थानों में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने अभी व्यवस्था की है कि एस.पी. आफिस में जाएं। वहां आनलाइन भी करवा सकते हैं, वहां एफ आई आर दर्ज हो, आप दोगे तो एफ आई आर दर्ज होगी और बिलकुल उस पर कार्यवाही करने की बात भी होगी। इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं की किस तरह से सुरक्षा करें, इस पर जोर देना है और साथ में यह भी ध्यान

(श्री मेवाराम जैन)

रखना है कि जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उस पर पुलिस तत्काल कार्यवाही भी करे और जिन मुकदमों में एफ.आर. लगती है, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे यह असत्य मुकदमे रुक भी पाएंगे, नहीं तो इनकी बाढ़ और आती रहेगी। आप देख लीजिये महिलाओं की बात करो, चाहे एस सी, एस टी के मुकदमों की बात करो कि कितने परसेंट में एफ.आर. लगती है तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा ताकि वास्तव में जिनके साथ ज्यादती हो, जो पीड़ित हों, उनको न्याय मिले और जो जान-बूझकर आजकल किसी को परेशान करने के लिए मुकदमे दर्ज कराने की जो परम्परा पड़ी है, वह भी रूकनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। जेलों की बात की, जेलों के अंदर नफरी बढ़ायी जाए। यह जैमर वगैरह लगे भी हैं, उसके बाद भी टेलीफोन वगैरह, अंदर बैठे-बैठे जिस तरह से गैंगस्टर गैंग चला रहे हैं, वह कैसे रूके और जिनके बारे में कहा गया कि बाहर निकलते ही फिर वारदात, फिर वापस अंदर जाना, इसको हम कैसे रोकें, यह बहुत ही जरूरी है और जेलों के अंदर जिस तरह से बैरकों की कमी है, दिनों-दिन अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध बढ़ने की वजह से जितने लोग जेलों में जा रहे हैं, उनको रखने के लिए जगह नहीं है। जेलों में उनको जबरदस्ती ठूंसा जा रहा है, जेलें भरी जा रही हैं, उनके लिए बैरक बनें और उनके लिए जितनी व्यवस्था कर सकें, यह भी करनी चाहिए।

इसके साथ ही, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जेल के पास खाली जमीन है। काफी खुली जेल है, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया तो कम से कम उसको तो हम खाली करायें ताकि सरकारी जमीन, जेल की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया है...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो-चार मिनट में ही खतम कर दूंगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में पुलिस चांदमारी रेंज है, जिसके अंदर 1971 में पाक विस्थापित, करीब 200 से ज्यादा परिवार उसमें बसे हुए हैं। उनके मकान हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन हैं और उनको कम से कम 30-35 साल हो गये। अब वह उस रेंज के अंदर बैठे हैं। वह चाह रहे हैं कि हमें पट्टे मिलें, हमको

(श्री मेवाराम जैन)

सड़क वगैरह की सुविधा मिले, पर सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी यहां नहीं हैं, यहां पुलिस अधिकारी बैठे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बदले में आप करीबन 30 बीघा या 35 बीघा जमीन होगी, 250 बीघा में, उस जमीन के बदले दूसरी जमीन ले लें, वह खाली हो नहीं सकती क्योंकि वह 40 साल से वहां बैठे हैं। कम से कम आप उसको खाली कर दें और उसके बदले में आपको सरकार दूसरी जमीन अलाट कर दे ताकि उनको राहत मिल सके, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मेरी दो-तीन मांगों के बारे में बात करूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। बाड़मेर में थाना स्वीकृत है उसके लिए भवन नहीं है। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिए भवन की स्वीकृति दें। चवा चौकी है, उसके लिए भी भवन नहीं है, उसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि भवन की व्यवस्था हो। बाढ़का में अस्थायी चौकी है, उसको स्थायी करें ताकि नफरी बढ़े और वहां के लोगों को सुविधा मिल सके। बाड़मेर में दुनिया भर के तेल, गैस और लिग्नाइट के भण्डार हैं और उससे कम्पनी आयी है, होटलें आई हैं, ट्रैफिक इतना बढ़ा है कि वहां ट्रैफिक पुलिस थाने की बहुत आवश्यकता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में एक ट्रैफिक थाना खोला जाए ताकि ट्रैफिक से हमेशा प्रतिदिन जो जाम लग रहा है, उससे मुक्ति मिले।

श्री सभापति: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं बस यही निवेदन करूंगा कि आम जनता में किस तरह से विश्वास पैदा हो, भ्रष्टाचार खतम हो, पुलिस और जनता में आपस में किस तरह से संवाद हो और आम नागरिक में पुलिस के प्रति भय नहीं हो। इन सारी बातों के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। पुलिस की जो भी वाजिब मांगें हैं, इनको कैसे सुधार सकते हैं, इनकी व्यवस्थाओं के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा बजट देने की आवश्यकता हो तो दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मेरा तो यही निवेदन है।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी शर्मा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, बीच में भी जीत कर ही आये हुए हैं लोग, थोड़ा गौर कर लिया करो न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस, कारागार, न्याय प्रशासन और आबकारी की मांग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, मैं उन बातों के अन्दर नहीं जाऊंगा जो पुलिस के बारे में आम धारणा बनी हुई है और पुलिस के बारे में आम जनता क्या सोचती है, किन-किन शब्दों के साथ उसको अलंकृत करने का काम करती है, या जब पुलिस के माध्यम से, जब पुलिस कार्यवाही करती है और किसी व्यक्ति को उसके अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो पुलिस के बारे में उसकी कई प्रकार की धारणाएं बनती हैं और जब उसके अनुकूल परिणाम आते हैं तो वह कहता है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है लेकिन, सभापति महोदय, इन सब के बीच में सबसे पहले हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार पुलिस का काम क्या है और पुलिस किन परिस्थितियों के अन्दर काम कर रही है।

सभापति महोदय, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज की स्थिति यह बन गई कि अगर नाली में कोई पत्थर पड़ा हुआ है और उसकी वजह से पानी सड़क के ऊपर निकलकर बाहर आ रहा है और दूसरे मकान की तरफ आ गया तो उसके अन्दर भी पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। किसी के भैंस चोरी हो गयी तो भी पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। छोटी से छोटी घटना से लेकर बड़े से बड़ा अपराध, हत्या तक पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पुलिस किन परिस्थितियों के अन्दर काम कर रही है और उन परिस्थितियों में काम करते हुए भी आप सब को क्या परिणाम देने का काम कर रही है, मेरे ख्याल से उसके बारे में हमें सोच-विचार कर फिर पुलिस के बारे में कोई टीका-टिप्पणी करनी चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम करते हुए वे पुलिस का मान-सम्मान भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन, सभापति महोदय, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं कि कई प्रकार की घटनाओं के बाद में पुलिस के कार्य पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगाने का काम भी करते हैं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए तीन-चार प्रकार से पुलिस की भूमिकाओं की चर्चा करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज वर्तमान

(श्री रामलाल शर्मा)

में पुलिस के पास संसाधन क्या हैं? अपराध के प्रकार बढ़ते जा रहे हैं, उसके अनुसार पुलिस के पास संसाधन नहीं हैं। आज पुलिस को थानों के अन्दर हम जो संसाधन दे रहे हैं यदि वे एविडेंस के अन्दर कहीं चले गये या मुलजिम को पेश करने के लिए कोई गाड़ी चली गयी, पीछे से अगर झगड़ा हो गया तो पुलिस की स्थिति यह होती है कि किसी मिलने वाले से गाड़ी मांग कर उस घटना स्थल पर जाने का काम करते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि सरकार पुलिस को संसाधन उपलब्ध कराने का काम करे और जब तक पुलिस का कार्य विभाजन नहीं करेंगे तब तक बेहतरीन परिणाम नहीं दे सकती।

सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि रात को ड्यूटी करेगा, सुबह इन्वेस्टिगेशन करेगा, दोपहर में प्रोटोकोल में कोई वी.आई.पी. आ गया तो उसकी प्रोटोकोल में गाड़ी लेकर चला जाएगा। आखिरकार पुलिस के पास 24 घंटे की ड्यूटी में न वह परिवार को समय दे सकता, न अपने मिलने वालों के रिश्तेदारी में जा सकता ओर इस तनाव के वातावरण में आप आंकड़े उठाकर देखो, अवसाद की वजह से पुलिसकर्मियों ने, कितने लोगों ने आत्महत्या की है।

सभापति महोदय, जितने भी माननीय सदस्य हैं, वे चाहते हैं कि जो कुछ काम करे वह पुलिस ही करे और बेहतरीन परिणाम नहीं आये तो उसका दोष भी सारा का सारा पुलिस पर डालने का काम करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि पुलिस के काफी वर्षों से, 15-15, 18-18 साल हो जाने के बावजूद भी कांस्टेबलों के प्रमोशन नहीं होते। मैं सरकार से चाहूंगा कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में चरणबद्ध तरीके से प्रमोशन दिये गये हैं, उसी तरीके से पुलिस महकमे के जितने भी चाहे कांस्टेबल हों, चाहे हैड-कांस्टेबल हों, ए.एस.आई. हों, एस.आई. हों, इंस्पैक्टर हों, सबके प्रमोशन चरणबद्ध तरीके से हों।

दूसरी मांग मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि आज अपराध के प्रकार बदले हैं। सभापति महोदय, आज से पहले अपराध के गिने-चुने कुछ लोग चिह्नित थे कि ये अपराध कर सकते हैं, यह संभावनाएं थीं लेकिन आज तो अपराधी हमारे घर में बैठा है, उसका ही पता नहीं है। जिस तरीके से अपराध के प्रकार बदले हैं, जिस तरीके से साइबर क्राइम हो रहे हैं, फेसबुक,

(श्री रामलाल शर्मा)

वाट्सएप के ऊपर जिस तरीके के अपराध घटित हो रहे हैं, बैंकों के ट्रांजेक्शन आनलाइन करने की वजह से जिस तरीके से पैसा निकलकर बाहर जा रहा है, अपराधी बिहार, यू.पी., वेस्ट बंगाल के अन्दर बैठा हुआ है और उस साइबर क्राइम के माध्यम से अपराध को, घटना को अंजाम देने का काम कर रहा है जयपुर में बैठकर, तो सभापति महोदय, मेरे ख्याल से इस साइब्रर क्राइम के लिए पुलिस को पर्याप्त संसाधन देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। जिस तरीके से सभी माननीय सदस्यों ने नशे की बात की, चाहे वह शराब की, चाहे टैबलेट के माध्यम से नशा हो, चाहे अन्य सोर्स हों, अपराध घटित होने का प्रमुख कारण माना है। मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि सरकार ने जो कानून बना रखे हैं, उन कानूनों के आधार पर अगर पुलिस कार्यवाही शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से इन अपराध पर अंकुश भी लगेगा और इनमें कमी भी आयेगी। जिस तरीके से आज संगठित अपराध किसी होटल में बैठकर हो रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर हो रहे हैं, हाईवे पर गाड़ियों के अन्दर बैठकर अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों पर अंकुश कैसे लगाओगे? मेरे ख्याल से इन अपराधों पर अंकुश लगाना भी नितांत आवश्यक है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। सभी माननीय सदस्यों ने दुर्घटनाओं की चिंता की है और आज यह बिलकुल सही है कि दुर्घटना में एक व्यक्ति मरता है लेकिन उस व्यक्ति के मरने के उपरांत उस पर निर्भर रहने वाले कितने लोग अप्रत्यक्ष रूप से मरते हैं। सभापति महोदय, किसी का कमाने वाला बेटा चला गया, पिता जी उसके ऊपर निर्भर थे, बहन की शादी की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, बेटों की शिक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। मेरे ख्याल से मरता हुआ एक व्यक्ति दिखता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरा परिवार प्रभावित होता है, तो इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या बेहतरीन तरीके हम निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से, सभापति महोदय, वे आवश्यक हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पुलिस के अन्दर जितने भी कांस्टेबल भर्ती होते हैं, उन सब पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए राजस्थान में दस ट्रैनिंग सेन्टर बने हुए हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

जोधपुर में दो हैं, उदयपुर में खेरवाड़ा में है, झालावाड़ के अन्दर एक है, किशनगढ़, अजमेर के अन्दर एक है, अलवर में एक है, भरतपुर में एक है, बीकानेर में दो हैं और जयपुर में एक है। सभापति महोदय, दस सेन्टर उपलब्ध होने के बावजूद भी, इन दस सेन्टरों में पर्याप्त प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों की मौजूदगी के बाद भी आखिरकार क्या कारण है कि हमारे यहां पुलिस में भर्ती होने वाले लोग प्रशिक्षण लेने के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश जाते हैं? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा इतना निवेदन है कि मेरे चीथवाड़ी का रहने वाला सत्य प्रकाश कुमावत, इसी ट्रैनिंग के दौरान उसकी डैथ हुई और अभी कुछ दिनों पहले नागौर के रहने वाले सोहन लाल कांस्टेबल की भी मृत्यु हुई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इन प्रशिक्षणों की अगर हमारे पास सुविधा नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह से करायें लेकिन सुविधाएं होने के बावजूद भी आप इनका प्रशिक्षण दूसरे स्थान से करायें, ये उचित नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कई माननीय सदस्यों ने तारीफ की है कि, साहब, ए.सी.बी. बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मैं भी इस बात को स्वीकार करूंगा कि ए.सी.बी. बहुत बेहतरीन काम कर रही है। पहले ए.सी.बी. की कार्यवाही पटवारी और गिरदावर तक या किसी अन्य पुलिस के कांस्टेबल तक सीमित होती थी लेकिन अब ए.सी.बी. ने ऐसे-ऐसे कारनामों का खुलासा किया है जिसके अन्दर अपराध बड़े रूप में होता था। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि यदि आप ए.सी.बी. के टारगेट को पूरा करना चाहते हो, अभी यातायात मंत्री जी यहां बैठे हुए थे, इनका विभाग ही पर्याप्त है, ए.सी.बी. को जितने टारगेट चाहिए वे इनके विभाग के पास ले लो।

सभापति महोदय, इनके अपराध का तरीका भी बदल गया। कहीं पर किसी को ट्रक को रोकने की आवश्यकता नहीं है। एक सुनिश्चित जगह है, उस जगह पर फिक्स अमाउंट देओ और अपने ट्रकों को निकालो। सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट के अन्दर जिस तरीके का भ्रष्टाचार पनप रहा है, उस भ्रष्टाचार के ऊपर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आज कारागार की मांग भी है, जिस तरीके से

(श्री रामलाल शर्मा)

कारागारों की स्थिति है, सभापति महोदय, आप चाहो तो बाहर रहकर वे सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते जैसी सुविधाएं अन्दर बैठा हुआ अपराधी प्राप्त करता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इन कारागारों की स्थिति, दशा सुधारने का काम करें।

सभापति महोदय, अभी काफी दिनों से चोरी की घटनाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और मैं दो घटनाओं का जिक्र जरूर करूंगा। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य आलोक जी बेनीवाल यहां मौजूद हैं। इनकी माता जी भी यहां से इस सदन की माननीय सदस्या रही हैं, उप मुख्य मंत्री भी रहीं हैं, गुजरात की राज्यपाल भी रहीं हैं। सभापति महोदय, चोर इनकी गाड़ी चुरा कर ले गये। अब इनके घर तक को चोर नहीं बख्श रहे। बड़ी मुश्किल से दो दिन बाद में, मेरे ख्याल से पुलिस ने सम्पर्क किया होगा जेल में बैठे हुए इनके आकाओं से, वह तो वी.आई.पी. गाड़ी उठा ली गलती से, उसको तो आप वापस करो, तब जाकर के गाड़ी वापस आई है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि अपराध की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के ऊपर रोक लगाने का काम करें।

सभापति महोदय, अभी इन दिनों के अन्दर बहुत अधिक ये लुटेरी दुल्हनियां, और ये लुटेरी दुल्हनियां राजस्थान के अन्दर एक ऐसा षड्यंत्र करके और जिस तरीके से बाहर से लड़कियां लाकर शादी कराकर और दो-तीन दिन के अन्दर लाखों रुपये लेकर फरार हो रही हैं। कम से कम यह जो संगठित अपराध हो रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाने का काम करें।

सभापति महोदय, आज विधान सभा के बाहर पवन व्यास के हत्याकाण्ड के मामले में उसके पिता जी लगभग साढ़े तीन सौ किलोमीटर पैदल चलकर, अन्य कार्यकर्ता पैदल चलकर न्याय प्राप्त करने के लिए इस सरकार के सामने आये हुए हैं। मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि पवन व्यास के जो भी मुलजिम हैं, उन मुलजिमों को आप गिरफ्तार करने का काम करें और निश्चित रूप से अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें।

सभापति महोदय, मेरे चौमूं में एक जोया नाम की बच्ची, जो उस समय 4-5 साल की उम्र थी, 7-8 साल पहले रामपुरा डाबड़ी से लापता हुई थी। आज दिन तक उस जोया का पता नहीं लगा। इसी तरीके से 4 साल पहले भगवती देवी भी चौमूं से लापता हुई थी। यह तो दो उदाहरण मैंने दिये

(श्री रामलाल शर्मा)

हैं। हो सकता है कि राजस्थान के अंदर ऐसे कितने ही उदाहरण होंगे जिनमें लापता व्यक्ति की सूचना भी पुलिस को प्राप्त नहीं हुई होगी। मैं चाहूंगा कि इस पर भी अंकुश लगाने का काम करें।

सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन आपके माध्यम से करूंगा कि अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अपराध का कारण शराब है लेकिन मैं मानता हूं कि अपराध का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है। इस जनसंख्या वृद्धि पर आप जब तक रोक नहीं लगाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जिनको जनसंख्या बढ़ानी है, वह आराम से बढ़ाएं। लेकिन कम से कम यह सदन ऐसे लोगों के खिलाफ एक आदेश पारित करे कि उनको राज्य सरकार की और केन्द्र सरकार की सुविधाओं से महरूम रखा जाएगा। मेरे ख्याल से अगर यह आदेश राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया तो सही रहेगा। जिनको रूचि है, जनसंख्या वृद्धि की, वह करें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इसको करें।

सभापति महोदय, मैं तो मेरे चौमूं की अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वास्तविकता में कई परिवार ऐसे हैं, जो पार्ट टाइम सोने का काम करते हैं। 2 बजे तक पिताजी सोएंगे और 2 बजे बाद पिताजी गाड़ी लेकर चले जाएंगे और 2 बजे बाद बेटा जाकर के सोएगा। कम से कम ऐसी जिंदगी जीने से बढ़िया है कि सरकार ऐसा नियम बना दे, ताकि इस जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगे। इससे अपराधों में कमी आ सके। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सभापति महोदय, मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन, मांग संख्या 13-आबकारी, मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में मुझे अपने विचार सदन में रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार।

सभापति महोदय, सभी सदस्य जो डिबेट हो रही है, उसमें अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं भी उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो कि 10 साल तक गृह विभाग के मुखिया रहे हैं, इनको बहुत अच्छा तजुर्बा है पुलिस के बारे में। इनके समय में ही राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 बना। राजस्थान पुलिस रूल्स, 2008 में बने। उसके अंदर यह दिया

(श्री लक्ष्मण मीणा)

हुआ है कि पुलिस के फील्ड आफिसर से जिनमें डीजीपी, रेंज के डीआईजी या आईजी, डिप्टी एसपी और थानाधिकारी तक हैं, उनका टेन्योर 2 साल का होगा। सभापति महोदय, मेरे ख्याल से सदन में अभी तक इस विषय पर किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की। हम कहते तो यह हैं कि पुलिस में राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का रखा जाए? क्यों नहीं, आईजी रेंज का कार्यकाल 2 साल का रखा जाए? अगर ऐसा होगा तो जो भी डीजीपी लगेगा, वह अपने 2 साल के टेन्योर में पुलिस संगठन में अच्छे बदलाव कर सकेगा, अच्छे काम कर सकेगा।

सभापति महोदय, जो अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जो सर्वश्रेष्ठ आफिसर होता है, जिसका आउटस्टैंडिंग रिकार्ड होता है, वह डीजीपी बनता है तो उसको 2 साल तक रखा जाए ताकि इस संगठन का कल्याण हो, अच्छा प्रशासन मिले, अच्छी लॉ एंड आर्डर की स्थिति बने और अपराधों पर नियंत्रण हो।

सभापति महोदय, मैं 2008 के रूल्स देख रहा था और इनके अंदर दे रखा है कि जनता का जब तक आप सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे, आप अपराधों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। उसके लिए 10-15 साल पहले सीएलजी, सामुदायिक सम्पर्क समूह के नाम से स्टार्ट किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि ऐसे लोगों को सीएलजी में रखा जाए, जिनके लिए और कोई मंच नहीं है वे थाने में अपनी बात कह सकें और अपने सुझाव दे सकें, ताकि पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार हो। सभापति महोदय, मैं अभी इसमें पढ़ रहा था कि आज आप सर्वे करवा लें, जितने भी राजस्थान के थाने हैं, उनमें 10-15 साल से सीएलजी के मेम्बर वे लोग हैं, जो या तो क्रिमिनल हैं या पुलिस की दलाली करते हैं। इसमें यह भी है कि हर एक साल में वन थर्ड को चेंज किया जाएगा, उसमें एससी, एसटी के भी मेम्बर होंगे, महिलाएं भी होंगी, सीनियर सिटिजन्स के भी मेम्बर होंगे। लेकिन आज की स्थिति वहां बिलकुल विपरीत है। मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि जितनी भी सीएलजी हैं, उनको डिसमेंटल करें और नये सदस्य जो इस पुलिस रूल्स में दिये गये हैं, उसी के अनुसार बनाए जाएं और अक्षरश: इसकी पालना की जाए। सीनियर आफिसर्स को यह निर्देश दिए जाएं कि जो सीएलजी आपने बना रखी है, जिस

(श्री लक्ष्मण मीणा)

उद्देश्य से बना रखी है, उसको उसी रूप में काम लिया जाए, न कि वह एक दलाल के रूप में काम करें।

सभापति महोदय, जिस राज्य की पुलिस ठीक है, जहां आंतरिक कानून-व्यवस्था, इंटरनल सिक्योरिटी ठीक है, सामाजिक सौहार्द ठीक है, तो निश्चित रूप से उस प्रदेश का आर्थिक विकास भी जबरदस्त होगा। जब तक किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो कि बाहर से आता है, उसको अगर यह एन्श्योर नहीं हो कि यहां कानून व्यवस्था ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट का अपहरण नहीं होगा तो वह यहां नहीं आएगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पुलिस की केवल आलोचना ही नहीं की जाए, पुलिस में क्या कमियां हैं, उनको ठीक करें। पुलिस के अधिकारी उसको ठीक करेंगे।

सभापति महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष कह रहे थे कि महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध बढ़ गये। कुछ अपराध महिलाओं के खिलाफ ऐसे हैं, जिनको पुलिस किसी भी हालत में रोक ही नहीं सकती। उनके लिए आप पुलिस को दोष नहीं दे सकते। कई खबरें आ रही हैं, जैसे कि पत्नी ने अपने पति का मर्डर करवाया। कई बलात्कार के केस, जिनमें परिवार के सदस्य छोटी बच्चियों के साथ करते हैं। महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और वह परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कई महिलाएं ऐसी हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ थाने में जाना ही पसंद नहीं करतीं चाहे वह आत्महत्या कर लेती हैं। हमको इन चीजों पर भी विचार करना चाहिए। केवल आंकड़ों से ही नहीं करें।

सभापति महोदय, अपराध बढ़ेंगे क्योंकि अपराधी भी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है। ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, संचार क्रांति हुई है, बाहर के अपराधी यहां आकर के शैल्टर लेते हैं, क्राइम करके रातों-रात मीलों दूर भाग जाते हैं। जब तक पुलिस का तंत्र ठीक नहीं होगा, खुफिया तंत्र ठीक नहीं होगा और जनता खुलकर के पुलिस को सूचना नहीं देगी तब तक अपराधों पर नियंत्रण लगाना बड़ा ही मुश्किल है।

सभापति महोदय, अपराधों पर नियंत्रण के लिए हमें पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा। इनके संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। जो पुलिस के सीनियर

(श्री लक्ष्मण मीणा)

आफिसर्स हैं, उनके खूब प्रमोशन हो जाते हैं। पोस्टें बढ़ा ली जाती हैं। लेकिन कांस्टेबलरी, जो सरकार का फेस है, जो 24 घंटे जनता के सम्पर्क में आते हैं, जिसको कहिए कि विजिबल चेहरा है सरकार का, अन्य महकमे वाले 8 घंटे काम करने के बाद में आराम करते हैं, अपने घर जाते हैं जबकि पुलिस वाले 24 घंटे सरकार के रिप्रजेंटेटिव होते हैं, सरकार का दिखता हुआ चेहरा है। उनको जब तक हम थोड़ी ताकत नहीं देंगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, उनको संसाधन नहीं देंगे तो अपराधों पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा चैलेंज आज आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर क्राइम से है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एसओजी में, स्पेशलाइज्ड यूनिट के लिए बजट में प्रावधान रखा है। इसी तरीके से उन्होंने थानों में भी रिसेप्शन रूम्स में सीसी टीवी कैमरे लगाने का प्रावधान इस बजट में रखा है। निश्चित रूप से इससे पुलिस की व्यवस्था में सुधार आएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की जो कांस्टेबलरी है, मैं देख रहा हूं कि काफी छोटी-छोटी उनकी मांगें हैं। उनको वर्दी किट दिया जाता है, वह घटिया होती है, अच्छी नहीं होती है, पुलिस को पसन्द नहीं है। दिल्ली की तर्ज पर वह कहते हैं कि उनको इसके लिए 10 हजार रुपये सालाना दिये जाने चाहिए। उनका मेडिक्लेम 500 रुपये कटता था, वर्ष 2004 से पहले जो भर्तीशुदा थे, उनको भी भामाशाह की तर्ज पर एक कार्ड इश्यू किया जाए ताकि वह अपने परिवारजनों पर यदि कोई आफत आए, उस समय पैसे नहीं हों तो वह उनका इलाज करवा सके।

माननीय सभापति महोदय, आज की इस महंगाई के जमाने में पुलिस कांस्टेबल का 2000 रुपये का मैस का भत्ता है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस का 4500-5000 रुपये मैस भत्ता किया जाना चाहिए। इनकी बहुत मांगें हैं। करीब 40-50 साल पुरानी डिमांड है। पुलिस कांस्टेबल चाहता है कि उसका रोडवेज में फ्री पास दिया जाए। यह आपके पड़ोस के राज्य हरियाणा में भी है, इसमें बहुत ज्यादा खर्च आने की बात नहीं है।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, जो खर्चा आएगा पुलिस विभाग रोडवेज को दे देगा और यह उससे खुश रहेंगे। हमारा पुलिस का बड़ा बेड़ा है, जिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का, अपराधों पर कंट्रोल करने का, अपराध हो जाए तो अपराधियों को कानून के हवाले करने का, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का, वीआईपी सिक्युरिटी करने का, आपके जुलूसों को मैनेज करने का और समाज में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा है और इस महत्वपूर्ण जिम्मे के निर्वहन के लिए अपने को उनको कुछ सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी। इसमें बहुत ज्यादा व्यय भी नहीं होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मैं आबकारी के बारे में भी एक मिनट बोलना चाहता हूं। आबकारी विभाग के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, यह फैक्ट है। नियम के अनुसार एससी, एसटी, मजदूर, इनके मोहल्लों में शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए लेकिन देखने में आया है कि खुलती ही उन्हीं के मोहल्लों में है। इससे उनके परिवारों के विघटन हो रहे हैं, मजदूरी करके लाता है 200 रुपये उसमें से 150 की दारू पी जाएगा, 50 रुपये में घर का खर्चा नहीं चलेगा। इससे हत्याएं होती हैं तो इसको बंद करने पर विचार होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हो यह रहा है कि एक दुकान का लाइसेंस है और दस दुकानें चल रही हैं, उन पर पाबंदी होनी चाहिए। 1992-93 में तत्कालीन सरकार ने इनकी लोकेशन तय करने का एक आदेश जारी किया था कि एसडीएम, डिप्टी एसपी और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी लोकेशन तय करेंगे ताकि इसको लेकर वहां कोई अशांति पैदा नहीं हो, उसका विरोध नहीं हो, इस व्यवस्था को वापस लागू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, क्रिमिनल जस्टिस से सम्बन्धित बात भी करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कोर्ट हैं, जहां मुलजिम को लेकर आते हैं, मुलजिमों को वहां रखने की, उनको बैठने की, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए भी एक फंड दिया जाना चाहिए ताकि वे आराम से वहां बैठ सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, लिटिगेशन

(श्री लक्ष्मण मीणा)

शैड्स भी बनने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज की मांग न्याय प्रशासन, आबकारी, पुलिस, कारागार पर काफी सुझाव आए और विभिन्न मांग आई। जीवन में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और हर व्यक्ति मांग करता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, मुझे न्याय मिले और न्याय की उम्मीद हर व्यक्ति करता है। इन सुझावों में कई आलोचनाएं हुईं कई नफरत की बातें हुईं। मेरा जहां तक मानना है, पुलिस की आलोचना और नफरत और अलग नजरिये से देखना, मेरा तो मानना है कि यह सही नहीं है, वह भी अपने ही भाई-बंधु हैं, अपने ही परिवार से हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं, अपराध घटित होते हैं, चाहे वह तस्करी हो। मैं यहां तक कह सकता हूं कि जन भागीदारी, जनता के सहयोग के बिना अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, यह सम्भव नहीं है। इनका प्रमुख अगर कोई कारण है तो बढ़ती हुई पैसों की लालसा के कारण और बदनामी और इनके अलावा कोई भी कारण जनता की भागीदारी के बिना सम्भव नहीं है। मैं यह जरूर मानता हूं कि आज के समय में चाहे कोई इंकार करे लेकिन आज भी जाति व्यवस्था है, जो भी पुलिस थाने हैं, उनमें संतुलन बराबर होना, यह जनता के हित में है। भले ही बातें कुछ भी करें लेकिन एकतरफा चाहे किसी भी कास्ट का स्टाफ है, उस पुलिस थाने में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती।

(16.37 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आया कि थाना हल्का और भारी क्या होता है, क्षेत्रफल में सब बराबर हैं। कई जगह के लिए तो झगड़ते हैं कि मुझे वहां लगाओ, दस-दस एप्लीकेशन आती हैं और कहीं एक भी नहीं आती। कैसे थाने हैं? मैं भी दूसरी बार एमएलए बना हूं, कोई डिमांड नहीं करता है मुझसे कि मुझे उस थाने में लगाएं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व गृह मंत्रीजी का कटौती प्रस्ताव जो मैंने देखा, इसमें चाहे नफरी की कमी हो, उनको चुस्त-दुरुस्त करने के लिए दस दिन की ट्रेनिंग कराने का हो। मुझे समझ में

(श्री मदन प्रजापत)

नहीं आया, दस साल तक आप गृह मंत्री रहे और आप दस दिन की ट्रेनिंग दिलवाने में सफल नहीं रहे। शायद आप पर दबाव था, आपकी भावना तो है, लेकिन दस सालों में दस दिन भी आप ट्रेनिंग नहीं दिला सके। दूसरी तरफ माननीय उप नेताजी के कटौती प्रस्ताव में था, महिलाओं की खरीद-फरोख्त हो रही है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में ऐसा भी होता है, मैंने पहली बार सुना है। क्या इन चार महीनों में महिलाओं की खरीद-फरोख्त हो रही है या पहले भी हुई है? चाहे होम गार्ड के मानदेय बढ़ाने की बात हो, मैं भी समर्थन करता हूं, माननीय सभापति महोदय, डीपीसी शीघ्र की जाए तो आपको रोकने वाला कौन था, किसका दबाव था? आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, यदि आपकी वास्तव में होम गार्डों के प्रति भावना थी तो छह महीने पहले भी आप फैसला कर देते।

माननीय सभापति महोदय, इतिहास में जिसके ऊपर 90 गुर्जरों को मारने का कलंक लगा हो, जब आनंदपाल की घटना हुई, ऐसा राजस्थान में पहली बार गृह मंत्रीजी ने, माफ करना, मैं आपका आदर करता हूं, व्यक्तिगत मेरा विरोध नहीं है, लेकिन राजस्थान का गृह मंत्री कहता है, मुझे सुबह फोन आया तब मालूम पड़ा कि रात को क्या हुआ। इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में जनता उम्मीद करती है, जनता आशा करती है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री अगर अशोक गहलोतजी है तो अशोक गहलोतजी का जादू मानते हैं और पूरी 36 कौम भरोसा करती है कि कोई बात की तकलीफ नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, आज उदाहरण में कई बातें आई थीं। इतिहास गवाह है कि जिन-जिन चीजों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गये, उनका महत्व और ज्यादा बढ़ा है।

आज जो हिन्दुस्तान में गुजरात माडल की बात करते हैं, राजस्थान में जो शराब पकड़ी जा रही है, वह हिन्दुस्तान के गुजरात में ही जा रही है। मारवाड़ी में कहावत है नानी रो दंड दोयती ही भुगते है। जितनी भी बदनामी हमारे राजस्थान की हो रही है, इनसे जुड़े हुए लोग करोड़ों रुपयों का जो खेल खेल रहे हैं गुजरात में, कागजों में बंद है। राजस्थान में भी ऐसे उदाहरण हुए कि शराब बंद की गयी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज डोडा और अफीम कानूनन बंद है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज डोडा के पहले दाम

(श्री मदन प्रजापत)

दिये जाते हैं किसानों के। आज जलाये जाते हैं, लेकिन पहले गरीब को 500 रुपये में मिलते थे, आज पांच हजार में मिलते हैं। जो बजरी की हालत है, वही डोडा पोस्त की हालत है और वही शराब की हालत है। कड़वी और सच्ची बात कोई कहे या नहीं कहे, पर शराबबंदी से सफलता नहीं मिल सकती। बंद तब सम्भव है, जब समाज में जागरुकता होगी, जनभागीदारी होगी। शराब, डोडा, बजरी, तमाम ये जो चीजें हैं, इन्हें बंद करने की हिम्मत जनता के सहयोग से बनती है।

आज गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन हकीकत अलग है। यहां डोडा पोस्त बंद है, जबकि हकीकत अलग है। मैं मांग करता हूं कि जो बूढ़े लोग हैं, जो मारवाड़ में कई सालों से हैं, उन्होंने कौन-सा गुनाह किया जो 500 रुपये में बेचारे लेते थे। आज कानून के डर से पांच हजार में एक सोण की तरह डोडा लेते हैं। लेना उनका जरूरी है। हकीकत यह है कि आज जब एक सब्जी वाला फलों का ठेला लेकर जाता है, सब्जी लो, सब्जी लो, कोई लेने वाला नहीं है। शाम को खराब ही होती है। मर्जी होती है तो ले भी लेते हैं। आज जहां जिस चीज का बंद है, उस चीज का महत्व बढ़ जाता है। अगर हाथ में कुछ भी नहीं है, तो कहो कि बताओ, फिर कहते हैं कि नहीं बताऊंगा। उनकी लालसा रहती है कि ये क्या है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे शराब है, बंद की बातें मेरे सामने जो भाई बैठे हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देतीं। शराब बंद करने से कभी शराब बंद नहीं हो सकती। सरकार की अरबों रुपयों की आवक, बजरी की तरह कोई बर्बाद करना चाहता है तो भले ही प्रैक्टिकली हम सभी मिल जाएं, कर लो बंद, लेकिन बंद तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि समाज में जागरुकता नहीं आएगी।

आज सब्जी वाला घूम रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। आज जो अफीम डोडा है, आप ठेले पर घुमा लें, माननीय सभापति महोदय, मुझे टोकिएगा नहीं, चाहे कल मेरा नम्बर काट दीजिएगा। मेरा निवेदन है, आज डोडा पोस्त का ठेला लेकर गली में जो घूम रहा है, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। चीजों का महत्व कब बढ़ता है, जब उन चीजों पर प्रतिबंध लगता है। दुनिया को मालूम है कि हत्या करने पर फांसी होगी, लेकिन हत्याएं घटी हैं या बढ़ी हैं? जो अपराध करने का मन में तय करता है, वह अपराध करके रहेगा। जरूरत है कि समाज में जागरुकता लायी जाए, लोगों में समझाइश की जाए।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों का मायाजाल जो पेश हो रहा था, मैं देख रहा था, ये घटे, ये बढ़े। बीजेपी राज में तो मुकदमे दर्ज ही नहीं होते थे, चाहे बीमारी का आंकड़ा हो या मुकदमों का आंकड़ा हो। आज जब थाने में कोई जाता है, लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का आदेश है कि कोई भी अमीर या गरीब, थाने में जो फरियादी आता है, उसे डर नहीं हो और आराम से बैठाकर उसकी बात सुनी जाए।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, एक मेरा सुझाव भी है कि जो कुछ पुलिसकर्मी हैं, जैसे चालीस का स्टाफ है और सात-आठ बदनाम कर रहे हैं। आप कहें तो मैं लिस्ट भी दे सकता हूं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही की जाए। वे पांच लोग जो बजरी के अवैध खनन में लिप्त हैं, चाहे बाड़मेर जिले का बालोतरा हो या पचपदरा थाने में, मैं अलग लिस्ट भी दे दूंगा, क्योंकि वे आदी हो गये हैं दो सालों से और लोग आज भी कई बार कहने के उपरांत भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। यह भगवान राम, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण की धरती है। अहिंसा का संदेश कहां गया? कहां से आ गयी नफरत? आज जो नशे में, एक भगवा रंग की इज्जत क्या थी, मारवाड़ी में एक कहावत है, थने नी नमूं, थारा रंग नै नमूं। भगवा की जो हमारे धर्म में इज्जत है, इससे ज्यादा इज्जत हो नहीं सकती।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मेरी एक डिमांड बाकी है। आज एक आदमी नशे का पव्वा पीकर सड़कों पर उत्पात मचाता है, मां-बाप को रोटी नहीं देता है और वह राम भक्त बनकर नफरत फैलाकर देश में अहिंसा का माहौल खतम करता है। आज दु:ख होता है, कितनी हत्याएं जगह-जगह हो रही हैं। आज मैं बालोतरा में एक महिला थाने की मांग करता हूं। एक ट्रैफिक व्यवस्था के लिए स्टाफ कई सालों से है, लेकिन पुलिस लाइन से अस्थायी तौर पर व्यवस्था की जाती है, प्रैक्टिकली पुलिस है, पर रिकार्ड में ट्रैफिक पुलिस नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, बालोतरा महिला थाना और एक जसोल में बालोतरा से अलग एक नया थाना।

श्री सभापति: विराजिए। समाप्त करें जल्दी। बाकी लिख कर दे दीजिएगा मंत्री जी को। विराजिए अब आप। विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 6, 13, 16 एवं 17 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी काफी चर्चाएं पक्ष-विपक्ष के बीच हुई हैं। उन्होंने सभी आंकड़े भी बताये हैं कि पिछले पांच साल में कितने अपराध हुए हैं और पिछले सात महीने में कितने हुए हैं। मैं किसी सरकार पर आरोपप्रत्यारोप नहीं लगाते हुए कहना चाहता हूं कि वास्तव में अपराध काफी संख्या में हुए हैं पिछले छह-सात महीने में। बलात्कार की वारदातें बढ़ी हैं, रेत माफियाओं वाली बात भी आप लोगों के यहां हुई हैं। अपहरण वाले मामले भी हुए हैं। समाज के दूसरे मामले भी आप लोगों के सामने हुए हैं। चोरी के मामले भी हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सब अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को भी हम सब लोगों को मिलकर मजबूत करना पड़ेगा। पुलिस की जो भी मांगें हैं, उनमें भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। नयी जो भर्तियां हो रही हैं, उन्हें पेंशन भी दी जाए। उनके जो पुराने व्हीकल हैं, साधन हैं, जो दस-दस, पंद्रह-पंद्रह साल पुराने हैं, जो अपराधियों की गाड़ियों के पीछे दौड़ नहीं सकते हैं, उन गाड़ियों को भी चेंज करना पड़ेगा और काफी सुविधाएं आज देनी पड़ेंगी। हमें ये सब चीजें सोचने की जरूरत है।

पिछले काफी दिनों से, जैसे पहले तस्करी दूसरी चीजों में होती थी अफीम, डोडा वगैरह की, उस प्रकार रेत की तस्करी हो रही है। उस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। काफी चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार ने जेलों के बारे में भी काफी कहा, जेल में भी कैदियों की संख्या काफी ज्यादा हो गयी है। उनमें भवन की जरूरत भी है। जेल में कैदियों की संख्या जिस तरह बढ़ी है, उसके अनुरूप भवन की जरूरत है। जेलों में पानी और हवा की व्यवस्था करवाएं। पंखे, टीवी की जरूरत है, उन्हें भी चालू करवाएं। भोजन की गुणवत्ता को देखें। सफाई की व्यवस्था भी देखें।

सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में काफी अफीम और डोडा चूरा भी पैदा होता है, उसके लिए भी मैं आप लोगों से कहना

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

चाहता हूं कि डोडा चूरा पहले राजस्थान सरकार के लेवल पर तुलता था। कोर्ट के आदेश के कारण काफी समय से वह डोडा चूरा तुल नहीं पा रहा है और उसे जलाने के लिए वहां कमेटी भी बनती है, एडीएम साहब की, डिप्टी साहब की और नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी भी वहां होता है, उनके सामने जलाते हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान होता है। माननीय सभापति महोदय, मेरी एक राय है, क्योंकि किसान की चार महीने की गाढ़ी कमाई होती है और उसको जला देते हैं, उसको पैसा नहीं मिलता है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि उन किसानों को मुआवजे के रूप में आप पैसा दें या उसको जलाएं नहीं, खाद के रूप में खेतों में डलवायें तो किसानों को काफी फायदा मिल सकता है। इसी चीज का भी आप लोग ध्यान दिलवायें।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की जो 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, वह भी 8 या 10 घंटा उनकी फिक्स होनी चाहिए ताकि उससे उन पर लोड नहीं बढ़े। जो स्टाफ की कमी है, उस कमी की भी आप लोग पूर्ति करवायें। होमगार्ड के बारे में भी बात हुई कि होमगार्ड को वास्तव में ड्यूटी नहीं मिलती है तो उनको ड्यूटी भी दिलवाने की आप लोग कृपा करवायें।

माननीय सभापति महोदय, अभी भरतसिंह जी ने बंदूकों के लाइसेंस को रिन्यू करवाने के बारे में बताया कि वास्तव में जो फीस काफी बढ़ गई है उसका पैसा भी आप लोग कम करवायें। किसान बंदूक रखता है, इसलिए रखता है क्योंकि किसानों के रोजड़े वगैरह की काफी दिक्कत रहती है जिससे जरूरत भी रहती है। वह रिन्यू का जो पैसा है वह बहुत ज्यादा लगता है इसलिए उस पैसे को भी आप कम करवायें।

मेरे वहां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लपकों की काफी परेशानी है तथा बाहर से जो पर्यटक आते हैं, उनको वे परेशान भी करते हैं इसलिए एक पर्यटक पुलिस थाना किले पर खुलवाने की आप कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, करनी नहीं चाहिए पर पिछले 5-6 महीने में जो हमें देखने में मिला है उसमें पूरे चित्तौड़गढ़ जिले की नहीं करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो पुलिस लिमिटेड फर्म की तरह से काम कर रही है, प्राइवेट कम्पनी की तरह से काम कर रही है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, डीजी साहब या जो भी बैठे हैं उनको भी ध्यान देने

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

की जरूरत है। मेरे वहां पर काफी तस्करी वे खुद करवा रहे हैं और लपकों को पैदा कर रहे हैं।

मैं आपको रेत के बारे में बताऊं तो हाईवे पर, एनएच पर जो बैठे हैं, वहां भी गुंडे, बदमाश लोग बैठे हैं और वे पुलिस संरक्षण में गाड़ियों को रुकवाते हैं, चाहे वे गिट्टी की गाड़ियां हों, रेत की गाड़ियां हों या ओवरलोड गाड़ियां हों, उनसे पैसा ले रहे हैं, खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं तो उस पर भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां थाने में कोई भी केस दर्ज कराने जाता है उसको पार्टी पालिटिक्स के बारे में पूछा जाता है कि तू कौनसी पार्टी से बिलोंग करता है, कौनसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। यह बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं और प्रूफ के रूप में भी अगर मंत्री जी कहें तो प्रूफ के रूप में आपको पूरी रिकार्डिंग सुना दूंगा कि तू कौनसी पार्टी से बिलोंग करता है। कहते हैं कि तू इस पार्टी का है तो तेरा केस दर्ज होगा, इस पार्टी का नहीं है तो तेरा केस भी दर्ज नहीं होगा। इस तरह से जो ज्यादती हो रही है, उसको भी आपको देखने की जरूरत है। काफी लोग परेशान हैं और आने वाले दिनों में अगर इस तरह के आंदोलन होते हैं तो सरकार खुद जिम्मेदार रहेगी। मैं एसपी साहब से भी मिला था, मैंने एसपी साहब को भी यह पूरी बात बताई कि इस तरह की आपके यहां बदमाशी हो रही है तो उन्होंने खुद ने भी फील किया कि वास्तव में इस तरह की छोटी-मोटी घटनाएं हो रही हैं। उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो डिजायर पर अधिकारी लगते हैं, वे अधिकारी दबते हैं। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पुलिस से काम करवाना चाहते हैं तो उसको स्वतंत्र छोड़ दें। अभी सीएम साहब ने बात की थी, मीटिंग भी की थी कि पुलिस स्वतंत्र है, पर पुलिस ऊपरी लेवल पर केवल कहने से स्वतंत्र है, पर नीचे के लेवल पर स्वतंत्र नहीं है। एक कांस्टेबल भी डिजायर से लगता है, एक थानेदार भी डिजायर से लगता है, एक डिप्टी भी डिजायर से लगता है इसलिए जो गतिविधियां होती हैं, वे वहां के जन-प्रतिनिधियों से मिलकर होती हैं। इन सब बदमाशी, गुंडागर्दी को रोकने के लिए आप पुलिस को संरक्षण भी दें और स्वतंत्र रूप से छोड़ें। जो बदमाशी हो रही है, वह बदमाशी आने वाले समय में रुके भी सही। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा बदमाशी हो रही है बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है, उसको आप रोकने की कोशिश करें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

पिछले 6-7 महीने से बलात्कार भी बहुत हुए हैं और जो पोक्सो एक्ट वगैरह के कानून हैं, उनमें भी जो फांसी का प्रावधान है, उस कानून में भी जब तक आप लोग सख्त रूप से कार्यवाही नहीं करेंगे कि मैं सोचता हूं कि यह कानून पूरी तरह से लागू नहीं होगा। जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में ज्यादा हुए हैं या इस सरकार में कम हुए हैं पहले भी हुए होंगे और अभी भी हो रहे हैं, पर इसको रोकने के लिए अपन सब मिलकर इस कानून को सख्त भी करें, पुलिस का हौसला भी बुलंद करें और ऐसे जो बदमाशी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं और जिस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए, उस तरह की आप कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस जिस तरह का बर्ताव चित्तौड़गढ़ जिले में कर रही है, मैं एक बार और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वास्तव में बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादा बदमाशी हो रही है और इस तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में हम सब लोगों को मिलकर वहां आंदोलन करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि लोगों के साथ मैंने 15-20 दिन पहले एक धरना भी दिया, मैंने एक ज्ञापन भी दिया, सब कुछ किया।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और बोलने दें, एक मिनट और बोल दूं। माननीय सभापति महोदय, इन सब घटनाओं को देखते हुए, सभी अधिकारी भी विराजे हुए हैं, वहां जो सीआई लग रहे हैं, डिप्टी लग रहे हैं, आप लोगों के भी खूब खुफिया तंत्र लग रहे हैं, सीआईडी (सीबी) या दूसरी जो भी एजेंसी लग रही है, उससे आप खुद जांच करवायें कि वहां जो पुलिस लग रही है, वह किस तरह की बदमाशी कर रही है, किस तरह से मिलकर गुंडागर्दी कर रही है। उसकी तरफ आप लोगों को सोचने की जरूरत है, ऊपर अधिकारियों को सोचने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय, आप भी एक बार दिखवायें और चित्तौड़गढ़ जिले में कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण रहे, अच्छे वातावरण में हम लोग मिलकर काम करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कान्ति प्रसाद। एक मिनट रुकिये आप।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय दो घंटे बढाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया। श्री कान्ति प्रसाद मीणा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 6, 13, 16 व 17 पर विचार

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे पुलिस, कारागार, आबकारी और न्याय प्रशासन की मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा अलवर जिला है और बहुत बड़ा जिला होने की वजह से इस बजट में हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने अलवर जिले में दूसरा एस.पी. कार्यालय तथा मेरे थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में सी.ओ. आफिस खोलने की घोषणा की है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इस सदन के माध्यम से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति खराब है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और यहां मंत्री महोदय बैठे हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि थानागाजी में सी.ओ. आफिस खोलने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दी, दूसरा सी.ओ. आफिस राजगढ़ में और तीसरा लक्ष्मणगढ़ में है। क्षेत्र बहुत बड़ा है तो कृपया एक एडिशनल एसपी. का आफिस राजगढ़ में खोल दिया जाए तो बढ़ते हुए अपराधों पर रोकथाम लगेगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजगढ़ में एडिशनल एसपी. का आफिस खोलें। दूसरा, मेरे थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में टहला पुलिस थाना है। वह भी पहाड़ी इलाके में है, उसका एरिया 40 किलोमीटर की दूरी में है इसलिए मैं निवेदन

(श्री कान्ति प्रसाद)

करना चाहूंगा कि सकट एक बहुत बड़ा कस्बा है आस-पास गांव है तो सकट में एक पुलिस चौकी खोल दी जाए तो टहला थाने के लोगों को ज्यादा भगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा अपराध पर भी कंट्रोल होगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि जो भी लोग मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में जाते हैं, उसमें कोई 20 आदमियों का नाम लिखवाता है, कोई 10 आदमियों का नाम लिखवाता है, कोई 15 आदमियों का नाम लिखवाता है और उसमें ज्यादा आपस की रंजिश की वजह से या तो सरकारी कर्मचारियों का नाम लिखवाते हैं या फिर पढ़ने वाले बच्चों के नाम लिखवाते हैं और लास्ट में जाकर सब के नाम कट जाते हैं तथा एक-दो लोगों के नाम रह जाते हैं। अब इसमें पुलिस दोषी है या एफआईआर दर्ज कराने वाला दोषी है इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें पुलिस दोषी है तो पुलिस के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और अगर मुकदमा दर्ज कराने वाला है तो मुकदमा दर्ज करवाने वाले के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह कार्यवाही होगी तो शायद बेवजह की माथाफोड़ी पुलिस को भी नहीं होगी और रिपोर्ट दर्ज कराने वालों को भी नहीं होगी।

दूसरा, मेरा निवेदन है मेरे थानागाजी में JIO मोबाइल की केबल लाइन डल रही है। कल की घटना है कि एक मकान के सामने डण्डा बना हुआ था उस डण्डे को जबरदस्ती तोड़कर केबल लाइन डालने वाली कम्पनी के लोग केबल लाइन डालना चाहते थे। उन परिवार वालों ने कहा कि आप नीचे से, अण्डरग्राउण्ड डाल लो, इस डण्डे को मत तोड़ो परन्तु यह कहने के बावजूद 20-25 लोग आये और उस परिवार के बच्चे, आदमियों, औरतों से जबरदस्त मारपीट की जिसका कल प्रतापगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ है। सभापति महोदय अब इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही हो क्योंकि आज उस परिवार को पीट रहे हैं, कल किसी और को पीटेंगे, जबरदस्ती किसी के घर को तोड़कर, किसी के डण्डे को तोड़कर आप केबल लाइन नहीं खींच सकते हो।

(17.00 बजे)

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा ये केबल लाइन जो कंपनी डाल रही

(श्री कान्ति प्रसाद)

है, उसने पीडब्ल्यूडी के अंदर रोड कटिंग के पैसे भी नहीं जमा करवाये और दादागीरी से लाइन डाल रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या 16, 17 और 13 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने अलवर जिले में एक नया एसपी आफिस खोलने की घोषणा की है। जिसकी बहुत जरूरत थी क्योंकि अलवर में लगभग 18 हजार एफआईआर हर साल दर्ज होती हैं और मुझे लगता है क्राइम को घटाना तभी सम्भव है, अगर वहां पर एसपी आफिस खोला जाए। इसके अलावा पुलिस में भी नई भर्ती की जाए।

आज हम बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की, आबकारी की और जेल की और मुझे लगता है तीनों आपस में लिंक्ड हैं क्योंकि अगर पुलिस का कार्य अच्छा होता है तो क्राइम कम होता है। क्राइम कम होता है तो जेलों में कैदियों की संख्या भी कम होती है। लेकिन, यह उम्मीद करना पुलिस से कि वह परफैक्ट काम करे तो मुझे लगता है आज की स्थिति में सम्भव नहीं है क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया है, पुलिस थानों में जितनी संख्या पुलिसकर्मियों की होनी चाहिए, उस संख्या में वहां पर नहीं है, प्लस उतने संसाधन भी नहीं है। मुझे खुशी है कि इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने थानों को सशक्त करने के लिए काफी कुछ प्रयास किए हैं, स्वागत कक्ष बनवाये हैं, कैमरे लगाने की बात कही है लेकिन फिर भी मुझे लगता इसमें कम है जैसे कि आप इंवेस्टिगेटिंग आफिसर की बात लें तो ये लोग इतना रिस्क उठाते हैं, किसी केस को इंवेस्टिगेट करते हैं, इनको कुछ अधिक मानदेय देना चाहिए। क्योंकि, अक्सर इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। इसके अलावा पुलिस वालों को एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। मुझे लगता है, ये इतने प्रेशर में रहते हैं कि ये सही और गलत के बीच का फासला तय नहीं कर पाते हैं। आप देखते हैं कि ये 15-15 दिनों में अपने घरों को जाते हैं और मुझे लगता है जब 15 दिन में घर जाते होंगे तो वहां भी उनको 10 बातें सुनने को मिलती होंगी, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कि इतने दिन बाद आप आये हो।

(श्रीमती सफिया जुबेर)

वे तो सोचकर जाते हैं, हम तो घर पर आराम करेंगे, लेकिन घर में भी उनको दो डायलाग सुनने को मिलते होंगे। तो मुझे लगता है, जब सबको फाइव डे वीक मिलता है, तो पुलिस का कम से कम सिक्स डे वीक कर लें, एक दिन की छुट्टी मिलनी ही चाहिए। दूसरी थानों की बात, बहुत जरूरी है कि कोई भी सिपाही अगर एक विधान सभा क्षेत्र में तीन साल से ज्यादा रहता है तो उसकी एक नैटवर्किंग होती है और वह फ्रैंडशिप डवलप कर लेता है, वहां के लोगों से, जिससे वह सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है। तो कोई भी सिपाही हो या थानेदार हो या एएसआई हो, तीन साल से ज्यादा एक विधान सभा क्षेत्र में उसको रहने नहीं दिया जाना चाहिए। यह पालिसी मैटर है, इस पर पालिसी बननी चाहिए।

जो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस में रहते है, यह सच्चाई है तो पुलिस डिपार्टमेंट की मुझे लगता है प्रोपर काउंसलिंग होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रैनिंग होनी चाहिए। इनकी जो परेशानियां हैं वह इनके मन से निकलकर आएं और उन पर सरकार ध्यान दे।

अगर हम महिला डैस्क की बात करें तो महिला डैस्क आज की तारीख में हम नहीं कह पाएंगे कि बहुत अच्छी है, क्योंकि इन पर बहुत काम करने की जरूरत है। नाम की महिला डैस्क हैं, लेकिन उसकी वर्किंग नहीं हो पाती है, इनके लिए अलग से कमरे भी नहीं हैं, बल्कि बहुत से थानों में तो मैंने देखा है कि अलग से महिलाओं के लिए शौचालय भी उपलब्ध नहीं, जो बहुत ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने शौचालय बना दिये पिछली बार लेकिन थानों में मुझे लगता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय इन्होंने नहीं बनाया। जहां महिला मुलजिम भी आती हैं और महिला कर्मचारी भी आती है, तो यह कम्पलसरी होना चाहिए कि राजस्थान के हर थाने में महिलाओं का एक शौचालय अलग हो।

हम बात करें ह्यूमन राइट वायलेशन की तो, सभापति जी, मैं आपको बताना चाहूंगी पुलिस अगर कभी कोई मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उनके पूरे परिवार को उठा लाती है। मतलब, ये कौन से देश का कानून है कि अगर मुलजिम को नहीं पकड़ रहे हो तो उसके भाई को, उसके पिताजी को लाकर दो-दो दिन तक थाने में बिठाकर रखते हैं। कागजों में नहीं दिखाते लेकिन वहां बिठाकर रखते हैं, फिर कहेंगे अब आप अपने बेटे को बोलो कि आ

(श्रीमती सफिया जुबेर)

जाएगा थाने में, समर्पण कर दे। मुझे लगता है, इस प्रकार की हरकत थानों में नहीं होनी चाहिए।

जेल में तो गजब ही दुनिया है। एक अलग ही दुनिया जेलों के बारे में सुनने में आती है कि वहां मोबाइल भी उपलब्ध है, सिगरेट भी है, गुटखे भी हैं, होटल का खाना भी, लेकिन सबकी एक कीमत होती है। इतना महंगा पड़ रहा है जेल में रहना और जो पैसे नहीं देता है वहां, मैंने सुना है उस पर अत्याचार भी होते हैं, तो क्यों न वहां एक कैंटीन खोल दी जाए और जो जिसकी जरूरत है, वह उसको वैसे ही उपलब्ध करा दो, वर्ना जो जेल में मुलजिम होते हैं, उनके परिवार वालों का तो बहुत अधिक खर्चा इसी के बारे में हो जाता है।

अब मैं बात करूं अपने अलवर जिले की तो अलवर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो एक आरिफ हत्याकांड हुआ था तिजारा में। पुलिस सिपाहियों ने, आरिफ बच्चा है, स्टूडेंट है सैकंड ईयर का, घर में घुसकर स्टेनगन से इस बच्चे को मार डाला था और उसकी जांच, इन्होंने क्या की, इनसे कुछ उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है अगर अब सरकार दुबारा इसकी जांच के बारे में सोचेगी, जिन्होंने ये हत्याकांड किया था, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी।

उसके बाद बहरोड़ में पहलू हत्याकांड हुआ था, जिसने देश में हमारे जिले को बदनाम किया, उसमें भी पूर्ण रूप से दुबारा से सही प्रकार से जांच होनी चाहिए। जो मुलजिम हैं, वह गिरफ्तार हों और जो गलत नाम जुड़े हैं, उसमें से निकल जाएं।

एक हत्याकांड अकबर हत्याकांड हमारे रामगढ़ में भी हुआ था, जिसे गौ-रक्षक जिन्हें प्रधान मंत्रीजी ने गौ-भक्षक भी कहा था उन्होंने लात-घूंसे मार मारकर उस अकबर की हत्या कर दी थी और उसमें भी दो मुलजिम अभी खुले आम घूम रहे हैं। हमारे पूर्व गृह मंत्रीजी ने उनकी जांच रुकवा दी थी तो मुझे लगता है, वे दो व्यक्ति जो बाहर हैं, जिनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उनको भी गिरफ्तार करके जांच करनी चाहिए। अब हम बात करें अहिंसा की तो मुझे लगता है, यह इस देश के लोकतंत्र की खूबी है.

श्री सभापति: माननीय सदस्या, एक मिनट में बात समात करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): कि देश को आजादी दिलाने वाले

(श्रीमती सफिया जुबेर)

अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले गांधीजी की छत्रछाया में आज ये सदन है। वही गांधी जी जिन्होंने हमें प्यार करना और अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया और उसी सदन में ऐसे लोगों को भी बैठना पड़ता है, जिन्होंने हत्या की थी और वे उनके शुभचिंतक भी हैं, यहीं लोकतंत्र की खूबी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में मुझे लगता है, लोकतंत्र में दीमक लगाने का काम किया, जितने bad elements of society आज की तारीख में, उनके हौसले बढ़ाने का काम किया है जिसकी वजह से ये क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, जिसको दूर करना या इन लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गये हैं कि ये लोग सोचते हैं कि they can get away with anything उन्हें पालिटिकल संरक्षण भी प्राप्त था। हालांकि अब पिछले 6 महीने में कुछ गिरावट आई है लेकिन कुछ लोग अभी इस बात को नहीं समझे हैं, अभी तक लाइन पर नहीं आए हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अहिंसा पर लोग चलते हैं, धीरे-धीरे वापस लौटकर पटरी पर आएंगे तो क्राइम काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब बात करें हम आबकारी विभाग की तो, सभापति महोदय, जो लिकर शाप खुलती हैं, एक खुलती है लेकिन उसकी ब्रांचेज 10-10 खुल जाती हैं, हर गांव में खुल जाती हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती शोभारानी।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): तो मेरा आपसे यही कहना है, आबकारी विभाग इस बात की पाबंदी करे कि ये ब्रांचेज नहीं खुलें, क्योंकि पीने वाले तो देखिए पी लेते हैं, लेकिन इसका भुगतान तो हम महिलाओं को करना पड़ता है। जिस गांव में जाते हैं महिलाएं कहती हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): मैडम, दुकान बंद करिए, दुकान बंद करवाइए, तो ये दुकान बंद होनी चाहिए तो क्राइम रेट भी कम होगा और हमारी महिलाएं भी कम से कम सुकून की जिंदगी जी पाएंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): आदरणीय सभापति महोदय,

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

आपने मुझे महत्वपूर्ण बिन्दु पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, मैंने महसूस किया है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी केवल उसी पार्टी के विधायकों की बात सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी समय पर करते हैं। जिन विधायकों की सरकार नहीं होती है तो प्रशासन के कर्मचारी, अधिकारी उन विधायक की वाजिब बातों को भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यह विधायक तो सरकार का नहीं है, इसलिए यह हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए विपक्ष के विधायक की बात को अनसुना करते रहते हैं, बल्कि श्रीमानजी हमारे लोकतंत्र में सभी विधायक जनता की भलाई के लिए चुनकर आते हैं। जिस प्रक्रिया से मंत्री चुनकर आते हैं, उसी प्रक्रिया से विधायक भी चुनकर आते हैं, लेकिन सिस्टम में केवल मंत्रियों को ही ऐसे पावर दे रखे हैं, जिससे कर्मचारी, अधिकारी डरते हैं और एक बार कहने से ही जनता के काम हो जाते हैं। अत: श्रीमानजी से विशेष निवेदन है कि सरकार कम से कम ऐसी पावर सभी विधायकों को भी दे, जिससे विधान सभा क्षेत्र में आने वाले कर्मचारी, अधिकारी जिस तरह मंत्रियों से डरते हैं, उसी तरह प्रत्येक विधायक की बातों को भी मानें जिससे जनता जनार्दन की समस्याओं का समय पर निराकरण हो सके।

सभापति महोदय, मेरे जिले धौलपुर में पुलिस के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के आदेश दें और हथियारों के लाइसेंस जल्द से जल्द रिनुअल कराने के भी आदेश दें।

श्रीमान् जी, एक अहम बात और कहना चाहती हूं कि सरकार ने प्रत्येक जिले में सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए आलीशान आफिस बना रखे हैं, लेकिन विधायकों के लिए विधान सभा क्षेत्र में जन सुनवाई के लिए एक आफिस तक नहीं है जबकि श्रीमान् जी, जनता सबसे ज्यादा अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के पास आती है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक विधायक कार्यालय मय कर्मचारी खोला जाए, जिससे जनता जनार्दन का भला हो सके। आपने मेरी बात को गंभीरता से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-6, 13, 16 व 17 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धारीवाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे धौलपुर की माननीय विधायक के लिए कोई ऐसा स्पेशल कानून बनाया जाए और जो इन्होंने मांग रखी है विधायकों के लिए, इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करें। ऐसा कानून बिल लाकर पास कराया जाए। वह एक्ट लागू किया जाए जिससे विधायकों को स्पेशल पावर दिये जाएं। धन्यवाद, आपके लिए।

सभापति महोदय, हमारे धौलपुर जिले में काफी क्राइम है और इस स्थिति को देखते हुए मुकदमे काफी पैंडिंग चल रहे हैं और देरी के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। धौलपुर जिले की स्थिति यह है कि बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा मिलाकर यानी आधे जिले के केस बाड़ी में आते हैं तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि बाड़ी में एक एडीजे कोर्ट और खोला जाए और साथ ही एडीजे कोर्ट हमारी पिछली सरकार ने भी खोले थे। 2008 से 2013 वाले कार्यकाल में घोषणा की माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने, उनके द्वारा भी पहले एक एडीजे कोर्ट खोला गया तो अब मैं फिर एक बार निवेदन करता हूं मंत्री जी धारीवाल जी से कि एक एडीजे कोर्ट की बहुत जरूरत है। काफी एक्सीडेंट्स केस हैं डकैती प्रभावित एरिया है, एससी/एसटी के काफी मुकदमे होते हैं तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, कि मंत्री महोदय, एक एडीजे कोर्ट की घोषणा और करें। सभापति महोदय, एडीजे कोर्ट हमारे यहां खुल गये लेकिन न तो उनके लिए बिल्डिंग बनी, वह पुराने भवनों में चल रहे हैं। दूसरा, जो अधिकारी हैं उनके लिए रहने के लिए कोई मकान की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके रहने के लिए कोई आवास नहीं बने हुए हैं।

सभापति महोदय, एक निवेदन यह है कि वकीलों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, चैम्बर बनाये जाएं। जो परिवादी जाते हैं, उनके लिए भी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। बेचारे धूप में खड़े रहते हैं, कभी बारिश आ जाती है, गर्मी पड़ती रहती है, कभी सर्दी रहती है तो इसके लिए व्यवस्था करें। वकीलों के लिए भी चैम्बर बनाये जाएं। वकीलों को भी आये दिन गुंडे धमकी दे देते हैं कोर्ट में। मारपीट भी कर देते हैं तो उनके लिए कोई सुरक्षा

(श्री गिर्राज सिंह)

के हिसाब से या तो कोई ऐसा बिल लाएं जिसमें उनके लिए अलग से कोई प्रावधान किया जाए या कोर्ट में कोई चौकी खोली जाए तो इससे, सभापति महोदय, गुंडों पर अंकुश लगेगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में केशव नाम का एक डकैत है। उसने अभी 17 तारीख को एक किसान के साथ मारपीट की जो अपना खेत जोत रहा था और उसके हाथ पैर कुल्हाड़ी से काट दिये। अगर अपनी पुलिस इतनी कार्यवाही कर सकती है कि जगन डकैत को 8-10 दिन में सरेण्डर करवा सकती है तो पुलिस इस डकैत को क्यों नहीं पकड़ सकती है? मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी स्पेशल कोई फोर्स बनायी जाए। उस पर काफी हत्या के मुकदमे हैं, लूटपाट के हैं, डकैती के हैं तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए और जो किसान लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो खेतों पर नहीं जा रहे हैं कोई अपनी भेड़-बकरी चराने के लिए नहीं जा रहे हैं कोई भैंसों को चराने के लिए नहीं जा रहा है। उसने इतना आतंक मचा रखा है कि लोगों से चौथ वसूली कर रहा है। जब पुलिस इतनी कार्यवाही कर सकती है, उस जगन डकैत को इतनी जल्द सरेण्डर करा सकती है तो मुझे उम्मीद है, हमारी पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है। स्पेशल कोई ऐसी फोर्स बनाकर यहीं जयपुर से भेजो या जिले में बनायी जाए जो उस डकैत पर तत्काल कार्यवाही करे, उसको मजबूर करे और पकड़ कर जेल के अंदर भेजें।

सभापति महोदय, एक निवेदन यह है कि जो अपने पुलिस की व्यवस्था है अपने थानों पर एक-एक गाड़ी दे रखी है और वह पुरानी गाड़ी दे रखी है। एक थानेदार जाता है कोई एक साल के लिए, कोई दो साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए, वह गाड़ी दो साल, तीन साल, पांच साल चलकर खराब हो जाती है तो अपन उस गाड़ी के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि हर थाने पर दो गाड़ी दी जाएं क्योंकि जब किसी के पास साधन नहीं होंगे तो वे कैसे काम करेंगे। आपने थाने पर एक-एक गाड़ी दे रखी है। एक गाड़ी देने के बाद में कोई मंत्री जी पहुंच गये तो वह गाड़ी तो मंत्री जी के पीछे चलेगी और उसके बाद में क्षेत्र में कोई क्राइम हो रहा है तो पुलिस कैसे जाए या एक जगह क्राइम हो रहा है और दूसरी जगह से सूचना आ गई कि यहां पर कोई गुण्डा उधम मचा रहा है या कोई बदतमीजी कर रहा है तो जब पुलिस के पास गाड़ी नहीं होगी तो, सभापति महोदय, कैसे पहुंचेगे वे लोग? तो मेरा निवेदन है कि आप हर थाने में दो-दो गाड़ी दें और अच्छी क्वालिटी की गाड़ी दें। यह जो

(श्री गिर्राज सिंह)

पुरानी जीप दे रखी है, यह कोई काम की नहीं है। आजकल डकैतों के पास, गुण्डों के पास अच्छी-अच्छी स्कार्पियो और फारचर्यूनर है तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि बढ़िया क्वालिटी की अच्छी गाड़ी स्कार्पियो कम से कम हो। गुण्डों के मुकाबले के लिए अब वह पुरानी जीप क्या मुकाबला करेगी। वो एक मिनट में भाग जाएंगे तो, सभापति महोदय, कोई ऐसी अच्छी गाड़ी की व्यवस्था की जाए स्कार्पियो वगैरह की।

सभापति महोदय, एक निवेदन यह है कि आये दिन जो ये बजरी का झगड़ा हो रहा है, आये दिन हर जिले में कहीं न कहीं पुलिस और बजरी माफिया और खनन माफिया में रोजाना हो रहे हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं यहां पर मंत्री जी बैठे हैं और सभी अधिकारी बैठे हैं। आप कुछ भी मत करो। क्यों रोजाना पुलिस की बदनामी कराते हैं, जिस पाइंट से वे बजरी भरते हैं, जिस घाट से, हर जिले में कोई ज्यादा से ज्यादा 8-10 जगह से भर रहे हैं, आप 25-25 आदमी वहां पर आरएसी के जवान लगा दो और देख लेना एक भी बजरी माफिया अगर कहीं से भी एक मुट्ठी बजरी लेकर निकल जाए तो। वहां पर लगा दो आप पुलिस। जब उस पाइंट पर ही अगर हमारी पुलिस लगी रहेगी तो वे बजरी भरेंगे कहां से, उनकी मशीन कहां से चलेगी, उनके ट्रक कहां से भरेंगे, ट्रैक्टर कहां से भरेंगे? सभापति महोदय, आप यह करके देखें, आपको दो दिन में ही इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर एक भी बजरी माफिया उस पाइंट पर चला गया तो वहां पर पुलिस के पच्चीस जवान मिलेंगे न, उस घाट पर, तो कहीं भी बजरी माफिया की एक मुट्ठी बजरी उठाने की हिम्मत नहीं होगी। वे रास्ते में भर कर नहीं आएंगे और रास्ते में भर कर नहीं आएंगे तो जो ग्रुप में ट्रैक्टरों में इकट्ठे आ जाते हैं और पुलिस की गाड़ी में ट्रैक्टर मार देते हैं तो पुलिस वाले क्या करें तो, सभापति महोदय, जो पाइंट हैं हर जिले में 8-10 जगह से ज्यादा पाइंट नहीं है, चम्बल की बजरी है या अन्य जिलों में ऐसे पाइंट हैं कि वहां पर अपने आरएसी के 20-20, 25-25 जवान आरएसी के लगा दें तो एक मुट्ठी भी बजरी की नहीं आ सकती है।

सभापति महोदय, जो जेल की बात है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अभी तो स्टार्ट किया है, साहब।

श्री सभापति: एक मिनट में।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक मिनट में क्या, एक मिनट तो आप यह रोकने में लगा देते हैं। सभापति महोदय, एक निवेदन यह है कि जो जेल है, हमारे बाड़ी में एक उप कारागार खोला जाए। बाड़ी से सरमथुरा और बसेड़ी की दूरी काफी है तो वहां पर एक उप जेल खोली जाए। ये जो जेल में मोबाइल चल रहे हैं और आये दिन डकैत फोन करते हैं लोगों को धमकाते हैं और चौथ वसूली मांगते हैं कि आप मुझे इतने पैसे भिजवा दो और जेल से बैठे-बैठे भले ही वे जेल में हैं तो भी वे फिरौती मांगते हैं तो, सभापति महोदय, जेल में जो मोबाइल हैं उनकी तलाशी ली जाए और ऐसा कोई सिस्टम लागू किया जाए कि वे मोबाइल नहीं कर पाएं।

सभापति महोदय, एक निवेदन यह है कि पुलिस की तनख्वाह बहुत कम है। पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाई जाए जो वेतन-भत्ते हैं इनके, अब दो-तीन हजार रुपये से उनकी खाने की क्या पूर्ति हो पाती है। काफी बड़े-बड़े लोग तो ऐसे हैं, जो 2000 रुपये एक दिन में होटल में ही उड़ा देते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री राजकुमार रोत।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, क्षेत्र में जो +++ हो रही है, जितने भी +++ हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जितने डकैत घूम रहे हैं, जिनके ऊपर इनाम है और जो आये दिन +++ कर रहे हैं, सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उन डकैतों पर तत्काल प्रभाव से नकेल कसी जाए और सभी +++ जेल में जाएं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: +++ शब्द को अपलोपित किया जाए। श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 6, 13, 17 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। न्याय प्रशासन, पुलिस विभाग, आबकारी, कारागार की डिमांड पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने मन की बात, अपने-अपने विचार, अपने-अपने सुझाव दिये हैं। मैंने आभास किया कि सभी यही चाह रहे हैं, कुछेक के सुझाव अलग आये, सब यह चाह रहे हैं कि हमारे अधिक से अधिक थाने खुलने चाहिये, न्यायालय खुलने चाहिये, अधिक से अधिक न्यायाधीश होने चाहिये, अधिक से अधिक स्टाफ होना चाहिये। यह हम किस दिशा में चल रहे

(श्री राजकुमार रोत)

हैं, हमारा राज्य किस दिशा की ओर चल रहा है? हम सब यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे एरिया में आने वाले समय में ज्यादा अपराध होंगे तो उसको कैसे रोका जाए। यह अपराध होने के कारण क्या हैं, इस बात पर हम कब जाएंगे। मेरा अनुभव कहता है कि अधिकतर जो पुलिस केस होते हैं, न्यायालय में जो केस जाते हैं, अधिकतर रिलेटेड केसेज ही जाते हैं। मैं विधायक बना इसके बाद अभी कुछ महीने पहले मेरे सामने एक बात आई कि एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा। जो परिवादी था, जो मुलजिम था, वह मेरे पास आया। वह कहने लगा कि एमएलए साहब मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने उससे पूछा कि फिर उस आदमी ने आप पर केस क्यों दर्ज किया है। उसने बताया कि मेरे पिता ने इसके पिता को पहले कभी जमीन के चक्कर में मारा था, उसका केस हुआ था। मतलब आज तक जो मामले आ रहे हैं, वह रिलेटेड हैं कि उसने मेरे पर केस किया है तो भविष्य में मुझे मौका मिलेगा, तब मैं भी करूंगा। हमारे एरिया में अधिकतर ऐसे रिलेटेड मामले आ रहे हैं। मेरा यह मानना है कि कहीं न कहीं यह जो अपराध होने के कारण हैं, हम सभी लोगों को मिलकर उन कारणों पर अंकुश लगाना पड़ेगा।

मेरे क्षेत्र की जो डिमांड है, मेरे क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है, उसके बारे में मैं सदन को अवगत करा दूं। पुलिस विभाग की बात आती है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो थाने पड़ते हैं, कई चौकियां पड़ती हैं। वहां पर जो पुलिस का सिस्टम है, मैंने कुछ समय में अनुभव किया कि शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, आम लोगों की भागीदारी के लिए सीएलजी गठित होती है। मैं भी एक थाने में गया और वहां की सीएलजी रिपोर्ट देखी तो सीएलजी में ऐसे लोग हैं, जिनका जो अपराध होते हैं, उन लोगों से या उस कम्युनिटी से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि थानों में जो सीएलजी कमेटी के जो सदस्य होते हैं, वह सदस्य वह होने चाहिये जिस क्षेत्र से या जिस कम्युनिटी से अधिक अपराध हो रहे हैं, उस क्षेत्र से सीएलजी में सदस्य होने चाहिए।

हमारे क्षेत्र में पेसा एक्ट 1996 से लागू है। पेसा एक्ट में मैंने पढ़ा है कि दो साल से कम की सज़ा वाले मामले पेसा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा गठित होती है, उसमें उनका निस्तारण हो जाना चाहिए। हमारे इलाके में रूढ़िगत ग्राम सभा बनी हुई है, पेसा एक्ट के तहत कहीं ग्राम सभाएं बनी हैं, कहीं नहीं बनी हैं। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पेसा एक्ट की ग्राम सभा,

(श्री राजकुमार रोत)

रूढ़िगत ग्राम सभा को नहीं मानता है और सीधे एफआईआर करा देता है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे एरिया में पेसा एक्ट को थोड़ा मजबूत किया जाए और जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, उसको भी मजबूत किया जाए, उसकी भी बात मानी जाए।

हमारे क्षेत्र में किसी भी विभाग के अधिकारी आते हैं, वह या तो सलेक्टेड, मतलब जो पहली बार सलेक्ट हुए हैं, उनको प्रशिक्षण या प्रयोग के लिए भेजा जाता है या फिर रिजेक्टेड, कोई भी पार्टी आती है और जिनको सज़ा मिलती है तो कहां भेजो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का पानी पिला दो। वह समाज सेवा या लोक हित में सोचकर कभी काम नहीं करेगा। मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में ऐसे अधिकारी भेजे जाएं जो वहां की भाषा समझें क्योंकि वहां जो भीली भाषा बोली जाती है, एक सीआई के पास एक परिवादी जाता है, एक पीड़ित जाता है तो सीआई कांस्टेबल को कहता है कि यह औरत क्या कह रही है समझना। जो अधिकारी वहां की भाषा नहीं समझ पा रहा है, वह किस तरह का न्याय करेगा? मेरा कहना है कि कहीं न कहीं उस क्षेत्र की जो स्थिति है, उस क्षेत्र का जो वातावरण है, उसके अनुसार हमें कुछ कानूनों में बदलाव करने चाहिए।

बात आती है आबकारी विभाग की। हमारे एरिया में गोविंद गुरु करके हुआ करते थे, उन्होंने आजादी के समय बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उनका मेन मकसद यह था कि हमारे क्षेत्र को दारू विहीन किया जाए। अंग्रेजों से आजादी का तो था ही, पर उस क्षेत्र को दारू विहीन किया जाए, यह बहुत बड़ा आंदोलन था। मानगढ़ हत्याकांड हुआ उसमें 1500 लोग मारे गये। पर बड़ी दु:खद घटना है कि पिछली सरकार में जो गोविंद गुरु का जन्म स्थल था बासियां गांव, वहां पर दारू का ठेका खोला गया। मतलब, 1500 लोगों के बलिदान पर पानी फेरा गया। मैं वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद अर्पित करना चाह रहा हूं, उनके सामने मैंने निवेदन किया कि गोविंद गुरु, जिन्होंने उस आदिवासी क्षेत्र को दारू विहीन करने का प्रयास किया और जो 1500 लोगों ने बलिदान दिया, उनकी तो कम से कम लाज रख लो, उनके जन्म स्थल से दारू का ठेका हटा दो। मुख्य मंत्री महोदय ने वहां पर जो दारू का ठेका खुला था, उसको हटाया। इसके लिए हम उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं।

(श्री राजकुमार रोत)

बांसवाड़ा की घटनाएं कुछ दिन पहले न्यूज पेपर में छपी हैं कि 90 घरों की बस्ती में 35 विधवा महिला। बच्चे गिरवी रखने का पहले भी इस सदन में मामला उठा है। महिलाओं का शोषण होना, बच्चे गिरवी रखना, विधवा होने के पीछे मेन वजह दारू है। मैं इस सदन से यह अपील करना चाह रहा हूं कि उस क्षेत्र का, उस समुदाय का अगर भविष्य सुधारना चाहती है, सरकार उसका कल्याण करना चाहती है तो कम से कम उस क्षेत्र को तो दारू विहीन किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा लेकिन जो न्याय का मामला है, आज लोगों की अज्ञानता की वजह से, अशिक्षा की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बाद में आपसी समझौता हो जाता है लेकिन इसके बाद भी न्यायालय में भटकते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसे मामले हैं जिनको 20-20, 25-25 साल हो गये हैं, 25 साल पहले जो परिवार आपस में लड़ा था, वह आज आपस में मिल बैठकर खा-पी रहे हैं लेकिन फिर भी दोनों पेशी पर जा रहे हैं। ऐसे जो लम्बित मामले हैं, उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए और हमारे वहां पर जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, पालवी गणतंत्र चलता है, पुलिस विभाग इस तरह से वहां के लोगों को हैंडल करे कि कोई भी छोटा-मोटा मामला आये तो सबसे पहले ग्राम सभा को वरीयता दें, इसके बाद पुलिस केस हो।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आपने आज महत्वपूर्ण मांग पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। सभापति महोदय, एक बात लगभग यह प्रमाणित होती जा रही है कि कांग्रेस और अकाल में बहुत गहरा दोस्ताना है। इस साल 22 जून तक जो राजस्थान की बारिश की हालत है, वह बहुत दयनीय हालत है।

श्री सभापति: कोई अपने क्षेत्र की बात करनी है तो कर लो, फिर कहोगे समय दो, समय दो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): लेकिन राजस्थान में बलात्कार

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

की बाढ़ आई हुई है। राजस्थान में बारिश से बाढ़ नहीं आई है, बलात्कार की बाढ़ आई है और जिस तरह से पिछले 6-7 माह में दुष्कर्म, गैंग रेप और बलात्कार के मामले हुए हैं वह राजस्थान के लिए बहुत शर्मनाक विषय है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह मांग है कि जैसे लोक सभा चुनाव के समय अलवर कांड हुआ था और उस कारण पूरे देश में राजस्थान की बदनामी हुई थी, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस तरह के प्रकरण क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर गंभीरता से सब मिल-जुलकर विचार करें, जिससे राजस्थान में बलात्कार के दुष्कर्मों में कमी आए।

एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत लंबे समय से विचारणीय था, जब चोरी होती है, चोर जिस घर से गहने वगैरह चुराकर ले जाते हैं और सुनार की दुकान पर ले जाकर बेचते हैं, उससे पुलिस को रिश्वतखोरी का नया तरीका मिल गया है। सुनार को यह पता नहीं होता है कि यह चोरी का माल है या कोई सोने का मालिक उसको बेचने आया है। यह किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि वह चोर है, लेकिन सुनार वे गहने खरीद लेता है। उसमें चोर से भी वसूली की जाती है और सुनार से सोना भी वसूला जाता है और उस सुनार को पैसा भी देना पड़ता है, चोर से उसने सोना खरीदा है उसका। यह पुलिस इस कानून का बहुत बड़ा दुरुपयोग कर रही है। स्वर्णकार समुदाय में इस बात पर बहुत बड़ा रोष है। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चोरी का माल कानूनी नहीं है। जो सोने के आभूषण होते हैं, उसमें यह नहीं लिखा होता है कि यह चोर है या फिर यह साहूकार है। इस बात पर पुलिस इसका इतना दुरुपयोग कर रही है। मेरे भीलवाड़ा शहर में तो विशेष रूप से इस कानून का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि सुनार को दो बार पैसे देने पड़ते हैं। पुलिस को भी देने पड़ते हैं, चोर को भी सोने की कीमत देनी पड़ती है। चोर से भी गहने व उसके पैसे वसूले जाते हैं। यह पैसा कहां जाता है? इस पर गंभीरता से हमको विचार करना चाहिए।

मेरे भीलवाड़ा जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में मैं आपको बताता हूं। कोटड़ी थाने का एक प्रकरण है 104/10, दिनांक 20.05.2010 को एक घटना हुई थी। हिस्ट्रीशीटर ने वह घटना की थी। आज दस साल के बाद भी पुलिस महानिदेशक अजमेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के प्रश्न के उत्तर में मेरे पास जवाब पड़ा है। पुलिस महानिदेशक ने रिपोर्ट कर दी, लेकिन आज की

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

तारीख वह हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार नहीं हुआ है, जबकि गिरफ्तारी के आदेश हो चुके हैं। दस साल तक अगर हम किसी हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार नहीं कर सके तो हमारी पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है। मेरे भीलवाड़ा शहर में चेन स्नेचिंग और चोरियों की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। एक दिन में पांच-पांच, सात-सात दुकानों व मकानों पर ताले टूटते हैं, चोरियां होती हैं।

एक हमारा माधव गो-विज्ञान केन्द्र है, जो अनुसंधान का केन्द्र है, उसके सांवलिया मंदिर में चोरों की इतनी हिम्मत हुई कि चौकीदार को बांध गये और उस मंदिर में लूटपाट की और माधव गो-विज्ञान केन्द्र में उन्होंने चोरी की। मैं सरकार से मांग करूंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। इस मामले पर पुलिस प्रशासन को हिदायत दें कि इस चोरी की घटना को आप किसी भी तरीके से जगजाहिर करें।

मेरे भीलवाड़ा शहर में नगर परिषद् में इतना भ्रष्टाचार है कि एसीबी में कई मामले दर्ज हैं और उसमें सभापति भी लिप्त हैं, अधिकारी-कर्मचारी भी लिप्त हैं। तीन साल हो गये, ढाई-ढाई साल हो गये, दो-दो साल हो गये। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज तक उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं। जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो जनता में कोई मैसेज नहीं जाता है। जनता में मैसेज देने के लिए, उस पद पर रहते हुए अगर उसके खिलाफ एक्शन होता है तो जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैसेज जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा शहर की नगर परिषद् में सभापति और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मुकदमे एसीबी में दर्ज हैं, उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्यवाही शुरू की जाए।

साइबर क्राइम राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि साइबर क्राइम से कानून व्यवस्था को भी खतरा पैदा हो रहा है और व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, जिससे समाज में एक मैसेज जाए और उस मैसेज के माध्यम से हम इस आधुनिक सुविधा का जो सकारात्मक पहलू है, उसको जनता के सामने रख सकें और जो नकारात्मक पहलू हैं, जिसके कारण व्यक्तियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उनको हम कैसे रोक सकें, इस पर हमको भी चिंतन करना चाहिए।

श्री सभापति: कनक्लूड करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं। पुलिस में सीआईडी की एक विशेष शाखा है और एसीबी डिपार्टमेंट हैं, उसमें 25 परसेंट एक्स्ट्रा सैलरी देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गयी है लेकिन इस विशेष शाखा सीआईडी और एसीबी वालों को पुराने वेतनमान पर 25 परसेंट दिया जा रहा है। कई लोगों ने हमसे सम्पर्क किया कि साहब, हमारी यह मांग है और हम बहुत पीड़ित हैं। नये वेतनमान के आधार पर उनको 25 परसेंट सैलरी दी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

होमगार्ड की जो व्यवस्था है, उसमें सरकार का जो अधिकारी होता है, वह होमगार्ड का बहुत शोषण करता है और उसकी मर्जी हो जिसको वह महीने में 30 दिन की ड्यूटी देगा, किसी को रोटेशन में लगायेगा। होमगार्ड की ऐसी पारदर्शी व्यवस्था करें, जिससे प्रत्येक होमगार्ड को उसका नियमित वेतन मिलना चाहिए, उतने के लिए तो उसका ड्यूटी में नंबर आये ही आये। बहुत कम तनख्वाह पर वे काम करते हैं और पुलिस जैसे महकमे का सहयोग करते हैं। इन होमगार्ड के बारे में हमको विशेष योजना बनानी चाहिए। जो व्यावहारिक दृष्टिकोण होता है, लॉ और प्रैक्टिस में बहुत फर्क होता है। थोड़ा-सा अंतर होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यह मांग करूंगा कि कानून और समुदायों के जो मामले आते हैं, उनमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कानून को लागू करें, जिससे समाज में शांति कायम रह सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सम्माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परिवर्तित आय-व्ययक 2019-20 जो मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में पेश किया, बहुत शानदार और सराहनीय था। आज की जो मांगें हैं, उस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कई नयी पहल, कई नये इनसेंटिव्स दिये गये हैं जो आगे के कई रास्ते तय करेगा। एक अच्छी मंजिल की ओर न्याय विभाग भी जाएगा, पुलिस विभाग भी जाएगा। आबकारी और कारागार विभाग में भी सुधार होंगे। मैं राजस्थान का गृह सचिव रहा हूं। पुलिस के बारे में थोड़ा-बहुत समझता हूं। मैंने पुलिस विभाग को बड़े निकट से देखा है। वर्तमान में इस सदन का सदस्य होने के

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय का एडवोकेट भी हूं, इसलिए न्याय व्यवस्था को भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहा हूं और समझता भी हूं। जेल विभाग का जहां तक सवाल है, सेंट्रल जेल एडवाइजरी कमेटी आपने बनायी, उसका भी मैं सदस्य हूं। थोड़ा-बहुत अध्ययन करने की कोशिश की है और अपने कैरियर में कई जेल्स का इंस्पेक्शन खुद किया है। आबकारी विभाग से कोई ज्यादा वास्ता नहीं रहा है। न कभी दारू पी है, लेकिन दारू पीने वालों का हाल बहुत बुरा हुआ है यह मैंने देखा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायिक अधिकारियों की जो वर्किंग कंडीशन है, उसमें गत वर्षों में काफी सुधार आया है। हमारे देखते-देखते सुधार आया है। काफी अच्छी उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं, लेकिन प्रमोशन एवेन्यूज के नाम पर उन साथी अधिकारियों से जब बात होती है तो अभी भी थोड़ा-बहुत असंतोष है और वे महसूस करते हैं कि प्रमोशन एवेन्यूज में इजाफा होना चाहिए और मैं भी इस एस्टीम हाउस में इस बात का समर्थन करता हूं कि न्याय अधिकारियों के प्रमोशन त्वरित गति से होने चाहिए, ताकि वे अपने कैरियर के प्रति आशावादी रहें, मन लगाकर अच्छा काम करें और शीघ्र न्याय जनता को दे सकें। न्याय निकटतम स्थान पर मिले और सुलभ रहे, यह न्याय का सिद्धांत है। इसलिए कोर्ट्स अधिकतम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा जो हम खोल सकें, वे हमें अपनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को देखते हुए खोलनी चाहिए ताकि गांव का आदमी, ढाणी का आदमी अपने निकटतम स्थान पर जाकर अपना न्याय प्राप्त कर सके।

मैंने रेवेन्यू के हैड में सब-तहसील पिलानी की मांग की। पिलानी से मैं आता हूं। पिलानी इंटरनेशनल हब आफ एजुकेशन है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना-पहचाना नाम है। रेवेन्यू के हैड में है लेकिन नायब तहसीलदार का कोर्ट भी सब सबोर्डिनेट टू हाईकोर्ट है। इसलिए मैं यहां भी अपनी बात को रैफर करना चाहता हूं कि पिलानी जैसी जगह पर नायब तहसीलदार का कोर्ट भी स्थापित किया जाना चाहिए। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इस विनम्र विनती को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आपके माध्यम से रैफर किया ताकि मेरी इस बात को बल मिले।

तीन थाने हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, चिड़ावा, पिलानी और मंड्रेला। मंड्रेला विधान सभा के आखिरी छोर पर है। मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर कोई भी न्यायालय नहीं है। मुंसिफ और जुडीशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

वहां स्थापित करने की काफी गुंजाइश है। जनता की मांग भी है ताकि वहां पर मामले सुलटाने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए जो जनता जाती है, उसे दूर जाना पड़ता है। चिड़ावा जाएं, सूरजगढ़ जाएं और कहीं जाएं, जहां मामला है, पिलानी जाएं इसलिए वहीं अगर एक न्यायालय स्थापित हो जाता है तो काफी गुंजाइश है, वर्कलोड भी है और इससे काफी सुविधा जनता को मिलेगी।

पुलिस अधिकारियों की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वह कोई बहुत अच्छी नहीं है। जितना सामने से दिखता है कि पुलिस सशक्त है, वर्किंग कंडीशंस के मामले में अंदर से उतनी ही कमजोर है। दूसरे डिपार्टमेंट्स में काफी सुविधाएं मिली हैं। पुलिस की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उनकी नेचर आफ ड्यूटीज हैं, उसको देखते हुए कंडीशंस ठीक नहीं हैं।

दूसरा, आज के जो क्रिमिनल्स हैं, उनके कम्पेरिजन में जो सुविधाएं पुलिस को मिली हुई हैं, अधिकारियों को, कर्मचारियों को वह नगण्य हैं। क्राइम करने वालों के पास शानदार गाड़ियां हैं, शानदार असला है, लेटेस्ट उपकरण हैं। उसको मैच करता हुआ, वे सारी सुविधाएं हमारे पुलिस बल को भी मिलनी चाहिए ताकि वे उनसे मुकाबला कर सकें, उनसे कोम्बेट कर सकें, उनको पकड़ सकें और अपराधों पर लगाम लगा सकें।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि पुलिस वाले बेईमान होते हैं। ईमानदारी पर शक करते हैं लेकिन हर पुलिस वाला बेईमान नहीं होता। मैं कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूं पुलिस में जिनकी इंटीग्रिटी बियोंड डाउटफुल है। अच्छा काम करने वालों को निश्चित रूप से पुरस्कृत करना चाहिए। उनको अच्छे असाइंमेंट मिलने चाहिए। उनको कैरियर में आउट आफ टर्न प्रमोशन मिलने के एवेन्यूज भी होने चाहिए, लेकिन जो कोल्यूजिव बिहेवियर रखते हैं, क्रिमिनल्स के साथ में, जो अवैध संबंध रखते हैं, उनके साथ में उठने-बैठने का, रातें बिताने का, सुबह-शाम गपशप मारने का, आप समझते हैं हर तरह का संबंध रखते हैं, ऐसे अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों को जो पुलिस में हैं, उनको आइडेंटिफाई करके पनिश करना चाहिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): कई ऐसे मामले हैं...

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। सहयोग करिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे अधिकारियों

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

को आइडेंटिफाई करके पनिश करना चाहिए और कम्पेरेटिवली कम महत्व के काम पर उनको लगाना चाहिए। साइबर क्राइम एक नया डवलपमेंट है, सोसायटी में। मैं निवेदन करता हूं कि स्पेशल ट्रेनिंग आर्गेनाइज करनी चाहिए पुलिस अधिकारियों के लिए भी और नीचे के सलेक्टेड चाहे वह एसआई हो, चाहे एएसआई हो, जिसको आईओ का काम दें साइबर क्राइम का, उसको स्पेशल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वह आज जो समय चल रहा है साइबर क्राइम का, उसको कम्पीट कर सकें।

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। मैं तो वैसे भी कम बोलता हूं। गौरव यात्रा के नाम से यात्रा निकाली गई थी हमारे प्रदेश में। यात्रा निकली, बड़े जोर-शोर से निकाली गई। झुंझुनूं जिले का रहने वाला हूं, पिलानी से आता हूं। वहां भी यात्रा हुई थी। माननीय प्रधान मंत्री महोदय की भी हुई थी। माननीया मुख्य मंत्री महोदय की भी हुई थी। पता नहीं काले रंग से उनको क्या चिढ़ हो गई? ऐसा कुछ सिलसिला चल पड़ा, आजकल का पता नहीं। मैं तो उस वक्त की बात कह रहा हूं। अगर किसी के काले जुराब भी हों, सामान्य तौर पर जुराब काले होते हैं तो भी दिक्कत आ गई। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री महोदय की यात्रा थी झुंझुनूं जिले में, चिड़ावा में और उनकी यात्रा जब जा रही थी तो मेरे साथी, छोटे भाई, एनएसयूआई के साथी, यूथ कांग्रेस के साथी और कई नौजवान, वे शांति से कांग्रेस के पक्ष में नारे लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के विरुद्ध, सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध नारे लगा रहे थे, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज किया पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत। अब कहां के पशु, काहे के पशु। पशु हमारे एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चलाने से चलते हैं क्या? वह मुकदमा दर्ज हो गया। बगैर थाने में, एफआईआर नंबर 197/18, कई लड़के ऐसे हैं, कई साथी ऐसे हैं, जिनकी नौकरी लग चुकी हैं और वे वेट कर रहे हैं कि कब यह मुकदमे खतम हों। उन सब मुकदमों का और जो कलक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे थे इस काले रंग के खिलाफ, मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं उन नौजवानों का कैरियर दांव पर लग गया है। वे मुकदमे वापस लेने चाहिए। थैंक यू सर।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रसिंह गुढा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आज पुलिस, आबकारी, जेल, होमगार्ड, न्याय के ऊपर जो डिबेट है, इसके लिए मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि आबकारी के मामले में सारे लोगों ने अपने विचार रखे। सभी को पता है कि कैसे एक लाइसैंस की दुकान होती है, पांच दुकान उसके साथ और होती हैं। सदन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको इन सारी बातों का पता न हो। इसके अंदर आबकारी विभाग का भी लेना-देना होता है, पुलिस का भी लेना-देना होता है। इस पूरे सिस्टम के अंदर सारी ब्रांचें चलती हैं। रात को सारा सिस्टम, रात को 8 बजे के बाद में या उससे पहले 24 घंटे जब भी डिलीवरी चाहिए, सारी चीजें मिल जाती हैं। सबको पता है कि इसके अंदर पुलिस वाले भी शामिल होते हैं और आबकारी वाले भी शामिल होते हैं।

मैं होमगार्ड का मंत्री रहा हूं। होमगार्ड के लोगों के साथ प्राब्लम है कि उनको प्रोपर ड्यूटीज नहीं मिलती। उनका हकीकत में शोषण होता है। पिछली सरकार में मुख्य मंत्री गहलोत जी ने भी उनकी तनख्वाह वगैरह बढ़ाए थे। पिछली सरकार में गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने भी खूब अच्छा उनको दिया था। इसके लिए मैं कटारिया साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 2003 में तो इनको मात्र 75 रुपए ही मिलते थे। होमगार्ड के लोग सभी जगह ड्यूटी करते हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं, चुनाव में भी ड्यूटी करते हैं। होमगार्ड के लोगों के साथ पिछले समय में ठीक हुआ लेकिन और गुंजाइश है। प्रोपर उनको ड्यूटी मिले।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, जेल का जो मामला है। मुझे भी दस-पन्द्रह बार जेल जाने का मौका मिला। जो न्यायपालिका का मामला है, मुझे तो यह पता नहीं कि पुलिस में ये कैसे मुक़दमे होते हैं? ऐसे-ऐसे मुकदमे हो जाते हैं कि आदमी जेल के अंदर बैठा है और उसके दूसरे मुकदमे हो जाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कितने मुकदमे थे मेरे ऊपर? वे सारे सलट गए। सबमें बाइज्जत बरी भी हो गया लेकिन पुलिस का जमकर मिसयूज होता है। राज के प्रभाव में या दूसरे प्रभाव में पुलिस पावर का बहुत बड़ी मात्रा में दुरुपयोग होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे याद भी नहीं थे कि मेरे बीस मुकदमे थे, चालीस थे या पचास थे। लेकिन सारे मुकदमे, सबमें मैं बाइज्जत बरी हुआ। सारे राजनीतिक द्वेषता से लगाये गये। पुलिस का जो

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

मामला है इसमें मेरी जानकारी के हिसाब से पुलिस अच्छा काम भी करती है। ईमानदारी से काम भी करती है। अच्छे काम करने वाले अधिकारी भी हैं। लेकिन सच बात यह है कि पुलिस की नजर मंथली पर रहती है। डंपरों से भी पैसे कैसे लिए जाएं? ठेकों से पैसे कैसे लिए जाएं? आरा मशीन से कैसे लिए जाएं? कह रहे हैं कि 6 महीने में मामले बढ़ गये। राज चाहे इधर का आ जाए, चाहे उधर का आ जाए, ये सामने बैठे हुए यही लोग रहते हैं। इसके अंदर अधिकारी ये ही रहते हैं, पुलिस ये ही रहती है। इनकी कार्यशैली के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज बता रहे हैं, इनके इतने ज्यादा बढ़ गये, इनके परसेंटेज इतने बढ़ गये, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। सच बात यह है कि पुलिस के अंदर ईमानदार अधिकारी हैं लेकिन तनख्वाह से ज्यादा इनकी दूसरे पर नजर रहती है। हमारे गांव में गोपाष्टमी के दिन एक यात्रा होती है, गांव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं। उसमें कंसेप्ट यह होता है, चक्कर इसलिए लगाती हैं कि भगवान अगले जन्म में भी मुझे यही गांव, यही घर, यही वर देना। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो यह सोचते हैं कि अगले जन्म में भी मुझे यही बीवी मिले। कई लोग ऐसे होते हैं जो शादी के टाइम ही दुल्हन का हाथ तो हाथ में रहता है और अपनी साली की तरफ देखते रहते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। मैं आपको बताऊं उनकी तनख्वाह की बजाय बंधी और मंथली पर ज्यादा नजर रहती है।

सभापति महोदय, इस मामले में, ईमानदारी की बात है, जमकर भ्रष्टाचार है। थानों की बोली छूटती है। यह थाना 10 लाख का, यह थाना 15 लाख का, यह थाना 20 लाख का, यह थाना 50 लाख का और सबको पता भी है। इसमें किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। एक भी डम्पर, जैसा बाड़ी, धौलपुर से आने वाले सदस्य ने कहा, अगर पुलिस अपना काम करे तो एक मुट्ठी बजरी नहीं निकल सकती। लेकिन इन सबका सिस्टम है, चल रहा है, कोई खास बात नहीं है। यह कटारिया जी के टाइम भी चल रहा था, धारीवाल जी के टाइम में भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, यह बंद नहीं होगा।

मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं होमगार्ड का मंत्री रहा हूं। जेल के मामले में, जेल में आना जाना रहा, शायद इस सदन में सबसे ज्यादा जेल का एक्सपीरियंस मुझे है। इतना एक्सपीरियंस जेल के बारे में शायद किसी और को नहीं होगा।

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

सभापति महोदय, गरीब आदमी जेल में होता है, उसके लिए तो जेल, जेल है। थोड़े-से क्रिमिनल होते हैं, बड़े अपराधी होते हैं उनके लिए तो जेल, जेल है ही नहीं, उनके लिए गैस्ट हाउस है। आप कैमरे की बात कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: शांत रहें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): मेरे लिए तो आपकी मेहरबानी से वह जेल ही थी, +++ चालीस दिन टिकाया था। +++ मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, उन्होंने चालीस दिन तक मुझे, और बिना किसी गलती के। उस सब्जैक्ट पर मेरे लिए क्या था, अभी बता दूंगा आपको, थोडी देर में।

गरीब लोगों का वहां बहुत ज्यादा शोषण होता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े अपराधी होते हैं, उनका खाना बाहर से आता है। जेल के सारे नियमों का जमकर उल्लंघन होता है। एक भी जेल के नियम को फोलो नहीं किया जाता है। जो चीज चाहिए सारी चीजें वहां मिल जाती हैं। दूसरा, जेलों में भीड़ भी ज्यादा है। कटारिया जी ने बताया, भीड़ सबसे बड़ी समस्या है, जेलों में जगह होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, धारीवाल साहब विराज रहे हैं, जेल में हण्ड्रेड परसेंट मोबाइल हैं। कैमरे लगे रहते हैं और सबसे ज्यादा बात जेल में ही की जाती है। आप उसको रोक भी नहीं सकते। आप वहां पर लैंड लाइन फोन लगा दीजिए। वहां कोई संतरी बैठ जाएगा और जो गरीब हैं, वह भी अपने घर बात कर लेंगे। फोन पर बात कराने से, वहां कमजोर लोगों का शोषण होता है, उनसे बेगार ली जाती है।

सभापति महोदय, हमारे झुन्झुनूं के अंदर तो यह हो रहा है, जो एस सी, एस टी के मुक़दमे थे, उनमें 20-30 परसेंट लोग एस सी, एस टी के लोगों को दूसरे लोग हथियार बना कर अपने विरोधी के खिलाफ मुक़दमे में यूज़ करते हैं। आज कल वही सिस्टम, धारा 376 का मुकदमा झूठा लगाकर हथियार के रूप में इनका भी प्रयोग होने लग गया। अपने खिलाफ वाले को टिकाना है तो उसके खिलाफ झूठा 376 लगा दो। जेल 376 के मुलजिमों से भरी पड़ी है। ज्यादातर लंगर में खाना बनाने जाते हैं, वह 376 वाले हैं। मैंने वहां जाकर देखा तो उन्होंने वहां बड़ी सारी आसाराम जी की फोटो टांग रखी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, मजे वाली बात तो, सही तो अभी बता रहा हूं, बीच में क्यों बोल रहे हो? आसाराम जी की फोटो टंग रही है और सारे 376 वाले उनकी तरफ ढोक देकर फिर खाना बनाते हैं। मैंने कहा यह क्या, तो कहा कि यह हमारे गुरु हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन्थ वहां हो गई है। झूठे मुक़दमे में ज्यादातर लोग हैं, सच्चे में भी हैं। हकीकत में 376 के मुक़दमे में मिसयूज हो रहा है। दूसरे मुक़दमों में भी मिसयूज हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, रहा सवाल कानून व्यवस्था का, तो हकीकत में चोरी जमकर हो रही है। पहले भी हो रही थी। चोरों में तो भय है ही नहीं। किसी की बकरी ले जाना, किसी की भेड़ ले जाना, किसी की भैंस ले जाना, यह मामला इनके टाइम भी था। कोई कहे कि अब बढ़ गया, मेरे हिसाब से कम नहीं हुआ है, थोड़ा-बहुत बढ़ा है। चोरियां जमकर हो रही हैं। अपराध थे वह तो रूटीन का काम था। जब से यह धरती बनी है, तब से क्राइम था। जब तक धरती रहेगी तब तक क्राइम होगा, रहेगा। हो सकता है कि हम कंट्रोल करें तो थोड़ा बहुत कम-ज्यादा हो जाएगा। यदि हमारी इच्छा शक्ति हो तो हम इसको रोक तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं। भय का वातावरण हो सकता है।

सभापति महोदय, लास्ट में कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इसके लिए जिम्मेदारी की बात तय करनी चाहिए। जो एमएलए या सांसद है, जिस समाज का विधायक है, वह अपने समाज का डिप्टी लगवा लेता है, अपने समाज का एसएचओ लगवा लेता है, सारे अपने ही लोग लगवा लेता है। उसी समाज का प्रधान, उसी का प्रमुख, एम पी, एमएलए और डिप्टी, थानेदार, दूसरे समाज के लोग कहां जाएंगे?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समाज का विधायक हो, हम यह सोच बना लें कि उस समाज का एसएचओ उस थाने में नहीं लगे। मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग सारे लोग, जिस समाज की मैजोरिटी होती है, उसी के आधार पर टिकट मिल जाता है, उसी के आधार पर जीत जाते हैं, उसी आधार पर मंत्री बन जाते हैं, उसी

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

आधार पर अधिकारी लग जाते हैं। यदि मैं राजपूत हूं तो एसएचओ भी राजपूत होगा, डिप्टी भी राजपूत होगा, राजपूतों की संख्या भी ज्यादा होगी, उस बेस पर, तो बाकी के लोग?

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, हम अलवर में अमूमन यादव समाज का कलेक्टर, एसपी नहीं लगाते। झुन्झुनूं सीकर में जाट समाज का लगाने से बचते हैं। जोधपुर में राजपूत समाज का लगाने से बचते हैं। कहीं हम गुर्जर समाज का कलेक्टर, एसपी लगाने से बचते हैं तो मोटा-मोटा एक ऐसा रूल बन जाए कि जिस समाज का विधायक हो, पावर के अंदर मंत्री हो, उस समाज का एसएचओ नहीं लगे, डिप्टी नहीं लगे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपा राम।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। संविधान आजादी के बाद बना, कानून हमारी रक्षा के लिए बना, न्याय के लिए बना। कानून के रखवाले पुलिस वाले हैं। पुलिस से मेरी सांठ-गांठ ठीक चलती है। डर के मारे नहीं, मैंने पुलिस का काम देखा है। मुझे पता है कि थोड़े समय में आप मुझे बैठने के लिए कह देंगे।

माननीय सभापति महोदय, 1984 की बात है, चूरू में किसान आंदोलन हुआ। आंदोलन उग्र हो गया, बालूराम नाम का किसान पुलिस की गोली से मारा गया। (व्यवधान) झुन्झुनूं था क्या, झुन्झुनूं हो सकता है। मैं नाथूराम जी मिर्धा के करीब रहा हूं। मैं ज्यादा पुलिस के बारे में जानकारी नहीं रखता था, मटिया ड्रेस दिखते ही मुझे गुस्सा आता था कि यह सिर्फ पीटने वाले हैं। मैंने कहा बाबा, पुलिस वालों ने बालूराम को मार दिया, आप इनके जूते मारो न, मैंने यही बोला। मुझे उस वक्त नाथूराम जी मिर्धा ने जो बात कही वह मेरे आज भी मन में है, ध्यान में है। उन्होंने कहा बेटा सुन, जिस दिन राजस्थान की पुलिस या हिन्दुस्तान की पुलिस कमजोर हो जाएगी, बदमाश गुण्डे राज करेंगे, इज्जतदार आदमी घर में डरकर बैठ जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि पुलिस को मजबूत कीजिए, ताकतवर कीजिए, सुदृढ़ीकरण कीजिए, लेकिन सुधरणीकरण भी कीजिए।

कोई गाना था, मैं शादी में नहीं जाऊं मेरी मर्जी, सड़क पर सो जाऊं

(श्री रूपा राम)

मेरी मर्जी, ट्रैफिक रूकवा दूं, मेरी मर्जी। मैंने कहा, ट्रैफिक वालों को सवेरे देख, जब आठ बजे जाता है तो उसकी काम करने की ताकत देख, उसकी कितनी मेहनत है, वह देख।

(18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, जब पुलिस वाला सवेरे ट्रैफिक में जाता है तो क्या करता है, और ज्योंही दिन के 12 बजते हैं तो इस तरह से थक जाता है, और जब चार बजते हैं तो और भी नजारा अलग होता है। वह भी आदमी है, इन्सान है, उसकी भी ड्यूटी है। चार बजने के बाद में हाथ लटक जाते हैं और गर्दन ऐसे होती है। जब छह बजते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं जयपुर में। उसकी गर्दन हिलना बंद हो जाती है, सिर्फ आंखों-आंखों से इशारा करता है। उस वक्त मेरे जैसे 60 से ऊपर वालों को दिखता नहीं है तो मैंने कहा, शादी में न जाऊं मेरी मर्जी, सड़क पर सो जाऊं मेरी मर्जी, ट्रैफिक पर पुलिस रुकवा दूं, माननीय सभापति महोदय, पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जो कार्य जिम्मेदारी का दिया जाता है, समाज को, आपके और हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अच्छी बात बताई, पुलिस को मजबूत कीजिये, लेकिन हम जन प्रतिनिधि आपस में बदले की भावना से पुलिस को गुमराह करके या पुलिस को पोस्टिंग का लालच देकर हम एक-दूसरे का बुरा कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पुलिस के लिए तो आज भी मैंने, मेरे कई माननीय सदस्यों ने कह दिया है, सुदृढ़ीकरण, यानी मजबूती, उसमें सारा आ गया, यानी आज एक अपराधी के पास अच्छी गाड़ी है, तेज दौड़ती है। पुलिस वालों के पास जीप है, वह धीरे-धीरे चलती है। इसमें तो सारी बात आ गई। मैं कुछ नई बातें कहने जा रहा हूं।

मैं राजस्थान की पुलिस के बारे में बोलता, माननीय सभापति महोदय, लेकिन मेरे मकराना में ही इतनी परेशानी है कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। माननीय सभापति महोदय, इस बात को मैंने गम्भीरता से सुना है, जिस थाने में, हमारे बालोतरा वाले विधायक साहब ने कहा, जातीय आधार पर पुलिस में थानों की जिम्मेदारी सम्भलाई जाए।

आप मकराना के बारे में देखिये, जाट बहुल भी है, मकराना में वे लोग अल्प-संख्यक नहीं हैं, जो भारत में अल्प संख्यक हैं, वे बहु-संख्यक हैं। लेकिन आज एक जाति विशेष के बारे में मैं जो बात बताने जा रहा हूं,

(श्री रूपा राम)

मकराना में जो काम होता है, आप जीतकर बहुमत में आये, सरकार में हैं। मैं भी प्रजातंत्र के हिसाब से जीतकर विधान सभा में आया हूं। मेरे क्षेत्र के लोगों का, उनका अधिकार है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए।

मैंने पिछली 5-6 तारीख को पुलिस विभाग पर पर्ची पर कोई दो बात बोलीं। माननीय सभापति महोदय, यहां बोलने के बाद में मैंने सोचा कि बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। उलटा रिएक्शन हुआ है। हम लोग जिस प्रजातंत्र में ताकत से, जो प्रजातंत्र में हम जन प्रतिनिधियों की ताकत है, कहीं आपस में ऐसा नहीं हो जाए कि वह ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटी-सी बात कह रहा हूं। आप कहोगे, बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा, क्या करोगे? मार्शल को लाओगे, मार्शल कह देगा, नहीं बैठाऊंगा, क्या करोगे? अगर मुख्य मंत्रीजी डी.जी. साहब को कहें कि आप ऐसा कीजिये। नहीं करें तो क्या करोगे? उनके समानान्तर कोई दूसरी पुलिस है क्या? मेरे कहने का मतलब है कि जीता हुआ जन प्रतिनिधि अगर पार्टी में नहीं है और उसकी बात की अवहेलना होती है। हम क्या महसूस करें? हम सदन में न्याय के लिए आए हैं। एक विधायक के अधिकारों का हनन ही सब कुछ नहीं है। हमारी जनता को भी न्याय की आशा है। मकराना में, मैंने जो आज के पांच दिन पहले कहा, उसके बारे में हालांकि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, मुझे समय का डर है, कहीं आप मुझे मना नहीं कर दें।

''चाहत है मेरी तेरे घावों पर मलहम लगाऊं,

पर पहले मैं मेरे घावों से राहत तो पाऊं।''

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावा भी बोलना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अब हमारे जो सी.आई. हैं, +++, उनके कारनामे बताऊं। मेरे बोलने के बाद में, एक विधायक के बोलने के बाद में अगर वह कहता है कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या होने वाला है, मैं कह रहा हूं कि यह अपराधियों का, जन-प्रतिनिधियों का और पुलिस वालों का जो गठजोड़ है, आप इसको काबू कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, आज आप इधर हैं, कल हम इधर आ जाएंगे। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने एक बात बहुत कही, पांच बजकर इकतालीस मिनट हुए थे। उन्होंने कहा प्रश्न चिन्ह, प्रश्न वाचक, उनका मतलब था जो

(श्री रूपा राम)

परम्परा चली आ रही है कि अगर सरकार का विधायक जीत गया तो काम नहीं होना या उसको परेशान करना। तकलीफ आपको भी है, तकलीफ हमें भी है। आप अपनों को कह रहे हैं, हम तो सिर्फ हमारे सपनों को कह रहे हैं। इसलिए जो मैंने महसूस किया है, मेरे कई भाइयों को, एक बात बताइये, माननीय मंत्रीजी, मैं आपको कह रहा हूं अगर आप लोग भी अपने सैक्रेटरी को कह दो और फोन नहीं उठाएगा, और कह दे काम नहीं करूंगा, क्या करोगे, कुश्ती लड़ोगे? यह हो रहा है। सत्ता के जो खिलाफ हैं या सत्ता से बाहर जो जीतकर आये हैं। मकराना में मैंने कहा सी.आई. की जांच करवा लीजिये। मेरे चुनाव में जो मेरा प्रतिद्वंद्वी, आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष है, उसकी जांच करवा लीजिये और मेरी जांच करवा लीजिये। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में हमारी जनता को न्याय नहीं मिले और मुझे न्याय नहीं मिले तो मैं समझता हूं, मेरा आना बेकार है।

मैं आपको दो दिन के बाद में अगर, हम तीनों की कार्यवाही करवा लीजिये, जांच करवा लीजिये हम तीनों की, अगर इस जांच में मैं दोषी पाया जाऊं तो आप मुझे हटा दीजिये, मुझे नहीं आना। इस माहौल में मेरा दम घुटता है। जीतकर आने के बाद में अपने आपको बहुत छोटा महसूस करते हैं। क्या कर लोगे आप, अगर एक एम.एल.ए. फोन करता है और वह नहीं उठाये तो। क्या कर लोगे, अगर आप एक सी.आई. को फोन करते हो और वह कहता है, नहीं करूंगा, क्या कर लोगे आप। यह व्यवस्था, जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हम लोग प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं। एक-एक का नम्बर आएगा, याद रखो। यह भस्मासुर वाली बात है। भस्मासुर ने शिवजी से वरदान ले लिया। उसको ताकत मिली, उसको भस्मासुर का कड़ा मिला और उसने पार्वतीजी को मांग लिया। इसलिए लगता है, धीरे-धीरे हमारी आपस में फूट में एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हमने अगर ऐसे ही किया, पुलिस वालों की मैं गलती नहीं मानता हूं। हमारी मिलीभगत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की एक दलील पढ़ी थी हाई कोर्ट की भी दलील पढ़ी थी कि धीरे-धीरे जब अपराधियों का, जन नेताओं का और पुलिस अधिकारियों का जो गठजोड़ बन रहा है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।

लास्ट में, एक मिनट, अब मेरे सी.आई. साहब, जो +++ हैं, मेरे पिछले पांच दिन में बोलने के बाद में एक मेवाराम आदमी, 9.2.2019 को उसके गहने की चोरी हो गई, वह मुकदमा दर्ज कराने गया, नहीं किया। फिर

(श्री रूपा राम)

उसने दुबारा एक ए.डी. चिट्ठी भेजी, नहीं किया। वह कोर्ट में गया, इस्तगासा किया, आज तक उसके चोरी का कोई पता नहीं लगा क्योंकि वह जाति से जाट है, मैं खुला कह देता हूं। जिस जगह प्रजातंत्र में जातीय आधार पर अगर पुलिस वाले, अधिकारी और नेता काम करेंगे, उस जनता का क्या दोष है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे जिस जनता ने जिता दिया, मुझे जिस जनता ने जिताया है तो प्रजातंत्र के आधार पर जीता हूं, जनता का क्या दोष है। इसलिए जनता पर अन्याय मत होने दीजिये। एक ही मिनट की बात है। तीन-चार तारीख को मकराना कोर्ट के आदेश के बाद में 03.04.2019 को दर्ज हुई, रिपोर्ट आज भी दर्ज है, गहने का कोई पता नहीं लगा।

एक आपको, अभी भी, भंवर लाल बाजड़ोलिया, 16.6.2019 को, उसके खेत का लोहे का दरवाजा चोरी हो गया, वह थाने में गया, सी.आई. साहब +++ बैठे थे, तो रिपोर्ट दर्ज करो, किसलिए करेंगे, आपका इंश्योरेंस है क्या? भगा दिया। फिर कहा कि मेरी रिपोर्ट करो, भगा दिया। वही आदमी जब 19 तारीख को जयपुर से मकराना आ रहा था, उसकी बहू थी, उसकी बेटी थी, उसका भाई था। वही सी.आई. मकराना यूनियन के पास में जीप में बैठा था। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूं, उसने कहा देख, जीप में बैठे थे, भंवरलाल को बुलाया, इधर आ, कागज दिखा, कागज दिखा दिये। बोले, आप तो वहीं है न जिसने रिपोर्ट लिखानी चाही। कहा, बैल्ट कहां है। कहा, बैल्ट तो मैं आ गया न इधर। कहा, बैल्ट कहां है, कहा बैल्ट तो जीप में है, मैं उतरकर आ गया तो बैल्ट मेरे साथ नहीं आएगा। ये घटनाएं हैं। दूसरी, आखिरी बात मैं और बता रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, आप मंत्रीजी को मिलकर बताइये।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में, यह चैनाराम गुर्जर की है, और दूसरी अभी-अभी की जो दो-तीन बातें हैं। मकराना में एक जो व्यवस्था बनी हुई है, वहां आप यह जांच कराएं कि किस जन प्रतिनिधि के दबाव में थाना चलता है। मकराना एक सेंसेटिव एरिया है। लगभग 1989 में वहां दंगा हो चुका है। मैं आपको फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी आत्मा जिंदा रखने वाला आदमी उसके लिए संघर्ष करता है। संघर्ष का परिणाम कभी-कभी अशांति में बदल जाता है इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रूपा राम (मकराना): इसमें और भी कुछ बातें हैं। आप टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात जरूरी है।

श्री सभापति: आप माननीय मंत्रीजी को लिखकर दीजियेगा। डा. राजकुमार शर्मा।

श्री रूपा राम (मकराना): एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिये। माननीय सभापति महोदय, मैं तो वैसे ही कम बोलता हूं।

"ऐ कानून के रखवालो, तब तुम कैसे करोगे रखवाली
रोटी जब गरीब की छीनी जाएगी और कोई भरने लगेगा अपनी थाली
हम भूल रहे हैं फर्ज यहां, हम भूल रहे हैं कर्ज यहां,
हम सुन नहीं पाते अर्ज यहां,
जिसके ऊपर बैठे हैं, खुद काट रहे हैं वह डाली।
ऐ कानून के रखवालो, तब तुम कैसे करोगे रखवाली
रोटी जब गरीब की छीन कर कोई भरने लगेगा अपनी थाली।"

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रूपा राम (मकराना): प्लीज, एक मिनट की बात, एक मिनट के लिए, साहब।

"सच कम और ज्यादा झूठ जहां,
पग-पग पर नित दिन लूट जहां,
भाई-भाई में फूट जहां,
जाए स्वार्थ फ़रिश्ते टूट जहां,
अरे भाई को भाई देता है मुंह खोल के खुद मां की गाली,
ऐ भारत के रखवालो, तब तुम कैसे करोगे रखवाली।"

सर, मैं एक बात बता रहा हूं कि जब हमारे जिम्मेदार पद पर झूठे बेईमान, भ्रष्ट नेता और अफसर आ जाएंगे तो परिणाम क्या होगा?

"अंधे जब राह दिखाएंगे,
कैसे मंजिल हम पाएंगे?"

एक अंधा आदमी चौराहा पर बैठकर पूर्व-पश्चिम बताने लग गया तो हम कहीं मंजिल पर नहीं जाएंगे। रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर कोई कैसे जी पाएंगे?

श्री सभापति: विराजिए। डाक्टर राजकुमार शर्मा। विराजिए।

श्री रूपा राम (मकराना): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस बात पर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप मुझे निकाल दीजिए वर्ना मैं फिर कहता हूं, मैं भावुक आदमी हूं, स्वाभिमान बेचकर नहीं जीने वाला हूं, मेरी गलती है तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, आपका नाम मुख्य मंत्री में आ रहा है, बनो तो ठीक है। माननीय मंत्रीजी मैं आपको यह चिट्ठी दे देता हूं।

श्री सभापति: अभी तो आप विराजिए।

श्री रूपा राम (मकराना): प्लीज, आप मेरी बात सुनिए, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिन्द, राम राम-सा।

श्री सभापति: डाक्टर राजकुमार शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, पक्ष विपक्ष के सभी माननीय विद्वान सदस्य पुलिस, जेल और आबकारी के संबंध में इस समय अपने-अपने सुझाव दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैं दो-तीन बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विशेष तौर से, अभी कुछ महीनों पहले फतेहपुर जो मेरे नवलगढ़ से बिलकुल टच में तहसील है, वहां पर अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी शहीद हो गये थे। एक था सी.आई. मुकेश कानूनगो और एक उनके साथ में जो कांस्टेबल थे स्वर्गीय श्री रामप्रकाश झूरिया, वह मेरे नवलगढ़ के रहने वाले थे। दोनों की अपराधियों से मुठभेड़ में हत्या हो गयी, शहीद हो गये। ऐसे पता नहीं कितने केसेज पुलिस में पैंडिंग पड़े होंगे? आज न्याय के लिए उन शहीद के परिवारों को पुलिस मुख्यालय से लेकर नेताओं के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जो कि यहां पर बैठे हैं। यह जो शहीद पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मैंने पूर्व डी.जी.पी. कपिल गर्ग साहब से बातचीत की थी कि यह बार-बार जन सुनवाई के अंदर आते हैं और गाड़ियां भर-भरकर आते हैं तो आप लोग इसमें कम से कम ऐसा नियम तो रखें ताकि इनको जलील नहीं होना पड़े। अपना आदमी भी खो दिया, अपने परिवार का लाडला भी खो दिया और उसके बाद में यह लोग

(डा. राजकुमार शर्मा)

मीडिया ट्रायल भी झेल रहे हैं और उसके बाद में भी इनका काम नहीं हो रहा है तो मेरा यह निवेदन है कि इनके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान करें।

शहीद होने वाले कर्मचारी के आश्रितों को शहीद के पद के बराबर, समकक्ष पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है, मेरा खुद का विचार है लेकिन अगर जो भी वर्तमान में सरकार ने योग्यता तय कर रखी है, जहां पर भी उसको जिस लेवल पर भी सरकारी नौकरी देनी है तो कम से कम उसको चक्कर नहीं लगवाएं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, गृह मंत्रीजी से और डी.जी.पी. साहब से यह कहूंगा कि आप इसमें स्पष्ट नीति बनाएं और इनको न्याय दिलाएं क्योंकि यह परिवार दर-दर भटक रहा है।

दूसरा, आजकल एक बड़े समाचार पत्र में रोजाना एक हमारा ऐसा पत्रकार, हमें आलोक शर्माजी पर गर्व था, आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था तब से उनको देखता आया। बहुत ही अच्छे ईमानदार पत्रकार थे लेकिन आज हमारे बीच में नहीं हैं। रोजाना कुछ न कुछ उनके लिए छपता है। कभी तो उनका बेटा पुलिस मुख्यालय पर रात को 12 बजे जाकर हाथ जोड़ता है कि यह पुलिस वालों, यह डी.जी.पी. साहब, मेरे साथ न्याय करो। कभी विधान सभा के बाहर आकर सभी विधायकों से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हमारे साथ न्याय कराएं कि मेरे पापा का कातिल कौन है या मेरे पापा की किन कारणों से मृत्यु हुई? अगर बार-बार यह चीज आ रही है कि वह व्यक्ति, कमरा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से बुक था तो अभी तक तो कम से कम इंवेस्टीगेशन हो जाना चाहिए था क्योंकि समाचार-पत्रों के अंदर अगर यह चीजें बार-बार आती हैं तो सरकार की धज्जियां उड़ती हैं। हमारे सब लोगों के ऊपर यह आरोप लगते हैं कि उस परिवार के ऊपर जिन्होंने एक होनहार पत्रकार, जिनको पूरा राजस्थान जानता था, उनका काम करने का तरीका हम लोग जानते थे, आज वह व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है और उसके परिवार को यह पता करने के लिए भी भटकना पड़ रहा है कि वह कमरा जिसने बुक किया था, वह व्यक्ति कहां पर है? मैं नहीं जानना चाहता कि उसके पीछे क्या कारण है, वह पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस जांच करे लेकिन कम से कम यह रोजाना जो समाचार-पत्रों के अंदर इस तरह की बात सरकार की जो रोजाना आ रही है कि साहब, पुलिस काम नहीं कर रही है तो पुलिस वालों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।

(डा. राजकुमार शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही आज से 21 महीने पहले नोहर में पवन व्यास नाम का एक युवा साथी जो ई-मित्र चलाता था, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी और वह भी उसके ई-मित्र के आफिस के अंदर। उसकी हत्या कर दी गयी और 21 महीने के बाद में भी उसका परिवार, मुझे आज दु:ख हुआ कि आदरणीय धारीवालजी के पास कई माननीय सदस्यों के साथ जब हम गये तो उसके पिताजी, इनके सामने क्योंकि अपने आदमियों को देखकर आंसू आते हैं, इनके सामने वह गुहार लगाने लग गये हालांकि, हमारे धारीवाल साहब का कहना भी अच्छा था कि हम लोग पूरी जान से, अब एस.ओ.जी. के अंदर जांच चल रही है और अच्छा ईमानदार अधिकारी उसमें आपको न्याय दिलाएगा और कैम्प भी हम वहां पर कराएंगे। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि 13-13 महीने तक, जब दिन दहाड़े हत्या करके कोई चला जाता है तो उस समय क्या सरकार सो रही थी, पुलिस सो रही थी? हत्या पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता और न किसी को करने का अधिकार है लेकिन वह पवन व्यास, आज कितने, करीबन साढ़े तीन सौ किलोमीटर पैदल चलकर उनके साथ सैकड़ों लोग जयपुर तक पैदल मार्च करके आए और आज उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है। 21 महीने के बाद में हमारी पुलिस यही पता नहीं कर पाई कि उस व्यक्ति का हत्यारा कौन है? मैं यह कह रहा हूं कि यह पुलिस लग जाए तो जब बड़े-बड़े आतंकवादियों को नहीं छोड़ा, हमारी पुलिस में इतनी ताकत है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उस परिवार को न्याय दिलाएं और, आदरणीय धारीवाल साहब, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आज आपने स्पष्ट रूप से एस.ओ.जी. के अधिकारी को कह दिया कि आप वहां पर कैम्प करें। लेकिन मैं आप लोगों से भी इतना ही कहना चाहता हूं कि 13 महीने उस समय अगर ध्यान से उस हत्यारे के पीछे पुलिस लग जाती और आप लोग उसमें ढंग से पैरवी करते तो वह हत्यारा पकड़ा जाता लेकिन नहीं पकड़ा गया, कोई बात नहीं। आज चाहे आप कितना भी जोर से बोल लो, कितना ही यहां से मुद्दा उठा लो लेकिन सच्चाई से न तो आप छुप सकते हो और न हम छुप सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, होमगार्ड के विषय में सब लोग बोले, आज ज्यादातर थाने होमगार्ड के भरोसे चल रहे हैं। रात्रि गश्त भी होमगार्ड के लड़कों के भरोसे चल रही है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, होमगार्ड के बारे में

(डा. राजकुमार शर्मा)

चर्चा होते हुए 11-12 साल से तो मैं देख रहा हूं, उनके पैसे भी बढ़ते हैं लेकिन जब आपके पास 24 घंटे वह काम कर रहे हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उनकी जो वाजिब मांगें हैं, उनकी पूर्ति करते हुए उनका नियमितीकरण कर दें ताकि वह लोग भी अपने आपको खुश-नसीब महसूस कर सकें।

एक मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एनआर.एच.एम. के कुछ साथियों ने पिछली सरकार से पीड़ित होकर, प्रधान मंत्री मोदीजी के सामने और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के सामने नारे लगा दिये। वह नारे हमारे मुख्य मंत्रीजी सदन में बोल चुके हैं। आपने 50 लड़कों पर मुकदमे दर्ज करवा दिये, पचास लड़कों पर नारे लगाने पर लोकतंत्र के अंदर। अंग्रेजों का जो शासन था, उससे भी ज्यादा निकल गये। घर में से रात को 12 बजे निकाल-निकालकर उनको थानों में लाकर पटका गया, सिर्फ नारा लगाने के कारण से। राज के खिलाफ उन्होंने बगावत नहीं की थी, उनकी पीड़ा थी, उन्होंने पीड़ा का इजहार किया, इजहार करने के बाद में आज भी वह बच्चे कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। मैं इस सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप उसकी जांच करवाएं और सिर्फ अगर नारेबाजी करने से ही उन लड़कों पर मुकदमे लगे हैं तो मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि उनके मुकदमे वापस लिए जाएं।

कानून व्यवस्था पर दिन-प्रतिदिन हालात भयावह होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन और होते जाएंगे। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो मेरी सोच में है कि पहले जो दबंग टाइप के लड़के थे, जिनको आप चाहे बदमाश मान लो, दबंग मान लो, हिम्मत वाले मान लो, वह सबके सब प्रोपर्टी के काम में लगे हुए थे। व्हाइट कालर के भाई साहब बने हुए थे सबके सब। वह चैरिटी भी करते थे टाइम-टाइम पर। 11 हजार रुपये बच्चों को दे दिये, जाओ क्रिकेट की प्रतियोगिता करवा लो, उद्घाटन करने जाएंगे, समाजसेवी बने हुए थे। आराम से अपना काम चल रहा था, कोई अपराध नहीं कर रहे थे, इज्जत से अपनी गाड़ियों से जाते थे, रेबेन का चश्मा लगाकर कालोनी में बैठते थे। कालोनी का एक प्लाट काटा और आराम से पूरा समय चलता था, 50 लोगों के परिवार को वह पालते थे।

जब से नोटबंदी हुई है न, तब से यह जिस तरह का रियल-एस्टेट का काम जो गर्त में चला गया, अभी आप कुछ नहीं बोलोगे, आज दो साल और रुक जाओ, मैं आज कह रहा हूं आपको, पुलिस के भी हाथ में नहीं रहेगी यह

(डा. राजकुमार शर्मा)

कानून व्यवस्था। आज कह रहा है डाक्टर राजकुमार, जिम्मेदारी के साथ में इस पवित्र सदन में यह कहना चाहता है कि साल दो साल रुक जाओ, घर के बाहर जैसे कि हमारी दीदी अभी बोल रही थीं, जीजी बाई बोल रही थीं कि आज जोधपुर के अंदर चेन पहनकर नहीं निकल सकते, यह जोधपुर में ही नहीं, रात को नौ बजे बाद में आप किसी भी सड़क पर निकल जाओ गांवों के अंदर, पचास-पचास लड़कों का झुंड है, लूटते वह अलग से हैं और कूटते वह अलग से हैं। लूटना तो अलग चीज है, वह कहते हैं, ले जाओ जो हमसे लेना है लेकिन दो-चार उनमें से ऐसे होते हैं कि नहीं इसको कूटो और उसकी पिटाई और करते हैं। उसके पीछे का कारण आपको बता दूं कि यह स्थिति सुधरेगी नहीं, यह मैं आज आपको कह रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि पुलिस की नफरी बढ़ाओ। जिस भी एस.एच.ओ. को फोन करते हैं कि कार्यवाही क्यों नहीं हो रही तो वह यह कहते हैं कि साहब, हमारे पास स्टाफ ही इतना है और जो स्टाफ है, उनमें पांच-सात तो ऐसे लोग हैं कि वह शराब के बिना बाहर खड़े ही नहीं हो सकते, फाइल लेकर ही नहीं जा सकते। मेरे खुद नवलगढ़ थाने का ए.एस.आई. एक जज साहब के सामने पेश हो गया। जज साहब को बदबू आई और उन्होंने कहा कि आपने दारू पी रखी है? बोला, साहब, मैं दारू नहीं पीऊं तो मैं उठकर बाहर ही नहीं आ सकता। यह सच्चाई है इसलिए आपको भर्ती करनी पड़ेगी क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान, चाइना चुनौती नहीं है। हमारे इस देश और प्रदेश के सामने जो चुनौती है, वह चुनौती है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ज्यादातर जो भी हत्याएं हो रही हैं उसके पीछे आर्थिक कारण हैं।

आज जन सुनवाई के लिए आप लोग भी बैठते हैं, सभी 200 माननीय सदस्य बैठते हैं। हमारे यहां सड़कों की मांग करने कौन आता है? सड़क-पानी की मांग करने बहुत कम लोग आते हैं। पता है कौन आते हैं? जमीन के झगड़े वाले, घर में परिवार के झगड़ा करने वाले, चोरी हो गयी, उसको गिरफ्तार कराओ। साहब, हमारी चोरी खुलवाओ। हत्या हो गयी या मारपीट की। इसके अलावा हमारे पास जन सुनवाई में कोई नहीं आता है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

सभापति महोदय, इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज सदन गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा है और जो मैंने तीन-चार चीजें पहले आपको कही हैं, चाहे आलोक शर्मा जी की मृत्यु वाला मामला हो, सामने आना चाहिए। पवन व्यास की हत्या का मामला हो, हत्यारे पकड़े जाने चाहिए और मेरी आपसे प्रार्थना है कि पुलिस विभाग में इतनी भर्तियां करो कि कम से कम पुलिस इतनी हो जाए कि वह आराम से उस कानून-व्यवस्था को संभाल सके। आज मेरे नवलगढ़ थाने के अंदर 47 परसेंट कमी है, 47 परसेंट नफरी की कमी है। वही एस.एच.ओ. उधर भाग रहा है, उसको एक एस.आई. दे रखा है, वह एस.आई. उधर भागता है और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई, वहां पुलिस कैसे नहीं पहुंची? साहब, एक गाड़ी है और उसमें डीजल की व्यवस्था कौन करे? आप अपने को क्यों अंग्रेजों के समय का चला रहे हो, इनके गाड़ियों के पैट्रोल का पैसा तो बढ़वा दो। पैट्रोल का पैसा नहीं बढ़ाओगे तो वह क्या करेंगे? वही करेंगे जो बार-बार आरोप सुन रहे हैं। सभापति महोदय, जीप अपन ने दे दी एम.एल.ए. कोटे से, अब उसके अंदर रोजाना डीजल कौन डलवाए? डीजल-पैट्रोल का पैसा उनको इतना ही मिलता है कि जितना वह एक बार एक गांव के चक्कर काटकर आ जाए। हम कोशिश करें कि एक बार पूरे क्षेत्र के अंदर उसको इधर जाना है, उधर जाना है, वह व्यक्ति फिर कहां से अपनी तनख्वाह में से पैसा देगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे?

सभापति महोदय, मैं यह कहकर बात को समाप्त करूंगा कि पुलिस के जो भी अधिकारी सुन रहे हैं, उनको भी और हमारी सरकार को भी, हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि इनका जो बार-बार मैस भत्ता, यह पुलिस वाले कहते हैं, इनकी तरफ भी ध्यान दो, ये भी इंसान है। और मैं इतना कह सकता हूं कि आप अगर पुलिसकर्मियों की ज्यादा भर्ती कर दोगे, ज्यादा लोग आ जाएंगे तो कानून-व्यवस्था, जो वर्तमान में चल रही है, मैं कह रहा हूं आने वाले समय में और स्थितियां भयावह होने वाली हैं। जिस परिवार में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वहां तो अपराध नहीं होता था, लेकिन आज अगर एक फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति हैं तो पीछे से चोरियां ही होंगी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): यही निवेदन करते हुए बहुतबहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय जी, आपने मुझे न्याय प्रशासन, आबकारी, पुलिस एवं कारागार की मांगों पर चर्चा करने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 'न्याय में देरी' अन्याय होता है, यह न्याय का कंसेप्ट है और जनाब सिर्फ न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ प्रतीत होना चाहिए। यह भी न्याय का कंसेप्ट है। मैं भी कानून का विद्यार्थी रहा हूं। हमने देखा कि जब हाई कोर्ट के फैसले आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाते हैं तो नीचे धरातल पर आकर वह फैसले कैसे दम तोड़ देते हैं, जिससे यह जो तबका बना है कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, वह तबका कमजोर होता है। मेरे पास जितने भी ज्ञापन आये, मैं भी छोटे-से दल का विधायक दल का नेता हूं, मेरे पास ज्ञापन आये। मैं चार चीज- 'न्याय प्रशासन' की आपके सामने रखना चाहूंगा। ये चीजें शिक्षा से जुड़ी हुई हैं चारों की चारों चीजें, लेकिन कोर्ट गयी हुई, यह कोर्ट होकर आयी हैं। जब कोई आदमी आकर यह कहता है कि मैं कोर्ट गया और कोर्ट ने मेरी बात सुनी, लेकिन नीचे सरकार ने नहीं माना, तो साहब, फिर कोर्ट का विश्वास टूटता है। मुकेश कुमार टेलर बनाम राजस्थान स्टेट एस.बी. नंबर 75017 के सेवारत शिक्षकों से अधिक अंक प्राप्त 2019 याचिकाकर्ताओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 2012, जो कि जिला परिषद् के माध्यम से हुई, आज तक न्याय नहीं मिला। न्याय दिलवाने के लिए वह आज भी दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, कम अंक वाले नौकरी में हैं, ज्यादा अंक वाले बाहर बैठे हैं। कोर्ट ने कह दिया कि सरकार इनको नौकरी दे, उत्तर अभी तक नहीं आया है। नम्बर दो- तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 1998 में नियुक्ति से शेष उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार द्वारा लागू न करना घोर अन्याय है। सरकारें दोनों बदल गयीं, जनाब। यह फैसले समय-समय पर 01-07-2003 के फैसले, जो आज तक पैंडिंग हैं। कोर्ट के फैसले 2010 में अनिल शर्मा और 2014 में नीरज सक्सैना के मामले में व्यक्तिगत लागू किया, लेकिन सामूहिक लागू नहीं किया। दो हजार लोग आज भी न्याय की उम्मीद में हैं और 45 दिन से इनका जयपुर में कलेक्ट्री पर धरना चल रहा है। व्यावसायिक शिक्षकों की यह स्थिति, उन शिक्षकों ने भी कोर्ट में जाकर स्टे लिया, लेकिन अभी तक चार अपील हुई, उनमें मनोज फौजदार, मनीष कुमार शर्मा, रघुपाल सिंह और नीरज श्याम तिवाड़ी, चारों के पक्ष में फैसला हुआ, लेकिन सरकार कोर्ट की

(श्री बलवान पूनियां)

बात को नहीं सुन रही। सरकार जब कोर्ट की बात अनसुनी करेगी तो फिर न्याय का दम तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओ.बी.सी. जाति प्रमाण पत्र, हम बार-बार एस.डी.ओ. के पास गये कि यह कोर्ट का आदेश है, आप ओ.बी.सी. का प्रमाण पत्र जारी कीजिए। जो आदेश लेकर आया, उसका जारी कर दिया और जो आदेश नहीं लेकर आया, उसका जारी नहीं किया। आखिर में राज-प्रशासन चाहता क्या है? न्यायालय की अवमानना अगर कुर्सी पर बैठा आदमी करेगा तो फिर न्यायालय का मतलब क्या बचेगा?

राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच की मांग बार-बार बीकानेर में उठायी गयी, जो हमारे बीकानेर संभाग की, बार-बार वकीलों की यूनियनों ने हड़तालें भी कीं, धरने-प्रदर्शन भी किये, लेकिन आज तक राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच बीकानेर में शुरू नहीं हुई। हाई कोर्ट जिला परिषद् जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व दूसरे न्यायालयों में पैंडिंग मुकदमों को निपटाने के लिए हमारे पास, सरकार के पास कोई रणनीति है नहीं, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इंगित कराना चाहता हूं कि यह भार कैसे कम हो, इसकी भी रणनीति सरकार बनाये।

इसके साथ ही, दूसरा, जो आंदोलन हुए राजस्थान में रावला-घड़साना का आंदोलन 2004 में हुआ, उसमें गोलीकांड हुआ, उस गोलीकांड में 9 लोग शहीद हुए। बाकायदा आयोग बना, राजस्थान की सरकारें बदलती गयीं लेकिन आयोग की रिपोर्ट आज तक नहीं आयी। मेहरानगढ़ में दुखांतिका की धूल फांक रही है, फिर किस बात का आयोग, किस बात का न्याय, यह व्यवस्थाएं हमें सुधारनी पड़ेंगी। न्यायालय की इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। मेरा एक छोटा-सा सुझाव है। न्यायालय में लम्बित मामलों पर गैर-सरकारी समूह एवं शोध छात्र-छात्राओं के समूह बनाकर शोध कार्य करवाये जाने की आवश्यकता है। शोध परिणामों को न्यायाधीशों द्वारा मामलों के त्वरित निपटाये जाने हेतु प्रयोग में लाया जाना जरूरी है ताकि मुकदमों का भार कम हो।

सभापति महोदयजी, मैं चर्चा करना चाहूंगा पुलिस के बारे में। बहुत सारे साथियों ने पुलिस के पक्ष और विपक्ष की बात कही, लेकिन स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है। 15 मार्च, 2009 भादरा में कृष्णा जोगी नाम की एक बच्ची की हत्या हुई। हत्या के बाद आंदोलन भी हुआ और मांग उठायी गयी, राजस्थान की विधान सभा में भी यह बात उठायी थी, दो बार जांच भी बदली

(श्री बलवान पूनियां)

गयी, अदम पता में चालान हो गया और आज तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया, उस बच्ची की आत्मा आज भी यह कह रही है कि मुझे मारने वाले और बोरी में पैक करने वाले को अभी तक सरकार और पुलिस पकड़ नहीं पायी। चक राजरसर हत्याकाण्ड 21 जून, 2009, पांच लोगों को गाजर-मूली की तरह काट दिया गया नोहर की धरती पर। जिस पवन व्यास हत्याकाण्ड की यह चर्चा कर रहे हैं नोहर में, उसी नोहर में चक राजरसर हत्याकाण्ड हुआ, पांच लोगों को एकदम काट दिया, पूरे आंगन के बीच में लाशें बिखरी हुई मिलीं, लेकिन आज तक मुलजिम नहीं पकड़े गये। सी.बी.आई. ने जांच की। चार साल से सी.बी.आई. काम कर रही है, लेकिन जैसे गुढ़ा साहब कर रहे थे कि सी.बी.आई. भी वही पकड़ती है, जहां कुछ गड़बड़ हो। यहां इस परिवार को सी.बी.आई. ने न्याय नहीं दिया। सबसे बड़ी संस्था तो सी.बी.आई. को मानते हैं लोग। हमने मांग की, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। पवन व्यास हत्याकाण्ड का साथियों ने जिक्र किया, मुलजिम नहीं पकड़ा गया। आई.जी. स्पेशल की टीम भी बनी, एस.ओ.जी. भी कर रही है। एस.ओ.जी. के अफसर भी मांग लिए गये, लेकिन आज तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया, इसलिए हम चाहते हैं कि मुलजिम तुरन्त पकड़े जाएं और उस परिवार को न्याय मिले, हमने बार-बार इसके लिए आन्दोलन किये हैं।

मैं पुलिस के चेहरे को दिखाना चाहूंगा। अलवर के नीमराणा में हम चलेंगे डायकिन (Daikin) कम्पनी में, 8-9 जनवरी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल मजदूरों की, डायकिन के बाउंसर आये और हड़ताली मजदूरों को सिर्फ इस बात के लिए पीट दिया गया कि आपने जैक कैसे लगा दिये, आपने अपनी यूनियन का झंडा कैसे लगा दिया? उनको पीट दिया गया, उन पर 307 के मुकदमे दर्ज कर लिए गये। बाकायदा वीडियो दिखाया गया। यहां पर हमारे एक माननीय सदस्य ने विधान सभा में बात उठायी। लेकिन डायकिन के मजदूरों को आज तक न्याय नहीं मिला। वह जो बच्चे, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई, वह जेलों में गये, लेकिन उन बाउंसरों का कुछ नहीं बिगड़ा, जिन्होंने मजदूरों को सरेआम पीट दिया, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का काम किया। डायकिन कम्पनी यहां हिन्दुस्तान के नीमराणा में, हिन्दुस्तान की जनता को न्याय नहीं मिले, इससे बड़ी दुर्गति कुछ नहीं हो सकती। मैं कहना चाहूंगा पुलिस अपने रवैये को सुधारे और जनता के साथ न्याय करे। पुलिस बाकायदा शराब के ठेकों से बंधी लेती है...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, दो बातें और रही हैं। पुलिस बाकायदा शराब के ठेकों पर बंधी लेती है और एक पंचायत में एक ठेका, लेकिन पांच-पांच ठेके चलते हैं। कोई खोखे में ठेका, कोई पेटी में ठेका, कोई झोले में ठेका, कोई शराब की दुकान, परचून की दुकान में चलती है, हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं, इसको बंद किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्राइम ब्रांच में 1500 लोगों की नफरी है साहब, लेकिन क्राइम ब्रांच ...

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): साहब, छोटी-सी बात और रही है। एक छोटी-सी बात।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सर, भादरा में डीवाई.एस.पी. का आफिस जो पिछली सरकार ने खोलने की घोषणा की थी, अभी तक खोला नहीं है। पुलिस को टार्गेट तो दिये जाते हैं...

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक मिनट।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): पुलिस को जो टार्गेट दिये जाते हैं...

श्री सभापति: सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। माननीय सदस्य, आसन पैरों हैं। विराजिये आप। विराजिये, विराजिये। सहयोग करिये। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत। विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। माननीय सदस्य, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा, विराजिये आप। श्री शंकर सिंह रावत। माननीय सदस्य, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे आप।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मेरे ऊपर ही यूं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आसन आपको यह निर्देश दे रहा है, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। 40 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। यदि हर आदमी जिस तरह से आप बोल रहे हो उस तरह से बोलेंगे तो रात के तीन बजेंगे यहां पर, आसन अलाउ नहीं करेगा। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 6, 13, 16 और 17 पर बोलने के लिए मौका दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, समय की पाबंदी सिर्फ मेरे से ही आपने बढ़ाई है, रिक्वेस्ट है, आप तो बड़े महान हैं।

मेरे से पूर्व जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उसमें मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार लोगों ने वर्तमान पुलिस पर बात कही है, उसमें पुलिस को संसाधन देने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, क्राइम पहले भी हो रहे थे, अभी भी हैं, अभी नये प्रकार के क्राइम हो रहे हैं। अभी साइबर क्राइम का ऐसा चल रहा है, पहले लोग घरों में जाकर डकैती कर रहे थे आजकल खातों से ही पैसे पार हो रहे हैं इसलिए इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और हमारी पुलिस को ऐसे तंत्र मजबूत करके देने चाहिए ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लग सके।

पुलिस के अन्दर हर अधिकारी बेईमान नहीं होता है। पुलिस के अन्दर बेईमान अधिकारी भी रहे हैं और उनको हमारी सरकार के टाइम, मैं कहना चाहता हूं, यह अपने और पराये के, आपकी सरकार और हमारी सरकार के अन्दर अपन उलझकर रह जाते हैं और सच्चाई को नहीं कह पाते हैं। हमारी सरकार में एस.पी. लेवल के आदमी ट्रैप होकर के उस मन्थली के अन्दर जेल गये हैं। इसलिए ऐसी हिम्मत से कानून को मजबूत बनाने का काम करिये। हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि हर अधिकारी बेईमान नहीं होता है, अधिकारी अच्छे भी होते हैं, जो कभी ऐसे भ्रष्टाचार पर हाथ नहीं लगाएं, ऐसे अधिकारी भी अभी भी हैं। आप कहें तो मैं नाम बताऊं? मैं ब्यावर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और वहां आई.पी.एस. और आई.ए.एस. का एक ट्रेनिंग सेन्टर माना जाए, उस जगह पर...

श्री सभापति: किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ कहें, ऐसे ही ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मैं नाम नहीं लूंगा, आप चिंता नहीं करें। निश्चित तौर पर जिस प्रकार आज क्राइम हो रहा है, जिस प्रकार पुलिस

(श्री शंकर सिंह रावत)

को संसाधन देने की आवश्यकता है, जिस प्रकार पुलिस को सिपाही से लगा कर अधिकारी तक जो प्रमोशन देने की बात भी कही है, उस पर भी मैं सहमति देता हूं कि उनका भी प्रमोशन होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पुलिस ईमानदारी से काम करे, पुलिस की जो आवश्यकता है, जिस प्रकार आज पैसे के लिए, मैं यह कहता हूं, हर आदमी पैसे के लिए दौड़ने का काम करता है, पुलिस भी पीछे नहीं है, सिपाही से लगाकर एस.पी. तक, जो मन्थली के लिए मैंने पहले भी बात कही है, अभी भी पुलिस का जितना पेमेंट बढ़ाना चाहिए, उसका बढ़ाना चाहिए लेकिन वह ईमानदारी से काम करे। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करेगी तो शहर में किसी प्रकार के सट्टे नहीं लगेंगे, लोग फांसी पर नहीं लटकेंगे।

पुलिस अगर अच्छी तरह से, ईमानदारी के साथ में कार्य करे तो जितनी भी आबकारी विभाग की अवैध दुकानें चल रही हैं, वे सिर्फ और सिर्फ पुलिस की मिलीभगत से ही चल पा रही हैं अन्यथा आबकारी विभाग की हिम्मत नहीं कि वे चल पायें। उसको कोई भी, जन प्रतिनिधि हो, कोई कुछ कर नहीं पायेगा। आपस में लड़ाई करने के लिए पुलिस के अन्दर जाएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे तो आबकारी की सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ पुलिस की वजह से चलते हैं, ऐसे आबकारी के ठेके बंद होने चाहिए। आजकल का युवा जो भटक रहा है वह सिर्फ बेरोजगारी के कारण, अपना टाइम निकालने के लिए, अपनी आदत बिगाड़ने के लिए वह सिर्फ शराब पर निर्भर रहता है, शराब की अवैध दुकानों पर बैठता है। हर गली मौहल्ले के अन्दर यह जो शराब की दुकानें लग रही हैं, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। यह नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं ...

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): इतनी बेटियों का अपहरण हो गया, इतनी लड़कियों का हो गया और पुलिस उसको ढूंढ़ती रहती है और पुलिस में वे ही केस जल्दी खुल रहे हैं, जिनके पीछे पहुंच होती है तो कम से कम इसमें रोक लगनी चाहिए। इसलिए पुलिस को जो भी बढ़ाना है, संसाधन देने हैं, उसको बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि अपराधों में भी कमी आए। आधे अपराध जो बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर वे पुलिस की मिलीभगत से बढ़ते हैं। जिस प्रकार शराब की दुकानें जो एक-एक गली-मौहल्लों में खोल रखी हैं...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आबकारी पर इस बात के लिए हर विधान सभा क्षेत्र में सम्बन्धित एस.पी. को पाबंद किया जाए तभी जाकर के अवैध दुकानें बंद होंगी अन्यथा नहीं हो सकती हैं।

श्री सभापति: विराजिये। श्री अमित चाचाण। विराजिये, प्लीज सहयोग करिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, एक मिनट में ही मैं अपनी बात कहूंगा। सभापति महोदय, एक मिनट के लिए।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करिये, ऐसे नहीं चलेगा। आप समय खराब मत करिये। श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 6, 13, 16 और 17 पर चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक पुलिस का स्लोगन है, 'आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय' लेकिन कुछ वर्षों से मुझे लगता है यह स्लोगन चरितार्थ नहीं हो रहा है। आजकल यह स्लोगन चल रहा है कि आमजन में डर, अपराधियों में विश्वास।

आज सभी माननीय सदस्यों ने बताया, पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में बताया, तरह-तरह की बातें भी की गईं लेकिन जिस तरह से अपराध, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, मुझे तो आज यह लगता है, मैं तो पहली बार विधान सभा में जीतकर आया हूं लेकिन यह विधान सभा सत्र कुम्भ के मेले की तरह बीस साल बाद आया है क्योंकि अगर हर बार बजट सत्र में इस तरह की डिबेट होती होगी, हर तरह से सुझाव देते होंगे तो आज तक व्यवस्था बदली क्यों नहीं, आज तक धरातल पर वह व्यवस्था ज्यों की त्यों क्यों है? आज विपक्ष के माननीय सदस्य हर तरह की कमियां बता रहे हैं, हर तरह का ठीकरा कांग्रेस सरकार पर फोड़ने जा रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले पांच वर्षों में राजस्थान सरकार चलायी थी या कोई प्राइवेट कम्पनी चलायी थी? आप जो आज सुझाव दे रहे हैं, आज जो आप बातें कर

(श्री अमित चाचाण)

रहे हैं, पांच साल तक आप कहां गये थे? पांच साल तक आपने सुधार क्यों नहीं किया? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर): पांच साल तक आप चिंतित क्यों नहीं हुए? पांच साल तक कार्य प्रणाली में सुधार क्यों नहीं किया?

आज जो सभी माननीय सदस्यों ने मेरे क्षेत्र की घटना, पवन व्यास घटना के बारे में मांग उठायी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और माननीय धारीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिष्ट मण्डल के साथ एक बहुत अच्छी वार्ता की, तुरन्त पुलिस अधिकारियों को फोन करके उन्होंने कहा कि अस्थायी कैम्प लगाएं। लेकिन मैं पूछता हूं कि आज यह नौबत क्यों आयी कि आज 81 वर्षीय वृद्ध पिता न्याय मांगने के लिए नोहर से जयपुर चलकर 325 किलोमीटर की यात्रा करके आया? जो हत्या दिनदहाड़े की गई, पंचायत घर में की गई, गांव के अन्दर की गई, जिसके बाहर से, अन्दर से गुजरने वाले सैकड़ों लोग उस टाइम गुजर रहे थे फिर भी यह कार्य प्रणाली पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि उसके बावजूद उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कौन मिले हुए थे, इसकी भी इसमें जांच होनी चाहिए।

आज अपराध इस तरह बढ़ रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चों की गैंग दूसरे राज्यों से आ रही है और बैंक के आगे खड़े रहते हैं, बैंक में जो किसान कोई व्यापारी पैसे लेने जाता है, उसकी रेकी करके लाख रुपये, दो लाख रुपये, आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं फिर भी हम नाकाम हैं, हम उन घटनाओं को नहीं रोक पा रहे।

मेरे हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर जिले में पिछले पांच वर्षों में नशे का व्यापार ऐसा फैला, चिट्टे का व्यापार ऐसा फैला कि कल तक जो कालेज में पढ़ने वाले छात्र थे आज वे हिस्ट्रीशीटर बन चुके क्योंकि उन्हें नशे की ऐसी लत लग गई कि वे नशे के बगैर रह नहीं सकते। उनके पास पैसे नहीं हैं इसलिए वे चोरी करते हैं। आज आये दिन खुली सड़कों पर मोटर साइकिल चोरी हो रही है, आये दिन खुली सड़कों पर गाड़ियां चोरी हो रही हैं। कहां जा रही है पुलिस की मुखबरी? उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? जब विधान सभा सत्र चलता है तब तो अधिकारी बहुत सचेत रहते हैं लेकिन मुझे लगता है विधान सभा सत्र खतम होने के बाद बातें ज्यों की त्यों रह जाती हैं, वही कार्य प्रणाली रह जाती है।

(श्री अमित चाचाण)

मैं आपको कहना चाहता हूं जब किसी के चोट लगती है, कोई घाव होता है अगर उसका तुरन्त इलाज कर दिया जाए तो वह घाव जल्दी भर सकता है लेकिन जब वह नासूर बन जाए, जिस तरह से पिछले पांच वर्षों में अपराध बढ़े, आज उस नासूर को ठीक करने के लिए कांग्रेस सरकार को थोड़ा समय लगेगा। उस घाव को भरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। उसका चीरा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उस पर कंट्रोल हो सकता है। आज हम सब माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारियों से भागकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं सभी को यह भी कहना चाहता हूं कि हमें अपने गिरहबान में भी झांकना होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमित चाचाण (नोहर): हमें भी ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन करना होगा। हमें भी ईमानदारी से क्षेत्र में रहकर जनता की सेवा करनी होगी। सभापति महोदय, मैं नोहर की बताता हूं। पहले जनता इसलिए दुखी थी कि उन्हें विधायक नहीं मिलता था। आज अधिकारी इसलिए दुखी हैं कि उनका विधायक 24 घंटे वहां मौजूद रहता है। रात को भी फोन करता है। सुबह भी फोन करता है। इसलिए वहां के अधिकारी चिंतित हैं।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की एक घटना और बताना चाहूंगा, जेल प्रहरी सुखदा स्वामी था, जो जेल में अपराध बढ़ रहे थे, जो मन मुताबिक सुविधा मांग रहे थे, जो नशा मांग रहे थे, उसने उसको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने चैलेंज करके उस जेल प्रहरी की निर्मम हत्या कर दी। उसके कुछ कातिल तो पकड़े गए हैं लेकिन आज भी कुछ फरार हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि उसके कातिलों को पकड़कर, उस परिवार की मांगें माने। आपने समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 6, 13, 16 और 17 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री सुरेश टाक)

सभापति महोदय, मैं समयाभाव को देखते हुए सीधे-सीधे मेरी विधान सभा से ही जुडूंगा। न्याय के मामले में मैं एक मांग करना चाहता हूं कि मेरे वहां मार्बल इंडस्ट्री है, बहुत सारे चैक अनादरण के मामले वहां पर लम्बित रहते हैं जिनका निस्तारण बहुत समय तक नहीं हो पाता है। मैं वहां एक एनआई कोर्ट की मांग करता हूं। वहां अगर सरकार एक एनआई कोर्ट दे दे तो बहुत सारे सैकड़ों, हजारों चैक अनादरण के मामले हैं, उनको लेकर आम जन और व्यापारियों में बड़ी परेशानी है। मैं चाहूंगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट वहां मिले जिससे इस तरह के मामलों का निस्तारण हो सके। अन्य कोर्टों पर इससे अनावश्यक दबाव नहीं पड़े जिससे दूसरे मामले भी जल्दी निस्तारण हो सकें।

सभापति महोदय, मेरे यहां पर अरांई बहुत बड़ा कस्बा है। वहां पर मैं मुंसिफ कोर्ट की मांग करता हूं जिससे कि दूरदराज के गांवों से आने वाले लोगों को जल्दी न्याय मिले। इससे किशनगढ़ कोर्ट का भार कम हो जाएगा और मुकदमों में जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाएगा।

सभापति महोदय, मैं इन सब बातों के बाद पुलिस पर एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं पुलिस वैलफेयर की बात करूंगा। पुलिस हमारी आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखती है, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों के साथ-साथ तनाव भी है, उनका कार्यभार भी ज्यादा है। जिस तरह से सेना और अर्द्ध सैनिक बलों को डिफेंस पर्सन घोषित किया गया है, डिफेंस कोटा उनको मिलता है। मैं चाहूंगा कि पुलिस को भी डिफेंस पर्सन घोषित किया जाए। उनको भी वह सब सुविधाएं मिलें जो आर्मी और अर्द्ध सैनिक बलों को मिलती हैं। यह भी एक तरह से सेना का ही हिस्सा हैं। यह भी शहीद होते हैं। हमारा काम करते हुए, हमारी सुरक्षा करते हुए हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करते हुए, पूरे 24 घंटे स्वयं को ड्यूटी पर रखते हुए अपने परिवारों को छोड़ते हैं। मैं यह चाहूंगा कि पुलिस को यह सुविधा मिले। मैं सारे सदन से चाहूंगा कि हम सब लोग इस पर सहमति बनाएं ताकि यह लोग हमारी अच्छे से सेवा कर सकें।

सभापति महोदय, बहुत सारे अधिकारी ईमानदार हैं। वह अच्छी तरह से पुलिस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। जनता की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ लगा रखा है लेकिन कुछ लोग हैं, जिनकी वजह से पूरा विभाग बदनाम है। आज मैंने अख़बार में पढ़ा था कि यातायात के डीसीपी

(श्री सुरेश टाक)

राहुल प्रकाश सड़क पर। अच्छा लगा यह पढ़कर। अगर अधिकारी इस तरह करने लग जाएं तो कोई काम मुश्किल नहीं है कि नीचे के अधिकारी लापरवाही बरत लें। सारे अधिकारी अगर इस तरह से सोच लें, हां, यातायात के जो 2 एक्सीडेंट जयपुर में हुए हैं, जिस तरह की ये दुर्घटनाएं हुई हैं, उनको देखकर बड़ी चिंता होती है कि किस तरह से हमारा यातायात चल रहा है। आज अगर डीसीपी रोड पर हैं, तो नीचे वाले जो कर्मचारी हैं उन पर भी इस बात का असर जाएगा और इसका प्रभाव सामने आएगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं लेकिन अधिकारी यहां बैठे हैं। गांधी नगर पुलिस स्टेशन 5 साल पहले बन गया था, आज भी वहां सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, वह बहुत बड़ा एरिया है, वहां बहुत ज्यादा क्राइम हैं। वहां विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, जो कि उसके दायरे में आती है। 2 जगह, जहां सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, बजरंग कालोनी, सावतसर और चमड़ा घर, यह एक ऐसा एरिया है, जहां पर क्राइम ज्यादा हैं। यहां बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं। उस थाने में निरीक्षक का पद सृजित किया जाए ताकि अपराधों पर लगाम लगे।

सभापति महोदय, मैं कल की एक घटना आपको कोट करना चाहता हूं। वहां जो सब इंस्पेक्टर, एसएचओ लगा हुआ है, रात को 12 बजे एक कालोनी के 50-60 लोग मेरे पास आते हैं। वह पुलिस से परेशान होकर आये थे। एक लड़की के साथ एक लड़के ने घर में घुसकर मारपीट की। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने वह लड़की थाने में गई। थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फरियाद ले ली गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। गश्ती दल वहां पर पहुंचा। सबसे पहले उस लड़की के घर पर गया। उस लड़की के परिजनों को डांटा। उस लड़की के पिता नहीं हैं। उसकी विधवा मां है। घर में और कोई भी नहीं है। उसके बाद भी दया नाम की कोई चीज नहीं। उसी लड़की को ही डांटा गया, आपके घर पर गार्ड लगा दिए जाएं क्या? तुझे कोई चोट नहीं लगी है। तू झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रही है। मेडिकल होगा, तब तेरी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, नहीं तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। इस तरह की धमकी देकर के एक एस.आई. वहां से जाता है। सभापति महोदय, मैं वहां के सब इंस्पेक्टर को फोन करता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैंने 20 काल किए। सभापति महोदय, एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने 20 काल किये हैं। 20 काल में से 1 भी काल मेरा एसएचओ ने नहीं उठाया। आखिर में मैंने एसपी साहब को मैसेज किया कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूं और मैसेज करूं, लेकिन मैं एसपी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे मैसेज का तुरंत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप मेरे से बात कर सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री सुरेन्द्र सिंह।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सर, एक मिनट। इतनी महत्वपूर्ण बात अगर नहीं बोलेंगे तो इस सदन में आने का मतलब ही खतम हो जाएगा। अगर यह पुलिस इस तरह काम करेगी और अधिकारियों को यह बात नहीं पहुंचेगी तो कैसे न्याय करेंगे। कैसे हम पुलिस की व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे। आज महत्वपूर्ण चर्चा है। आप मुझे बोलने दें।

श्री सभापति: मिलकर के माननीय मंत्री महोदय को आप बताना।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): आप मुझे बोलने दें। मैं मिलकर के कब बोलूंगा। आज मुझे मौका है।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह। विराजें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं यह कहना चाहूंगा कि 20 काल करने के बाद उसने मेरा फोन नहीं उठाया। सुबह तक नहीं उठाया।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): वह एएसआई उस अपराधी के घर गया। अपराधी को पकड़कर के भी नहीं लाया। अपराधी पुलिस के जाने के बाद, फिर एक बार उस लड़की के घर जाता है। उसके साथ फिर गाली-गलौज करता है। घर पर पत्थर फेंकता है। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि रात को क्या किया, क्या नहीं किया। अभी मुझे फोन आया कि एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता की बात कैसे सुनी जाएगी।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही करें, जो पुलिस को बदनाम करते हैं, जो आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास को खो रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजिए आप।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करिए। ऐसे नहीं चलेगा। विराजिए, सहयोग करिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, विराजिए। आसन पैरों पर है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। सहयोग करें। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैं बिलकुल अलाउ नहीं कर रहा हूं। ऐसे नहीं चलेगा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप। प्लीज सहयोग करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजें। श्री सुरेन्द्र सिंह।

श्री सुरेन्द सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 6, 13, 16 और 17 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, किसी भी राज्य के विकास और खुशहाली के लिए कानून-व्यवस्था ठीक होना बहुत जरूरी है। आज के जो हालात हैं, वह आपके सामने हैं। सुबह हमारे प्रतिपक्ष के नेता और उप नेता ने आंकड़ों सहित आपके सामने सारी बातें रखी हैं। हत्या, लूट, चोरी, अपहरण सभी मामलों में हमारी सरकार के सारे रिकार्ड वर्तमान सरकार ने तोड़ दिये हैं। महिलाओं से अपराध 49 परसेंट बढ़े हैं। एसटी में 35 परसेंट और एससी में 47 परसेंट अपराध बढ़े हैं। इससे यह मालूम होता है कि आपकी सरकार आने के बाद अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। मैं इसमें आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं और न ही आलोचना करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

सभापति महोदय, सरकार आए अभी 7 महीने ही हुए हैं। हम मान रहे हैं कि आपकी मजबूरी भी है कि 2 महीने आचार संहिता रही, 2 महीने बाद लोक सभा के परिणाम आपके विपरीत आए तो सदमे में भी चले गए। 7 महीने में से तो यह 4 महीने निकल गए लेकिन हम आगे यह आशा करते हैं कि आप इस कानून व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने आज सुबह से इस चर्चा में भाग लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा आपसे कि इसमें हम सबको मिलकर बहुत गंभीर होना पड़ेगा। मैं आपको दो उदाहरण राजसमन्द जिले के देना चाहूंगा। अभी एक महीने पहले आमेट में योरबाज, एक स्थान पर एक महन्त की हत्या हो गई थी। उन हत्यारों को पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करके गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि वे चार अपराधी जो थे उनकी उम्र 18 से 22 साल थी। वे उस मंदिर में केवल चोरी करने के उद्देश्य से आये थे लेकिन महंत की हत्या करके चले गये।

इसी तरह से, राजसमन्द जिले में भीम में एक कांस्टेबल की हत्या होती है, वह भी तफ्तीश करने गया हुआ था। उस गांव में जब तफ्तीश करने गया तो कुछ नवयुवक थे, उन्होंने जब उस पर हमला किया तो आपस में बात करते हुए उनको यह लगा कि यह पुलिस वाला है, अभी थाने में चला जाएगा तो हम सबको पकड़कर ले जाएगा और उसकी हत्या हो गई। उनकी उम्र भी 18 से 22 साल थी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए यह बड़ा गम्भीर विषय है कि आज वास्तव में युवा किस तरफ जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि आने वाले समय में इन युवाओं को निश्चित तौर से ऐसा वातावरण तैयार करें कि आज नवयुवक मण्डल, नवयुवक आज 18 से 22 साल के लोग भी मर्डर जैसे काम करने में लिप्त होते जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेन्द सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज कहीं भी कालेज के बाहर देखें आप, जहां भी जाएंगे आप देखेंगे, मोटरसाइकल

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

पर आते हैं, नशायुक्त सिगरेट की खुलेआम बिक्री हो रही है। इस पर आप रोक लगाएं ताकि आने वाले समय में युवा भटकें नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कुम्भलगढ़ किला एक ऐतिहासिक दुर्ग है, गत सरकार में प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदीजी ने उसको वर्ल्ड हैरिटेज घोषित करवाया। वहां एक अस्थायी चौकी चलती है। पिछले दस साल पहले यदि आप स्वयं पधारे हुए होंगे, माननीय सभापति महोदय, तो पहले आठ-दस होटलें हुआ करती थीं लेकिन इन दस सालों में वहां इतना विकास हुआ है कि वहां आज पचास होटलें हो गई हैं। देशी-विदेशी पर्यटक खूब आते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां चौकी को स्थायी रूप से बनाएं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 6, 13, 16, 17 पर विचार

श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 6, 13, 16, 17, न्याय प्रशासन, आबकारी, पुलिस और कारागार पर बोलने के लिए मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्रतापगढ़ जिला मध्य प्रदेश के सीमावर्ती अपराध प्रवृत्ति के नीमच, मंदसौर जैसे जिलों के समीप है। वहां कई प्रकार की हत्या, फिरौती और फायरिंग जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती थीं। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव से कुछ समय पहले वोटों के ध्रुवीकरण करने की खातिर समृद्ध कुमावत को निर्मम तरीके से तीन बार

(श्री रामलाल मीणा)

गोली मारी और उसके बाद में भी वह नहीं मरा तो चाकू मारकर, गर्दन काट कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का माहौल बने। उसके बाद मैं मौके पर गया और जाते ही मैंने पुलिस को कह दिया कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो मैं आंदोलन करूंगा, धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा। इससे तत्कालीन सरकार ने घबरा कर छोटी-मोटी कार्यवाही की, लेकिन आज भी उस समृद्ध कुमावत को मारने वाले तीन शूटर्स गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो। मेरे क्षेत्र में जहां आए दिन कोटड़ी चौकी के आसपास का जो एरिया है, वहां दो-तीन बार हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो गये, ऐसी स्थिति पुन: नहीं बने इसलिए उस कोटड़ी चौकी को पुलिस थाने में कन्वर्ट किया जाए, वहां अपराध की गतिविधियां ज्यादा हैं।

माननीय सभापति महोदय, रामपुरिया-रतनपुरिया का जो एरिया है, वह सुहागपुरा और देवगढ़ थाने के बीच में दूर क्षेत्र में पड़ता है, वहां रामपुरिया में पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए। प्रतापगढ़ के तस्कर लोग हैं, लकड़ी काटने वाले लोग, देवपुरा के बीच में होकर निकलते हैं, जहां एक ओर जाखम डैम आ गया और दूसरी तरफ नदी आ गई। एक ही जगह ऐसा है, अगर देवपुरा में चौकी स्थापित हो जाए तो वहां अपराध खतम हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आज टीएसपी क्षेत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं। आज प्रशासन के बारे में, मांग के बारे में भी बोलने का वक्त है। संविधान में नियम बनाया गया है कि आदिवासी क्षेत्र में उन लोगों को समझने वाला, उनकी भाषा को समझने वाले प्रशासन को ही वहां लगाया जाए। मेरी आपसे मांग है कि उस क्षेत्र की गतिविधियों को, उस क्षेत्र के विकास को...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा समय दो मिनट ही हुआ है। पांच मिनट सब माननीय सदस्यों को दिया है। पांच मिनट मुझे भी पूरा मौका दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, प्रतापगढ़ की जनता के साथ अन्याय हो जाएगा, थोड़ा-सा समय और दें।

श्री सभापति: बोलिए आप।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज टीएसपी क्षेत्र में आबकारी विभाग के अंदर आबकारी दुकान खोलने से पहले पेसा एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि वहां की ग्राम सभा की और पंचायत की परमीशन हो, तभी वहां आबकारी दुकान खोली जा सकती है, लेकिन आज उस क्षेत्र में एक भी दुकान एक भी आदिवासी के पास नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां अधिकतम दुकानें आदिवासी लोगों को दी जाएं।

माननीय सभापति महोदय, उस क्षेत्र से गुजरात, मध्य प्रदेश में दारू जा रही है लेकिन वहां भोला-भाला आदिवासी एक बोतल दारू अपने शादी-ब्याह के लिए भी रख लेता है तो उसको बंद कर दिया जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री रामप्रसाद।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): आज चार वर्षों में 487 मुकदमे आदिवासियों पर दर्ज हुए हैं, जबकि वहां ग्राम सभा में प्रावधान है कि जब तक ग्राम सभा और शांति समिति के प्रस्ताव नहीं आते हैं, तब तक थानेदार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री रामप्रसाद। विराजिए माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। सहयोग कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। श्री रामप्रसाद।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 6, 13, 16, 17 पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज पांचवीं अनुसूची जो शिड्यूल्ड एरिया में है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आदिवासी को सामान्य कानूनों से बचाकर रखना और शासन और प्रशासन पर आदिवासियों का नियंत्रण, यानी कि जो आदिवासी सलाहकार परिषद् होती है, वह जिले में सलाहकार परिषद् होती है, उसके नियंत्रण में सब रहेगा लेकिन आज जो पांचवीं अनुसूची है यानी कि आदिवासियों को उस सामान्य कानून से बचाने का मतलब यह हुआ कि संविधान के अंदर अनुच्छेद 13(3)(क), जो रूढ़िगत ग्राम सभा की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बढ़ावा देना था लेकिन उसका उलटा, उसको खतम करने पर

(श्री रामप्रसाद)

तुले हुए हैं। उसका हमने डूंगरपुर जिले में देखा कि जब भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा वहां पर जीता तो वहां पर ऐसा माहौल बन गया कि ये भील प्रदेश की मांग हो रही है तो वहां पर जो राज्य सभा सदस्य थे, जो सामंत हैं, उनके द्वारा एक सर्व समाज के नाम से एक बैठक आयोजित की गई और आदिवासियों पर यह आरोप लगा दिया कि वे सामाजिक समरसता बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा करके इन्होंने निर्देशित किया और पुलिस ने और वहां के लोगों ने मिलकर आदिवासियों पर झूठे आरोप लगाए जिसमें गाड़ियां तोड़ने का जसैल्ला में मूर्ति तोड़ने का और नौळियावाला में महादेव की मूर्ति चोरी करने का जो किया उसमें जो फरियाद करने वाले लोग थे, वे ही मूर्ति तोड़ने वाले थे।

(19.00 बजे)

लेकिन आरोप आदिवासियों के ऊपर लगा दिया और जो वहां बाबा आदिवासी था, उसे बुलाकर उसे नंगा किया गया और बहुत मारपीट की गयी। आज भी उसके हाथ-पैर ठीक से काम नहीं करते हैं। हमने वहां उस वक्त सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन आज तक सीबीआई की जांच नहीं हुई और जो थानेदार वहां पर लगे हुए थे, सभी आदिवासियों को परेशान करने, अत्याचार करने और पैसा वसूल करने का काम कर रहे थे। सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी मुलजिम हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उस थानेदार, जिसकी मौजूदगी में वे सारे सबूत नष्ट किये गये और वहां पर वापस मूर्ति को स्थापित किया गया, के खिलाफ भी जांच कर कार्यवाही हो।

आज भी हम देखते हैं कि उस इलाके में जो पुलिस, आबकारी विभाग और फोरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, ये ही आदिवासियों को बर्बाद करने में जिम्मेदार हैं। यह जो इलाका है, इसमें पुलिस, आबकारी और फोरेस्ट का काम करने का जो तरीका है, उसकी जांच होनी चाहिए। खासतौर से डूंगरपुर जिले में जो थाने हैं, वे सभी बिकते हैं, उनकी बोलियां लगती हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वहां खुलेआम बोलियां लगती होंगी, लेकिन वे थाने जिनमें कमाई ज्यादा होती है, उनमें उनके चहेते थानेदारों को लगाया जाता है।

यह घटनाक्रम जो था, यह पहले था। अभी भी चल रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। उस डूंगरपुर जिले में आज भी आदिवासियों के ऊपर बहुत

(श्री रामप्रसाद)

परेशानी है, इसलिए यह जो थाने बिकने वाला काम था, उस पर जांच होकर कार्यवाही होनी चाहिए। तभी जाकर ये नियंत्रण में आएंगे। बाकी ये जो पुलिस के लोग हैं, ये आदिवासियों को लूटने का काम लगातार जारी रखे हुए हैं। साथ में, यह जो आबकारी विभाग है, उस पर खासतौर से कहना चाहता हूं कि वह भी पुलिस के बराबर में ही है। जो महुए की दारू बनाते हैं पीने के लिए और आदिवासियों द्वारा पूजा करने के लिए, उस दारू की बोतलों पर ये जबरदस्ती केस बनाते हैं और उनका चालान करते हैं और परेशान करते हैं। कोर्ट-कचहरियों के चक्कर में डालते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिड्यूल्ड एरिया में जो आबकारी विभाग है, उसकी पूरी जांच करके उन्हें आदिवासी इलाके से हटाया जाए। अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो कि उदयपुर में है, वहां जो कुलपति हैं वे और +++ बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तत्काल उनके खिलाफ कार्यवाही करके उन्हें हटाया जाए।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा अब।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): 000

श्री सभापति: श्री लालचन्द कटारिया।

शासकीय वक्तव्य

चूरू के अन्दर टिड्डी दल का हमला

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, आज दिन में चूरू से आने वाले वरिष्ठ सदस्य ने टिड्डी दल का प्रश्न उठाया। उन्होंने काकलासर, छाजूसर, कीकासर, रंगाईसर और कुछ गांव सरदारशहर के आसपास के बताये। यह बात सही है कि वहां टिड्डी दल पाया गया है। सबसे ज्यादा संख्या कीकासर और छाजूसर में पायी गयी है। अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। कीटनाशक लेकर बीकानेर से एक दल वहां पहुंच चुका है। आसपास के गांवों में पूरा सर्वे चालू कर दिया गया है।

अब इसमें एक परेशानी लगातार जैसलमेर और बीकानेर की तरफ से आ रही है। वहां जैसे-जैसे आंधी और तूफान आगे बढ़ रहा है, कहीं-कहीं बारिश भी हो रही है। जहां अंडे दे चुका है पहले टिड्डी दल, वहां से भी उनके बच्चों ने दूसरी जगह शिफ्ट होना चालू कर दिया है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता

(श्री लालचन्द कटारिया)

हूं कि लगातार वहां हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। आसपास के जिलों में जिला कलेक्टरों से भी बात हुई है और पूरी चाक-चौबंदी के साथ में कीटनाशकों की आज भी सुबह विभाग द्वारा और व्यवस्था की गयी है। कीटनाशक वहां थोड़े कम हो गये थे। आज सुबह जब मैं सदन में आया था और इस बात का मुझे पता चला तो मैंने अधिकारियों को इस संबंध में आदेश दिये। इसके लिए और भी अलग से बजट आबंटित किया गया। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर किसी भी माननीय सदस्य को, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के जो प्रभावित जिले हैं, उनसे संबंधित कोई भी सूचना हो तो जरूर सूचित करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, सूरतगढ़ में दवाई नहीं बता रहे हैं, जिससे हनुमानगढ़ प्रभावित हो रहा है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): इस संबंध में भी आप मुझे बता दीजिएगा। यह एक ऐसा मामला है कि यदि बरसात हो तो पुराने समय में यह जिस तरह से आगे बढ़ता था, जो इनके बच्चे होते हैं, वे ज्यादा मात्रा में मौसम के हिसाब से बढ़ते हैं। प्रशासन को पूरा चाक-चौबंद कर रखा है, दवाई की पूरी व्यवस्था कर दी गयी है, बोलेरो गाड़ियां लगा दी गयी हैं। आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि रोजाना उनकी मोन्टिरिंग मैं खुद करता हूं। रोजाना प्रशासन के अधिकारियों से बात करता हूं, कलेक्टर से बात करता हूं। जो भारत सरकार का दल है, उनसे भी हर एक-दो दिन में वार्ता होती रहती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर है कि इस बार 26 साल के बाद टिड्डी दल आ रहा है। मुझे आपकी मंशा पर कोई शक नहीं है और आपने त्वरित कार्यवाही की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर आप जिलों में कंट्रोल रूम बनाइए। चूरू में जिन गांवों की मैंने जिस तरह सूचना दी, मेरे सूचना देने से पहले जिला कलेक्टर के पास सूचना होनी चाहिए। आप सारी रेवेन्यू एजेंसी को इसमें इन्वोल्व करें। मैं आज इस सदन में कह रहा हूं, यह इतना बड़ा नुकसान काश्तकारों का होना प्रारम्भ हो गया है, जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। इसमें सारा सदन एक है। आप यहां भी कंट्रोल रूम बनाएं और जिले में कंट्रोल रूम बनाएं। जिले में दवाइयां और व्हीकल्स आपके पास नहीं हैं, बीकानेर से दवाई चली है आपके हुक्म के बाद। टिड्डी दल चट कर गया सारा ही, क्योंकि फसल अभी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उग रही है। बीकानेर से दवाई चलेगी, गाड़ी आएगी, तब तक तो सारा नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा व्हीकल्स का इंतजाम कीजिए। सीमावर्ती जिले इसमें अफैक्टेड हैं, पूरा बीकानेर संभाग अफैक्टेड है। वहां दवाइयों का इंतजाम आप सब-डिवीजन स्तर पर कीजिए। तब तो बात बनेगी, वरना कंट्रोल कैसे होगा।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है, बैठिए। श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। श्री सुरेश सिंह रावत। (अनुपस्थित) श्री अभिनेश महर्षि।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 6, 13, 16, 17 पर विचार

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 6, 13, 16 और 17 के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले पुलिस की बात करता हूं। पुलिस से हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और यह मानते हैं कि अगर कोई अपराध हो गया तो पुलिस तो भगवान की तरह से हमारे बीच में आकर खड़ी हो जाएगी और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन सभापति महोदय, उससे

(श्री अभिनेश महर्षि)

पहले हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि पुलिस में काम करने वाले सभी लोग इंसान हैं, उनके भी परिवार हैं। क्या उनकी ड्यूटीज के बारे में सरकार ने कभी सोचा है? मैस में किस स्थिति में वे जवान खाना खाते हैं, कितनी घटिया उनकी खाने की व्यवस्था होती है, क्योंकि उन्हें मैस का भत्ता ही बहुत कम दिया जाता है। हम उनसे अच्छी वर्दी पहनकर स्मार्ट बनने की उम्मीद तो करते हैं, पर क्या उन्हें वह भत्ता दिया जा रहा है? क्या उनके लिए क्वार्टर्स की उचित व्यवस्था की जा रही है? उनकी बैरक्स में यदि आप लोग जाकर देख लें तो कोई नीचे से नीचे स्तर का आम आदमी भी उनमें रहने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या कभी हमने यह भी सोचा है कि कोई पुलिस के एसपी साहिबान अपने परिवार की तरह से थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर के हफ्ते में एक दिन उनसे बात करके पूछ लें कि तेरी बेटी ठीक है न, तेरा बेटा ठीक है न। क्या यह व्यवस्था भी हम लोग सोचते हैं?

पुलिस के वाहनों की बात सब लोगों ने कर ली। पुलिस के पास वाहन नहीं हैं। एक प्रश्न हमेशा मेरे जेहन में घूमता रहता है। यहां पर माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हैं, डीजीपी साहब भी बैठे हैं। पुलिस के जितने भी वाहन हैं, क्या उनका बीमा होता है? मुझे लगता नहीं कि उनका बीमा होता है और बीमा नहीं होता है और वे जब टक्कर लगा देते हैं तो उस टक्कर के बाद में किस तरह से उसकी लीपापोती करके, किस तरह से उसको धमका कर सैटल किया जाता है, यह भी सोचने की बात है। यदि पुलिस के ऊपर, अपराध के ऊपर यदि हम अंकुश लगाने की बात करते हैं तो, सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो है, समय की जो मांग है, वह है, साइबर क्राइम के ऊपर हमें किस तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे लोग, टेक्नोक्रेट्स साइबर क्राइम को रोकने में सक्षम नहीं हैं। क्या राजस्थान के मुखिया इस बात की व्यवस्था करेंगे कि पुलिस के अन्दर एक अलग से बजट दिया जाएगा, टेक्नोक्रेट्स को वहां पर बिठाया जाएगा, साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स को वहां पर बिठाया जाएगा? आज बैंक के अन्दर यदि किसी का एटीएम हैक हो जाता है, यदि किसी का खाता हैक हो जाता है तो मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने एक मामले के अन्दर लगातार छह महीने से पुलिस की चेजिंग करने

(श्री अभिनेश महर्षि)

के बाद में भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिये कि हमारे पास में इस क्राइम को हल करने का कोई भी तरीका नहीं है।

माननीय, नफरी बढ़ाने की बात सब ने की है, यह बात मानते हैं। आज सबसे बड़ी यदि कोई बात है, देखिये, समाज के अन्दर जब तक सुख-चैन नहीं होगा, जब तक क्राइम के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। आज विधान सभा के अन्दर बोल रहा हूं, मुझे यदि इस बात का डर लगता रहा कि मेरा बेटा सुरक्षित है या नहीं, मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं, तब तक मैं यहां पर मजबूती के साथ में बोल नहीं सकूंगा। जनता के हितों की रक्षा करने का जो जिम्मा मुझे दिया गया है उस जिम्मेदारी से मैं अपने आपसे न्याय नहीं कर सकूंगा इसलिए मन के अन्दर यह विश्वास होना जरूरी है और उसके लिए जरूरी है पुलिस की नफरी को बढ़ाना।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की नौकरी में जो लोग थे वे लोग आज पुलिस के खिलाफ धरना दे रहे हैं और उस वक्त जब पुलिस की नौकरी करते थे तो लोग उनके खिलाफ धरना देते थे तो उन लोगों को भी गिरहबान में झांककर देखना चाहिए। मैं आप लोगों को यह बात भी कहना चाहता हूं कि समाज में जब तक समरसता का वातावरण पैदा नहीं किया जाएगा, क्या पुलिस विभाग के अन्दर इस तरह की कोई एक सेल गठित नहीं की जा सकती जो लोगों को एजुकेट करने का काम करे, लोगों के अन्दर भाईचारा, जाति, धर्म, सम्प्रदाय से ऊपर उठकर बात करने की बात करे।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण और बिन्दुवार बात कर रहा हूं। मुझे सिर्फ दो मिनट का समय चाहिए।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें, अपनी बात।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मैं दो मिनट में मेरी बात को समाप्त कर दूंगा। होमगार्ड की बात मैं नहीं करूंगा, सब ने कर ली, आप उनका भी ध्यान दीजिए।

मैं ड्यूटी का समय निश्चित करने के लिए पुलिस वालों की तरफ से

(श्री अभिनेश महर्षि)

बात करना चाहता हूं कि उनका ड्यूटी का समय निर्धारित कर दीजिए, आठ घंटे की जगह दस घंटे कर दीजिए लेकिन कहीं तो उनके साथ में न्याय कीजिए।

रतनगढ़ के उप कारागृह की बात करना चाहता हूं। उप कारागृह था, पानी से डूब गया, उसको बन्द कर दिया गया। बजट पास है, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है। बेगार जो अधिकारी लोग लेते हैं, उन अधिकारियों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि पुलिस के छोटे अधिकारियों से बेगार लेना बन्द कर दो जिससे वे बेईमान होना बन्द कर दें। मैंने मेरे यहां पर लगे हुए एक सीआई से पूछा था कि मेरे यहां यह काम नहीं चलेगा तो उन्होंने कहा कि यह मेरा नेशनल हाईवे के ऊपर थाना है, बेगार को बन्द करा दीजिए, मैं ईमानदारी से काम कर लूंगा। इसलिए यह प्रश्नचिन्ह समाज के ऊपर लगा हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): अभी बिना राजनीति की बात कर रहे थे, पूरे सदन के 200 माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डीजीपी की नियुक्ति बिना राजनीतिक प्रभाव से होती है? फिर आप बात करते हो कि राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होगी। यह तो सब होता चला आया है। हम कितनी भी बातें कर लें लेकिन यह सब होता चला आएगा। अगर सीने के अन्दर मजबूती है और आप अपनी मजबूती से, आप स्वयं ईमानदार हैं तो कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, जो आपकी बात को नहीं माने।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्रीमती कृष्णा पूनियां।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं दावे के साथ में कहता हूं कि पुलिस का कोई भी अधिकारी हो, अभिनेश महर्षि ने जब भी कोई बात कही है तो उस बात के ऊपर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के उसका काम किया है और यदि नहीं किया है तो हमारे प्रजातंत्र के अन्दर हमारे पास में वे अधिकार हैं जिनसे पुलिस के अधिकारियों को हम सही बात के लिए काम करवाने के लिए सक्षम हैं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बातें तो बहुत लम्बी चौड़ी हैं सभापति महोदय, एक बात कहकर पूर्ण करूंगा। लाछड़सर गांव, शराब की दुकान और

(श्री अभिनेश महर्षि)

विधायक मैम्बर उसके बाद में भी मन्दिर के ठीक एकदम सामने शराब की दुकान छह महीने से चल रही है और वहां पर अधिकारी मिलीभगत करके उसको बन्द नहीं करा रहे हैं। मुझे मैम्बर बना दिया, मैंने लिख दिया उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियां।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 6, 13, 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में तीन पुलिस थाने हैं राजगढ़, हमीरवास और सिद्धमुख। सदन में आज प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी बैठे हैं। मैं सभी को अवगत कराना चाहती हूं कि मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा की सीमा से लगता हुआ है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत दो एडीजे कोर्ट सहित कुल पांच न्यायालय हैं। 70 से ज्यादा हार्डकोर अपराधी हैं और राजस्थान के इतिहास में राजगढ़ कोर्ट परिसर में कई गोलीकांड हुए हैं जिनमें मौतें भी हुई हैं। मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि हरियाणा और राजस्थान की जेलों से जो अपराधी हैं, जिनको पेशी के लिए लाया जाता है या ले जाया जाता है जिसके कारण पुलिस काफी व्यस्त रहती है। काफी पद खाली पड़े हैं, नफरी भी कम है। मैं यहां पर सम्माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि इतना संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें जितने भी खाली पद हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए तथा और भी नये पद स्वीकृत कराने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ, हमीरवास थाना है, जो 709 नेशनल हाईवे पर आता है, 100 से अधिक गांव इस थाने के अन्दर हैं और इसकी सीमा हरियाणा के साथ झुन्झुनूं जिले के तीन थानों से लगती है। काफी ज्यादा गांव होने के कारण अपराधी अपराध कर आसानी से निकल जाते हैं। अकेले हमीरवास थाने की अगर मैं बात करूं तो 2016 में 273 मामले, 2017 में 263, 2018 में 278 और अब जून तक 135 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जो ज्यादातर हत्या, लूट, चोरी, नकबजनी, बलात्कार, अवैध शराब, तस्करी और अवैध शराब के निर्माण के हैं। इस सन्दर्भ में, सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि हमीरवास थाने के अन्दर साखू फोर्ट चौकी आती है जिसे साखू थाने में क्रमोन्नत किया जाए। साथ-साथ हमीरवास

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

थाने के अन्तर्गत भाखरा गांव लगता है, जो कि हरियाणा से बहल-राजगढ़ रोड पर पड़ता है। बहुत ही आसानी से अपराधी अपराध करते हैं और उस रास्ते से निकल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से सिद्धमुख थाने के अन्दर धानोटी गांव पड़ता है और सिवानी से रोड लगता हुआ रोड जो सिवानी-सिद्धमुख की तरफ है, बहुत ही आसानी से अपराधी अपराध करते हैं या शराब की तस्करी उन रास्तों से होती है और आसानी से निकल जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि भाखरा और धानोटी छोटी में भी नई चौकी सृजित की जाए।

इसी के साथ-साथ, यहां पर आपसे कहना चाहूंगी कि संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण किसी भी आपराधिक घटना की आशंका के चलते जाप्ता बाहर से भी बुलाना पड़ता है। इतना संवेदनशील क्षेत्र है और सारा सदन इससे अवगत भी है। काफी सदस्यों ने बहुत सारी बातें और बहुत अच्छे सुझाव भी दिये हैं। सम्माननीय सदस्य सफिया जी मेरे पास बैठी हैं, इन्होंने भी अवगत कराया था। मैं खुद महिला हूं और जब शराब की बात आती है आबकारी विभाग को अवगत कराना चाहूंगी कि अवैध शराब की तस्करी उस क्षेत्र में है ही, जितने नियम के हिसाब से शराब की दुकानें होनी चाहिए उन दुकानों के अलावा और दुकानें खोल दी जाती हैं और गांवों के अन्दर अवैध तरीके से शराब की बिक्री हैं, उनसे महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। गांव में जाना होता है तो महिलाएं सबसे ज्यादा यही कहती हैं कि हमें न पानी चाहिए, न कुछ और सुविधा चाहिए, यह शराब बन्द करवा दो। मैं यहां पर आपसे यह आग्रह करना चाहूंगी कि जो अवैध शराब की बिक्री है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए उसे बन्द करना चाहिए।

साथ में, बहुत सारे सदस्यों ने यहां पर मोबाइल से सम्बन्धित जेल, कारागृह के बारे में बात कही।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि इतने छोटे से सदन के अन्दर अगर हम मोबाइल फोन की रेंज बन्द कर सकते हैं तो वहां कारागृह में यह चीज क्यों नहीं कर सकते। जब वहां पर फोन कार्य ही नहीं करेंगे तो फोन कहां पहुंचेंगे। इसलिए इसकी तरफ भी जरूर अवगत कराना चाहती हूं। साथ-साथ, जब एक सदस्य के रूप में यहां निर्वाचित होकर आई हूं तो मेरे लिए भी बड़े ताज्जुब की बात रही कि किसी भी सदस्य को

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

विकास के कार्य नहीं चाहिए, ज्यादातर मामले लड़ाई-झगड़े के हैं, जमीन के बंटवारे के हैं, भाइयों की लड़ाई के हैं। इस तरह के मामले हैं और सारे दिन अगर बैठकर फोन किये जाएं तो सारे दिन थाने में फोन किये जा सकते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूं....

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): क्योंकि पुलिस में नफरी की कमी है, पद भी रिक्त हैं जिसके कारण से सही समय पर सही कार्यवाही नहीं हो पाती है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री ओमप्रकाश हुडला।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय दिया, मैं पुन: मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण राजगढ़ की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश हुडला (महुवा): माननीय सभापति महोदय, मानव समाज की संस्कृति और संस्कारों को बचाना है तो हमें अपराध पर नियंत्रण पाना जरूरी है और अपराध पर नियंत्रण अच्छी पुलिस और अच्छे जन प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जा सकता है। सतयुग से कलियुग तक अपराध का सिलसिला लगातार जारी रहा है, लेकिन इस कलियुग में आकर अपराध की स्थिति बढ़ती जा रही है।

एक हां पक्ष, एक ना पक्ष, हम लोग तो निर्दलीय हैं। हमारी तो स्थिति सैण्डविच जैसी है, बोलने का मौका भी बहुत कम दिया जाता है, लेकिन यह भी बात सही है कि एक ब्रेड इधर है तो एक ब्रेड इधर है लेकिन खीरा और टमाटर के बिना भी सैण्डविच खाने में मजा नहीं आता है।

सबसे पहले, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी राजनीतिक दंगे, फसाद आंदोलन होते हैं, सड़कें दो-दो तीन-तीन दिन तक जाम होती हैं, कभी रेल को रोक दिया जाता है, कभी सड़कों पर भीड़ आ जाती है, चाहे पार्टी ये हो, चाहे पार्टी ये हो, अपने राजनीतिक फायदों को लेकर जब सरकार आती है तो उनके मुकदमे वापस ले लेती है!

मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पुलिस पर छोड़ दें कि अपराध किया है या नहीं किया। ये नेतागीरी में मत लाओ,

(श्री ओम प्रकाश हुडला)

अगर अपराध किया है, चाहे वह जन प्रतिनिधि है, चाहे सामान्य जनता है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा अनुरोध है ऐसा सदन से। मुकदमे वापस लेने की जो प्रथा है, इस प्रथा से अपराध को बढ़ावा मिलता है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं सांगोद से आने वाले माननीय विधायक जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं। मुझे अभी जानकारी मिली आपके पिताश्री ने भी लम्बी राजनीति की है और उनके अनुभव से हम लोगों को देखने को और सीखने को मिला है। आज पूरी सार्थक चर्चा की आदरणीय भरतसिंह जी ने कि बिना पुलिस के सहयोग से, पुलिस पर हम सब लोग आरोप लगाते रहें कि पुलिस खराब है, हम सही हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे विधायक भी रहे हैं। एक चोर मोटरसाइकिल चोरी करता है और उसको छुड़ाने के लिए विधायक साहब थाने चले जाते हैं। ये भी लोकतंत्र पर धब्बा है, माननीय सभापति महोदय, और अब वे देश की संसद में भी पहुंच जाते हैं। ये लोकतंत्र पर धब्बा नहीं तो क्या है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं बहुत सारे पुलिस के अधिकारी बहुत ईमानदार हैं। 2013 में जब हम विधायक नहीं थे, मेरे बड़े भाई की पत्नी महुवा से विधायक थी। उस समय एक अकेले अस्पताल परिसर से 322 मोटरसाइकिल चोरी हुईं और 2014 के बाद जब दिसम्बर में विधायक, हमें जनता ने बनाया, मैं माफी चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों से, कुछ लोग यह कहते हैं कि मैं जीतकर आया, नहीं, हमें जनता के आशीर्वाद ने जिताया है, मैं इस पर थोड़ा-सा शुद्धिकरण चाहूंगा जनता के आशीर्वाद के कारण हम लोगों को जीत मिली।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं 2014 से लेकर 2018 तक अगर पुलिस और विधायक सही ढंग से काम कर लें तो उस पांच साल में 1825 दिन में मात्र दो मोटरसाइकिल चोरी हुईं, माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): और उस अस्पताल से दोनों की दोनों मोटरसाइकिल रिकवरी हो गई, यह पुलिस की सफलता का परिणाम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हमारी 20 सालों से मांग चली आ रही थी कि महुवा में एडीजे कोर्ट खोला जाए। आदरणीय अशोक गहलोतजी को बहुत-बहुत

(श्री ओम प्रकाश हुडला)

धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को सुना और उन्होंने तुरन्त ही एडीजे कोर्ट की घोषणा की। साथ ही साथ, यह भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, व्यवस्था का सवाल है...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, आप एक मिनट, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस रिकॉर्ड पर ऐसी बातें चली जाएंगी...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप। विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप डिलीट कराइए।

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: कोई आवश्यक नहीं होगी, वह हटा दी जाएंगी। विराजिए आप।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय सभापति महोदय, जब मुख्य सचिव 1995 में, 2001, 2009 और 2014...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। श्री संजय शर्मा।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): सर, तीन मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): सर, तीन मिनट हुए हैं, आप कहें तो मैं सदन से बाहर चला जाता हूं।

श्री सभापति: मैंने देख लिया, आप विराजिए, सहयोग करिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया, माननीय विधायक और सांसदों के द्वारा...

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, आप, ऐसे नहीं।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): 000

श्री सभापति: पूरे पांच मिनट हो गये आपको, विराजिए। सहयोग करिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): 000

श्री सभापति: माननीय, समय आपका है। आसन आपसे अपेक्षा करता है, विराजिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): एक मिनट, अपनी बात कह दूं। एक मिनट सर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चीफ सैक्रेटरी, राजस्थान सरकार ने एक पत्र जारी किया है कि माननीय विधायक और सांसदों का कोई भी पत्र आएगा तो कोई भी विभाग तीस दिन में उसका रिप्लाई करेगा।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज तक इस 6 महीने या पिछले पांच साल में एक भी विधायक का, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, जवाब नहीं आया। जिस दिन इस योजना को लागू करा दोगे, अपने आप हमारे सदस्य को मान्यता मिलने लग जाएगी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मैं पूरे सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य आप बोलना चाहते हैं, समय तो सीमित है। सभी बोलेंगे तो समय की सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा और समय की सीमा का ध्यान रखना है तो आपको सबको सहयोग भी करना पड़ेगा।

मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि पांच मिनट का समय तय कर दिया, पांच मिनट बाद आप स्वयं बैठेंगे तो ज्यादा समय उपयोग होगा और सभी माननीय सदस्य बोल पाएंगे, अन्यथा बाकी जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप सभी सहयोग करें, 10 मिनट का समय मैं कर नहीं पाऊंगा, आप अपनी लिस्ट को शार्ट लिस्ट कर दीजिए। माननीय सदस्य जो बोलना चाह रहे हैं उनको आप कम कर दीजिए। मैं सही 9 बजे माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई करवाऊंगा, इसलिए मेहरबानी करके आप सभी समय का ध्यान रखें। श्री संजय शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, जो रिकार्ड पर बात चली गई, उसको तो डिलीट करवा दें आप। जो रिकार्ड पर बात चली गई...

श्री सभापति: वह कह दिया मैंने...(व्यवधान)

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): यह व्यवस्था आप सुबह से ही लागू करते, पीछे बोलने वालों को आप समय नहीं दे रहे हैं। पांच मिनट का कोई समय...

(19.27 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 पुलिस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, अलवर जिला बार-बार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अपराध के रूप में राजस्थान ही नहीं अपितु हिन्दुस्तान के मानचित्र में अखबारों में छपता रहता है।

यदि मैं अलवर जिले के अपराधों की बात करूं तो जहां एक ओर अलवर जिले में औद्योगीकरण हुआ, उद्योग आए, विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर विकास के साथ-साथ अपराधों में भी भारी बढ़ोतरी हुई। चाहे वह हरियाणा हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह बिहार हो, वहां से हमारे जिले में अपराधी आते हैं और अपराध करके निकल जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे जिले में पिछले कई वर्षों में चाहे गो-तस्करी की घटनाएं हों, चाहे गोकशी की घटनाएं हों, चाहे अवैध खनन हो, चाहे चेन स्नैचिंग की घटनाएं हों, चाहे दुष्कर्म हों, चाहे गैंग रेप हों, चाहे सोने की ईंट के माध्यम से ठगी की घटनाएं हों, चाहे वाहन चोरी की घटनाएं हों, चाहे मोटर साइकिल चोरी की घटनाएं हों, सीधा-सीधा भावार्थ है कि अपराधों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हुई है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण मैं यह मानता हूं कि हमारे जिले में पुलिस की नफरी की बहुत कमी है, जितना बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा अलवर जिला है,

अलवर जिले में 11 विधान सभा क्षेत्र हैं, उस हिसाब से जितने पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, पुलिस कांस्टेबल होने चाहिए और जो पद स्वीकृत हैं, उन पदों में भी भारी कमी है। मैं आपके सामने जानकारी लाना चाहूंगा कि हमारे जिले में सब इंस्पैक्टर के 27 पद रिक्त हैं, एएसआई के 130 पद रिक्त हैं, हैड कांस्टेबल के 61 पद रिक्त हैं, कांस्टेबल के 210 पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो स्वीकृत पद

(संजय शर्मा)

हैं और जो रिक्त हैं, उन पदों को भरते हुए हमारे अलवर जिले में कम से कम स्वीकृत पदों के अतिरिक्त तीस प्रतिशत पद और स्वीकृत किये जाएं जिससे कि हमारे पुलिसकर्मी, हमारे अधिकारी अपराधियों पर निगरानी रख सकें, उनके ऊपर रोक लगा सकें।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं अलवर शहर की बात करूं तो जिस विधान सभा क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनकर यहां आपके बीच में इस सदन में भेजा है, पिछले 6-7 महीने में मेरे अलवर शहर में चेन स्नैचिंग की घटनाओं में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हुई है और अभी 20 तारीख को ही शहर के विभिन्न हिस्सों में तीन घटनाएं लगातार हुई हैं। सीसी टीवी कैमरे में दो लड़के ही आते हैं मोटरसाइकिल पर और तीन घटनाएं दो अलग-अलग थानों में दर्ज हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है क्योंकि जिस प्रकार की चेन स्नैचिंग की घटनाएं, शहर के अन्दर भूखण्डों पर जिस प्रकार से कब्जे हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाओं के कारण विशेष रूप से मेरी माताओं और बहनों में जो भय व्याप्त हुआ है, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे एक ऐसा निर्देश जारी करें कि पुलिस अधिकारी इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनायें जिससे हमारे शहर में रहने वाले आम जन को राहत मिल सके।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अलवर शहर भी बहुतबड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, अलवर शहर के वैशाली नगर में एक नया पुलिस थाना स्थापित करके अपराधों को रोकने की महती कृपा माननीय गृह मंत्री जी करें। आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपराधों को रोकने के लिए अलवर शहर के वैशाली नगर में एक थाना स्थापित करने का आदेश जारी करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें, अब।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): एक मिनट दे दें, साहब।

श्री सभापति: एक मिनट नहीं, अब एक बात रख दो आप। अपने क्षेत्र की कोई जरूरी बात हो उसको रखो। सबका समय है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): उसके साथ-साथ, मैं चाहूंगा जिस प्रकार से हमारा अलवर जिला एक सैंसेटिव जिला है, मैं आपके माध्यम से

(श्री संजय शर्मा)

माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि पुलिस का आधुनीकरण करते हुए पर्याप्त वाहन एवं आधुनिक शस्त्र उपलब्ध करवाएं। जिस प्रकार का अपराध हमारे जिले में होता है, उस अपराधी का सामना करने के लिए पुलिस के हाथ में आधुनिक हथियार होना आवश्यक है, वाहनों की पर्याप्त संख्या होना आवश्यक है। उसके साथ-साथ, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि बातें मुझे बहुत सारी कहनी हैं, यदि आप मुझे अनुमति दें तो यह जो मेरी बात है मैं कागज को टेबल कर दूं, सर।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री जगदीश चन्द्र जी।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): आप मुझे अनुमति दे दें, सभापति महोदय, कागज टेबल करने के लिए।

श्री सभापति: अब विराजें आप। प्लीज विराजें आप। हां, आप दे दें। आप टेबल कर सकते हैं। श्री जगदीश चन्द्र जी।

(माननीय सदस्य का शेष लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, आज आपके द्वारा महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की जो अनुमति प्रदान की, उसके लिए धन्यवाद। न्याय, पुलिस प्रशासन, आबकारी और जेल, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि बजट में 86 कोर्ट्स नयी खोलने का जो ऐलान किया गया है उसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। अलग-अलग अपराध के लिए पॉक्सो कोर्ट, फैमिली कोर्ट, एडीजे कोर्ट और एससी/एसटी कोर्ट निश्चित तौर पर कोर्ट्स की कमी महसूस की जा रही थी और सरकार ने कोर्ट्स खोली हैं, उसके लिए मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझसे पूर्व माननीय विपक्ष के नेता जी का मैं भाषण सुन रहा था और उनके साथ-साथ, हमारे उप नेता जी का भाषण मैंने सुना। आर्टिकल-15, आर्टिकल-21 की वह बात कर रहे थे। भारतीय संविधान की बात कर रहे थे। अच्छी बात है, करनी चाहिए क्योंकि न्याय व्यवस्था की बात है। जुडीशियरी पर बात करना चाह रहे थे। जिस तरीके से आर्टिकल्स को मैन्शन उन्होंने किया, आर्टिकल-29 की बात की, आर्टिकल-31 की बात की अगर वे उसका इंटरप्रिटेशन भी कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। इंडियन जुडीशियरी की भी उन्होंने बात की। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं, सभापति महोदय, कि केन्द्र सरकार में 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी की

(श्री जगदीश चन्द्र)

सरकार थी और बीजेपी के तत्कालीन कानून मंत्री जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बार-बार जुडीशियल कमीशन की बात करते थे, इण्डियन जुडीशियल सिस्टम की बात करते थे, जब इनकी सरकार बनी तो अचानक ये सारी बातें भूल गये। न तो इण्डियन जुडीशियल कमीशन की बात करते और न ही किसी दूसरे मुद्दे की बात कर रहे हैं।

हमारे विपक्ष के नेता ने एक चर्चा और की थी। वह महत्वपूर्ण चर्चा की उन्होंने, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था। जब सदन में इस बात की चर्चा हुई तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसका रिप्लाई करूं। अयोध्या के बारे में मैटर सबजुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं वह समय याद दिलाना चाह रहा हूं कि 6 दिसम्बर, 1992 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यू.पी. में और किस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। इस बात के लिए सीरियस होकर उस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जब मैटर आलरेडी सबजुडिस है, इस बात की चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए थी। अभी वह मेरे सामने नहीं है, चले गये लेकिन इस बात का जवाब मैं उनसे चाह रहा था।

माननीय सभापति महोदय, काफी दिन से इस बात को महसूस किया जा रहा है कि राजस्थान की हाई कोर्ट्स में काफी मामले पैण्डिंग हैं। आज राजस्थान पत्रिका के माध्यम से अख़बार में भी छपा हुआ है। उसी की बात हमारे उप नेता सदन में चर्चा कर रहे थे, शायद आंकड़ों का पूरा अंदाजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी पैंडेंसी है, हाई कोर्ट में कितनी पैंडेंसी है और सबआर्डिनेट कोर्ट्स में कितनी पैंडेंसी है, इस बात का शायद उनको ज्ञान नहीं है अभी। जरा ठीक से उनको याद करके आना चाहिए फिर सदन में रखना चाहिए इस बात को भी। आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं सदन को कि जो एनजेडीजी ने आंकड़ा दिया है, वह आंकड़ा सही मायने में एक रेण्डम आंकड़ा है और वास्तविक आंकड़ा नहीं है कि कौनसी कोर्ट में कितने मामले पैंडिंग हैं, वह आंकड़ा नहीं है। यह चिन्ता की जरूर बात है कि जो कोर्ट्स में मामले पैंडिंग हैं उनका समाधान होना चाहिए और जनता को न्याय मिलना चहिए। एक 'jurisprudence' के अन्दर यह उल्लेख किया गया है कि 'Justice delayed is justice denied.' निश्चित तौर पर इस बात में कोई शंका नहीं है कि अगर जस्टिस को डिले किया जाता है तो जस्टिस डिनाइड माना जाता है। 'jurisprudence' में इस बात का भी मेन्शन किया गया है कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए और

(श्री जगदीश चन्द्र)

न्याय हमेशा डोर फुट पर होना चहिए। दरवाजे के साथ में न्याय खड़ा होना चाहिए। भारत में जिस तरीके का हमारा सामाजिक वातावरण है, सामाजिक ढांचा है, उस ढांचे को देखते हुए गरीब आदमी को न्याय मिलना निश्चित तौर पर मुश्किल भी है और उसके लिए दिक्कत भी आ रही है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके का क्राइम बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम की चर्चा की है। जिस तरीके से नौजवानों में क्राइम की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार को निश्चित तौर पर कोई नौजवानों के लिए काउन्सिलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस अपराध को रोकने का प्रयास हम करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि पिछली दफा 2008 से 2013 तक राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो पहली दफा कंजूमर कोर्ट्स में चालीस परसेंट कोटा वकीलों के कोटे के माध्यम से उपभोक्ता कोर्ट्स के अध्यक्षों की नियुक्ति की, उसके लिए माननीय अशोक गहलोत मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। यह भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन चार वकीलों की घोषणा की थी जिनको कंजूमर कोर्ट का अध्यक्ष लगाया गया था, उनकी परफोर्मेंस बाकी जो जुडीशियरी के अध्यक्ष बने हुए थे उनकी तुलना में हमारे वकील कोटे से जो साथी लगे हुए थे उनकी बेहतर परफोर्मेंस थी, जिसका रिकार्ड सरकार के खाते में दर्ज है। यह आप देख सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछली दफा सरकार के द्वारा नियुक्ति की सारी प्रक्रिया अपनायी गयी थी और बिलकुल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था उसके अपाइंट किये हुए चार जजों को बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने हटा दिया और हाई कोर्ट ने स्टे देकर पुन: उनको बहाल किया। एक मामला अभी भी पैंडिंग है। यह बिलकुल अन्याय की बात थी जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं ये संविधान पर अटैक करने वाले लोग हैं, ये संविधान में विश्वास नहीं करते। याद करो 2 अप्रैल, 2018 की घटना को जिस तरीके से हमारे बेसिक ढांचे को कमजोर करने का प्रयास किया गया, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास किया गया। इस देश में

(श्री जगदीश चन्द्र)

लाठीचार्ज हुआ, इस देश में दंगे हुए। संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। मैं आज सदन में मांग करता हूं कि उन नौजवानों पर जो पर्चे दर्ज किये गये थे वह सरकार वापस ले। राजनीतिक द्वेषता की वजह से पर्चे दर्ज किये गये थे एससी/एसटी के छात्रों पर, वह पर्चे वापस लेने चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाह रहा हूं कि ये हमारे साथ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। जब तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री +++ गंगानगर के दौरे पर गयी थीं, किसान पानी का आंदोलन कर रहे थे और जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत की तरह +++ किसानों पर लाठी चार्ज करके बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई की गई, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किये गये थे, उनके भी मुकदमे वापस करने की मांग मैं आपसे करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक-दो बातें और आपसे चर्चा करनी है। अभी पुलिस के बारे में चर्चा की गई कि किस तरह से पुलिस के लोगों का व्यवहार है, मेरा आपसे निवेदन है कि जो पुलिस मैनुअल है, राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि उस पुलिस मैनुअल में बिलकुल बदलाव करने की जरूरत है। आज की परिस्थितियों के हिसाब से पुलिस मैनुअल नहीं है, उसमें बदलाव करें। उनकी जो आवश्यकता है, उस पर चर्चा करें और किस तरह से पुलिस और लोगों के बीच में को-ओर्डिनेशन बना सकें, इस बात की जरूरत है।

जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्निकल एक्सपर्ट पुलिस में भर्ती करके उस क्राइम को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): मैं एक मिनट और लूंगा आपसे। माननीय सभापति महोदय, आबकारी के बारे में चर्चा की गई। नाजायज ब्रांच के बारे में चर्चा की गई। जो पिछली सरकार थी 2013 से 2018 तक, सादुलशहर उत्तर भारत की सबसे बड़ी नशे की मंडी थी और इसके लिए सरकार के लोग जिम्मेदार थे। आज यह जो ईमानदारी का भाषण कर रहे हैं, नैतिकता का भाषण कर रहे हैं, इनको मंथन करना चाहिए, इनको विचार करना चाहिए। सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मेडिकेटेड नशा

(श्री जगदीश चन्द्र)

बिक रहा है। माननीय अशोक गहलोत जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद मैंने सदन में गवर्नर एड्रेस में भी मेरी बात रखी थी, आज हम कम से कम 50 परसेंट उसको कंट्रोल करने की स्थिति में आये हैं, जिसके लिए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। जेल के बारे में चर्चा की गई, जेल मैनुअल में भी बदलाव की जरूरत है। वही आजादी के बाद का जेल मैनुअल, ब्रिटिश टाइम का जेल मैनुअल है, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। जिस तरीके से समाज में जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों के हिसाब से उसमें बदलाव करने चाहिए।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): आखिर में, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र बार्डर की मंडी है। दो तरफ पंजाब लगता है, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ हरियाणा है। इसलिए एक एडीजे कोर्ट खोलने की मांग मैं सरकार से करना चाह रहा हूं। इसके साथ-साथ, गंगानगर जिले की जेल बहुत पुरानी हो चुकी है, उस जेल को भी बदलने की व्यवस्था करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह जी।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद सभापति महोदय, समय का अभाव है, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुंसिफ कोर्ट खोलने की जो घोषणा की है उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा।

आज आबकारी, पुलिस, न्याय प्रशासन पर चर्चा हो रही है, सभापति महोदय, मेरे पास कई ऐसे पुराने दस्तावेज हैं लेकिन समय का अभाव है, 20 मिनट का समय चाहिए, तब मैं यह सब बता सकता हूं। उस राजशाही में किस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं और किस तरह कानून-व्यवस्था कितनी सख्त और मजबूत थी, बड़े से बड़े आदमी को सज़ा का प्रावधान था और दी गई है। मेरे पास कई उदाहरण हैं लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। सभापति महोदय, मैं सीधे ही आबकारी पर कहना चाहूंगा कि शराब की दुकानों पर सवेरे से चर्चा चल रही है। नशाबंदी, नशा मुक्ति की बात हम सब लोग करते हैं। शराबबंदी गुजरात में है और गुजरात में जाकर अगर आप देख लें, मैं

(श्री खुशवीरसिंह)

ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं अभी गया था, मेरा ससुराल भी है वहां, बात चली तो कहा कि आपको शराब कहीं न मिले तो ट्रैफिक पुलिस वालों को जाकर पूछ लेना, वह आपकी व्यवस्था करा देंगे। यह हालात हैं, जहां नशा मुक्ति और गांधी जी की जन्म भूमि है। सभापति महोदय, हम जब तक यह बात दिल से नहीं कहेंगे और हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करना पड़ेगा नशा मुक्ति के लिए। हम नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ शराब की कितनी ही दुकानें खुल गई हैं, हर गली मौहल्ले में दुकानें हैं। आज तंबाकू भी नशे में आता है, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक कानून निकाला था और सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह की स्मोकिंग नहीं होगी और वह नहीं हो रही है, उससे लोगों को बहुत राहत मिली है। सभापति महोदय, एक बात कहना चाहूंगा कि नशा मुक्ति में सभी प्रकार के व्यसन आते हैं, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा। जो सबसे हानिकारक है गुटखा, स्कूल के बच्चे तक इसे खाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मिडिल स्कूल में मैं गया हूं, वहां कई बच्चों के गुटखा खाने की मेरे सामने बात आई है। सभापति महोदय, हमारा जो डोडा-पोस्त है, आज किसान उसको अपनी खेती की उपज में काम लेता है और उसके बाद उसको जलाना पड़ता है। किसान को उसका मूल्य नष्ट करना पड़ता है। मैंने सभी थानों में, करीब-करीब सभी जिलों में थानों में गया। मैंने वहां पूछा कि इस तरह का कोई मुकदमा आपके थाने में दर्ज है कि डोडे के नशे में किसी व्यक्ति ने किसी से झगड़ा किया हो, डोडे के नशे में किसी व्यक्ति ने गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना की हो, एक भी जगह से इस तरह की रिपोर्ट नहीं मिली। बावजूद उसके जो गांवों में डोडा का सेवन करते हैं, शराब भी नशे में आती है, गुटखा भी नशे में आता है, सिगरेट भी नशे में आती है, जो लोग डोडे का सेवन करते हैं, उनके पीछे कहानी कुछ और है। आज दमा, अस्थमा की जो बीमारी है उसका एलोपैथी में स्थाई इलाज नहीं है, वह लोग उसका सेवन करते हैं जिनके डाइबिटीज है, जिन बुजुर्गों के कमर में दर्द है, यह एलोपैथी में भी बता रखा है कि दर्द में डोडा पोस्त के सेवन से राहत मिलती है। लेकिन उसको हमने बंद कर दिया है। मैं नशे को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन नशा मुक्ति हो तो सभी चीजों पर नशा मुक्ति होनी चाहिए। सभापति महोदय, मात्र डोडे का इस्तेमाल करने वालों के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा जाए, केन्द्र सरकार ने एक

(श्री खुशवीरसिंह)

समझौते के तहत इस डोडे को बंद किया तो आप समझौता शराब के लिए भी करो, आप समझौता उस गुटखे के लिए भी करो, आप अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सिगरेट और बीड़ी के लिए भी समझौता करो ताकि पूर्णत: नशा मुक्ति हो तभी हमारे समाज को हम आगे बढ़ा सकेंगे।

सभापति महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो गरीब किसान हैं, उनकी एक टोपीदार मजल लोडिंग बंदूक होती है, मेरे से पूर्व के सदस्य ने भी इसका जिक्र किया है, उसके लाइसेंस के रिन्यू करने की जो शुल्क है, वह 1500 रुपये कर दी गई है। उस बंदूक की कीमत से ज्यादा तो उसके लाइसेंस रिन्यू की फीस में लग जाती है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आप जब जवाब दें तो इन दो चीजों का जवाब अवश्य दें। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, एक तो जिन गरीबों के पास शस्त्र लाइसेंस है, उनकी इतनी फीस बढ़ा दी, उसको कम करे और दूसरा जो डोडा का सेवन करने वाले लोग हैं, कागज में बंदी हो गई है लेकिन डोडा आज भी प्रचलित है और वह लोग आदी हैं, वह लेते हैं और वह अपनी बीमारी के हिसाब से लेते हैं तो क्यों नहीं या तो सभी नशा मुक्ति करें या उनको मुक्ति दिलायें। यही मेरी बात है, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 13 व 16 के बारे में चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राजस्थान के जननायक, लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले पुलिस थानों को फ्रेंडली बनाने का उद्देश्य रखा। पहले जो भी परिवादी थाने में जाता था तो वह डर के मारे अंदर ही नहीं जाता था, अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकता था। मुख्य मंत्री जी ने जो फ्रेंडली बनाने का उद्देश्य रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही, प्रत्येक पुलिस थाने में स्वागत कक्ष और सीसी टीवी कैमरे लगाने की जो घोषणा की है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कई थानों में जगह ही नहीं है, गांवों से जो भी लोग जाते हैं, उनको रोड पर बैठना पड़ता है, किसी पेड़ की छाया में बैठना पड़ता है या थाने के बाहर धूप में बैठना पड़ता है। मुख्य मंत्री जी ने जो स्वागत कक्ष रखा है, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कहीं दुर्घटना घट जाए, कहीं कोई अपराधी घटना घटे, उसके लिए उन्होंने मोबाइल पुलिस की

(श्री गणेश घोघरा)

112 नंबर की व्यवस्था की, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही, मैं कहना चाहूंगा कि मैं टीएसपी क्षेत्र से आता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर है। टीएसपी क्षेत्र में ट्राइबल आदिवासी पुलिस अफसर व हैड कांस्टेबल हैं। उनको थानाधिकारी व हैड कांस्टेबल के रूप में लगाया जाए। मोटे तौर पर देखा गया है कि ट्राइबलों को थानेदार व हैड कांस्टेबल के रूप में नहीं लगाया जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि एसटी, एससी को थानों व चौकियों पर लगाया जाए। कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके साथ कहीं न कहीं अत्याचार हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि एससी, एसटी के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका ध्यान रखा जाए।

दूसरी बात, ग्राम पंचायत सतिरामपुर में जहां नेशनल हाईवे है, वहां पर आये दिन पत्थरबाजी, मतलब लूटपाट, मारपीट होती रहती है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि ग्राम पंचायत सतिरामपुर में एक चौकी खोली जाए, जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले के खैरवाड़ तहसील में मेवाड़ भील कोर के नाम से, अंग्रेजी हुकूमत के वक्त मेवाड़ भील कोर को अंग्रेजों ने 1838 में बनाया। उस समय 100 प्रतिशत भीलों की भर्ती होती थी और उस समय भील ही अफसर बनते थे। धीरे-धीरे इस तरह की व्यवस्था लागू कर दी है। मेरी सरकार से मांग है कि मेवाड़ भील कोर को बटालियन बनाया जाए तथा एक बटालियन कम पड़ती है, इसलिए उसमें 300 आदमी की भर्ती की जाए और जनसंख्या के आधार पर भील बटालियन की भर्ती की जाए।

(19.51 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जो आबकारी विभाग है, उनकी मिलीभगत से अंग्रेजी शराब की दुकानों में उनकी पार्टनरशिप है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो आबकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी दुकानें कैसे खुल गयी हैं और उनकी पार्टनरशिप हर दुकान में कैसे है? आदिवासी क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र में, जितनी भी शराब की दुकानें

(श्री गणेश घोघरा)

हैं, आदिवासियों के लिए 60 प्रतिशत आरक्षित की जाएं, यह मेरी सरकार से मांग रहेगी। टीएसपी क्षेत्र में आदिवासियों की संस्कृति है। किसी त्यौहार, पूर्वजों, शादी ब्याह और मनोरंजन के समय पर, जो महुवे का पेड़ आता है, उसका एक फूल होता है। जैसे आम के पेड़ पर आम लगता है, महुवे के पेड़ पर फूल होता है, उसकी शराब बनायी जाती है। शराब नहीं, उसमें एल्कोहल नहीं होती है। उसको ज्यूस की तरह मानना चाहिए। एक या दो बोतल किसी आदिवासी के घर के अंदर मिल जाती है तो पुलिस या आबकारी वाले उसकी एक बोतल को पांच बोतल बनाते हैं और दो बोतल को दस बोतल। झूठा मुकदमा, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है और उसका चालान कोर्ट में पेश किया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उस ज्यूस का नाम क्या है, जो फूलों से निकलता है?

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): महुवे का ज्यूस है, महुवे का फूल आता है। इस पर एक वैज्ञानिक शोध भी किया था। इससे स्वाइन फ्लू की बीमारी खतम होती है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य विराजिए। घोघरा साहब, एक मिनट। माननीय सदस्य आप इतने वरिष्ठ हैं। आसन बार-बार आपका नाम पुकार रहा है। निर्देश की इतनी अवहेलना।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार संविधान में ऐसी व्यवस्था थी कि ट्राइबल एरिया, आदिवासी क्षेत्र में, अंग्रेजी शराब के ठेके नहीं होंगे, लेकिन इस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 में तोड़ा और हर पंचायत मुख्यालय पर शराब के ठेके खोले दिये, लेकिन आज भी आदिवासी लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। ठेके से जो एक पेटी शराब ले जा रहा है, उसके घर पर कोई फंक्शन है, शादी-ब्याह है। ठेके से जो शराब ले जा रहा है उसको भी पुलिस वाले जबर्दस्ती रास्ते में पकड़कर ले जा रहे हैं, उसका चालान पेश कर रहे हैं। उस पर मुकदमा ठोक रहे हैं। इससे अच्छा है कि

(श्री गणेश घोघरा)

टीएसपी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के जो ठेके हैं, वे ही बंद हो जाने चाहिए। यह मेरी सरकार से मांग रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस वालों ने इतना अत्याचार कर रखा है कि गांवों से जो फटे-पुराने कपड़े पहनकर आते हैं या जो मैले दिखते हैं उनकी गाड़ी रोककर उनका चालान बनाया जाता है, लेकिन सिटी के लोग आते हैं तो उनको हाथ भी नहीं मारा जाता है, उनका चालान भी नहीं बनाया जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। मुझे यहां बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 6, 13 और 17 पर बोलने का मौका दिया, मेरे विचार रखने का मौका दिया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

समय के अभाव में, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ऊपर आता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, सुबह जब मांग संख्या-16, पुलिस पर बहस हुई। सदन में विपक्ष के नेता और उप नेता ने आंकड़ों के माध्यम से, जिस तरीके से पिछले छह महीनों के अंदर प्रदेश में अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, वह सब सामने रखा। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र प्रदेश में उन आंकड़ों में कहीं आगे निकल रहा है। मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी धर्मपाल जी को मुण्डावर की 20 साल सेवा करने का मौका मिला। मैंने कभी उनके मुख से नहीं सुना कि मुण्डावर के अंदर कभी गोली चली हो, मुण्डावर के अंदर बच्ची के साथ अत्याचार हुआ हो, मुण्डावर के अंदर कोई मर्डर हुआ हो, पर लगातार जब से मैं वहां का विधायक बना हूं, मैं रोज अख़बार उठाता हूं तो एक नयी घटना मेरे सामने होती है। पिछले छह महीने में वहां पर दो बार गोलीकांड हुए, वहां पर रंगदारी के लिए लोगों को धमकाया जा रहा है। वहां पर छह महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। अगर तीन दिन पहले की बात करें तो वहां पर एक महिला का मर्डर करके उसको तालाब में फेंककर उसकी आंख भी निकाल ली गयी।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। अगर मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र और मुण्डावर थाने की बातें करें तो वहां पर लोगों की 56 प्रतिशत कमी है। मैं यहां पर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो स्टाफ की कमी है, उसको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। बार-बार निवेदन करने के बाद भी वहां पर स्टाफ नहीं लगा, जिसकी वजह से आये दिन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है।

आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से गांवों में आजकल लोग चौपाल पर ताश खेलते रहते हैं। समय-समय पर मैं थाने के अधिकारियों से और कांस्टेबल्स से किसी न किसी कारण की वजह से बात करता रहता हूं। उनसे जब बात करता हूं तो कहते हैं कि साहब, आला अधिकारी कहते हैं। किसी न किसी मामले के अंदर कहते हैं कि इसके अंदर मुकदमा दर्ज करके लाओ। वहां पर जो व्यक्ति ताश खेलते हैं, उनको परेशान किया जाता है। मोटरसाइकिल पर व्यक्ति जा रहा होता है, उसको किसी बात को लेकर परेशान किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव का आदमी आम तौर पर घर से निकलता है, दो किलोमीटर दूर अपने खेत पर जाता है तो हैलमेट पहनकर नहीं जाता, लाइसेंस लेकर नहीं, गाड़ी के कागज नहीं लेकर जाता। इन छोटी-छोटी बातों पर उसको परेशान न करके उसको वहां पर समझाया कि यह हैलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, चाहे दस मिनट कहीं जाओ, सबसे पहले हैलमेट पहनो, कागज के लिए उसको परेशान न किया जाए। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन छोटी-छोटी बातों पर परेशान न करके, जिस तरीके से अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, उन पर रोकथाम के लिए सरकार काम करे, पुलिस काम करे तो बहुत बढ़िया काम होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर-8 है। 20 से 25 किलोमीटर मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र से होकर निकलता है, वहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक विशेष गश्त वाहन उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी रोकथाम की जा सके और वहां पर किसी को चोट लगती है तो तुरंत प्रभाव से उसको हास्पिटल पहुंचाया जा सके।

आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के नजदीक हरियाणा सीमा

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

क्षेत्र लगता है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रात्रि गश्त की उपलब्धता वहां पर करायी जाए। वहां पर तीन मुख्य कस्बे हैं, नीमराना, शाहजहांपुर और मुण्डावर। वहां पर आये दिन जाम की समस्या रहती है। आप खुद जाएंगे, आप देखेंगे। वहां पर थानों के बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर आप खुद जाकर भी देखेंगे, उन सीसी टीवी कैमरों की फुटेज आप चैक करेंगे तो भारी वाहन दिन में वहां से निकलते हैं, जबकि वहां पर 24 घंटे हैवी ट्रैफिक का जाना बंद है। फिर भी वहां पर 24 घंटे हैवी ट्रैफिक के वाहन निकलते हैं। मैं खुद वहां पर कम से कम 10 बार फंसा हूं। थानों के अंदर बार-बार निवेदन किया कि आप इन्हें रोकें, फिर भी उन्हें नहीं रोका जाता है। जिस तरीके से सदन के अंदर अन्य विधायकों ने कहा कि मंथली बांधने के कारण उनको नहीं रोका जाता और अन्य जो स्थानीय लोग हैं, उनको बिना वजह परेशान किया जाता है।

(20.00 बजे)

आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि थानों का परिसीमन पुन: किया जाए। परिसीमन काफी पहले हुआ था, उस समय भौगोलिक स्थिति अलग थी, कहीं रोड थी, कहीं नहीं थी। इसकी वजह से थानों का परिसीमन एक बार पुन: किया जाए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र की भदीन, चूड़ला और सामदा ग्राम पंचायतें थाना हरसोरा में लगती हैं, उनको थाना करतारपुर में किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतें हैं, मातोर और रसगन, खैरथल थाने में लगती हैं। इनको भी हटाकर करतारपुर थाने में की जाएं। ग्राम पंचायत कांकर और खुतिणा मांडण थाने के अंदर लगती हैं, उसे हटाकर शाहजहांपुर थाने में की जाएं।

आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा का बार्डर क्षेत्र मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के काफी लगता है। वहां पर मुख्यत: एक ही चौकी है। उसको क्रमोन्नत किया जाए और अन्य चौकियों की स्थापना की जाए।

मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री महोदय का, जिन्होंने दो महीने पहले दूसरे एसपी कार्यालय की अलवर के अंदर घोषणा की और अपने बजट के अंदर उन्होंने एसपी कार्यालय भिवाड़ी खोलने की बात की। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह एसपी कार्यालय भिवाड़ी न खोलकर नीमराना खोला जाए। अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो भिवाड़ी की दूरी, आज बानसूर

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

क्षेत्र उसके अंदर आएगा। नारायणपुर से थानागाजी के नजदीक का आदमी भिवाड़ी जाएगा तो करीब 150 किलोमीटर उसे जाना पड़ेगा। जयपुर जल्दी पहुंच जाएगा और भिवाड़ी लेट पहुंचेगा। भौगोलिक स्थिति अगर देखेंगे तो नीमराना सेंटर पड़ता है। मैं यह मांग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वह मेरा विधान सभा क्षेत्र है। मैं मांग लोगों की सहूलियत के लिए कर रहा हूं। आपने वहां पर दूसरा एसपी कार्यालय खोला है। ऐसी जगह खोला जाए जहां पर एप्रोच ईजी हो, लोग आसानी से पहुंच सकें। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह एसपी आफिस भिवाड़ी न खोलकर आप नीमराना में खोलें।

वर्ष 2010 के अंदर घटित एक घटना सरकार के सामने लाना चाहूंगा। 23 दिसम्बर, 2010 को आदरणीय राष्ट्रपति जी राजस्थान के प्रवास पर थे। एक पुलिस का जाप्ता आदरणीय मुख्य मंत्री जी के प्रोटोकोल के अंदर था। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ आते हुए पुलिस जाप्ते की एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके अंदर तीन पुलिस कांस्टेबल की मौत वहां पर हो गई। एक पुलिस कांस्टेबल दीपक सुथार जिसका बैल्ट नंबर 573 है, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके इलाज के लिए सबसे बढ़िया हास्पिटल आईबीएस, दिल्ली है। वहां पर उसका इलाज कराया जाता तो उसको करीब 35 लाख रुपये की आवश्यकता है। वह बेचारा 2010 से लगातार सरकार के सामने गुहार लगा रहा है कि सरकार उसको उचित मुआवजा दे, जिससे वह अपना इलाज करा सके। पुन: अभी एमपी चुनाव से पहले माननीय मुख्य मंत्री जी बांसवाड़ा दौरे पर थे। वह व्यक्ति उनसे भी मिला। उसको आश्वासन दिया गया कि इलाज के लिए पैसे दिये जायेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा थाना अरणोद के कांस्टेबल व अधिकारियों को, 37 लोगों ने अपनी इच्छाशक्ति से 55300 रुपये एकत्रित कर दीपक सुथार को दिये। परंतु सरकार अब तक नहीं चेती कि उसके इलाज के लिए पैसा दे।

आदरणीय सभापति महोदय, एक मांग सरकार के सामने रखता हूं। जेल प्रहरी व पुलिस कांस्टेबल दोनों का काम एक समान है। दोनों के ड्यूटी आवर्स एक समान हैं, परंतु दोनों के वेतन में बहुत ज्यादा फर्क है। सरकार से मांग करता हूं कि जेल प्रहरी का वेतनमान पुलिस कांस्टेबल के बराबर किया जाए।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

सभापति महोदय, मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन की बात करता हूं। राजस्थान में प्रत्येक उप खण्ड में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खुले हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नीमराना उप खण्ड के अंदर करीब 3500 मामले लम्बित हैं। आज लोग उन मामलों के लिए बहरोड़ जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नीमराना उप खण्ड के अंदर सीजे एंड जेएम कोर्ट नहीं खुला हुआ है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, वहां सारी चीजें उपलब्ध हैं। पहले तहसील कार्यालय था, वह खाली पड़ा हुआ है, भवन की आवश्यकता नहीं होगी, सब संसाधन उपलब्ध हैं। सरकार के पास यह बहाना भी नहीं है कि साधन उपलब्ध होने के बाद वहां पर खोल दिया जायेगा। अत: निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों की दुर्दशा और तकलीफ को देखकर जल्दी से जल्दी सीजे एंड जेएम न्यायालय नीमराना में खोला जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आदरणीय सभापति महोदय, हरियाणा के समीप होने के कारण अवैध शराब का कारोबार बहुत अधिक है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आबकारी चौकियां अधिक बनाई जाएं जिससे शराब के कारोबार पर रोकथाम लगाई जा सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कांकर गांव पड़ता है। मेरे कहने के बाद भी आज तक अवैध शराब की दुकान वहां से नहीं हटी है। जब भी मैं थानेदार साहब से बात करता हूं तो थानेदार साहब कहते हैं कि जल्दी से कार्यवाही कर इसको हटा दिया जाएगा। कम से कम मैं दस बार थानेदार साहब से बात कर चुका हूं लेकिन वह आज भी वहां की वहां है, जिसकी वजह से गांव के लोग परेशान होते हैं, युवा नशे की लत में जा रहे हैं। अन्य राज्यों के साथ सीमा लगने के कारण अवैध शराब, नशीले पदार्थ और मादक पदार्थों की बिक्री बहुत ज्यादा है। एक मामला है तिनकीरूढि गांव का, उन्होंने सीएम पोर्टल के ऊपर भी शिकायत की है। वहां पर लोग जांच के लिए तो जाते हैं परंतु कागजी कार्यवाही करके आ जाते हैं। वहां पर कंजर बस्ती है, वह पहले तो कच्ची शराब बनाते थे, अब कच्ची शराब के अलावा अन्य मादक पदार्थों का काम करने लग गये हैं। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको विशेष तौर पर दिखवाकर मदद की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 6, 13, 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आज सुबह से हम राजस्थान की कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर डिबेट कर रहे हैं। मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा राजस्थान के लिए एक जी का जंजाल बन चुके जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर आठ, जहां पर हमें पुलिस फोर्स की और कानून व्यवस्था की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। सभापति महोदय, आए दिन जाम लगता है, चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र हैं, क्राइम होता है। पुलिस की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें वहां पड़ती है। आज हमारे थानों के हालात यह हैं कि वहां पर नफरी नहीं है। ट्रांसफर करके सबको लाइन में लाकर बैठा दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रागपुरा थाना है। नेशनल हाईवे पर थाना है, सिर्फ 14 पुलिसकर्मी आज वहां लगे हुए हैं। बीट पर जाने के लिए उनके पास आदमी नहीं है। परसों रात को एक्सीडेंटल डैथ हो गई, ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस एस्कोर्ट वीआईपी एस्कोर्ट में गई हुई थी, वहां जाने के लिए कोई नहीं था। डेढ़ घंटे बाद नेशनल हाईवे खुला है। इससे बड़ी दुर्गति हो नहीं सकती। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जितने नेशनल हाईवे के थाने हैं, उन पर जल्दी से जल्दी पुलिस बढ़ाई जाए ताकि उन थानों में नफरी पूरी हो और कानून व्यवस्था की स्थिति सुचारु रूप से हो।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पूरे देश का सबसे व्यस्ततम हाईवे है। पूरे दिन वीआईपी मूवमेंट चलता है। हमारे थानों में सिर्फ एक-एक गाड़ी है। एक गाड़ी को जहां तक मुझे जानकारी है 200 लीटर डीजल देते हैं महीने का। वह पूरे दिन वीआईपी की एस्कोर्ट में लगी रहती है। आप यह बताएं कि यदि क्षेत्र में कोई दुर्घटना हो जाए, क्षेत्र में कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसको पहुंचने में एक-डेढ़ घंटा लग जाता है, तब तक जनता में आक्रोश पैदा हो जाता है। इस स्थिति को लेकर कई बार जाम की स्थिति, तोड़फोड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि नेशनल हाईवे के जितने थाने हैं, सब में दो-दो गाड़ी उपलब्ध कराई जाएं ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति सुचारु रूप से चल सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नेशनल हाईवे नंबर 8 पर मनोहरपुर टोल प्लाजा पड़ता है। काफी संख्या में हमारे सदस्य वहां से जाते हैं। एक-एक, दो-दो किलोमीटर लंबा जाम रहता है। शाम के समय जाकर देखेंगे कि स्थिति

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

बहुत खराब है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि उस टोल प्लाजा की स्थिति सुधारी जाए। कंपनी वालों से बात करके अगल-बगल में दोनों तरफ उन्होंने बूथ बना दिये लेकिन वे बूथ चालू नहीं हुए।

हम सब लोग सुबह से बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को कोस भी रहे हैं लेकिन हमें उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वह भी हमारे बीच के लोग हैं। हमारे भाई-बंधु हैं। 24 घंटे की ड्यूटी पुलिस से ली जाती है। लाइनों में जो लोग बैठे हैं, उनको हम एक्सट्रा थानों में भेजें और आठ-आठ घंटे, दस-दस घंटे की ड्यूटी हम पुलिस वालों से लें तो वह भी तरोताजा रहकर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अभी महुवा से आने वाले सदस्य बता रहे थे कि राजनीतिक रूप से किस प्रकार से मुकदमे वापस लिये जाते हैं। देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 2 अप्रैल, 2018 को, हमारे एससी/एसटी के भाइयों पर मुकदमे लगाए गये। जब सब मुकदमे वापस हो सकते हैं तो सरकार उनके मुकदमे वापस क्यों नहीं ले रही है? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वे मुकदमे वापस होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश का जवान सीमा पर शहीद होता है, शहीद का दर्जा दिया जाता है, बड़े मान-सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन जब हमारे पुलिस का जवान, डयूटी के दौरान अगर उसकी मृत्यु होती है, उसके हालात क्या हैं, पुलिस वालों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आनंद पाल मुठभेड़ में सीआई इंस्पेक्टर की मौत हुई थी अभी पिछले दिनों, उसकी पत्नी व छोटा सा बच्चा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि साहब हम दो साल से घूम रहे हैं लेकिन हमें अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पुलिस प्रशासन भी हम लोगों की सुरक्षा के लिए है, वह लोग पूरी रात जागते हैं, हम लोग चैन की नींद सोते हैं। मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों का निस्तारण हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, क्योंकि जयपुर-दिल्ली हाईवे पर है, शाहपुरा थाना, प्रागपुरा थाना, विराटनगर थाना, इनके बीच में भाबरू में एक नया थाना खुले। शाहपुरा थाने की यह स्थिति है कि 800-900 मुक़दमे पर-ईयर दर्ज होते हैं। सही तरीके से वहां अनुसंधान नहीं हो पाता। अगर एक नया थाना हाईवे पर खुले तो हाईवे पर भी ट्रैफिक व्यवस्था

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

ठीक रहे, आने-जाने की स्थिति ठीक रहे, क्राइम कंट्रोल रहे क्योंकि हरियाणा से सीमावर्ती क्षेत्र हमारा लगता है। अगर वहां एक नया थाना खुलेगा तो जनता को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पावटा नई तहसील बनी है। प्रागपुरा थाना है। प्रागपुरा थाना का मुंसिफ़ कोर्ट कोटपूतली में लगता है, जो सिर्फ प्रागपुरा थाने के मुकदमे ही सुनता है। रोज परिवादी को बीस किलोमीटर वहां जाना पड़ता है। अगर उस मुंसिफ़ कोर्ट को पावटा में ही स्थानान्तरित कर दिया जाए तो आम जन के आने-जाने की सुविधा होगी, उनका समय बचेगा, धन बचेगा और लोगों को सहूलियत होगी।

माननीय सभापति महोदय, सब लोग आबकारी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्षेत्र हरियाणा की सीमा पर है। गुजरात जाने वाली गाड़ियां, हर दूसरे दिन अख़बार में पढ़ते हैं कि पुलिस ने आज वहां बस पकड़ी, ट्रक पकड़ा। इस चीज पर हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पुलिस और आबकारी में आपस में कोम्बीनेशन करके, जितना ज्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की शराब हमारे सीमावर्ती इलाक़ों में बहुत बिकती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी पाबंदी लगाई जाए। हथकढ़ शराब, विशेषकर हमारे इलाक़े में, अब तो बहुत कम हो गई, पहले बहुत ज्यादा हुई जिसके कारण पिछली बार शाहपुरा में मौतें हुईं, मेरे खुद के गांव में भी तीन मौतें हथकढ़ शराब के कारण हुई। पुलिस प्रशासन को अभियान चलाकर हथकढ़ शराब पर पाबंदी लगानी चाहिए। उनको गिरफ्तार करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इस नशे के जंजाल से मुक्त हों। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान की इस विधान सभा में मांग संख्या-6, 13, 16, 17 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने 2019-20 की नई आबकारी नीति लागू कर दी जिसमें राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में जगह -जगह शराब के ठेके खोले गये लेकिन उन शराब के ठेकों के पास में कहीं

(श्री लाखन सिंह)

स्कूल हैं, कही कालेज हैं, कहीं श्मशान घाट हैं, कहीं पूजा घर हैं, नियम के अनुसार इनके पास ठेके नहीं खुलने चाहिए। लेकिन अधिकतर ठेके, जो स्कूल हैं, कालेज हैं, पूजा घर हैं, जो सीमा बताई गई है, उसी सीमा में खुले हुए हैं। आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से वह ठेके वहीं पर चल रहे हैं। लोग धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन वह ठेके बंद नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन ठेकों को भी सीमा देखकर बंद कराने चाहिए, यह मैं सरकार से विनती करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, शराब माफिया के द्वारा पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से गांवों में अवैध शराब के खोखे खोल दिये, जो गांवों में सामाजिक समरसता के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। राजस्थान में शराब बंदी का मुद्दा फिर से हर ज़िले की अलग-अलग जगहों से जनता द्वारा पुरज़ोर तरीके से उठाया जा रहा है। आये दिन जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले बाड़मेर ज़िले में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद से ही शराबबंदी की मांग उठने लगी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे नशे के बारे में कहना चाहता हूं। एक सफेद पाउडर है, जो पहले पंजाब में चलता था, जिसे स्मैक कहते हैं, आज वह राजस्थान में धीरे-धीरे पनपने लगा है। मैं मेरे करौली ज़िले के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे करौली ज़िले में भी यह धीरे-धीरे फैलने लग गया है। स्कूल और कालेज में पढ़ने वाली युवा पीढ़ी भी इसका सेवन करने लग गई है। पिछली बार जनवरी में एसपी साहिबा और हमने एक मीटिंग की और पुलिस के सहयोग से हमने इसको कम करने का प्रयास किया। पुलिस के सहयोग से हमने हर जगह, चौराहे पर मीटिंग की। काफी कोशिश करने के बाद काफी कम हुआ। पुलिस को भी मैं धन्यवाद देता हूं, पुलिस में भी अच्छे लोग होते हैं। जनता से मिलकर काम करते हैं, तो पाबंदी लग जाती है। इससे वहां पर काफी पाबंदी हुई। धीरे-धीरे यह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि स्मैक का नशा है, इस पर पाबंदी लगवाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा करौली विधान सभा क्षेत्र डांग क्षेत्र में आता है। यहां मासलपुर तहसील है, वहां पर थाना है, दशकों से दस्यु से प्रभावित गांव हैं। लगभग 8 से 20 किलोमीटर दूर तक फैला है। इन इलाक़ों

(श्री लाखन सिंह)

में सड़कों की बदहाली से पुलिस वारदातों के दौरान उचित समय पर नहीं पहुंच पाती है। कुकीकामाला केशपुरा के पास नांदपुर बोर्डर जिला धौलपुर दस्यु उन्मूलन हेतु आरएसी पुलिस की चौकी स्थापित की गई। थाने के पुराने रिकार्ड के अनुसार नफरी संख्या 32 थी लेकिन अब 18 है। करीब 100 गांवों में यह थाना फैला हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस थाने में नफ़री बढ़ाई जाए और पुलिस चौकी की भी व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस के पास संसाधनों की कमी है। पूर्वी राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिली हुई है। वहां पर अभी कुछ दिनों से कच्छा बनियान गिरोह सक्रिय हो गया है। यह गिरोह चोरी करने के साथ-साथ हत्याएं भी कर रहा है, जिससे पूर्वी राजस्थान में भय व्याप्त है। इसलिए पुलिस प्रशासन को मजबूत किया जाए तथा पुलिस के पास संसाधनों की कमी है, उनको पूरा किया जाए।

भरतपुर, करौली, धौलपुर ज़िलों में रात्रि गश्त के लिए 8-10 गाड़ियां अतिरिक्त दी जाएं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश से लगने वाले ज़िलों, भरतपुर, करौली, धौलपुर की प्रवेश सीमाओं पर नाइट विजन, सीसी टीवी कैमरे लगवाए जाएं।

उपरोक्त जिलों में पुलिस की नफरी बहुत कम है। अतः इन ज़िलों में पुलिस नफ़री बढ़ाई जाए तथा इन जिलों में एक-एक कम्पनी भी दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दो अप्रैल को जो घटना हुई थी, एस सी, एस टी के लोगों ने अपने अधिकार मांगे थे, उन पर मुक़दमे लगाये गये। उन मुक़दमों के बारे में हम माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है लेकिन अभी तक हमारे मुक़दमे वापस नहीं हुए हैं। इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष लोग हैं, उनके मुक़दमे वापस हों। जय हिन्द, जय भारत, जय भीम।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-6, 13, 16, 17 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सीधे-सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि आप मुझे समय बहुत कम देंगे, अभी आप बोल देंगे, मुझे बिठा देंगे।

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन थाने पड़ते हैं, वह है, आसींद, बदनौर और शम्भूगढ़। मैं यह भी जानता हूं कि पुलिस में भी बहुत ईमानदार आदमी होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में थानों की जो स्थिति है, वह मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। आसींद थाने की स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत रूपपुरा में महावीर जाट हत्याकाण्ड हुआ था, उसका खुलासा पुलिस आज तक नहीं कर पाई। ग्राम पंचायत दौलतगढ़ में मोकमसिंह नवलखा, जो जैन समुदाय से है, उसकी हत्या हुई थी, उसका भी खुलासा आज तक पुलिस नहीं कर पाई। आसीन्द के वार्ड नम्बर 19 में सीता देवी कामड़ नाम की एक महिला थी, जिसकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई कटहार चौराहे पर। अभी पिछले दिनों एक युवती का अज्ञात शव मिला, उसका भी पता आज तक पुलिस नहीं लगा पाई। साथ ही, ब्राह्मणों की सरेड़ी में चारभुजानाथ का एक बहुत बड़ा मन्दिर है, जो हिन्दू समाज की आस्था का एक प्रतीक है, जिसमें पिछले दिनों एक बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। जिसके लिए वहां के ग्रामीणों ने आन्दोलन भी किया था। इसका पता आज तक पुलिस नहीं लगा पाई और उस आन्दोलन में, जो केवल आधे घण्टे के लिए शांतिपूर्वक आन्दोलन उन्होंने किया था, उसमें 24 आदमियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर लिए। बदनौर के विराट माता मन्दिर जो एक प्रख्यात मन्दिर है, उसमें भी पिछले दिनों चोरी हो गई थी, उसका खुलासा आज तक पुलिस नहीं कर पाई है। आसीन्द के ही वार्ड नम्बर 18 में मनोहर सिंह चौहान नाम से एक बहुत ही गरीब आदमी है, जो एक मिस्त्री है, गाड़ियों का छोटा-मोटा काम करता है। उसकी लड़कियों की शादी के हिसाब से उसने ब्याज पर पैसा ले करके जोधपुर जा करके सोना और चांदी के जेवरात लेकर आया। पिछले दिनों दिन-दहाड़े उसके घर पर चोरी हो गई और चोर लगभग 25 से 30 लाख के जेवरात और नकदी चोरी करके ले गये, जिसका आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। आसीन्द में ही, मेरी स्वयं के बाड़े में से दिनदहाड़े चोर ताले तोड़ करके मेरी स्वयं की ही पिक-अप गाड़ी चोरी करके ले गये, जिसकी रिपोर्ट मैंने पुलिस में दर्ज करवाई है। मैं स्वयं जा करके थाने में मिला हूं, लेकिन आज तक उसका पता नहीं लगा है।

वहीं, वार्ड नम्बर 19 में अभी चार-पांच दिन पहले की घटना है। अशोक सामरिया करके एक कर्मचारी है, जिसके घर में दिन-दहाड़े सुबह 11

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

बजे चोर ताले तोड़ करके 25 लाख के जेवरात, सोना और नगदी लेकर चले गये। अभी 20 तारीख को गुलाबपुरा में एक चोरी हो गई थी, अभी दो दिन पहले की घटना है। विजय नगर में दिनदहाड़े एक पिक-अप चोरी हो गई थी। आसीन्द के ही वार्ड नम्बर 18 में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, मिश्री लाल सैन के नाम से, उसके घर में दिनदहाड़े चोरी हो गई। इन सारी चोरियों का पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई। मैं इन सभी मामलों में तीन-चार बार पुलिस से मिला भी हूं, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब पुलिस ने आज तक मुझे नहीं दिया, कोई संतोषप्रद काम भी नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बदनौर थाने में पिछले दिनों एक महिला एस.एच.ओ. थीं सुशीला काठात, उनकी ड्यूटी के दौरान गांव व आस-पास के सम्भ्रांत परिवार के लोग जो समाज सेवी हैं, उनके साथ बहुत ही बदतमीजी होती थी, जिनमें मुख्य-मुख्य नाम हैं, मैं आपको बता देता हूं। पिछले दिनों ईद के मौके पर सी.एल.जी. की एक बैठक थाने में रखी गई। सी.एल.जी. की मीटिंग के दौरान सी.एल.जी. सदस्यों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसमें रामचन्द्रजी सैन, जो जिला परिषद् में उप प्रमुख भी हैं उनके खिलाफ, और एक भास्कर के पत्रकार हैं शक्तिसिंहजी, उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके विरोध में एक दिन पूरा कस्बा बंद भी रहा। वह बात अलग है, जो आदरणीय एस.एच.ओ. थी, उनको वहां से हटा दिया गया। ऐसे ही दो-तीन केस वहां और हो रखे हैं। बदनौर कस्बे के ही एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं सत्यनारायणजी, जो सत्तू काका के नाम से जाने जाते हैं। वे बहुत ही अच्छे समाजसेवी हैं। वे थाने में कुछ काम से गये थे तो उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह, आकडसादा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नन्दलालजी खटीक, जो 75 वर्षीय बुजुर्ग हैं, वे किसी काम से किसी कार्यकर्ता को लेकर गये थे तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करके उनको धक्के दे करके थाने से बाहर निकाल दिया गया। मैंने स्वयं ने थानेदारजी से बात की तो उन्होंने कहा, मैं महिला हूं, इनको मेरे से तमीज से बात करनी चाहिए जबकि वे 75 वर्षीय बुजुर्ग थे।

आदरणीय सभापति महोदय, शम्भूगढ़ थाने में जो घटनाएं घटती हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। पिछले दिनों जगदीश पुत्र रामनारायण शर्मा, जो ब्राह्मण जाति से फलामाता गांव में एक किसान हैं। उसके खेतों के सामने

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

ही गुलाबपुरा के जो बहुत पूंजीपति व्यक्ति हैं, जो कांग्रेसी नेता हैं, उनकी एक माइन्स चलती है, डस्ट जो उड़ती है, उस डस्ट से खेती प्रभावित होती है और उनकी जमीन बंजर होने की स्थिति में आ गई है। उन्होंने माइनिंग विभाग में शिकायत की, पुलिस थाने में भी शिकायत की। उसका नतीजा यह निकला कि उस माइन्स आनर से पुलिस वालों ने मिल करके चार मजदूरों से उसी के ऊपर केस लगवा करके उसको थाने में ला करके बैठा दिया, उसको बंद कर दिया। मैंने स्वयं ने फोन पर बात की। रात को दस बजे, मैंने जिद करके उनको एस.डी.एम. कार्यालय में पेश करवाया और 151 में उनकी जमानत करवाई।

दूसरा, कल की घटना है। कल मैं आसीन्द से जयपुर के लिए निकला, मैं जयपुर आ रहा था। रास्ते में मुझे फोन आया, शम्भूगढ़ थाना क्षेत्र में बरसनी पंचायत पड़ती है। बरसनी पंचायत में नानू, परसराम पिता बाबू लाल नायक, महावीर, काना पिता देवा नायक, ये चारों अभी पिछले दिनों यहां सदन में अंग्रेजी बबूल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इन चारों लोगों ने बरसनी पंचायत से सचिव और सरपंच से मिल करके टेन्डर करवा करके चालीस हजार रुपये में सरकारी जगह में बबूल का ठेका लिया। वे बबूल निकाल करके कोयला बनाने का काम करते हैं। वहीं का कोई एक आदमी है, जो पुलिस से मिला हुआ है। थाने में जा करके शिकायत की, इन चारों को थाने में ला करके बैठा दिया गया। एक घण्टे तक मैंने कल थानेदार से बात की। यह कल दिन के तीन बजे की घटना है। शाम को जा करके, फिर भी उस थानेदार की इतनी जिद थी कि इन चारों को न्याय देने की बात तो अलग रही, चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 151 में पाबन्द करके रात को नौ बजे उनको छोड़ा गया। इसमें एक आदमी बीमार भी पड़ गया, जिसको हास्पिटल में ले जा करके, यह परसराम नाम का व्यक्ति जो बीमार पड़ गया था, इसके बोतलें चढ़ाई गईं और इसका इलाज कराया गया।

इसी तरह सांवरलाल जाट जो घागरा सरपंच है, उसके पंचायत क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रखा है, जिसकी शिकायत उसने कलेक्ट्री में की, एस.डी.एम. साहब के पास की, और थाने में लगभग ढाई साल से वह आदमी शिकायतें कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी जा करके, चम्बल प्रोजेक्ट का पानी हमारे वहां सप्लाई होने वाला है, टंकी बनाने के हिसाब से उसने अतिक्रमण

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

हटाया तो वहां मारपीट हो गई। गांव के लोग मारपीट करने पर उतारू हो गये। तो पुलिस वालों ने उसी सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वह सरपंच दो दिन भागता फिरा। इस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट। अभी +++ की बात भी यहां सदन में हो रही थी। पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य ने +++ का नाम लिया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि +++ के साथ आपने कौनसा न्याय कर दिया। आपने भी तो उनके परिवार को बहलाया-फुसलाया और पूरे विधान सभा चुनाव में पूरे राजस्थान में आप घुमाये। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला उनकी मां हैं, उनको आपने घुमाया है, बी.जे.पी. का विरोध करके, कांग्रेस के पक्ष में आपने वोट लिये और आपने कहा, हम आपको न्याय दिलाएंगे।

श्री सभापति: किसी का नाम अंकित नहीं होगा, नाम अंकित नहीं करेंगे।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, उनकी माताजी का अभी पिछले दिनों 17 जुलाई को स्वर्गवास हो गया था।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय उच्चतम न्यायालय में उनके जो दोनों बेटे हैं, जो जेल में बंद हैं, +++ जो अजमेर की हाई-सिक्योरिटी जेल में हैं, उसको दो दिन की पैरोल दी थी।

श्री सभापति: विराजिये। समाप्त कीजिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): लेकिन पुलिस वालों ने न तो शांतिपूर्वक दाह संस्कार करने दिया, न रीति-रिवाज से करने दिया और दो घण्टे में पुलिस सीधा श्मशान घाट ले गयी और श्मशान घाट से सीधा वापस जेल ले गई।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): जिसका न तो उनके परिवार को बताया गया। ऐसा अन्याय उनके साथ हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं,

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, कार्यवाही करके, +++ का जो परिवार है, उनके साथ न्याय किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये, आप विराजिये। श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 16-पुलिस, मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन, मांग संख्या 13-आबकारी एवं मांग संख्या 17-कारागार पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुबह से पुलिस और कानून पर चर्चा हुई। चर्चा में चाहे पुलिस हो, चाहे अपराध हो, इन सब पर चर्चा होने के बाद मैं यह महसूस करता हूं कि समय कम होने की वजह से मैं सीधे मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह कहा है कि थानों का जो परिसीमन है वह इस प्रकार से हो रखा है कि मेरे विधान सभा में भी करीबन सात थाने पड़ते हैं। भौगोलिक स्थिति से भी मेरा क्षेत्र लम्बा है, काफी चौड़ा है। उसके बाद में सात थाने हैं, जिनको अलग-अलग थानों में जोड़ा गया है।

मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली सरकार में मेरे यहां पर सी.ओ. आफिस खोला। उसकी वजह से आज वहां पर अपराध कम हुए हैं। पिछली बार रायसर में पुलिस चौकी खोली, अगर वह पुलिस चौकी क्रमोन्नत हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे सात थानों में जाने की बजाय, हमारे तीन थाने हैं, वर्तमान में दो थाने हैं, जमवारामगढ़ एवं आंधी, इसलिए सात थानों में तीन एस.पी. हमारे पड़ते हैं, तो लोगों को बड़ी समस्या होती है। एडिशनल एस.पी. के लिए तो कोटपूतली जाना पड़ता है, जो करीबन 70-80 किलोमीटर पड़ता है और एस.पी. एक गोपालपुरा मोड़ पर पड़ता है और एक कलेक्टरी में पड़ता है और एक रेलवे स्टेशन पर पड़ता है इसलिए लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है। इससे निजात पाने के लिए आदरणीय मंत्री महोदय को सभापति महोदय के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि इन थानों का पुनर्सीमांकन हो और एक नया थाना खोलें।

साथ में, अगर मेरे क्षेत्र में नकची घाटी और भानपुर में नई चौकियां खोल दें तो अपराध में कमी आएगी और हर नाके पर पुलिस चौकी होगी तो निश्चित रूप से अपराध कम होगा।

(श्री गोपाल लाल मीना)

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि अब जो सरकार ने सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की बात कही है, वह निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि थानों में एकसा व्यवहार होना चाहिए। थाने में अगर जनता जाए या कोई भी जाए तो उसको यह महसूस हो कि मैं थाने में आया हूं और मेरी थाने में सुनवाई होगी। इस तरीके से सरकार ने नया स्वागत कक्ष खोलने का जो काम किया है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी जनता के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी चार-पांच दिन पहले मेरे क्षेत्र में एक लड़का कोई स्टे लेकर गया था तो एक पुलिस वाले हैड कांस्टेबल ने उसके साथ में धक्का-मुक्की की और उसका फोन टूट गया। उसने उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि आप ऐसे अपराधों को जो पुलिस अगर कोई अपराध करे, जनता करती है तो वह भी बंद होती है लेकिन अगर पुलिस भी करे, अगर ऐसा कृत्य किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

मेरे क्षेत्र में अभी कल एक घटना हुई। एक प्रेम-प्रसंग की घटना थी। एक लड़के ने एक लड़की को खेत में, यह करीबन तीन बजे की बात है, उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और खुद फांसी लगाकर खतम हो गया तो ऐसे अपराध ज्यादा हो रहे हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए भी पुलिस के पास में गाड़ी-घोड़े अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा सी.ओ. आफिस पर एक्सपर्ट लोकेशन वाला आफिस होना चाहिए। तुरंत लोकेशन मिलनी चाहिए जिससे वह तुरंत पकड़ में आ जाए। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आज रिपोर्ट दर्ज होगी, तीन दिन बाद में उसकी लोकेशन आएगी, फिर उस पर पुलिस कार्यवाही करेगी तो इतने दिन में तो वह बाहर चले जाते हैं तो इन कामों के लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीओ. आफिस में ऐसी चीज, ऐसा एक्सपर्ट जो लोकेशन वहां की वहां पर मिल जाए और हाथ की हाथ वह काम हो जाए। लोकेशन आने में ही तीन दिन लग जाते हैं इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीओ. आफिस स्तर पर एक्सपर्ट होने चाहिए और उनके लिए पूरे इलाके में तुरंत उन पर कार्यवाही हो, ऐसा काम हो।

मैं आबकारी विभाग के बारे में भी बताना चाहूंगा कि मेरे इस विधान

(श्री गोपाल लाल मीना)

सभा क्षेत्र में आबकारी थाना खोला जाए और हर विधान सभा क्षेत्र में खोलना चाहिए सी.ओ. आफिस लेवल पर क्योंकि उससे जो तस्करी है और वहां पर जो देशी शराब है, उस शराब पर पाबंदी लगेगी और जो दुकानें हैं, उनके सब-सेंटर खोलते हैं पुलिस की मिलीभगत से, उनको रोका जाए। यह मेरे से पूर्व सादुलपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने भी यह बात कही है। गांवों में निश्चित रूप से इस पर रोक लगनी चाहिए। जहां पर शराब की दुकान है, वहीं पर बिकनी चाहिए नहीं तो रात को वह दुकान खुलती है आठ बजे के बाद में और वह पूरी रात भर बिकती रहती है तो इसलिए सब-सेंटर इसके जो खोलते हैं, जो शाखा खोलते हैं, उनको बंद करना चाहिए।

तीसरी बात, मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्व सरकार में आदरणीय अशोकजी गहलोत ने मुंसिफ कोर्ट खोला था, उसकी बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई है जिसके कारण से वहां पर वकीलों को एवं अन्य लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है इसलिए नया भवन बनना चाहिए। इसके लिए भी मैं मांग करता हूं।

आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक सी.ओ. आफिस की भी बिल्डिंग नहीं बन पाई है। सी.ओ. आफिस के लिए जगह उपलब्ध है, उसकी बिल्डिंग के लिए भी बजट पास हो ताकि बिल्डिंग बनें और पुलिस के लिए जिस प्रकार से मेरे से पूर्व सदस्यों ने कहा कि ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): थानों में पुरानी गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां दिलवाई जाएं। वास्तव में बात यह है कि स्कार्पियो जैसी गाड़ी हो। आज सब अपराधियों के पास में बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं, इसलिए उनको स्कार्पियो गाड़ी की व्यवस्था हो ताकि वह अपराधियों को तुरंत पकड़ सकें।

हमारे मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट में 86 न्यायालय खोले हैं उनके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जनता को जल्दी न्याय मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री पुखराज। आप विराजिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): जल्दी न्याय मिलने से लोगों को फायदा होगा, कम समय में न्याय मिल पाएगा इसलिए 86 कोर्ट खोलने

(श्री गोपाल लाल मीना)

से जनता को फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे को बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या-6 और 16 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में चार थाने आते हैं, उन चारों थानों में अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा है और मुंसिफ कोर्ट है वह पीपाड़ शहर भोपालगढ़ से काफी दूर है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि भोपालगढ़ में मुंसिफ कोर्ट खोला जाए।

पूर्व सरकार के द्वारा भी राजस्थान हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश पर पीपाड़ शहर के मुंसिफ कोर्ट की जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सर्वे किया जा चुका है। जमीन और संसाधन की व्यवस्था देख चुके हैं लेकिन अभी तक मुंसिफ कोर्ट नहीं खुला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुंसिफ कोर्ट भोपालगढ़ में तुरंत प्रभाव से खोला जाए।

अब मैं, पुलिस प्रशासन की बात करता हूं। भोपालगढ़ में पिछले छह महीने से पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर फरवरी महीने में एक दलित महिला की हत्या हुई। दलित महिला अपने खेत के अंदर बकरियां चरा रही थी, उसकी जघन्य तरीके से हत्या की गयी और उसके सारे आभूषण भी चोरी करके ले गये लेकिन अभी तक उस हत्याकांड पर किसी तरह से कार्यवाही नहीं हुई है और न ही कोई हत्यारे पकड़ में आए हैं। भोपालगढ़ जो प्रोपर थाना है, उस थाना क्षेत्र में अभी तक 26 चोरियां हो चुकी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन 26 चोरियों में से अभी तक एक भी चोरी नहीं खुली है और इन चोरियों में से जो अभी लास्ट चोरी हुई है 14 तारीख की मध्य रात्रि को, उसमें लगभग 35-40 लाख की चोरी हुई है। एक साधारण किसान था और उसके 35-40 लाख की चोरी होना एक बहुत बड़ी बात है लेकिन पुलिस में इस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और न किसी तरह की कोई चोरियां खुल रही हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार

(श्री पुखराज)

से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ के अंदर पूर्व सरकार के द्वारा सी.ओ. कार्यालय की अनुमति दी गयी थी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गयी थी इसलिए जल्दी से जल्दी वहां पर डिप्टी एस.पी. की पोस्टिंग हो, वृत्ताधिकारी का पदस्थापन हो, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-6, 13, 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में दो सी.ओ. सर्कल और आठ थाने और नौ चौकियां स्थापित हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा जनता काफी परेशान है। अधिकारियों की लापरवाही से आम जनता काफी परेशान हो चुकी है, इसके लिए वहां का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। अपराधी अपराध कर रहे हैं और भोली-भाली जनता का शोषण किया जा रहा है, आये दिन अधिकारियों ने लूट-खसोट मचा रखी है तथा राजनीति के चक्कर में लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है। अपराध कौन करता है और सज़ा किसको मिलती है।

सभापति महोदय, अभी दिनांक 23.6.2019 को रात्रि के 11.00 बजे गांव आहूलेरा में फायरिंग हुई है जिसका मुकदमा नंबर 252/2019, धारा 143, 307, 336, 504 आई पी सी में दर्ज है। इसमें नौ मुलजिम नामजद हैं तथा पांच-छह व्यक्ति अन्य हैं। आज तक पुलिस मनोहरथाना द्वारा एक भी मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या पुलिस से संबंधित अधिकारी की लापरवाही है या सरकार पर सवालिया निशान लगाना चाहती है, या कोई और फायरिंग, मौत का मंजर देखना चाहती है या लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा या क्यों न ऐसे निकम्मे अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए? अभी-अभी थाना डांगीपुरा में तीन वर्ष ढाई माह उम्र की बालिका लापता है। जब खबर प्रकाशित होती है, तो पुलिस कहती है, जांच जारी है। जांच के नाम पर कितने लम्बे समय तक परिवारजन परेशान होते रहेंगे तो यह कार्यवाहियां क्यों नहीं की जा रही हैं? यह इसलिए नहीं की जा रही हैं कि पुलिस अपने रवैये को बिलकुल नाकाम समझकर आम जनता की परेशानियों को बिलकुल नहीं समझ पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री गोविन्द प्रसाद)

आप जिस तरीके से हमारी चुरूल्या, कोलोखेड़ी कलां और सरड़ा चौकी को थानों में क्रमोन्नत किया जाए और आमेटा, ल्हास, कस्बा मनोहरथाना और गुराडी चौराहा, इनमें पुलिस की नई चौकियां स्थापित की जाएं तो इससे क्राइम कम होगा।

सभापति महोदय, मैं आबकारी विभाग पर आपको कुछ अवगत कराना चाहता हूं। आबकारी विभाग तथा शराब माफियाओं की मिलीभगत द्वारा पूरे विधान सभा क्षेत्र में जगह-जगह किरानों की दुकानों की तरह शराब की दुकानें गांव-गांव, सार्वजनिक स्थल व धार्मिक स्थलों के पास अवैध रूप से संचालित हैं। कस्बा अकलेरा, असनावर, घाटोली, सरड़ा, मनोहरथाना, बालटा में वैध और अवैध करीबन 500 दुकानें संचालित हैं, जो रात्रि के आठ बजे के बाद भी पूरी रात खुलती हैं, जिस पर प्रिन्ट रेट से ज्यादा वसूली भी की जाती है तथा शराब के कारण आये दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होने से आमजन को अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): इस शराब के नशे के कारण महिलाएं, बालिकाओं से छेड़छाड़, महिला अत्याचार संबंधित अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है तथा इनको समय रहते बन्द नहीं किया गया तो आने वाले समय में धरने-प्रदर्शन, ज्ञापन देने को मजबूर होना पड़ेगा तथा यह अवैध कार्य कार्यरत अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे हैं, अत: इस अवैध कार्य में लिप्त कर्मचारियों, अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। जय हिन्द। जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 6, 13, 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं धन्यवाद देता हूं। सुबह से पुलिस पर, न्यायपालिका पर, आबकारी पर डिबेट चल रही है। कोई पुलिस पर आरोप लगा रहा है, कोई पुलिस को धन्यवाद दे रहा है, कोई पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। पुलिस में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इस पर पूरे सदन को सोचना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार करने वाले, रिश्वत देने वाले, रिश्वत लेने वाले

(श्री हाकम अली खां)

कोई बाहर से नहीं आते हैं, वे भी हमारे ही समाज से हैं तो हमें समाज में एक जागरूकता लानी पड़ेगी कि समाज का आदमी अगर रिश्वत देता है तो कहीं न कहीं उस रिश्वत देने के पीछे उसकी कोई गलत मंशा होती है कि मैं पुलिस को रिश्वत देकर कोई गलत काम करवा लूं और पुलिस को यह सोचना पड़ेगा, पुलिस को यह जागरूकता लानी पड़ेगी कि अगला रिश्वत दे रहा है तो मेरे से जरूर कोई न कोई यह गलत काम करवाएगा तो पुलिस को भी जागरूकता लानी पड़ेगी।

समय बहुत कम है, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सन् 2013 में मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में एक बृजलाल वकील था, वह एक शादी में खाना खा रहा था, शादी में खाना खाते-खाते उसको किसी अपराधी ने गोली मार दी और उसकी वहीं हत्या हो गयी थी। उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उन हत्यारों का कोई पता नहीं चल सका कि उस वकील को किसने गोली मारी और उसके परिवारजन जब थाने पर गये कि हमारे परिवार के सदस्य को गोली मार दी। वह वकील था, वह एस.सी. का था तो सब लोग वहां जमा हुए और जो फतेहपुर के थाने हैं, कोतवाली और सदर, वह दोनों नेशनल हाईवे पर हैं। अगर वहां पर 20 आदमी, 50 आदमी भी जमा हो जाएं तो हाईवे थोड़ा बाधित होता है। उस टाइम उसके परिवार के लोग वहां पुलिस पर दबाव बनाने के लिए गये कि हत्यारों को गिरफ्तार करो, हत्यारों का पता लगाओ, तो पुलिस वालों को लगा कि शायद यह रोड पर जाम करेंगे या उग्र आन्दोलन करेंगे तो उनके ऊपर हाईवे जाम का मुकदमा लगा दिया। मेरी समझ में वह लोग निर्दोष थे। उस टाइम उस आंदोलन के लिए लोग गये थे, तो साथ में मैं भी था। वहां हाईवे जाम जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर हाईवे जाम का मुकदमा लगा दिया। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उन बेगुनाह लोगों के ऊपर मुकदमा वापस लिया जाए। कोई सर्विस लगने वाला था, कोई अपना पासपोर्ट बनवाकर बाहर जाने वाला था। वह बेरोजगार हो रहे हैं, वह सब जिनके ऊपर मुकदमा लगा था।

ऐसा ही एक दूसरा केस हुआ। वही मंजर था, थाना हाईवे के ऊपर है। लोग आये कि हमारे केस का क्या हुआ, तफ्तीश कौन कर रहा है, यह कहां तक पहुंचा? मुकदमा नम्बर 158/16 वही हाईवे थोड़ा बाधित हुआ और पुलिस

(श्री हाकम अली खां)

वालों को लगा कि हाईवे रोकेंगे तो उनके ऊपर हाईवे रोकने का मुकदमा दर्ज किया। माननीय मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि एक तो मुकदमा है 132/13, जो धारा 143 आई पी सी 8(बी) राष्ट्रीय राजमार्ग बंद अधिनियम 1973 दर्ज किया हुआ है और वही सेम केस मुकदमा नम्बर 1548/2016, जो दिनांक 28.11.2016 को मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उन बेगुनाह लोगों के मुकदमों को वापस लिया जाए और उनको रोजगार का मौका मिले।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के साथ-साथ न्यायपालिका की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि न्यायपालिका का एक अहम कार्य, कानून के अनुसार नहीं चलने वालों को दंडित करना तथा समस्त प्रकार के विवादों को सुलझाकर समाज में अपराध कम करने का कार्य करता है जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। सबको एक समान मानकर बिना भेदभाव के न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली कार्य होता है। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में एक पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर न्याय मिलता है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं मिलता है? इसमें कहीं न कहीं न्यायपालिका और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं में कमी है क्योंकि जब तक न्याय के दरबार पर खड़े हर व्यक्ति को सरल, सुगम एवं उचित तरीके से न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम एक सुराज्य की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो, व्यवस्थित हो तथा गम्भीर अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था अधिक से अधिक संख्या में की जाए जिससे पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र न्याय मिल सके तथा न्यायपालिका एवं राज्य सरकार पर आमजन का विश्वास कायम रह सके।

महोदय जी, पहले सुनने को मिलता था कि आपको न्यायालय में देखेंगे, कोई अपराध करता था तो उसको बोलते थे कि आपको कोर्ट में देखेंगे परन्तु अब वर्तमान में प्राय: यही सुनने को मिलता है कि कोई भी अपराध कर दो, क्या होता है, कोर्ट में जाकर छूट जायेंगे, नहीं तो तारीख पर ही तो जाना है।

इसी प्रकार की व्यवस्था के कारण आज बड़े से बड़े अपराधी आराम

(श्री हाकम अली खां)

से बेखौफ होकर घूम रहे हैं तथा आम जनता डर में जी रही है। अत: महोदय जी, न्यायपालिका में सुधार करना वर्तमान समय की मांग है। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जिससे न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो। महोदय जी, दुर्भाग्य की बात है कि न्यायपालिका के कामकाज में वर्तमान में जवाबदेही नगण्य है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): महोदय जी, न्यायपालिका में सुधार लाने के लिए जजों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति उम्र, खण्डपीठों की संख्या में वृद्धि कामकाज के दिन, काम की प्रकृति, न्याय, ईमानदारी, सदाचार, नैतिकता एवं प्रशासनिक कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी होना भी न्यायपालिका के लिए अति महत्वपूर्ण होता है।

महोदय जी, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे लम्बित मामलों से निपटने के लिए न्यायपालिका में जजों के एवं अन्य न्यायिक कर्मचारियों के खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया अपनायी जाए, नई बैंचों का गठन किया जाना चाहिए तथा काम करने की अवधि में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ, माननीय न्यायाधीशों को भी मामलों को जल्दी निपटाने के लिए कुछ अहम फैसले लेने चाहिए, जो उनके अधिकार में आते हैं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं न्यायपालिका की तरफ, कि मेरे यहां पिछली सरकार ने एडीजे कोर्ट खोला था, उसमें अभी तक भवन नहीं बना है, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि एडीजे कोर्ट का एक भवन बनाया जाए और वकीलों के लिए एक लाइब्रेरी खोली जाए, किताब देखने के लिए उन लोगों को 70 किलोमीटर सीकर जाना पड़ता है तो अगर लाइब्रेरी खोल दी जाए, वकीलों को वहां नहीं जाना पड़े।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी। गिरधारीलाल जी, आप संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): गिरधारीलाल जी, एक मिनट।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: मंत्री जी का जवाब देने तक बढ़वाओ। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जवाब देने तक बढ़ा दो।

श्री सभापति: मंत्री जी का जवाब देने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 6, 13, 16 एवं 17 पर विचार

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अनुदान की मांगों न्याय प्रशासन, आबकारी, पुलिस और कारागार पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बीकानेर संभाग की महत्वपूर्ण मांग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बीकानेर में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना के लिए लम्बे समय से वकीलों द्वारा हड़ताल की जा रही है और जनता द्वारा मांग की जा रही है। लगभग पांच सालों से यह महत्वपूर्ण मांग की जा रही है। दूसरी, वृद्ध वकीलों को पेंशन दी जाए। तीसरी मांग, वकीलों की असामयिक मृत्यु पर बार कौंसिल के बराबर सरकार आर्थिक सहायता दे। चौथी मांग, नये वकीलों को दस हजार रुपये का प्रति माह स्थायी फंड दिया जाए। पांचवीं मांग, 2013 में अधिवक्ताओं द्वारा बार कौंसिल व सरकार के मध्य हुआ समझौता लागू किया जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के टाइम राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो झूठे मुकदमे किये गये हैं वे मुकदमे वापस लिए जाएं।

सभापति महोदय, साइबर अपराध की जांच के लिए विशेष अनुसंधान

(श्री गिरधारीलाल)

की तकनीक ईजाद की जाए। पुलिस थानों में नफरी बढ़ाई जाए। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में सूड़सर कस्बा आता है, जिसमें अनाज मण्डी है, आसपास के गांव के किसान और भीड़भाड़ रहती है, वहां पुलिस चौकी भी है। पहले पुलिस थाने के रूप में स्थापित हुई थी पर पुलिस थाना चेंज होकर वह शहर में चला गया, अब वहां एक एस.आई. का पद स्थापित किया जाए और वहां ट्रैफिक के लिए अलग से ट्रैफिक पुलिस स्थापित की जाए। यह कहते हुए, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर। श्री नरेन्द्र नागर। (अनुपस्थित) श्री बिहारीलाल जी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, न्याय प्रशासन, आबकारी, पुलिस और कारागार की मांगों पर बोलने का आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं मेरे नोखा की महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। न्याय प्रशासन की मांग पर निवेदन है कि नोखा में मुकदमों की संख्या को देखते हुए एडीजे कोर्ट की मांग लम्बे समय से चली आ रही है, भवन बना हुआ है और भवन की जरूरत पड़ेगी तो दानदाता भी हमारे लिए तैयार हैं, माननीय मंत्री जी, इस बात की ओर गौर फर्माएं क्योंकि बीकानेर के सेशन कोर्ट का भी काम नोखा के मुकदमों पर ही चलता है, नोखा में मुकदमों की सबसे बड़ी संख्या है।

अभी हमारे कामरेड साथी ने बीकानेर में हाई कोर्ट की बैंच की मांग की, तो यह हमारी मांग ही नहीं, माननीय, हमारा हक है। जोधपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जिले में तो हाई कोर्ट है, पर पहले बीकानेर में हुआ करता था, अब जोधपुर चला गया। हम हाई कोर्ट नहीं मांग रहे सिर्फ बैंच मांग रहे हैं इसलिए गम्भीरता से बीकानेर की इस लम्बित मांग को पूरी करने का काम करें।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वर्गीय गुरूशरण छाबड़ा जी के त्याग का जिक्र किया। स्वर्गीय गुरूशरण छाबड़ा जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, माननीय मंत्री महोदय, कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हम पूरे प्रदेश में शराबबंदी करें। नोखा में इस विभाग का वृत्त निरीक्षक कार्यालय

(श्री बिहारीलाल)

नहीं है तो नगरपालिका क्षेत्र में इसके लिए जमीन आबंटन हो और कार्यालय का निर्माण हो।

आबकारी में आठ बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, न्यूज 18 का एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में यह बताया जा रहा था कि प्रदेश की राजधानी में आठ बजे बाद भी शराब की दुकानें खुली हैं। जब राजधानी में यह हाल है तो प्रदेश भर की हम कल्पना कर सकते हैं माननीय मंत्री जी।

कारागार विषय में निवेदन है, नोखा कारागार को मरम्मत के नाम पर बंद किया गया था, मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है इसलिए पूरे स्टाफ के साथ नोखा कारागार को शुरू किया जाए।

नोखा क्षेत्र में तीन थाने हैं, नोखा, पांचू और जसरासर, स्वीकृत श्रेणी के सभी रिक्त पदों को भरने की कृपा करें। नोखा पुलिस स्टेशन में पिछले 20 वर्षों से सी.आई. की पोस्टिंग हो रही है लेकिन गजट नोटिफिकेशन में अभी तक भी निरीक्षक स्तर का क्रमोन्नत नहीं हुआ है, इसको भी करने की कृपा करें।

नोखा केन्द्र है नागौर, बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़ किसान गतिविधियों का, किसान आन्दोलनों का इसलिए सेन्टर पाइंट होने के नाते नोखा में आई.बी. की एक पोस्ट भी स्वीकृत की जाए, जिसका प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

(20.57 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय मंत्री जी, नोखा का पांचू थाना काफी समय पहले नये भवन में स्थानान्तरित हो चुका है और पांचू कस्बे के बीच में ट्रैफिक का बहुत जाम रहता है तो वहां जो पुरानी चौकी थी, पुलिस की जो जगह है, उस पुलिस की जगह को ग्राम पंचायत को या परिवहन विभाग को देकर वहां एक बस स्टैण्ड का निर्माण किया जाए। पांचू क्षेत्र में ही जो उसका अंतिम गांव, पांचू थाना मुख्यालय से 75-80 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो उस मध्य क्षेत्र में कक्कू गांव में पुलिस स्टेशन पांचू की एक चौकी खोलने की कृपा करावें।

पीएस जसरासर में काकड़ा गांव को शामिल किया गया है, जो काकड़ा गांव के साथ बड़ा अन्याय है। काकड़ा नोखा के नजदीक पड़ता है, नोखा में शामिल किया जाए।

(श्री बिहारीलाल)

यह कुछ बातें मैं आपके संज्ञान में लाया, माननीय मंत्री जी। पुलिस से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, सभी ने बांध रखी है और जहां उम्मीदों का बोझ ज्यादा होता है तो वहां शिकायतों की फेहरिस्त भी बड़ी लम्बी होती है। इसलिए पुलिस का कांस्टेबल, पुलिस का अधिकारी, पुलिस का कर्मचारी किन परिस्थितियों में काम करता है, कितने उस पर दबाव होते हैं, 24 घंटे काम करने का समय, कितना उसको उसका पारितोषित मिलता है, कितनी उसको शाबासी मिलती है, बेहतर से बेहतर परिणाम देने की कोशिश करें, फिर भी जब सरकार का मौका आता है, बजट देने की बात आती है तो सरकार के हाथ भी कांपने लगते हैं, मात्र तीन प्रतिशत से भी कम बजट दिया जाता है। आधे से ज्यादा नफरी खाली पड़ी है। पूरे प्रदेश की थानों की यह स्थिति है और ऊपर से पुलिस कागज मांग ले फरियादी से तो फरियादी पुलिस को चोर कहे, वाहन मांग ले ...(व्यवधान) फिर चोर कहे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): इन परिस्थितियों में काम करने वाला पुलिस का कर्मचारी, दो लाइनों में आप उस बात को समझना, पुलिस जनता की सेवा के लिए त्यौहार और परिवार छोड़ देती है, पुलिस की पत्नी करवाचौथ का व्रत तो फोटो देखकर तोड़ लेती है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): ये परिस्थितियां हैं पुलिस की।

(21.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य। वाइंड अप भी हो गया ...(व्यवधान) श्री राकेश पारीक। अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री अध्यक्ष: श्री राकेश पारीक। (अनुपस्थित) श्री मुकेश कुमार भाकर।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की, जिससे जो नये सदस्य हम जैसे पहली बार चुनकर आये हैं, उनको भी इस सदन में बोलने का मौका मिला।

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

अध्यक्ष महोदय, आज जो न्याय और कानून-व्यवस्था है, जैसा मुझे ध्यान लगा कि बहुत लंबे वर्षों बाद इस मांग पर यहां चर्चा हो रही है। सुबह से बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां अपनी महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं, यहां अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत अपने लाडनूं विधान सभा क्षेत्र से करना चाहूंगा। वहां मुंसिफ कोर्ट है जितनी भी शर्तें पूरी होनी चाहिए, जितने लम्बित मामले हैं, उन सभी को लाडनूं मुंसिफ कोर्ट पूरी करता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां एडीजे कोर्ट की स्थापना की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बरड़ुवा पुलिस थाना होता था। आजादी से पहले का वह थाना था लेकिन पिछले कुछ समय से उस थाने को चौकी का रूप दे दिया गया है। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस थाने को पुन: शुरू किया जाए। उसका बहुत लंबा एरिया है। लोगों को न्याय के लिए, मुकदमों के लिए दूसरे थानों पर जाना पड़ता है। इस थाने को दुबारा शुरू किया जाए। साथ ही, आबकारी उप पुलिस अधीक्षक का जो कार्यालय है, वह लाडनूं में खोला जाए। इन चीजों की मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सुबह जब प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द जी कटारिया बोल रहे थे, तो उन्होंने बहुत से आंकड़े इस सदन में रखे कि एससी, एसटी के जो मुकदमे हैं, अपराध हैं, उनमें इन 6 महीनों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पिछला 5 साल का राज रहा, उसमें आदिवासी और दलितों का जो उत्पीड़न हुआ, उनकी थानों में कोई सुनने वाला नहीं था, वहां मुकदमा दर्ज करने वाला कोई नहीं था, उनको प्रताड़ित किया गया। आंकड़ों का जो मायाजाल आज आप लेकर आए हैं, वह इसलिए बता पा रहे हैं कि आपके राज में दलित और आदिवासियों पर जो उत्पीड़न हुआ, उनके मुकदमे दर्ज नहीं किये गये। कांग्रेस का राज आया है तो आज मुख्य मंत्री जी और पूरी सरकार यह चाहती है कि आदिवासी और दलितों को न्याय मिले।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, आदरणीय कटारिया जी बोल रहे थे कि हमने यह कानून-व्यवस्था लागू की, हमने इतने अपराध कम किए, जेलों के अंदर कैसे हथियार पहुंचे, कैसे गैंगवार हुई, वह आपके सामने है। कोर्ट परिसर में किस तरीके से गैंगवार

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

करके आदमियों को मारा गया। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, शांति और कानून-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय धारीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अच्छी व्यवस्था आपने बनाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मुझे आपने मांग संख्या 6, 13, 16 और 17 पर अपनी बात को रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको ह्रदय से धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16, जो कि पुलिस विभाग से संबंधित है, उसके बारे में मैं कुछ आपके माध्यम से मंत्री जी को अपनी बात रखना चाहूंगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की 12 से 16 घंटे की जो डयूटी है, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर वह 8 घंटे की जाए, यह मेरी मांग है। हार्ड डयूटी अलाउंस बढ़ाया जाए, 12 से 16 घंटे डयूटी करने से मानसिक, शारीरिक समस्याग्रस्त होने के कारण बहुत स्ट्रेस में पुलिसकर्मी आ जाते हैं, उनको समय पर अवकाश भी दिया जाए। मानसिक और पारिवारिक अवसादग्रस्त होने के कारण कई हमारे पुलिसकर्मी आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अपराधों की बढ़ती हुई संख्या के कारण नवीन थानों और चौकियों की स्थापना की जाए जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कांस्टेबल की वेतन विसंगतियों को दूर करके जन हित में राहत प्रदान करें। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए अलग से दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल संचालित हैं, उसी तर्ज पर राजस्थान पुलिस के बच्चों के लिए भी प्रत्येक जिलेवार पब्लिक स्कूलों की भी स्थापना की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में नदबई, उच्चैन, चिकसाना, सेवर और लखनपुर 5 थाने हैं। इन थानों में भी नफरी की बहुत कमी है, वह भी बढ़ाई जाए। पूरे प्रदेश में नफरी की बहुत कमी है, इसलिए अपराध ज्यादा होते हैं। राज्य में स्वीकृत नफरी क्या है और कितनी तैनाती

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

है? कितनी कमी है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा। सरकार नई भर्ती के प्रति अपनी क्या मंशा रखती है। उसका भी मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अध्यक्ष महोदय, समय चूंकि कम है इसलिए मुझे एक मिनट और दे दिया जाए। थानों में अच्छी गाड़ियां दी जाएं। अपराधी अच्छी गाड़ियां लेकर के अपराध करते हैं। पुलिसकर्मियों के पास हमारी खटारा गाड़ियां होती हैं, इस कारण वे उनको समय से नहीं पकड़ पाते।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से बिलकुल सटा हुआ है। वहां बार्डर पर पुलिस चौकियों की स्थापना की जाए। उसके साथ-साथ वहां स्टाफ को बढ़ाया जाए। मेरी यह भी मांग है कि अभी मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश को पुलिसकर्मी दिये हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मेरा विधान सभा क्षेत्र सटा होने के कारण, वहां भी पुलिस-कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य, कोई नया सजेशन देना चाहें तो दें। कटमोशन में आपकी कांस्टीट्यूएंसी की मांग का जवाब मिल जाएगा। मैं जिन सदस्यों का बोलूं, वह संक्षेप में अपनी बात कहें। श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे पाइंट पर आता हूं। एक हमारा परफोर्मेशन मेजरमेंट सिस्टम है, जो कि पुलिस के हर थाने की गुणवत्ता की जांच करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह कामर्शियल आर्गेनाइजेशन राजस्थान के अंदर चल रहा है। हर थाने को कहा जाता है कि आप इतने आर्म्स एक्ट के केस कीजिए, इतने चालान करिए, इतने आप अवैध हथियार के करिए, आबकारी के इतने केसेज करिए। हमारी पुलिस कहती है कि इतने केसेज करवा दो, जिससे कि मेरा आंकड़ा ठीक हो जाए। हम कोई कामर्शियल आर्गेनाइजेशन तो चला नहीं रहे हैं। हम इधर रुकने के लिए कह रहे हैं कि किसी तरह से अपराध रुकें। जब कि थाने वाली पुलिस कहती है कि इसका मेजरमेंट सिस्टम यह है कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरे लिए यह कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं। इस प्रथा पर जिससे

(श्री रोहित बौहरा)

कि हम हमारी सोसायटी को क्रिमिलाइज कर रहे हैं, एक के बाद एक चीजों को क्रिमिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह करें।

दूसरा बिन्दु, जो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहां बंदूकों के लाइसेंस दिसम्बर के महीने से आज तक, 6 महीने में भी रिन्यू नहीं हुए हैं। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि एसडीएम हर थाने पर जाकर के लाइसेंस रिन्यू करते थे। वह आज 6 महीने में भी नहीं हुए। जो आश्रितों के लाइसेंस हैं, उनको तो आज 3 साल हो गए हैं, उन फाइलों को आज तक उठाकर के नहीं देखा है। वह अभी भी धूल खा रही हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें कि किसी तरह से यह काम हो।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा, साइबर क्राइम के लिए पूरे राज्य में आपका एक थाना है। कोई भी क्राइम होता है तो सब फाइलें जयपुर आ जाती हैं। जयपुर में इतना लोड है कि वह काम हो ही नहीं पाता है। उनके पास इतना काम है। मेरी विनती है कि हर डिवीजनल हैडक्वार्टर पर एक साइबर क्राइम का थाना हो। जब तक साइबर क्राइम का थाना नहीं होगा, आपकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी तरह से नहीं चल पाएंगी। वह आज भी अच्छी तरह से नहीं चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज आपको कम्प्यूटर पर कोई जांच करनी पड़ती है, टेलीफोन की, तो आपके पास सिर्फ एसपी आफिस में ऐसे व्यक्ति लगे हुए हैं। यहां पुलिस के सारे अफसर बैठे हुए हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि जो लोग कम्प्यूटर दक्षता रखते हैं, वह एक-एक आदमी कम से कम एक-एक थाने पर होना चाहिए जिससे कि यह टाइम बर्बाद नहीं हो। कोई भी इश्यु होता है, कोई भी क्राइम कमिट होता है तो वह इमीजिएटली पकड़ा जा सके क्योंकि आजकल टैक्नोलोजी इतनी अच्छी बन गई है कि आप ईजीली टावर से पकड़ सकते हैं। यदि किसी ने मोबाइल फोन यूज किया है तो उसको आप पकड़ सकते हैं। इन चीजों पर इनको ध्यान देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आबकारी के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि एक्सेस रेट पर पूरे राजस्थान में माल बिक रहा है। मैं यह विनती करता हूं माननीय मंत्रीजी से कि आप इस पर ध्यान देंगे।

(श्री रोहित बौहरा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक डिमांड एडीजे कोर्ट की है। हमारे यहां से, राजाखेड़ा से धौलपुर जिला मुख्यालय पर एडीजे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 40 किलोमीटर हर आदमी को जाना पड़ता है। मेरी विनती है माननीय मंत्रीजी से कि एक एडीजे नया कोर्ट धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तीन-चार शराब की अवैध दुकानें हैं, उनको खतम किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती रमीला खडिया (अनुपस्थित)। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-6, 13, 16, 17 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

आज सुबह से ही पुलिस, आबकारी, न्याय और कारागार पर कई वरिष्ठ सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के सुझाव रखे, मांग रखी। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कि पुलिस पर आज अपराध को कंट्रोल करने के साथ में जो सामाजिक सरोकार है उसको बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर आज जो हमारे थाने हैं, उनमें जो कमियां हैं, चाहे वह नफरी की कमी हो, चाहे उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, चाहे वहां साधन की कमी हो, ऐसी कई समस्याएं जो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से थानों का निर्माण किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र नेशनल हाईवे जयपुर-दिल्ली पर पड़ता है और उस पर एक ही सीआई पोस्ट का थाना, शाहपुरा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत लम्बे समय से हमारी मांग है, मनोहरपुर थाना जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट का थाना है, उसको सीआई पोस्ट पर अगर कन्वर्ट किया जाए तो उससे उस हाईवे पर जो बढ़ते क्राइम हैं, उनको रोकने में हमें सफलता मिलेगी। पुलिसकर्मियों की कमी को देखते हुए उनकी भर्ती की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से अपराध बढ़ने लग गए हैं और साइबर क्राइम का जो काम है, वह बहुत तेजी से पैर फैला रहा है और उसकी व्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर जैसा माननीय सदस्य, बौहराजी ने भी कहा कि इसकी व्यवस्था करने के लिए हमारे को चाहे उप अधीक्षक की

(श्री आलोक बेनीवाल)

पोस्ट है, कहीं पर भी उस पर अगर निश्चित तौर पर साइबर क्राइम थानों पर क्रिएट किया जाए तो अपराधियों को पकड़ने में हमारे को बहुत मदद मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट लाइन का बहुत बड़ा काम है और एमएसीटी कोर्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए तो निश्चित तौर पर वहां के कारोबारी हैं, उनको बड़ा लाभ मिल सकेगा। पुलिस विभाग की कई मांगें हैं चाहे उनके मैस भत्ता बढ़ाने की बात हो चाहे और कोई बात हो, ...(व्यवधान) एक मिनट लूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सब बात आ चुकी है, नई बात नहीं है, धन्यवाद।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक (खण्डार)।

श्री अशोक (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग पर विशेष तौर पर सारी बातें जो माननीय सदस्यों ने कही है, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त तौर पर रखूंगा। हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं, विशेष तौर पर उनका लगाव रहा है, उनको संरक्षण देते आए हैं, उनके अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहे हैं। जब-जब भी समस्याएं आईं, उन्होंने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है परंतु पिछली सरकार में, भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने एससी, एसटी एक्ट में बदलाव का एक सुनियोजित षड्यंत्र का प्रयास किया। एक साजिश रचकर हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे हितों के खिलाफ, एक साजिश रचकर उस एक्ट को बदलने का प्रयास किया जिसकी जानकारी मिलने पर उसके प्रति पूरे देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के मन में यह भावना आई कि सरकार हमारे साथ में ऐसा खिलवाड़ करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में एक आंधी चली, एक आग लगी और पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदाय के लोगों ने आक्रोशित होकर 2 अप्रैल, 2018 को पूरे देश में प्रदर्शन किये, धरने दिये और हर जगह एक उग्रता थी, लोगों के मन में, मानस में कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान प्रदत्त अधिकार दिये हैं, किसी को भी हक नहीं है, उसको तोड़ा जाए,

(श्री अशोक)

मरोड़ा जाए, हमारे साथ में अन्याय किया जाए। अब वह जमाना बदल गया है, अब हम लोगों में ताकत है कि हम बिलकुल डटकर मुकाबला सीधे-सीधे कर सकते हैं। उस समय राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी। वहां से इशारा हुआ, वहां भी बड़े-बड़े +++ बैठे हैं और यहां भी हालत खराब है, कोई सुनने वाला था नहीं परंतु हमारे लोगों के प्रति इनका हमेशा नफरत का माहौल रहा। इस स्थिति में जब प्रदेश में, राजस्थान में आंदोलन किया, उन पर गैर इरादतन तरीके से हमारे युवाओं के साथ में, हजारों-हजारों युवाओं के साथ में मुकदमे दर्ज किये और उनके खिलाफ केस बनाये। वह जमाना, 2 अप्रैल, 2018 का था, 6 महीने तक उनको बहुत सताया गया, प्रताड़ित किया गया, आज युवाओं के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है और आने वाला भविष्य अंधकार का रहेगा। हमारी सरकार कई मामलों में संवेदनशील रही है। कई मुकदमे सरकार ने दबाव में वापस भी लिये हैं, समझौते में वापस लिये हैं, कई वर्गों को राहत भी दी है, पर यह हमारा समाज जो अपने अधिकारों के लिए लड़ा, उनको अगर हमारी सरकार से न्याय नहीं मिले, एससी, एसटी के जो हमारे लोग हैं, युवा हैं, जिनका भविष्य आगे बहुत सुन्दर और सुनहरा है, अगर उनके मुकदमों को वापस ले लेते हैं तो लगता है कि हमारी सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है। हमारे को यह उम्मीद है, कई माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा है और मुकदमों को वापस लेने की सरकार से गुहार भी की है। मेरा आग्रह माननीय मुख्य मंत्रीजी से, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं धारीवालजी, बड़े संवेदनशील हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग ही इनको जिताते हैं, उनके प्रति आप भावना रखेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। अगर हमारी भावनाओं को नहीं माना गया तो 15 अगस्त के बाद में पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे और सरकार को मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा खनन माफियाओं का जो आंदोलन चल रहा है, यह गैंगस्टर, कालाबाजारी, जो भरतपुर में, धौलपुर में, करौली और सवाईमाधोपुर में उसको रोका जाए। हमारे खण्डार क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, वहां की पुलिस को बदला जाए। वे सारे खनन माफियाओं से जुड़े हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति की बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ में अत्याचार बढ़ रहे हैं, गैंग-रेप

(श्री अशोक)

बढ़ रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट के काफी मुकदमे हैं, ये ज्यादा बढ़ने की स्थिति में पुलिस से मेरा आग्रह है, पुलिस के डीजी बैठे हैं, एसीएस बैठे हैं, मुख्य सचिव बैठे हैं, इन मामलों में सख्ती बरतें, रोकथाम करें, नहीं तो फिर हमको भी खुले मंच पर लोगों के साथ मिलकर न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरा आग्रह है सरकार हमारी इन बातों पर ध्यान देकर हमारा सहयोग करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविंद राम।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 6, 13, 16, 17 पुलिस, कारागार...

श्री अध्यक्ष: सीधी शुरू करो।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): पर बोलने की इजाजत दी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने खूब बातें कहीं। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि हमारा देश जातियों का देश है। इस वजह से ही हमें हजारों सालों तक गुलामी सहनी पड़ी। आज कोई बड़ी सम्पत्ति के लिए झगड़े नहीं होते। कहीं जातीय दंगे हो रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, हमें एससी एसटी कानून इसलिए बनाना पड़ा कि आज भी यहां का गरीब सुरक्षित नहीं है। अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य ने बात भी उठाई कि एससी एसटी के मुद्दे हैं, जब सवर्ण जाति के दो लोग लड़ते हैं, जमीन के लिए, वहां एससी एसटी के आदमी को मजदूर रखकर उसके माध्यम से एससी एसटी के मामले दर्ज करवाये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग लड़ें और आपस में लड़ें मैं तो कहता हूं कि भाईचारा रखें लेकिन कम से कम एससी एसटी के आदमी को हथियार बनाकर उनके माध्यम से झूठे मुकदमे न करें।

दूसरा मेरा निवेदन है, अभी कुछ सालों से, जबकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें एक ऐसा देश है जहां एक भी मुकदमा नहीं हो रहा है, वहां सारे थाने बंद हो गये। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा भाईचारा आए कि हमें थानों में जाना ही नहीं पड़े लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले पांच साल से मोब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि आप मोब लिंचिंग के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। आपने 112 नम्बर भी दिये हैं कि डायल करने पर हम लोग तुरंत पहुंचेंगे, आपने पोक्सो और फैमिली कोर्ट भी 86 बनाएं हैं जिनके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

(श्री गोविंद राम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मामले ऐसे हुए हैं, मैं दो मुकदमों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुकदमा नम्बर 107/2017, थाना जायल। यह मुकदमा दिनांक 22.11.2017 को जायल से नागौर जा रहा था। एसबीआई बैंक का रोकड़िया पुष्पेंद्र सिंह, उसके साथ में 20 लाख की डकैती हुई। उसमें पांच मुल्जिम पकड़े गये और एक मुल्जिम वहां से छिपकर बीकानेर में ऋषभ पांडे के परिवार के पड़ौस में आकर छिप गया। उस डकैती के मुकदमे में जो उनका पड़ौसी था, वह एक धार्मिक संगठन से था, जिस पर खुद पर बीस मुकदमे चल रहे हैं। उसने छह महीने तक उस डकैती के मुल्जिम को छिपाये रखा और जब ऋषभ पांडे के साथ उसका छोटी-मोटी लेन-देन की बात को लेकर झगड़ा हुआ तो उस व्यक्ति ने उस डकैती के अंदर, छह महीने बाद, ऋषभ पांडे को उस डकैती में मुल्जिम बना लिया। वह मुकदमा नम्बर है, 160/2017 और वहां के थानेदार से मिलकर ऋषभ पांडे को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसे बुरी तरह से जायल थाने में पीटा गया और जेल भेज दिया गया। एक महीने के बाद उसकी जमानत हुई। वह जब बाहर आकर उच्च अधिकारियों से मिला, आज 173(8) में उसकी जांच चल रही है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह परिवार बर्बाद हो चुका है। चूंकि उसके पिताजी का भी पड़ौसी ने किडनैप कर लिया था, उसके मां-बाप को पीटा, उसका मुकदमा 114, 155 थाने में दर्ज है। उस बदमाश को पकड़ा गया था, उसी का बदला लेने के लिए उसे डकैती में डाल दिया गया। उसकी जांच 173(8) में चल रही है। सीआईडी में कोई हिमांशु, एडिशनल एसपी जी जांच कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि उसकी निष्पक्ष जांच होकर उस परिवार को बचाया जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मुकदमा नम्बर 117/18 धारा 376 एक पीड़िता ने नोखा में दर्ज करवाया। उसका किडनैप करके ले गये। रेप हुआ और उसके पीछे उन प्रभावशाली लोगों ने अपने नौकर को भेजकर उसके हसबैंड अर्जुन सिंह की गला घोंटकर हत्या करवा दी। इस हत्या के मुल्जिम को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जिन्होंने मोबाइल पर उसे भेजा, वे बच गये, क्योंकि वे गत सरकार के नजदीकी लोग थे। मैं मांग करता हूं कि 117/18 धारा 376 का जो मुकदमा है, जिसमें अर्जुन सिंह की हत्या हुई

(श्री गोविंद राम)

उसकी पुन: जांच की जाए। मुकदमा संख्या 226 हत्या का मुकदमा है। 376 का मुकदमा 117 का उसी पीड़िता के द्वारा दर्ज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 78/18 में उसी पीड़िता के साथ डकैती होती है, पंद्रह लाख की लूट होती है और उस लूट में भागते समय दो लाख रुपये वहां बच जाते हैं। जयनारायण व्यास कालोनी थाने में 78/18 341, 323, 382, 143 का मामला दर्ज हुआ। दो लाख की बरामदगी हो गयी, क्योंकि वे भागते समय वहीं छूट गये। बाकी 13 लाख की पुलिस और उनमें बंदरबांट हो गयी। मैं इन तीनों मुकदमों की पुन: जांच की मांग करता हूं ताकि यह सरकार न्याय दिलाने में उसकी सहायता करे।

अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गरीबों के साथ अन्याय होता है। मुकदमे प्राय: गरीब ही करवाते हैं, इसलिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति न हो, जो दबंग जाति से हों और अपराध करने वालों को पूरा संरक्षण देते हों। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे किसी भी जाति का हो और कितना ही बड़ा दबंग हो, अगर वह अपराध करता है तो वह बिलकुल जेल में बंद होना चाहिए ताकि जो आये दिन माब लिंचिंग और गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर विराम लग सके।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रशान्त बैरवा।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मांग संख्या 16 पर बोलने का मौका दिया। आज की वर्तमान परिस्थिति में जो पुलिस की वर्दी की स्थिति है, उस पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा:

"जो बेईमान हैं, यह वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है,
जो ईमानदार हैं, यह वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है।"

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब से हमारी सरकार आयी है, उसके बाद जब लोक सभा चुनाव में आचार संहिता लगी तो काफी ज्यादा बजरी माफिया पनपा है, खासकर मेरे जिले में। मेरे यहां सबसे ज्यादा बजरी की आवक होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक कान्स्टेबल महेन्द्र चौधरी को पकड़ा गया और एक एसआई है विजेन्द्र गिल, वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने खुद लीगली यह स्वीकार किया है कि 41 लाख रुपये उसने दो नम्बर में लिए हैं। महेन्द्र चौधरी ने खुद ने यह कबूल किया है।

(श्री प्रशान्त बैरवा)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पुलिस अफसर जो अभी भागे हुए हैं, दो महीने हो गये, पकड़ में नहीं आ रहे, कहीं न कहीं उन्हें बड़े अफसरों का संरक्षण मिला होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने अभी सारे एसपी के ट्रांसफर किये हैं। इनमें तीन मेजर आईपीएस थे, चाहे धौलपुर हो, सवाईमाधोपुर हो या टोंक हो, जहां पर काफी ज्यादा बजरी माफिया को पनपाने का उन्होंने काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस का काम होता है लोगों की रक्षा करना, मगर बनास के अंदर उन्होंने बजरियों की रक्षा की है और एक ही जने को फायदा देने के लिए उन्होंने रोड भी कंस्ट्रक्ट की है बनास नदी के अंदर जो कि गैर-कानूनी भी है और पर्यावरण के भी खिलाफ है। 15-16 किलोमीटर की रोड पिछली भाजपा की सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने वहां पर बनायी। मैं चाहूंगा कि इस सरकार द्वारा इसकी भी जांच करायी जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जो प्ली दी थी, उसमें भी उन्होंने ढंग से पक्ष नहीं रखा। मैं मेरे इलाके के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बजरी को खतम करने के लिए नोटा के अंदर एक चौकी बना दी जाए, जहां से बहुत इल्लीगल माइनिंग का भी काम होता है और बजरी का भी काम होता है। एक पीपलू में सर्कल आफिस सैट-अप करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): धन्यवाद, मैं सीधा पुलिस के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं। मेरा यह मानना है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों को मिलकर के पुलिस के लिए एक बेहतर वातावरण बनाना चाहिए और हमें राजस्थान में एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बाकी सब बातें सभी बोल चुके हैं, मेरा मानना है कि राजनेता के तौर पर हमें मैरिट के आधार पर 'न' करना आना चाहिए और अफसरों को मैरिट के आधार पर 'हां' करना आना चाहिए, तब जाकर समाज में सुधार आएगा।

मैं शेखावास में एक नयी पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आबकारी के विषय में मेरा कहना है कि मुख्य मंत्री जी ने जो आबकारी की देशी मदिरा की दुकानें हैं, उन्हें घटाकर 6640 से 5553

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। उसके अलावा मेरा एक और निवेदन है कि राजस्थान में विशेष तौर पर जो शराब के लिए कानून बना हुआ है, उसे सख्त बनाया जाए। अवैध शराब की ब्रांचों को लेकर सब जगह बहुत परेशानी है। हर जगह एक पंचायत में एक दुकान के साथ में दस से पंद्रह ब्रांचें संचालित हैं। यह एक तरह से मशरूम ग्रोथ हो रही है। हम लोगों के लिए as a society बहुत बड़ी ट्रबल होने वाली है आने वाले समय में।

जैसा कि पंजाब में हमने देखा है, एक पूरा इलेक्शन नशाबंदी और शराबबंदी पर लड़ा गया, हमें सख्त कदम उठाने होंगे। मेरा इस बात पर एक सख्त ऐतराज है कि हम लोग ग्रोथ का पैरामीटर स्टेट एक्साइज में जो इन्क्रीज होती है, उसे नहीं बना सकते। 2015-16 में 6700, 2017-18 में 7300 और 2018-19 में 9300 करोड़ का टार्गेट लेकर हम खुश तो बहुत हो रहे हैं, परन्तु एक्साइज की इनकम के सामने expenditure on health, expenditure on social welfare schemes, यह बहुत सोचनीय विषय है और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि जो number of litres में जो एक्साइज की सेल बढ़ी है, लिकर की सेल बढ़ी है, वह हमारे लिए बड़ा चिंताजनक विषय है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष द्वारा लोकेशंस को लेकर जो आपने हमारा मत रखा है जिला कलेक्टर के सामने, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। गोडाउंस को लेकर भी मेरा कहना है कि कहीं पर भी गोडाउंस की जरूरत नहीं है। पंचायत एक छोटी इकाई है। एक दुकान से काम चल सकता है। उस गोडाउन से उलटी शराब सेल की जाती है, जिससे नुकसान होता है।

एक महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने विधान सभा क्षेत्र भीम की कहना चाहता हूं कि एक्साइज का 1975 का एक एक्ट है, जिसमें कि हम लोगों को लिकर शाप्स को क्लोज करने के लिए शराबबंदी के लिए एक वोटिंग राइट मिला है। इसमें ग्राम पंचायत एसडीएम को प्रस्ताव दे सकती है। उसके बाद उसका सत्यापन होता है, सत्यापन के बाद मतदान होता है और मतदान से शराबबंदी लागू होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम ने एक कीर्तिमान स्थापित किया 30 मार्च, 2016 को लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करके। 2886 वोटों में से 2039 वोटों ने मतदान किया और वहां शराबबंदी लागू हुई। मेरा आपसे निवेदन इतना-सा है कि अभी हमारे यहां थानेटा और बरार में भी शराबबंदी

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

की तारीख दी जाए और 51 परसेंट वोटिंग का जो स्टैट्यूटरी नोर्म है, इसे कम किया जाए। हम लोग भी एमएलए, एमपी बनते हैं। 51 परसेंट वोट्स का तो नियम हम पर भी लागू नहीं है। इसके लिए भी सरकार इसमें शिथिलता बरते। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: माननीय भजनलाल जी जाटव।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16, जो गृह विभाग से संबंधित है, उसमें रक्षा विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग से संबंधित है। इस संबंध में आज दिन भर माननीय सदस्यों से चर्चा के दौरान बहुमूल्य सुझाव जैसे विभाग की कार्यप्रणाली एवं आवश्यक सुधारों पर ध्यान आकर्षित किया गया, मैं समझता हूं कि ये सुझाव और जो कमियां विभाग के बारे में माननीय सदस्यों के द्वारा ध्यान में लाई गई हैं, मेरे लिए प्रेरणादायी एवं विभाग की प्रगति में सार्थक होंगी।

माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों का उत्तर शीघ्र माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह रक्षा दल एक स्वयंसेवक दल है। इसकी स्थापना आंतरिक अशांति और साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की मदद के उद्देश्य से सन् 1946 में की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 1962 में चीनी हमले को ध्यान में रखकर केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि वे अपने वर्तमान स्वयंसेवी संस्थाओं का एक स्वयंसेवी दल गृह रक्षा के रूप में विलय कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्वयंसेवक हैं, जो होमगार्ड हैं, ये तीन स्तर पर सेवाएं देते हैं, एक ग्रामीण, दो शहरी और तीन सीमा रक्षा दल, बोर्डर होमगार्ड। वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी 28050 है, जिनमें से 25658 स्वयंसेवक नामांकित हैं तथा 2392 की रिक्तियां हैं। वर्तमान में 8850 स्वयंसेवकों को प्रतिदिन राजकीय विभागों एवं संस्थाओं में नियोजित किया जाता है जो कि 34 प्रतिशत होता है। इनके नियोजन को बढ़ाने के लिए हमारा विभाग दिन-रात प्रयासरत है और माननीय सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा नियमित रोजगार देने की जो बात उठाई है, हमारा विभाग अन्य विभागों से सम्पर्क करके, हम चाहते हैं कि होमगार्ड की पीड़ा को समझते हुए इनको

(श्री भजनलाल जाटव)

ज्यादा से ज्यादा नियमित रोजगार मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमा रक्षा दल में स्वयंसेवकों की अधिकृत संख्या, जो बोर्डर होमगार्ड हैं उनकी 2664 है, जिसके विरुद्ध 2548 स्वयंसेवक नामांकित हैं तथा 116 की रिक्तियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इनमें से 1284 स्वयंसेवक बोर्डर पर और विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सुरक्षा ड्यूटियों पर नियोजित हैं जो कि लगभग 50 प्रतिशत है।

मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि जो गृह रक्षा स्वयंसेवक हैं, वे क्षमता, कुशलता, ईमानदारी को अपनाते हुए तमाम राज्यों में चुनावों में एवं अन्य परिस्थितियों में दूसरे प्रदेशों में भी सेवा देते हैं। यही नहीं, सीमा रक्षा स्वयंसेवक राज्य की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र की सेवा करने में समर्पित भाव से कार्य करते हैं।

इसके साथ ही, ये जो हमारे संस्थान हैं, चाहे वे सुपर थर्मल पावर, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, कालीसिंध थर्मल एवं केयर्न एनर्जी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ये स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम सदस्यों से मुझे यहां सदन के द्वारा सूचना मिली, पूरे दिन चर्चा हुई, इसमें जो नियमित करने की बात रखी गई, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में स्वयंसेवक होमगार्ड अधिनियम, 1963 एवं नियम, 1962 के द्वारा विनियंत्रित होते हैं और उक्त नियमों में स्वयंसेवक को नियमित, स्थायी करने का कोई प्रावधान नहीं है, न ही किसी अधिनियम की यह मन्शा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की जो उपलब्धियां हैं, मात्र छह महीने में हमने कार्य करके हमारे होमगोर्ड के अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किया गया है, हमारी सरकार के जन-घोषणा के बिन्दु 47.28 में प्रदेश के होमगार्डों के प्रति समर्पित भाव से माननीय मुख्य मंत्री ने जो कार्य किया है और उनके समाधान हेतु सकारात्मक कदम उठाये हैं, इसके लिए विभाग ने स्वयंसेवकों की समस्या के निराकरण हेतु जिला स्तरीय, मुख्यालय स्तरीय समस्या निराकरण समिति का गठन किया है जिसमें स्वयंसेवकों को मनोनीत कर नामांकित स्वयंसेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

(श्री भजनलाल जाटव)

हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वयंसेवकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को सहायता प्रदान की जा सकेगी जबकि पहले यह व्यवस्था नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य थे, उन्होंने होमगार्ड के कल्याण कोष के बारे में बात बतायी। यह बिल्कुल सही बात है कि पिछले समय से कल्याण कोष के हमारे होमगार्ड डिपार्टमेंट कम से कम 30 करोड़ के आस-पास हैं। अब हमने हमारे अधिकारियों के माध्यम से, हमारे विभाग के तमाम अधिकारियों के माध्यम से इसमें जो प्रगति की है, उसमें गत वर्ष कल्याण कोष से स्वयंसेवक के एक बच्चे को छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था थी, अब हमने अपना कानून बनाकर इसको बढ़ाकर दो बच्चों तक कर दिया है कि अब कल्याण कोष से दो बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार हमें जो निजी सुरक्षा एजेंसी हैं, उनसे शिकायतें मिलती हैं, वे कहते हैं कि समय पर हमारा लाइसेंस नहीं बन पाता, समय पर हमारा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाता और कई प्रकरण वहां पर पैण्डिंग रहते हैं। हमारे अधिकारियों और हमारे विभाग के द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों के लम्बित लाइसेंस प्रकरणों का हमारे अधिकारियों ने मिशन, रोड मैप के अनुसार काम करके मात्र छह माह में हमने 257 लाइसेंस जारी कर दिये हैं। माननीय विपक्ष के नेता, उस समय आप मंत्री थे, आपने गत पांच वर्षों में मात्र 205 लाइसेंसों के प्रकरणों का निस्तारण किया था जबकि हम लोगों ने मात्र 6 महीनों के अन्दर 257 लाइसेंसों के प्रकरणों का निस्तारण कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमारी कुशलता और हमारे मेहनती अधिकारियों की वजह से निजी सुरक्षा एजेंसियों की जो अनियमितताएं आती थीं कि उनकी वर्दी ठीक नहीं है, उसका कार्य ठीक नहीं है, एजेंसी गलत तरीके से चला रहे हैं तो हमने उनकी जांच करवाई, हमने इसकी मीटिंग ली और मीटिंग के द्वारा हमने फैसला लिया कि निजी सुरक्षा एजेंसियों की जो अनियमितताएं हैं, उनकी अकार्यशीलता के कारण हमने 438 लाइसेंसों को निरस्त किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने, जो पहले तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री थे, जो पदोन्नति की इन्होंने बात की थी, उसमें

(श्री भजनलाल जाटव)

हमारी सरकार ने अब तक दो पदोन्नति समितियों की बैठक आयोजित कर अधिकारियों को पदोन्नति देने का लाभ दिया है। गत तीन वर्षों में मुख्य आरक्षी, प्लाटून कमांडर एवं कम्पनी कमांडर की पदोन्नति रुकी हुई थी। हमने पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश प्रदान कर दिये हैं और वर्तमान में पदोन्नति प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया पूर्ण होने पर सीधी भर्ती से 321 पद भरे जाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही, 57 कर्मियों को पदोन्नति का लाभ प्रदान होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार में जो गृह रक्षा विभाग था यह पुलिस आधुनीकरण योजना के तहत हुआ करता था परन्तु गत सरकार के कारण जो आधुनीकरण योजना से पृथक कर दिया गया था इसको हमने पुन: पुलिस आधुनिकीकरण योजना में सम्मिलित कराया है जिससे हमें भारत सरकार से अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि गत वर्ष जब सदन में विपक्ष के नेता तत्कालीन सरकार में गृह मंत्री थे, तब बजट घोषणा में इन्होंने वादा किया था और इन्होंने घोषणा की थी, बड़ी अपनी टेबलें थपथपायी थीं और इन्होंने घोषणा की थी कि हम अपने बजट में 2500 स्वयंसेवकों, होमगार्डों की भर्ती करेंगे। समय निकल गया, चुनाव आ गया, पर एक भी भर्ती इन्होंने नहीं की। चूंकि भर्तियां तो कर दीं, पर संसाधन उपलब्ध नहीं थे और वोट बटोरने के लिए इन्होंने कह दिया कि हम होमगार्डों की भर्ती करेंगे। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच है कि हाकिम बदला है, हुकम नहीं बदला है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच थी और उन्होंने दरियादिली दिखाई। जो 2500 की इन्होंने घोषणा की थी और फिर रूचि नहीं दिखाई जबकि उस समय रिक्त भी नहीं थी कम संख्या रिक्त थी जो मैंने पहले बताई, अब घोषणा करता हूं कि आगामी तीन माह में स्वयंसेवकों की 2500 रिक्तियों का नामांकन पूर्ण कर लिया जाएगा और इनकी भर्ती हम लोग कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गृह रक्षा विभाग बहुत पुराना विभाग है लेकिन अभी तक इस विभाग की अधीनस्थ सेवा के सेवा नियम ही नहीं बन पाये थे। जब सेवा नियम ही नहीं बन पाये तो 20 साल के बाद भी इनकी रिक्तियां पड़ी हैं चाहे वह कांस्टेबल है, चाहे वह प्लाटून कमांडर है, चाहे वह

(श्री भजनलाल जाटव)

डिप्टी कमांडर है, चाहे वह कमांडर है, जो कंपनी कमांडर है। मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं कि उक्त सेवा नियम आगामी तीन माह में अधिसूचित कर लागू कर दिए जाएंगे जिससे नवीन भर्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा और पदोन्नतियों का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे हमारे युवा साथियों को, नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा। 20 साल से 1998 के बाद इस विभाग के अंदर कभी भर्तियां हुई नहीं। हमारे अधिकारियों ने, हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दरियादिली दिखाई और यह अधिनियम बनाकर हम लागू करने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि होमगार्ड की कई समस्याएं थीं, इन समस्याओं को हमने समझा, इनके दु:ख दर्द को समझा। हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया और उन्होंने होमगार्ड की पीड़ा को समझते हुए, उन्होंने कई घोषणाएं होमगार्ड के हित को ध्यान में रखते हुए, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पुरानी सरकार ने जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने होमगार्ड के प्रति कोई दरियादिली नहीं दिखाई।

जो वर्दी की शिकायतें कई बार माननीय सदस्यों ने लगाई थीं कि इनको वर्दियां कम मिलती हैं, धुलने के पैसे कम मिलते हैं, इसलिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि कांस्टेबल से लेकर हैड कांस्टबेल, होमगार्ड विभाग के स्थाई कर्मियों को वर्दी किट उपलब्ध करवाने की एवज में मैं इन कर्मियों को अगले वित्त वर्ष में रुपये 7000 वार्षिक एकमुश्त वर्दी, एक किट भत्ता देने की घोषणा करता हूं जिसमें इनके संबंधित विभिन्न भत्तें भी शामिल होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यहीं नहीं रुकी, जो बार्डर होमगार्ड हैं, जो दिन-रात रहकर हमारे देश की सीमा के लिए लड़ते हैं, रक्षा करते हैं, रात दिन वहां बार्डर पर जो तमाम हमारी एजेंसियां हैं, चाहे सीमा सुरक्षा बल है, चाहे सीआरपीएफ है, उनके साथ वहां पर रहकर वे सेवाएं देते हैं और देश के हित में काम करते हैं। जो बार्डर होमगार्ड हैं। उनके मैस के लिए जो लांगरिये थे, उनके मानदेय के लिए बहुत बड़ी परेशानी हुआ करती थी। उनका मानदेय पहले 2500 रुपये हुआ करता था। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो हमारे लांगरी हैं उनका 6300 रुपये प्रतिमाह

(श्री भजनलाल जाटव)

करने की घोषणा की है, 2500 से सीधा 6300, तो अभूतपूर्व फैसले माननीय मुख्य मंत्रीजी के आशीर्वाद से उनके जन सहयोग से इस विभाग को मिले हैं। ये बड़े अच्छे कार्य किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वयंसेवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में अनियमितता, मनमर्जी की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। कई माननीय सदस्यों ने भी रखा है। मैं समस्या के निराकरण के लिए घोषणा करता हूं कि नियोजन की प्रक्रिया आनलाइन कर दी जाएगी। मैंने पहले कहा था हमारी जो निजी एजेंसियां हैं, उनके ऊपर जो परेशानी आती थी, लोग चक्कर लगाते रहते थे, उसमें कई बार भ्रष्टाचार की बातें आती रहती थीं, ये प्रक्रिया अब हम आनलाइन कर देंगे। होमगार्ड की भी परेशानियां जो माननीय सदस्यों ने उठाई थीं कि इनको रोटेशन के तहत कार्य मिलता है, जिनकी एप्रोच होती है, वे लग जाते हैं, जिनकी एप्रोच नहीं होती है, अंतिम छोर पर जो गरीब है, हमारा होमगार्ड का जवान, वालंटियर्स है, वह रह जाता है। हम लोगों ने यह नियम बनाया है, शीघ्र ही एक से डेढ़ महीने में अब आनलाइन प्रक्रिया कर दी जाएगी। कभी यह परेशानी नहीं आएगी कि किसी की शिकायत है कि इसको काम मिला, इसको नहीं मिला और हमारा होमगार्ड विभाग पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा नियमित रोजगार हमारी होमगार्ड के जवान हैं, उनको मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताने में खुशी जाहिर हो रही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य के 6 जिलों में जिला इकाइयों के पास अभी भूमि एवं भवन नहीं हैं। मैं घोषणा करता हूं इसी वित्त वर्ष में 6 जिलों में भू-आबंटन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो होम गार्ड की उपलब्धियां हैं, ये सब मेरी वजह से नहीं, तमाम हमारे माननीय सदस्य हैं, सदन के जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी दरियादिली दिखाई और हमारे जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से हमने ये तमाम फैसले लिए हैं, ये बड़े अच्छे फैसले हैं, होमगार्ड और विभाग के हित में लेकर हमने ये फैसले लिए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नागरिक सुरक्षा विभाग है, इसके बारे में थोड़ा-सा सदन को अवगत कराना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक सुरक्षा विभाग की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश के

(श्री भजनलाल जाटव)

मुख्य बंदरगाहों में हवाई हमलों एवं 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान हुए हवाई हमलों से, आगजनी एवं भवन क्षतिग्रस्त होने के समय महसूस की गई। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पहल पर आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा हेतु 1962 में, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने, राज्य में सुरक्षा, नगरों को अधिसूचित किया जाकर नागरिक सुरक्षा इकाइयों की स्थापना की गई।

हमारे पूर्व प्रधान मंत्री थे पंडित जवाहर लाल नेहरू, जब हवाई हमले हुए, चीन के अंदर तो उस समय यह बनाई गई और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जब 2001 में गुजरात में दंगे हुए और 2001 में घटनाएं हुईं, गुजरात में 2001 में झगड़े हुए और गुजरात में भूकम्प के झटके आए, 2004 में सुनामी जैसी त्रासदियों में इसकी उपलब्धि को देखते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने सन् 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया और इसी के आधार पर नागरिक सुरक्षा विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता विभाग के अधीन किया गया, जिससे लाखों वालंटियर्स को आज ये रोजगार मिलता है। ये बड़ा फैसला पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिया था। राज्य के नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों की सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या के आधार पर उसका एक प्रतिशत होना चाहिए। वर्तमान समय में जो हमारी जनसंख्या है, 7 करोड़ 40 लाख के समथिंग है, इसलिए इनकी जो संख्या बनती है, 76 लाख के आसपास बनती है। वर्तमान में हमारे पास प्रशिक्षित स्वयंसेवक 32 हजार ही हैं।

मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति में हाल ही में फरवरी 2019 में श्री भवानी निकेतन महाविद्यालय, जयपुर में सर्वशक्ति सेना जिसमें सेना थल सेना, वायु सेना और जल सेना के तमाम उच्चाधिकारी उसमें आए थे और उन्होंने सर्वशक्ति कमान एवं नागरिक सुरक्षा के संयुक्त तत्वावधान में एक अभ्यास, माक ड्रिल का काम चाहे भूकम्प आ जाए, आपदा आ जाए तो कैसे हमारे

(श्री भजनलाल जाटव)

वालंटियर्स हैं, वे कैसे वहां पर काम कर सकते हैं, उनकी रिहर्सल का काम किया गया जिसमें नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों की उल्लेखनीय भूमिका रही। इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयंसेवकों की सराहना की और तमाम हमारे आपदा राहत मंत्री, मैं खुद और माननीय मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और शीघ्र ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वालंटियर्स को और हमारे विभाग को हम प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली के अंदर कोई ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने इसी वर्ष के बजट भाषण में राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में होने वाली आगजनी की घटनाओं को देखते हुए और कई बार माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई थी कि अग्निशमन यंत्र हैं, वे कम हैं और आये दिन आग लगती रहती है और वहां पर समय पर अग्निशमन यंत्र नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने इसी मूल बजट के अंदर 100 अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की है। जिनके लिए तकरीबन 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं आप सब की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जिलों में जिला इमरजेंसी आपरेशन सेंटर राउंड, जिन पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की जिला आपदा त्वरित कार्यवाही दल तैनात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वित्त वर्ष के अंदर हमने 4300 नये स्वयंसेवकों के नामांकन एवं बुनियादी प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान कर सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को लक्ष्य आबंटित कर दिये गये हैं। जिला कलेक्टरों को हमने निर्देशित कर दिया है कि जो हमारे स्वयंसेवक हैं, उनको शीघ्र प्रशिक्षित करें...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नागपुर से पूछा है कि स्वयंसेवकों की भर्ती कर रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अपनी बात बोलें।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): राज्य के सभी तैंतीस जिले राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किये जाकर भारत सरकार को सूचित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये हैं। इससे राज्य को केन्द्र से अधिक धनराशि मिलेगी। वर्तमान सरकार के

(श्री भजनलाल जाटव)

अन्दर विपक्ष के नेता और तमाम सदस्यों ने जो पदोन्नति की मांग उठाई थी, मैं इनका जो कार्यकाल है वह दिखाऊंगा। मेरे को पता है, उप नेता जी, आपको सारा कुछ पता है, जो सवाल आप पूछेंगे, मैं उसका जवाब भी बिलकुल धैर्यपूर्ण तरीके से दूंगा। तमाम माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई थी ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान सरकार में...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बात हो गई। माननीय मंत्री जी, अपनी बात समाप्त करें।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन और हैं, बस ज्यादा नहीं है, पांच मिनट में खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आधा घंटा हो गया।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): तीन मिनट, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पदोन्नति की जो बात माननीय सदस्यों ने की और विपक्ष के नेता जी ने भी कही थी, मैं बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार ने पांच साल में मात्र पांच कर्मियों की पदोन्नति की। मैं बताना चाहूंगा, मुझे खुशी हो रही है माननीय विपक्ष के नेता बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सुन लो। हम लोगों ने मात्र 6 महीने में पदोन्नति समिति की बैठक कर आठ अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कोर्सों में चालीस प्रतिशत अधिक सीट आबंटन कर दी हैं। सभी जिलों में हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहली बार मंत्री बोल रहे हैं, आप तो बहुत बार मंत्री रहे हैं। मंत्री जी, आपसे बहुत प्रसन्नचित्त हैं। आप पास करने की बात करें। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। माननीय सदस्य।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उपलब्धि मैं बताना चाहूंगा कि सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा विद्यालय हेतु संबंधित जिलों में कार्यालय भवन नहीं थे। अब भूमि आबंटित की जा चुकी है जिससे हमारे वालंटियर्स को सारी सुविधाएं मिलेंगी। समस्त नागरिक सुरक्षा जनों को खोज और बचाव वाहन आवश्यक

(श्री भजनलाल जाटव)

बचाव उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के 12 जिलों में नागरिक सुरक्षा की अग्निशमन इकाइयों को हमने 12 अग्निशमन वाहन उपलब्ध करा दिये हैं और हमारे विभाग के तमाम अधिकारियों और माननीय सदन के तमाम सदस्यों द्वारा जो भी समीक्षाएं हैं उनको हमने अवगत करा दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: माननीय धारीवाल साहब, आपको बहुत-बहुत मुबारक। आपने डिफेंस अच्छा स्टार्ट किया है। माननीय धारीवाल साहब।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जो भी बोलें, सच बोलना, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पुलिस की डिमाण्ड है। आप अनडिसिप्लिन्ड रहेंगे तो ठीक नहीं, डिसिप्लिन्ड रहें। माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-6, 13 और 17 के बाबत जो माननीय सदस्यों ने यहां पर सवाल उठाये हैं, अपने भाषण में और अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये हैं, करीब-करीब...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष: सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 6, 13, 16 व 17 पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 57 माननीय सदस्यों ने इन मांगों के प्रति अपने सुझाव दिये और बड़े अमूल्य सुझाव दिये, मैं उनका स्वागत करता हूं। कमियां भी बताईं। निश्चित तौर पर कोई भी काम करें तो कमियां जरूर निकलेंगी। जैसा अभी प्रतिपक्ष के नेता ने बताया था बजट के बाबत कि हमारे वक्त में यह बजट था

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

और आपके वक्त में यह बजट है तो बजट तो बढ़ता रहता है, निश्चित नहीं रहता, आगे भी अगर मान लीजिये जरूरत पड़ी तो सरकार अपना बजट बढ़ाती रहती है। वक्त के साथ जैसी-जैसी जरूरत पड़ती है, उस तरीके से बढ़ाती रहती है। इसलिए बजट के ऊपर स्ट्रेस करने से कोई फायदा नहीं होता है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सबसे पहले तो मैं इस बात से चालू करता हूं, न्याय, प्रशासन और विधि पर जो चिन्ता आपने बताई कि साहब, लम्बित प्रकरण हैं, न्यायालयों की कमी है। जगह-जगह इस तरीके का है कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों की न तो मरम्मत है, न पूरे आवास हैं, तो उसके लिए 165 करोड़ 95 लाख 71 हजार रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। यह पिछली बार से ज्यादा है और उच्च न्यायालय की जो जोधपुर में बिल्डिंग बन रही है, वह 2019 में पूरी होने वाली है, उसके लिए भी। सर्किट बैंच के लिए कई लोगों ने, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी कहा, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी कहा कि सर्किट बैंच खोली जाए। मेरा उनसे यह निवेदन है कि देखिये, इसके लिए स्टेट रिआर्गेनाईजेशन एक्ट, 1956 की धारा -5(2) के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्य के राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से परामर्श करने के बाद ही नवीन बैंच खोलने का प्रावधान है। यह वक्त-वक्त पर बात उठती रहती है। कोटा से भी उठती है, उदयपुर से भी उठती है, बीकानेर से भी उठती है। सभी जगह से उठती है लेकिन यह निश्चित तौर से तय है कि जब तक महामहिम नहीं चाहेंगे, जब तक उनसे कंसल्टेशन नहीं होगा, चीफ जस्टिस से और राज्यपाल से तब तक कोई भी सर्किट बैंच नहीं खुल सकती। सवाल इस बात का है कि उच्च न्यायालय में भी जैसा आपने बताया, आपने भी बताया और मैं भी कह रहा हूं इस बात के लिए कि कुल मिला करके पचास जज होने चाहिए लेकिन 24 ही काम कर रहे हैं, 26 जगह आज भी खाली हैं। अब ये खाली क्यों हैं, क्यों रहती है ये खाली? इस बात पर विचार करिये। क्या यह सुप्रीम कोर्ट की कालेजियम की गलती से या सरकार की लापरवाही से? कौन करता है इसको? कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए कि ये सीटें भरी जाएं? क्या राज्य सरकार जिम्मेदार है? इस बात को समझिये। बात को उठाने से पहले कम से कम हमको यह समझ लेना चाहिए कि राज्य सरकार के बूते की क्या बात है। हम राज्य सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, इस सदन में बैठ करके तो राज्य सरकार से हम क्या चाहते हैं, लेकिन बात उठाई गई है कि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

साहब, 26 सीटें खाली हैं। हैं, खाली हैं। जिम्मेदार कौन है? इसी तरीके से, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जैसे जिलाधीश के कैडर की सीधी भर्ती 48 व्यक्तियों को भरने के लिए निकाली है। सिविल जज कैडर की 197 रिक्तियों की भी भर्ती जारी है। लम्बित प्रकरणों के बारे में राठौड़ साहब ने कहा है, निश्चित तौर पर है मैं मानता हूं इस बात के लिए कि लाखों हैं। उच्च न्यायालय में 30 जून तक 3 लाख 17 हजार 58 सिविल मामले और 1 लाख 6 हजार 440 क्रिमिनल मामले लम्बित हैं और इसी तरीके से अधीनस्थ न्यायालयों में भी 4 लाख 59 हजार 505 सिविल मामले और 13 लाख 5 हजार 53 क्रिमिनल मामले आज भी लम्बित हैं। निश्चित तौर पर हैं। मैं मानता हूं इस बात को लेकिन इसके निस्तारण की भी व्यवस्था की गई है। अभी भी जयपुर में, 2019 में 10 वर्षों से अधिक पुराने प्रकरणों का सर्वाधिक निस्तारण करने वाले देश के दिग्गज दस न्यायालय हैं तो उसमें जयपुर महानगर का न्यायालय भी शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में नवीन न्यायालयों की बात जहां तक है, सरकार के बूते की क्या बात थी, वह मैं बताना चाहता हूं आपको कि किशोर न्याय बोर्ड को अधिक सुदृढ़ करने के लिए 34 न्याय बोर्ड्स में पूर्णकालिक न्यायिक अधिकारी व स्टाफ के पदों का सृजन किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु 6 विशेष न्यायालय खोले जा रहे हैं। अब राज्य के हर जिले में ऐसे विशेष न्यायालय कार्यरत हो जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराधों के प्रति 56 पोक्सो न्यायालयों के अतिरिक्त दुष्कर्म और पोक्सो मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु 47 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक न्यायालय भी खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के 33 नये न्यायालय खोले जाएंगे। महुवा है, मकराना है, नागौर में, पाली में है, खोले जाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत में 35 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पर और 181 तालुका विधिक सेवा समितियां तालुका स्तर पर कार्यरत हैं आज भी। स्थायी लोक अदालत के माध्यम से 2019 में जून तक 2511 मामले निस्तारित किये गये हैं। जून 2019 तक 1763 व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की गयी है और 4295 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये गये थे। पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत जून, 2019 तक 1318 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया और 17,13,25,000 पीड़ितों को राशि भी दी गई।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(22.00 बजे)

निश्चित तौर पर विधि विभाग काम करता है, जो सरकार की इच्छा होती है, सरकार कहती है कि इस पर आप कानून का प्रारूप बनाओ। मिसाल के तौर पर इन्हीं सालों में देश में लिंचिंग की घटना घटी, राजस्थान में भी घटी, आनर किलिंग की भी घटी, सरकार के समझ में आई बात कि इस पर कानून बनना चाहिये। कोई न कोई घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित तौर पर यह आवाज उठती है कि इसको किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से इस समस्या से निपटा जाए। आपको ध्यान होगा खाड़ी के देशों में जब कैदियों पर अमानवीय व्यवहार हुआ तो खाड़ी जैसे देशों ने भी अपने जेल के नियमों में परिवर्तन किया था।

आपको यह भी ध्यान होगा वी. शांताराम की एक फिल्म थी 'दहेज', उस दहेज को देखकर केन्द्रीय सरकार ने दहेज का कानून बनाया। दूसरी फिल्म और थी 'दो आंखें बारह हाथ', जिसमें कैदी के साथ किस प्रकार मानवीय व्यवहार होना चाहिए, इसको लेकर भी नियम बदले गये।

आपने राजकुमार हिरानी की फिल्म देखी होगी 'लगे रहो मुन्ना भाई', उसने उन लोगों को प्रेरित किया जो सड़क पर आंदोलन करते थे, तोड़फोड़ करते थे, दफ्तरों में जाकर अफसरों के साथ मारपीट करते थे और सार्वजनिक प्रोपर्टीज को नुकसान पहुंचाते थे, उनको यह प्रेरित किया कि वह गुलाब का फूल लेकर जाते थे। निश्चित तौर पर यह अपने आप तय होता है। इस समस्या को निपटाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि लिंचिंग पर हम कानून बनाएंगे। आनर किलिंग पर हम कानून बनायेंगे। यह स्वागत योग्य बात है पर मुझे दुःख इस बात का है कि आपने और तो समस्याएं बताईं और खास तौर पर प्रतिपक्ष के नेता, जिन्होंने 10 साल तक इस होम डिपार्टमेंट का बोझ अपने कंधे पर रखा लेकिन लिंचिंग के लिए एक शब्द नहीं बोले, आनर किलिंग के लिए एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले, बोलते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपके लिए छोड़ा था।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा निवेदन यह है कि न्याय विभाग हो, चाहे विधि विभाग हो, न्याय प्रशासन हो, मोटे तौर पर बात यही है कि जनता को द्रुत गति से न्याय मिलना चाहिये। कानून जो बने उसका इतना सरलीकरण हो कि आम आदमी उसको समझ पाये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अब मैं जेल के बारे में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने जेल के प्रति काफी सवाल उठाये और जो चिंताएं आपने जाहिर कीं, काफी कुछ मैं उससे सहमत भी हूं। जेल में क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है, किसके इशारे चलते हैं, इन सबसे मैं वाकिफ हूं। उसमें काफी कुछ दोष हम लोगों का भी है कि हम लोग जेल प्रशासन पर इस बात का दबाव डालते हैं कि जरा ध्यान रखना, जरा ध्यान रखना। मोबाइल पकड़े जाते हैं, पहले भी पकड़े जाते थे, आज भी पकड़े जा रहे हैं। एक साल के अंदर-अंदर 1048 मोबाइल पकड़े गये और इन्हीं 6 महीनों में करीब-करीब 95 मोबाइल पकड़े गये हैं। मोबाइल रोकने के लिए जेल में जैमर भी लगा हुआ है, सीसीटीवी भी लगा हुआ है, बेरिकेड्स हैं, स्केनर है, मैटल डिटेक्टर है, डोर फ्रंट मैटल डिटेक्टर है, बावजूद इन सब चीजों के यह सब काम हो रहे हैं, होते हैं और आज भी हो रहे हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं कि आज भी हो रहे हैं लेकिन जितना कुछ इसमें सुधार कर सकते हैं, वह सुधार करने की सरकार कोशिश भी करती है। मादक पदार्थ भी जाते हैं, खूब जाते हैं। 15 घटनाएं हुई एनडीपीसी एक्ट के तहत, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एतराज नहीं हो तो एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा। जैमर हमने लगाये थे, लेकिन यह उपयोगी साबित नहीं हुआ इसलिए इसके बारे में, 20 करोड़ रुपये में 50 जगह जैमर लगाये लेकिन सफल नहीं है। हमारा सारा पैसा व्यर्थ हो गया, इसके लिए जो भी कार्यवाही करनी है, कीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धन्यवाद आपका, आप बोले तो सही। कैदियों की सुख सुविधाओं के बाबत बात हुई कि कैदियों के साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार होता है, यह होता है, वह होता है। जिसने कुल सज़ा का 1/3 रेमिशन सहित पूरी कर ली, जिसका आचरण कारागृहों में अच्छा रहा हो, सरकार ने एक समिति गठित की है, बंदियों को खुले शिविरों में भेजा जाएगा। जो अधिक उम्र के लोग हैं, जो जमीन पर नहीं सो सकते, उन अधिक उम्र के लोगों के लिए चारपाई का इंतजाम भी किया जाएगा। रसोई की व्यवस्था का सवाल है, रसोई में कैदी खुद खाना बनाता है, कोई लांगरी उपलब्ध नहीं है। बड़ी कारागाहों पर प्रति 500 बंदी के लिए अलग रसोई घर भी बनाये जाएंगे और लांगरियों की भी व्यवस्था की जाएगी। कैदियों की संख्या के अनुसार नई जेलों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

का निर्माण भी किया जा रहा है। जैसे कोटा में 1000 बंदी क्षमता के कारागाह का निर्माण। इसी प्रकार से, दौसा में शैल आवास निर्माण किया जा रहा है। भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर में 100-100 बंदी क्षमता और उदयपुर में 50 बंदी क्षमता के महिला बंदी सुधार गृह का निर्माण किया जा रहा है। कैदियों के पास हथियार भी मिलते हैं। निश्चित तौर पर मिलते हैं, इस पर किस प्रकार से मानिटरिंग हो और किस प्रकार से यह हथियार अंदर न जाएं, इसके बाबत एक समिति गठित करके इस पर विचार करके इस पर काम किया जाएगा।

जेलों में जो हार्डकोर अपराधी होते हैं, उनकी वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुनवाई के लिए 25 कारागाहों पर ई-कोर्ट के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग की जाएगी। वर्तमान घटनाओं पर कार्यवाही। जैसे आतंकी शकरउल्ला, मुहम्मद हनीफ, इसमें मुख्य प्रहरी को निलंबित किया गया। केन्द्रीय कारागार, उदयपुर से बंदी पक्का उर्फ रमेश चन्द भगोरा फरार होने में कामयाब रह गया तो जो भी प्रथम दृष्टया दोषी कर्मचारी था, उसको निलंबित किया गया। झालावाड़ से तीन बंदी अक्कू उर्फ अकोरा, दिनेश और सोहन फरार हो गये, कर्मचारियों को निलंबित किया गया।

महिला भोजन व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। कैदियों को आत्मनिर्भर किस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार की भी योजना यह सरकार बनाने का विचार रखती है।

महिला बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कारागाहों में 100 बंदी क्षमता और उदयपुर की 50 बंदी क्षमता के महिला बंदी सुधार गृहों का निर्माण करवाया गया है और महिला बंदियों की पृथक वार्ड की व्यवस्था की गई है।

कारागृहों में मोबाइल, मादक पदार्थ, संदिग्ध सामग्री मिलने पर 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध 17 सीसीए का नोटिस दिया गया है और 7 अधिकारियों से जांच प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा गया है। कारागृहों में इसी मामले में 25 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। कुल मिलाकर मेरा कारागार के बारे में यही निवेदन है कि इस पर निश्चित तौर पर सरकार काम करेगी और इसमें किस प्रकार से सुधार हो सकता है और किस प्रकार से वहां पर हथियार, मादक पदार्थ और दूसरी चीजें न पहुंच पायें, उसके लिए कौन जिम्मेदार हो और किस प्रकार से उसकी रोकथाम हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें निर्णय की स्टेज पर थे, प्रहरी और कांस्टेबल की सैलेरी समान करने के लिए फाइल चल रही थी और लगभग उस पर निर्णय की स्टेज पर थे। उसके बारे में अगर कुछ निर्णय हुआ हो तो घोषणा करो। यह इस डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। प्रहरी और कांस्टेबल का समान वेतन होगा, यह लगभग फाइनल हो चुका था तो शायद आगे तक बढ़ा होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको निवेदन करूंगा। एक्साइज की बात आयी ...(व्यवधान) जेल स्टाफ की वेतन विसंगतियां लगभग दूर कर दी गयी हैं। अब ये किस प्रकार से की गयी हैं, क्या की गयी हैं, क्या नहीं की गयी हैं, जरा आप थोड़ा-सा अध्ययन करें तो ठीक रहेगा।

एक्साइज डिपार्टमेंट की जो स्थापना की गयी, वह स्थापना इसलिए की गयी थी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और मादक पदार्थों पर कठोर नियंत्रण रहे और गुणवत्तापूर्ण मानव उपयोगी मादक पदार्थ उपलब्ध कराया जाए और राजस्व भी अर्जित किया जाए। निश्चित तौर पर राजस्व सबसे बड़ा कारण है कि यह विभाग आज भी चल रहा है। जगह-जगह से शराबबंदी की बातें आयीं। शराबबंदी करो, शराबबंदी करो। आप भूल-चूक से सन 1977 में सत्ता में आ गये थे। आपने क्या किया? शराबबंदी की? क्या नतीजा निकला? आंध्र प्रदेश में क्या नतीजा निकला? हरियाणा ने भी शराबबंदी की थी, क्या नतीजा निकला? गुजरात में क्या हो रहा है? आप तो खूब जानते हैं, गुजरात में क्या हो रहा है? आपके यहां से ही निकलती हैं सारी बसें, उदयपुर से। सारे ट्रक वहां से ही निकलते हैं। 2019-20 में विभाग का 11 हजार करोड़ रुपये आबकारी राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य है। इसमें रिक्त पद भी हैं और रिक्त पदों की वजह से कई बार यह प्रोब्लम आती है कि मानिटरिंग नहीं हो पाती है। जैसे मदन दिलावर जी ने बात उठायी कि ब्रांचेज चल रही हैं। ब्रांचेज को कोई दुकान कह बैठे, दुकान अलग है। दुकान के लिए मैंने आपको बताया कि शराब की दुकान तो बाकायदा वह कहलाएगी, जिसको लाइसेंस दिया गया। लेकिन चोरी-छिपकर चलने वाले, जैसे आपके मकान के सामने आपने बताया कि एक झोपड़ी है, जिसमें दारू बिक रही है तो वह कोई दुकान नहीं है, वह तो ब्रांच हुई ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आपका बोलना जरूरी है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमारी यह कोशिश रहेगी कि जो रिक्त स्थान हैं, जैसे स्वीकृत पद 4938 हैं और अभी 3138 कार्यरत हैं। कुल मिलाकर 1800 रिक्तियां हैं। हम इन रिक्तियों को भरें और भरकर इस बात पर पूरी पाबंदी लगे कि लाइसेंसिंग दुकानों के अलावा कहीं पर भी कोई ब्रांच नहीं चल पाये। जहां पर भी ब्रांच चलने की शिकायत आएगी तो अविलंब कार्यवाही की जाएगी, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो?

राजस्व प्राप्ति की बात है, 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक 2525 करोड़ 77 लाख रुपये संग्रहित हो गये हैं, यह बड़ी उपलब्धि है, बकाया भी हैं। बकाया राजस्व के 169 पुराने प्रकरण हैं, जिन पर करीब 194 करोड़ रुपये आज भी बकाया हैं, जिनकी वसूली की कार्यवाही चल रही है। दुकानों के बारे में आप जानते ही हैं कि यह खुली लाटरी से आबंटित होती हैं। कोई आरोप नहीं लगा, पूरे राजस्थान में इतनी दुकानें बंटी, लेकिन कहीं कोई आरोप नहीं लगा कि किसी प्रकार की कोई पार्शलियटी हो गयी हो, कमप्लीट पारदर्शिता थी। शराबबंदी के बारे में मैंने आपको निवेदन किया कि शराबबंदी के दुष्प्रभावों तथा अवैध मदिरा का संचालन, संगठित अपराधों में वृद्धि और राजस्व में कमी आदि के लिए प्रबंध किये जाएंगे।

संयम लोढ़ा साहब ने डोडा पोस्त के लिए कहा। अपने यहां तो बंद है। राजस्थान में डोडा पोस्त बिल्कुल निषेध है, लेकिन मध्य प्रदेश से आता है, सारा डोडा पोस्त जितना भी है, वह सारा का सारा मध्य प्रदेश से आता है, चोरी-छिपे आता है। निश्चित तौर पर आता है, पकड़े जाते हैं, कार्यवाही होती है, छोड़ा नहीं जाता है। इसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी बीच में आता है। यह अकेले राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अपना काम करता है। राज्य सरकार की निगाह में आता है तो उस पर राज्य की पुलिस के द्वारा भी कार्यवाही की जाती है। ऐसे व्यक्ति जो शराब के निर्माण, भण्डारण और वितरण में लिप्त हैं, उनको वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने काम किया है। पहले आपके वक्त में सिर्फ तीन करोड़ रुपये रखे गये थे, लेकिन हमने दस करोड़ किये। अवैध शराब के जितने भी हैं, वे सब पंजीकृत किये गये हैं।

शराब की अवैध बिक्री करते हुए अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है, इसमें कुल मिलाकर अब तक 107 प्रकरण दर्ज हुए हैं। प्रथम बार उल्लंघन पर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

10 हजार रुपये आपके वक्त में थे, अब वे बढ़ाकर हमने 20 हजार रुपये कर दिये हैं। यह जुर्माना है। दूसरी बार का आपके वक्त में 25 हजार थे, हमने 40 हजार रुपये कर दिये। तीसरी बार में आपके वक्त में 50 हजार रुपये थे, हमने बढ़ाकर उसको 75 हजार रुपये कर दिया। चौथी बार मिलने पर उसका अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का निर्णय कर लिया। अफीम के उत्पादन का है। नारकोटिक्स विभाग ही इसको मोटे तौर पर देखता है।

जनवरी, 2019 से लेकर जून, 2019 तक निरोधात्मक कार्यवाही में, अन्य राज्यों से अवैध रूप से आने वाली शराब में 89531 बोतलें और 623 देशी बोतलें पकड़ी गयीं। मोटे तौर पर इनका रूख सारा का सारा गुजरात की तरफ होता है। ये गुजरात में जाने के लिए जयपुर जिले को पार करती हैं, जयपुर जिले को पार करने के बाद अजमेर जिला पार होता, उदयपुर आता है, उदयपुर जिला पार होकर फिर अहमदाबाद, गुजरात में जाती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2008 से 2013 तक जब हमारी सरकार थी तो हमने इस पर बड़ी कार्यवाही की थी और कार्यवाही करके लाखों बोतलें और हजारों ट्रक इस बात के लिए जब्त किये थे और शराब की बोतलें भी जब्त की थीं, जिससे इसमें काफी कुछ रुकावट आयी थी, लेकिन पिछले पांच सालों में इसमें बढ़ोतरी हुई है, घटी नहीं है, मामला बढ़ गया है क्योंकि गुजरात के लोगों की डिमांड को आपको पूरा करना ही होगा। इसलिए आप आंख मीच लो, वह अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी और किताब में यह किस्सा पढ़ा कि शकुंतला और दुष्यंत। दुष्यंत देश के राजा थे और शकुंतला उनकी पत्नी थी। उनके महल के नीचे जो नदी बह रही थी, शकुंतला उसमें नहाने गयी। नहाते वक्त उसकी अंगुली से उसकी अंगूठी निकल गयी। वह अंगूठी एक मछली के पेट में चली गयी। मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और पकड़कर जब उसने मछली को चीरा तो उसमें अंगूठी निकल गयी। उस मछुआरे के पास में ही दुष्यंत के पर्सनल स्टाफ का एक जमादार रहता था, उसने उसको दिखायी कि यह अंगूठी कैसी है? उसने कहा कि यह तो रानी की अंगूठी है, शकुंतला जी की अंगूठी है, मुझे दे दे। मछुआरे ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, पैसे ला। तो लेखक लिखता है, यह इतनी पुरानी बात है जिससे यह लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश की कुंडली में ही भ्रष्टाचार हो। यह लेखक की बात है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

यह बात सही है कि आखिर इतने सारे प्रकरण क्यों पकड़े जाते हैं? जहां पर भी एसीबी छापा डालती है, खाली हाथ नहीं आती, पकड़कर ले आती है। मोटे तौर पर राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराया जाए। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए वातावरण तैयार किया जाए। यह मुख्य उद्देश्य हैं और यह लक्ष्य भी हैं सरकार के, इस प्रकार का वातावरण बनना चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार खतम हो। एसीबी ब्यूरो के द्वारा 1 जनवरी, 2019 से 30 जून तक कुल मिलाकर 135 आरोपी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध चालान पेश किया गया। अभी आज यह सवाल उठा था कि साहब फलाना अफसर पकड़ा गया, मैं नाम लेना अच्छा नहीं समझता, उसका प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से नहीं होते, यह आप भी जानते हैं। आपके टाइम पर भी जब अफसर पकड़े गये थे, वे चाहे खान विभाग के थे, चाहे कहीं के भी थे लेकिन उनके भी धड़ाधड़ प्रमोशन किस प्रकार से हुए, किस प्रकार नहीं हुए? आगामी वित्त वर्ष में 33 जिलों में 43 चौकियां, 8 स्पेशल यूनिट्स, 7 इंटेलिजेंट यूनिट रेंज और 6 रेंज कार्यालय यथावत कार्य करते रहेंगे। नारकोटिक्स विभाग के द्वारा कर्मियों के विरुद्ध जैसे डाक्टर सहीराम मीना का हुआ, जो अतिरिक्त कमिश्नर थे, एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उनके घर की तलाशी ली तो दो करोड़ रुपया नकद मिला, 2 करोड़ 26 लाख 98 हजार रुपया नकद मिला। नारकोटिक्स के दूसरे अधीक्षक सुधीर यादव और भानुप्रताप सिंह जो उप अधीक्षक थे, उनके खिलाफ चालान पुटअप किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रगति प्रतिवेदन में सब कुछ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने भी आपको घंटों बर्दाश्त किया है। अब थोड़ा-सा तो मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको।

सीबीआई में कार्यरत निरीक्षक प्रकाश चंद और शांतिलाल आंचलिया मिलीभगत करके 30 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और 45 लाख का सैल्फ का चैक भी मिला। योगेन्द्र पाल, सहायक निरीक्षक, विकास कुमार, हैडकांस्टेबल और राजेश कुमार, कांस्टेबल, सभी दिल्ली के लोग थे, दिल्ली की पुलिस के थे। उनको यहां की एसीबी ने गिरफ्तार किया। थाना ब्रह्मपुरी का उप-निरीक्षक छुट्टनलाल दिनांक 19/7 को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पकड़ा गया। रघुनाथ प्रसाद मीना, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। संजय बोथरा, जिसके लिए आपने अभी जिक्र किया, पुलिस निरीक्षक, जोधपुर आय से अधिक सम्पत्ति का 53 लाख 7 हजार का जिस पर मुकदमा चला, वह पकड़ा गया। कुल-मिलाकर 2018 में आपके वक्त में जो अभियोग दर्ज हुए, वे थे 202 और हमारे वक्त में 2019 में अभी तक 1 जनवरी से लेकर के जून तक 210 हो गए। आपसे ज्यादा हो गए। ट्रैप भी जो हैं, 194 आपके टाइम पर हुए थे, हमारे टाइम पर 159 हो गए। पदों के दुरुपयोग के बाबत भी जो बात आई, उसमें 51 थे आपके, हमारे टाइम पर 41 हुए। फर्क इस बात का आया कि 2018 और 2019 तक जिस तरह से एसीबी काम कर रही थी, उसकी तफ्तीश लंबे समय तक चलती रहती थी। तफ्तीश में मुझे भी तीन-साढ़े तीन साल इंतजार करना पड़ा। हालांकि एफआईआर नहीं थी मेरे खिलाफ, लेकिन फिर भी मुझे उलझाए रखा। अखबारों में बाकायदा खबरें आती थी, अब गिरफ्तार होगा, अब गिरफ्तार होगा, मुझे बुलाया भी गया। हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठे भी हुए। लेकिन गालिब का एक शेर है-

"थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे,
देखने हम भी गए थे, पर तमाशा न हुआ।"

अब मैं कटारिया साहब की बात पर आता हूं। देखिए, मोटे तौर पर चाहे सरकार आपकी हो, चाहे सरकार हमारी हो, किसी की भी हो, पीड़ित को न्याय दिलाना ही प्राथमिकता होती है। कौन-सी सरकार दिला पाती है और कौन-सी सरकार नहीं दिला पाती, यह अलग बात है लेकिन मोटे तौर पर प्राथमिकता सब सरकारों की यहीं होती है। हमारी भी यही है। इस प्राथमिकता के आधार पर हम काफी चेंजेज भी करेंगे। जैसे-जैसे वक्त आता जाएगा, जैसी-जैसी परिस्थितियां होंगी, उसके हिसाब से उन परिस्थितियों से, समस्याओं से निपटने के लिए बाकायदा नियम-कानून भी बनाते जाएंगे और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में भी काम करेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने फर्माया कि साहब 28 प्रतिशत अपराध बढ़ गए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 26.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): 26 मान लेते हैं। मैं 27 कह दूं तो आपको एतराज तो नहीं है। मेरे पास 27 लिखा हुआ है। फर्क इतनी-सी बात का है कि आपने कहा अपराध बढ़ गये और हम कहते हैं कि ये प्रकरण दर्ज हुए हैं। आपसे हमने 27 प्रतिशत ज्यादा प्रकरण दर्ज किए हैं। अब प्रकरण किस प्रकार के होते हैं? फर्क इतना-सा है। अब दर्ज किए हुए प्रकरणों की संख्या को आप अपराध में कन्वर्ट कर दें, आपकी इच्छा है। आप खुद देख लें। मान लीजिए, मैं कल से विधायकपुरी थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराता हूं कि साहब मुझे राजेन्द्र राठौड़ से जान का खतरा है, रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट लिखता है। इस शासन में एक जनवरी से लेकर आज तक एक प्रकरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें छोटी-से छोटी बात के लिए परिवादी थाने पर गया हो और उसका परिवाद दर्ज न हुआ हो। एक प्रकरण नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मदन जी दिलावर। माननीय सदस्य, इधर देखें आप। चेयर लेग पर है, फिर भी कोई तकलीफ नहीं है। क्या परम्परा डाल रहे हैं आप? बंद कर दें डिबेट को? माफी चाहता हूं मैं, यह अजीब स्थिति है। चेयर की तरफ देखते नहीं हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जब कटारिया साहब बोल रहे थे तो हम में से कोई खड़ा नहीं हुआ। राठौड़ साहब बोल रहे थे, जैसे लोक सभा में बोलते हैं संविधान पर। संविधान की धारा आर्टिकल ये और ये, क्या मतलब। हमने उस पर एतराज नहीं किया। आपने जो बोला, वह लिखा मैंने। सारे कागजात हैं लिखे हुए मेरे पास। देश में एक अकेला राज्य है राजस्थान, जहां पर मुख्य मंत्री ने यह आदेश दिए कि अगर परिवाद दर्ज नहीं होता है तो सीधे एसपी के पास जाएं। एसपी के कार्यालय में जाकर जमा कराओ और कोई राज्य ऐसा नहीं है। कोई राज्य ऐसा हो तो आप नाम लेकर बता दें कि जहां पर इस तरह का मुख्य मंत्री ने आदेश दिया हो। एक राज्य बता दें आप। यह क्यों किया? यह इसलिए किया कि प्राथमिकता इस बात की है कि न्याय दिलाना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): थानागाजी में इसीलिए दर्ज नहीं हुआ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दर्ज हुआ। बिलकुल दर्ज हुआ।

2019 तक धारा 156(3) के जो केसेज होते थे सीआरपीसी के, जिन प्रकरणों को दर्ज करने थे, उसमें भी गिरावट आई है 18.5 प्रतिशत, जो आपके वक्त में 22 प्रतिशत, था वह 18 प्रतिशत रह गया है। इसी कारण कहा गया है कि प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। क्योंकि मोटे तौर पर प्राइवेट इस्तगासा करने कौन जाता है। वह जाता है जिसको यह उम्मीद रहती है कि यह थाना मेरा परिवाद दर्ज नहीं करेगा। इसमें गिरावट आने का कारण क्या है, यह इस बात को बताता है कि प्रकरण दर्ज होते जा रहे हैं, आप उनको अपराध मान रहे हैं।

अपराध प्रतिशत में वृद्धि, जैसा आपने बताया, महिलाओं पर अत्याचार के लिए कहा, कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूं, आपकी बात सत्य है। मानता हूं कि पिछले सालों की तुलना में इसमें 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिला दलित अत्याचारों पर भी 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स्वीकार करते हैं हम, इतना कलेजा है हममें कि हम कम से कम स्वीकार तो करते हैं। आपसे असत्य बुलवाया जाता था। आप सुधारना भी चाहते थे तो आपके प्रपोजल को उठाकर सीएमओ में फेंक दिया जाता था। हमें वह घटनाएं भी याद हैं।

आप तो एक सवाल का जवाब दे दो, एनसीआरबी का 2016 का आंकड़ा छपा, क्या कारण थे इसको बंद करवाने के, 2017, 2018, 2019 में क्यों नहीं छपा, क्या कारण था। कारण यह था कि न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ज्यादा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से ज्यादा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात में, उससे ज्यादा हरियाणा में, यहां पर अपराधों की वृद्धि ज्यादा हुई। राजस्थान का नम्बर बहुत नीचे था। मैं आपको अभी बताता हूं कि महाराष्ट्र में कितना हुआ, उत्तर प्रदेश में कितना हुआ था कितना नहीं हुआ, यह सब मैं बताता हूं आपको।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसंधान का निस्तारण पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक रहा है। कई बड़े-बड़े जघन्य अपराध 24 या 72 घंटे के अंदर-अंदर खोल दिए गये हैं। जयपुर का ही किस्सा ले लीजिए आप। वह अपहरण का कांड, रात के दो बजे, तीनों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आदमियों को छुडवा दिया, सातों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, विशेष टीमें लगातार काम कर रही हैं।

अनसुलझी बातें हैं। पांच वर्षों में लगातार, आपके पांच वर्षों का निवेदन करना चाहता हूं। पांच वर्षों में 150 हत्याएं अनसुलझी रही हैं आज तक। 31 डकैतियां और 1500 से ज्यादा लूट के आरोपी आज भी गिरफ्त के बाहर हैं। अब यह सब काम आप हमारे माथे छोड़ गये। हमें निपटाना पड़ेगा। जैसे वह किसानों का कर्जा छोड़ गए न। आठ हजार का कहकर दो हजार करोड़ रुपये दे दिये और छह हजार हमारे माथे छोड़ गये तो वैसे ही यह हमारे माथे छोड़ गये, हमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।

निवाई में मुनीम मदनलाल की हत्या। राजधानी में यूको बैंक राजापार्क के कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट, बैंक लूट। जयपुर गलता गेट का अर्णव हत्याकांड। वैशाली और जयपुर का संदीप कौशिक हत्याकांड। मेंहदीपुर बालाजी कस्बे के बाबूदीन के चाचा की हत्या। कोलायत बीकानेर के सुखराज सिंह की हत्या। कोटा शहर के रेलवे कालोनी में बजरंग सिंह और उसकी पत्नी की निर्मम गला काटकर हत्या। बूंदी के केशोरायपाटन में प्लास्टिक के कट्टों के अंदर अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर कटे हुए हाथ, पैर, सिर, धड़ अलग-अलग डाले गये। ऐसे कुछ प्रकरण हैं, जो आज भी न्याय के इंतजार में पड़े हुए हैं। इन सबके बोझ हमें उठाने पड़ेंगे और हम इनको खोलकर बताएंगे आपको।

पुराने प्रकरण सुलझाए गये। अभी तक जो सुलझाये, 2018 का प्रकरण था पिछावाड़ी डूंगरपुर की हत्या का, मुलाज़िमों को गिरफ्तार किया गया। 2018 में ही चंदेरिया चित्तौड़गढ़ का डकैती का प्रकरण था उसमें मुलाज़िमों को गिरफ्तार किया गया। रामगंज मण्डी, सुन रहे हो मदन जी। रामगंज मण्डी बपावरकला, कैथून, जिला कोटा के ग्रामीण में डकैती और लूट के घटनाक्रम का खुलासा अभी हाल ही में किया गया है। 2018 पुलिस थाना झोटवाड़ा, अमर शर्मा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार किया गया। 2018 के ही झोटवाड़ा में 6 साल से फरार करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले सुरेश तिवाड़ी को अभी 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है।

इसी वर्ष 1500 से अधिक पुराने प्रकरणों की, जिला रेंज व राज्य स्तर पर समीक्षा की गई और 200 प्रकरणों को पुन: अनुसंधान के लिए दिया

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गया है। गंभीर व सनसनीखेज अपराधों को केस आफिसर्स योजना के तहत लाये हैं। वर्तमान में 42 ज़िलों में 2799 प्रकरण केस आफिसर ...(व्यवधान) झोटवाड़ा में 6 साल से फरार करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले सुरेश तिवाड़ी को 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में 42 ज़िलों में 2799 प्रकरण केस आफिसर स्कीम के तहत चयनित किये गये हैं। स्कीम के तहत सज़ा की रेट 63.87 प्रतिशत आई है। अब तो शायद आपको विश्वास हो गया होगा कि यह सरकार काम कर रही है।

महिलाओं के बाबत, बच्चों के बाबत भी आपने बोला। आपने सुझाव भी दिये, निश्चित तौर पर अच्छे सुझाव थे। बांसवाड़ा में 14 वर्षीय युवती का परिवार अपराध दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। मां-बाप तैयार नहीं थे लेकिन वहां का पुलिस अधीक्षक स्वयं उनके घर गया और घर जाकर अपराध दर्ज करवाया और दर्ज करवाकर 23 लोगों के डीएनए, आपने उठाया था यह सवाल। 23 लोगों के डीएनए मिलान के बाद सही मुलजिम का पता लगा। ब्यावर सदर में 6 साल की बालिका के बलात्कार के कुछ ही दिनों में अज्ञात मुलाज़िमों को पहचान कर गिरफ्तार किया गया। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे नैटवर्क बढ़ाया गया। महिला पुलिस पैट्रोलियम, छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए, 3 लाख 52 हजार 324 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बलात्कार प्रकरणों को केस आफिसर स्कीम के तहत लिया जाकर शीघ्र सज़ा दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पीड़ितों को प्रतिकार स्कीम के तहत आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। आप बार-बार यह बात उठाते हैं कि बलात्कार बढ़ गये। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन यह सारे आंकड़े आपके ही बताये हुए हैं। जो आंकड़े आपको सूट नहीं करते उनको तो आप छिपा लेते हो, जो आंकड़े हमारे खिलाफ जाते हैं उनको आप बोलते हो।

आपने एक सवाल का जवाब दिया था, सवाल के जवाब में आपने कहा कि जनवरी, 2014 से जुलाई 2018 तक प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार के कुल 5861 प्रकरण दर्ज हुए हैं। बलात्कार के बाद जो हत्याएं थीं, वह टोटल 41 थीं, यह आपका ही बताया हुआ है। इसी तरह से, दूसरा आपका बताया हुआ है, उसके बाबत मैं आपको बताता हूं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आप गौ-तस्करी के लिए नहीं बोले। आपका ही जवाब है कि 2015, 2016 व 2017 में प्रदेश में गौ-तस्करी के कुल मिलाकर 1113 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें से 16428 गौवंश बरामद किये गये, 1051 वाहन जब्त किये गये। इस तरीके का जवाब आपने दिया है।

आपने यह भी बताया कि तीन वर्षों में पुलिस पर 33 बार फायरिंग की घटनाएं घटी हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक महिलाओं की बात है, कमजोर वर्ग के लोगों की बात है, बच्चों की बात है, निश्चित तौर पर यह सरकार बिलकुल सजग है और आगे भी जाकर के इस तरीके का प्रयत्न करेगी कि इन चीजों को किसी प्रकार के, इस प्रकार के प्रकरण अब राज्य में नहीं बढ़ें।

गुमशुदा बालकों के बाबत भी आप बोले। 1220 बच्चों को भिक्षावृत्ति से, भिक्षावृत्ति की बात आपने ही कही थी, 1220 बच्चों को भिक्षावृत्ति से और 1116 बच्चों को बालश्रम से और 407 गुमशुदा बच्चों को व 28 अन्य राज्यों के गुमशुदा बच्चों को मुक्त करवाया गया, उनके घर भेज दिया गया। मानव तस्करी के बाबत 22 प्रकरण दर्ज हुए।

भारत सरकार ने वर्ष 2015 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के अनुसंधान के लिए प्रत्येक जिले में एक इकाई IUCAW स्थापित करने के लिए बजट उपलब्ध कराने की पेशकश की थी लेकिन तत्कालीन सरकार, आपकी सरकार के द्वारा 2018 तक सिर्फ सात जिलों में आपने उसको लागू किया। अब हमारी सरकार, मात्र 6 महीनों के अन्दर-अन्दर बिना केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता लिये, उसकी प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे और राजस्थान के समस्त जिलों में उक्त यूनिट की स्थापना करने के लिए स्वीकृति माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी।

अनुसूचित जाति और जनजाति की बात है तो सिविल राइट्स सेल की स्थापना की गई है। पुलिस मुख्यालय पर भी, और अनुसूचित प्रकोष्ठों पर न्याय सुनिश्चित करने हेतु राज्य के 36 जिलों में और 36 अनुसूचित प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

राज्य के कुछ सनसनीखेज अपराधों के प्रकरण के बाबत मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

2018 में मुजफ्फरनगर, बिहार में शैल्टर होम में रह रही 42 में से

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

34 बालिकाओं का बार-बार देह शोषण किया गया। एन.जी.ओ. के मालिक को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। गम्भीर बात है। सरकार आपकी थी। मुजफ्फरनगर में ही महानरेगा में अनियमितताओं को उजागर करने वाली और शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला का बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। कठुआ, 2018 में 8 साल की मासूम मुस्लिम बच्ची के साथ अपहरण कर बलात्कार किया गया। (व्यवधान) क्या हुआ?

आप उत्तर प्रदेश की बात सुन लो। हापुड़ में एक विवाहिता को 10 हजार रुपये में बेच दिया गया। उसका कई बार सामूहिक बलात्कार हुआ और राज्य सरकार की बेरुखी से हो करके उस महिला ने खुद ने ही आग लगा करके आत्महत्या कर ली।

गुजरात के साबरकंठा में 14 माह की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद निरपराध गरीब लोगों को 2018 में अपना सब कुछ खो करके पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक दाल व्यापारी और उसकी पत्नी और उसके बेटे को लूट के दौरान सरेआम गोलियों से भून दिया गया। पुलिस ने एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की। यह हाल हैं। यहां पर आप लोगों का शासन है।

आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपके योगीजी के उत्तर प्रदेश में जनता तो क्या, पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। जनता तो एक तरफ छोड़िये। उत्तर प्रदेश में पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। बुलन्दशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गो-रक्षकों की बेखौफ भीड़ द्वारा उसी के रिवाल्वर से उसकी हत्या कर दी गई और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दे दिया गया।

कठुआ में देखो आप। कठुआ में 2018 में आठ साल की मासूम बच्ची अपहरण हुआ, निर्मम हत्या कर दी गई। शर्म की बात तो यह है कि गिरफ्तार हुए अपराधियों के समर्थन में, अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तार हुए अपराधियों के संरक्षण में जो धरना हुआ, उस धरने में कौन लोग थे, जो बी.जे.पी. की सरकार, जो जम्मू और कश्मीर की सरकार में जो दो मंत्री थे, जिनके नाम मैं बताना चाहता हूं, लालसिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, ये उस धरने में शामिल हुए। इन्होंने धरना दिया कि इन अपराधियों को छोड़ो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनें, सुनें। आप सुनें। माननीय सदस्य, यह अधिकार नहीं है। जब बोलते हैं तो सुनने का भी साहस रखना पड़ेगा। आप भी जो बोलते हैं, वे सुनते हैं। आप भी आराम से पूरा सुनें। माननीय मंत्रीजी, मेरे अंदाज से इन्होंने मान लिया अब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मान तो लिया, वह तो कर रहे हैं, ठीक है।

जहां तक आपने फर्माया था, एक सुझाव दिया था कि बीट कांस्टेबल को मजबूत करो। बीट कांस्टेबल पर ज्यादा जिम्मेदारी डालो, ताकि कुछ न कुछ जिम्मेदारियों का बंटवारा थाने में हो जाए तो प्रकरण जल्दी सुलट जाएं। इस तरह के सुझाव भी आये थे। यह निवेदन करना चाहता हूं कि रात्रि गश्त की व्यवस्था को नया रूप दिया जा रहा है और चार हजार रात्रि गश्त बीट बनाई गई हैं। बीट कांस्टेबल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बीट प्रणाली का भी पुनर्गठन किया गया है। पूरे राज्य में 890 पुलिस थानों में 27000 से अधिक बीट का निर्धारण किया गया है और बीट कांस्टेबल को सशक्त करने के लिए अनुसंधान की शक्तियां भी प्रदान की जा रही हैं तथा उसको एक विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा जिससे कि वह अनुसंधान भी कर सके।

मादक पदार्थों के बाबत बात हुई थी। मादक पदार्थों के विरुद्ध, बजरी की काफी चर्चा हो गई और काफी कुछ इसमें पकड़े भी गये, छूट भी गये। उनको राजनीतिक संरक्षण भी है। अब बजरी के मामले में मेरा ख्याल है, राठौड़ साहब, आपसे ज्यादा कौन जानता है। या तो आप जानते हैं या पूर्व मुख्य मंत्री जानती हैं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ये ही माफिया हैं, मेघराजसिंह, राजेन्द्र सिंह।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लम्बे समय से वांछित अपराधियों में 727 भगोड़े, 72 घोषित अपराधी, 7803 स्टेंडिंग वारंटी और एक लाख 20 हजार वारंटियों को इस वर्ष जून तक राजस्थान की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब क्षमा कराओ न, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपने मान लिया न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मान लिया, मान लिया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं अभी तो है। यह जो संगठित अपराध हैं, आर्गनाइज्ड ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, कितने समय में अपन वाइंड-अप कर देंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं मुश्किल से 15 मिनट लूंगा। आपकी इजाजत है?

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप 17 मिनट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आगे बढ़ूं?

श्री अध्यक्ष: 17 मिनट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बढ़ जाऊं?

श्री अध्यक्ष: 17 मिनट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बढ़ जाऊं?

श्री अध्यक्ष: 17 मिनट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, 15 मिनट।

संगठित अपराध, आर्गनाइज्ड आफेंस। आदर्श क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी, एस.ओ.जी. के द्वारा 14 आदमी गिरफ्तार हो गये। एस.ओ.जी. ने जो केन्द्रीय सरकार का लॉ डिपार्टमेंट था, लॉ एण्ड जस्टिस डिपार्टमेंट, उसका फर्जी प्रिंसिपल एडवाइजर बनकर जो करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया। एस.ओ.जी. के द्वारा ही जाली मुद्रा के सम्बन्ध में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। डाक्टरों से करोड़ों रुपये की ठगी में अभी तीन आदमी गिरफ्तार हुए ही हैं, अभी समाचार पत्रों में पढ़ा ही होगा आपने। लूटी गई वर्ना कार, वगैरह-वगैरह, इस प्रकार से कई डांसिंग गर्ल, आई.पी.एल., फिर सट्टेबाजी, जी.आर.पी. की जो एक करोड़ 70 लाख रुपये की वारदात, चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ में 8 किलोग्राम के सोने के आभूषण चोरी करने वाले चार मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया गया। अब

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सवाल यह है अध्यक्ष महोदय, कि यह बात आती है कि किसी प्रकार से वातावरण बिलकुल शांत रहे। राजस्थान उन प्रांतों में रहा है, जिनको इस देश में शांत प्रांत कहा जाता है। अब वातावरण बिगाड़ता कौन है सवाल इस बात का है। सावरकर साहब को आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, दामोदर सावरकर, जिन्होंने हिन्दुत्व नाम का एक ग्रंथ लिखा, वह शायद आपने पढ़ा होगा? उस ग्रंथ से ही देश में हिन्दू महासभा की स्थापना हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। उसके पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और मुस्लिम लीग वालों ने इस्लाम के नाम पर, एक अलग देश की मांग करने लग गये थे, उसका यह repercussion था यह, निश्चित तौर पर था। स्थापना हो गयी। हिंदुत्व में जो उनका ग्रंथ है, उसमें साफ उन्होंने लिखा कि वह आदमी जिसका पुण्य-भू और जिसका पितृ-भू अगर इस देश का है तो वह हिन्दू है। पुण्य-भू का मतलब, पुण्य-भू का मतलब यह है कि उसके तीर्थ स्थान यहां पर हो, उसका मंदिर यहां पर हो, उसका गुरुद्वारा यहां पर हो, उसका मठ यहां पर हो, उसके देवी-देवता यहां पर हो और पितृ-भू का मतलब है कि उसका खानदान, उसके पुरखे और उसके मां-बाप यहीं जन्म लेते हों तो वह हिन्दू है। लेकिन अगर दोनों में से एक चीज किसी की भी नहीं है तो वह हिन्दू नहीं है। उन्होंने कहा कि वह आदमी हिन्दू नहीं कहलवा सकता जिसका पुण्य-भू चाहे वह यहां पर पैदा हुआ हो और उसके पुरखे यहां पर पैदा हुए हो लेकिन अगर उसका पुण्य-भू मक्का में हो, मदीना में हो, येरुशलम में हो, इजराइल में हो, रोम में हो, वह यहां पर नहीं कहलवा सकता है, उसको हिन्दू नहीं माना जा सकता लेकिन आज आप देखिए कि भागवत साहब ने बैतूल की एक सभा में हिन्दू की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कह दिया कि भारत में रहने वाला, हिन्दुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिन्दू है। जिस तरीके से अमरीका में रहने वाला हर आदमी अमेरिकन है। उन्होंने यह बदल दिया।

यह चीजें, जब आपके मुंह से यह कहा जाता है बाजारों में कि हिन्दुस्तान में रहना है तो हिन्दू बनकर रहना होगा, यही झगड़ा पैदा करती है। यही वातावरण समाज का खराब करती है और इसी के कारण यह जगह-जगह झगड़े होते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन बातों को देखना चाहिए।

गाय के बाबत भी बोले वह। गाय के बाबत भी बोले। मैं इस बात के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

खिलाफ नहीं हूं कि कोई गाय की पूजा करता है, करे। कोई किसी की भी पूजा करे तो करे, यह देश ही ऐसा है। विविधताओं का देश है। विविध, हर तरह के समाज का समावेश यहां पर है। आप गाय के बारे में बोले वह कि गाय हाईली, हाईली यूजफुल जानवर है लेकिन उसको पूजने में कोई सेंस नहीं है। पूजा जाता है सुपर ह्यूमन को, सुपर ह्यूमन को पूजने में सेंस है, किसी जानवर को पूजने में सेंस नहीं है। यह हाईली यूजफुल है, यह दुनिया मानती है कि हाईली यूजफुल है लेकिन यह मानते हैं। (व्यवधान) हमें इन चीजों को बर्दाश्त करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बोल रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वह किताब को कोट कर रहे हैं, मन से नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राजस्थान में आने वाले लोग पढ़ेंगे कि गाय जानवर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने यह नहीं कहा। उन्होंने किताब की बात को कोट किया है। माननीय सदस्य, वह आप मानते हैं। आप बैठें। आप बैठें। आप प्लीज बैठें। प्लीज बैठें। (व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय मंत्रीजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तरीका नहीं। प्लीज बैठें। रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। माननीय मदनजी, I am sorry. नहीं, प्लीज आप बैठें। यह कोई तरीका नहीं है, मंत्री का जवाब नहीं सुनना तो आप मना कर दीजिए। यह कोई तरीका है क्या? (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा यह निवेदन है कि अगर हम यह सोच रखें, अगर हमारी यह सोच हो कि 20-22 करोड़ मुसलमान इस देश से बिलकुल अलग हैं तो हम कैसे राष्ट्रवादी हैं? कैसे राष्ट्रवादी कहलाएंगे? हम कैसे कहलाएंगे? और मैं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आज दावे से कहता हूं आपसे कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज वर्ल्ड में हैं ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आपको बोलने का अधिकार है। अब यह क्या तरीका है? क्या यह कोई आपकी बात नहीं सुन रहे थे? आप प्लीज बैठें। रिकार्ड नहीं होगा। बैठें प्लीज। आप नीचे बैठें, यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, यह बिलकुल तरीका नहीं है। I will name you. प्लीज यह तरीका नहीं है। आप सीनियर आदमी हो, आपको अपने आप शर्मिंदा होना चाहिए। आप बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आज आपको दावे से कहता हूं। (व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज नीचे बैठें। यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, कोई प्राब्लम है क्या आप लोगों को? माननीय मंत्रीजी सक्षम हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आज आपको दावे से कहता हूं कि विश्व का नक्शा उठाकर देख लीजिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं। सब आपस में लड़ रहे हैं इसीलिए मेरा निवेदन यह है कि आप यह मानकर चलिए कि भारत का मुसलमान सर्वश्रेष्ठ मुसलमान है इसको अपने को अपनाना चाहिए। उसको साथ लिए बगैर राष्ट्रवादी नहीं कहलवा सकता कोई भी व्यक्ति, यह आप मानकर चलो।

साइबर क्राइम की चर्चा हुई। इसकी रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया के चैनलों पर सक्रियता की जन उपयोगी सूचनाओं की एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है और पुलिस कर्मियों को तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जनता का सहयोग, सी.एल.जी. का पुनर्गठन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सी.एल.जी. आज तक चल रही थी, उसमें कई तरह के ऐसे लोगों को सी.एल.जी. का सदस्य बना दिया गया था जो खुद क्राइम में शामिल होते थे।

माब लिंचिंग और उसके लिए मैंने आपको पहले ही निवेदन कर दिया।

सड़क की दुर्घटनाओं पर रोकथाम, यह सबसे बड़ा आज का जो है वह, यह इस तरीके का प्रकरण है कि जिस पर सब लोग सुझाव दें, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सुझाव आएं ताकि किसी तरीके से इस समस्या का निपटारा हो। अभी आपने देखा कि जे.डी.ए. सर्किल पर दो बार घटनाएं हो गयीं, तीन आदमी, चार आदमी मर गये तो उसको प्रभावी बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी।

पुलिस अनुसंधान और आधुनीकरण के लिए पुलिस कर्मियों के सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए दोहरा बीमा करवाया गया है जिसमें हैड कांस्टेबल को 20 लाख रुपये और सहायक उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक तक 40 लाख रुपये और अधीक्षक पुलिस से लेकर महानिदेशक पुलिस तक 60 लाख रुपये की राशि रखी गयी है। आज पुलिस आधुनीकरण की योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 114 करोड़ 22 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। आधुनीकरण की योजना में 5 करोड़ रुपये, 10 हजार आवासीय भवनों के लिए और 62.23 करोड़ रुपये प्रशासनिक भवनों के लिए और 74 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है।

प्रशिक्षण के लिए, मैं यह मानता हूं कि एक लाख के बेड़े में कुछ गलत तत्व भी हैं। जैसा आपने भी कहा, आपने भी कहा कि कुछ गलत तत्व भी हैं, लेकिन अच्छे तत्व भी हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं भी इस बात के लिए आपसे एग्री करता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यदा-कदा खाकी को शर्मसार कर राज्य की छवि खराब करते हैं। पुलिस के अधिकांश कर्मी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इंसानियत से सबसे घृणित घटनाओं को धैर्य और मजबूती के साथ खुलासा करने में लगे हुए रहते हैं, जुट जाते हैं।

मनोबल बढ़ाना। सवाल इस बात का है कि सरकार मनोबल बढ़ाये। मनोबल जब टूटता है, जब राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। आप मुझे माफ

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

करना, मुझे आपका एक किस्सा याद है। आप गृह मंत्री थे, 2007 की बात है। एक अर्जुन नाम के पार्षद कोटा में थे, वह तत्कालीन लोक सभा के जो सदस्य थे जो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके, रघुवीर सिंहजी कौशल, उनके खास व्यक्ति थे। पार्षद महोदय भीमगंज मण्डी थाने में गये। थाने में जाकर उन्होंने सी.आई. से हाट टाक कर ली और हाट टाक करते-करते उन्होंने सी.आई. के थप्पड़ मारने की कोशिश की। जितने में ही दो-चार पुलिस वाले और थे उन्होंने, पुलिस वालों ने उसकी खूब पिटाई की। पिटाई करने के बाद में यह मांग आई कि इस पुलिस सी.आई. को यहां से हटाया जाए। वह पुलिस सी.आई. था भगवत सिंह हिंगड, जिसको हम जब राज में होते थे तो मैं कोटा ले जाता था और जब आपका राज आता था तो आप हमेशा उसको उदयपुर ले जाते थे। 15 साल से मैं यही देख रहा हूं। आप ले जाते थे बाकायदा और फिर हमारा राज आता था तो मैं ले आता था।

(23.00 बजे)

तो उसमें कुछ अच्छाई तो थी, तब ही आप ले जाते थे। मानते हैं आप इस बात को? नतीजा यह निकला कि मांग आयी, रघुवीर सिंहजी कौशल के द्वारा इस बात की मांग आयी, क्योंकि रघुवीर सिंह जी कौशल आपके भी खास मित्र, एक ही कम्पनी हुआ करती थी ललित जी की, रघुवीर जी की और भाई साहब गुलाब जी की, तो रघुवीर सिंहजी कौशल ने कहा कि इनका तबादला करो। इन्होंने कहा तबादला मुख्य मंत्री करती हैं, मेरा बस नहीं चलता तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं धरने पर बैठता हूं और वह लोक सभा के सदस्य होने के बावजूद भी भीमगंजमंडी थाने के बाहर धरने पर बैठे और तीन रोज तक धरने पर बैठे। आखिर में, वसुन्धरा जी को उस बात को मानना पड़ा और उनको उठाकर उसका ट्रांसफर करना पड़ा, तो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। आपके लोग तो राजनीतिक हस्तक्षेप में माहिर हैं। हर व्यक्ति, आपका भारतीय जनता पार्टी का हर सदस्य इस बात की कोशिश करता है कि यहां का सी.आई. हमारे कहने से काम करे, यह मेरा आरोप है।

मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जब तक इस राजनीतिक हस्तक्षेप को बंद नहीं करेंगे, तब तक पुलिस से हम क्या उम्मीद करें कि पुलिस ईमानदारी से काम करेगी और निडर होकर काम करेगी और उसका इकबाल कायम रहेगा। आपको ध्यान हो, जब मैं गृह मंत्री था तो आपके आर.पी.ए. में

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

एक समारोह था और मैंने उस समारोह में जाने के दो रोज पहले अखबारों में यह पढ़ा था कि जोबनेर के पास के एक गांव में चार चोरों को पकड़ने के लिए चार पुलिस वाले गये। गांव में ज्यों ही पुलिस वाले पहुंचे उनको पकड़ने के लिए, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उन पुलिस वालों की खूब जमकर धुनाई की। मेरे मन में वही बात उठ रही थी कि पुलिस पिटकर आ गयी, पुलिस पिटकर आ गयी और वह भी चोरों से। मैंने वहां पर भाषण में कहा, मैंने यह कहा पिटकर मत आओ, पीटकर आओ। गांव को घेर लो, और हो सकता है कि कोई न कोई बेकसूर भी अगर पकड़ में आ जाए, तो पकड़ लो, फिर बाद में छोड़ते रहना, पर पिटकर मत आओ। इकबाल कायम करने के लिए हर तरह की कोशिश, जब तक कि राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को प्राप्त होता रहेगा, कभी नहीं होगा। निश्चित तौर पर जब तक पुलिस का इकबाल कायम नहीं होगा, तब तक हम पुलिस से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते कि पुलिस जनता को न्याय दिलवाएगी या जनता की समस्याओं को सुलझाने का काम करेगी। कटौती प्रस्तावों में, अध्यक्ष महोदय, मैं खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कटौती प्रस्ताव माने गये। आप मांग रखो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जन समस्या के प्रति न्यायोचित समाधान करेगी, पारदर्शिता से काम करेगी। आमजन के जान-माल की रक्षा और सिस्टम को सुधारने का पूरा प्रयत्न करेगी।, इस मामले में किसी प्रकार का कोई इंतजामात करने में धन की कहीं कोई कमी नहीं आएगी।

अब पुलिस से अपन यह काम लेना चाहें कि मेरा कुत्ता गुम गया, ढूंढकर लाओ। जैसे उत्तर प्रदेश में आजम खान की भैंस गुम गयी, उन्होंने पुलिस लगा दी। यहां पर आपके एक मंत्रीजी का कुत्ता गुम गया तो उसके लिए पुलिस लगा दी, ढूंढकर लाओ। यह कैसे होगा?

श्री अध्यक्ष: अब माननीय मंत्रीजी, अब आप मांग रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं, आपका आदेश हो तो।

श्री अध्यक्ष: जरूर, बहुत आवश्यक हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कांस्टेबल से लेकर उप-निरीक्षक पुलिसकर्मियों को वर्दी एवं किट सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। सिलाई, धुलाई, वर्दी आदि भत्ते भी दिये जाते हैं। लगभग एक लाख ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी का कपड़ा एवं किट प्रति वर्ष क्रय करके वितरण करने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। यह तो मानते हैं आप? पुलिसकर्मियों को इससे संतोष भी नहीं होता। यह सारा कुछ बदलाव करके मैं घोषणा करता हूं कि अगले वर्ष यानी 01 अप्रैल, 2020 से पुलिसकर्मियों को वर्दी, किट और इनसे संबंधित समस्त भत्तों के एवज में एकमुश्त वर्दी किट भत्ता सात हजार रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। पुलिस के मैस में खाना बनाने वाले लांगरियों का मानदेय रुपये 5,720 प्रति माह से बढ़ाकर 6,300 रुपया प्रति माह करने की मैं घोषणा करता हूं।

विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि साहब, पदोन्नति में भ्रष्टाचार होता है। मैं भी मानता हूं, आरोप सही हैं कि भ्रष्टाचार होता है। कहीं होता है और कहीं नहीं होता है, ईश्वर की कृपा रहती है, नहीं होता है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और हैड कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक पदोन्नति की प्रक्रिया बदल दी गयी है और एकरूपता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड गठित करने की मैं घोषणा करता हूं ताकि पूरे राजस्थान का एक-सा पेपर बने। जो अलग-अलग पेपर बनते हैं, हर रेंजवाइज जो अलग-अलग बनते हैं, वह खतम हो जाए और जिससे सारा का सारा सब कुछ प्रमोशन इस बोर्ड के मार्फत हुआ करेगा।

संसाधनों की कमी से पुलिस को आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध नहीं हो सकते। कई स्थानों पर खटारा वाहनों से भी काम चलाया जा रहा है। राज्य में चरणबद्ध रूप से इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम लागू करने की घोषणा बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा की गयी है और जिसके अन्तर्गत पुलिस एक निश्चित अल्पावधि में घटनास्थल पर पहुंच पाएगी। घटनास्थल पर फौरन पहुंच जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष नवसृजित इकाइयों के वाहन क्रय करने के साथ-साथ वर्तमान नाकारा वाहनों के रिप्लेसमेंट व अतिरिक्त आवश्यकता हेतु कुल 70 करोड़ रुपये के चौपहिये वाहन क्रय किये जाएंगे। 2011 में हमने पी.सी.आर. खरीदकर दी थी यहां जयपुर की कमिश्नरेट को, वह भी नहीं बदली गयी आपसे, खटारा पी.सी.आर. चल रही

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हैं। महेश जोशी उस वक्त लोक सभा के सदस्य थे। मैंने इनके फण्ड से पैसे दिलवाये। जितने भी विधायक थे, उस वक्त उनसे मांग-मांगकर पैसे दिलवाये, लेकिन उन सबको नया वाहन दिलवाया था, लेकिन वे खटारा हो गये। आप लोगों से वह भी नहीं बदला गया।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 100 मोटर साइकिल दी थी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, 100 मोटर साइकिल दी थीं। राजधानी जयपुर महानगर तथा महानगर जोधपुर के तीव्र गतिमय हो रहे विस्तार व विकास और बढ़ती हुई आबादी एवं वाहनों की संख्या तथा बाहर से आने वाले लोगों के कारण कानून-व्यवस्था, अपराध व यातायात की चुनौतियां पुलिस के समक्ष उत्पन्न हुईं उनसे निपटने के लिए इन दोनों महानगरों की पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

जयपुर कमिश्नरेट के लिए मैं निम्न घोषणा करता हूं - राउण्ड द क्लाक सड़कों पर गश्त, निगरानी एवं पैट्रोलिंग के लिए 70 चेतक वाहनों को नये वाहनों से रिप्लेस किया जाएगा। 100 मोटर साइकिलों की व्यवस्था की जाएगी जिन पर विशेष रूप से प्रशिक्षित 200 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। जयपुर शहर में सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस की सहायतार्थ 500 अतिरिक्त होमगार्ड नियोजित किये जाएंगे। जयपुर शहर की कालोनियां और मौहल्ले और नये विकसित रिहायशी इलाकों में रात्रि गश्त को सुदृढ़ करने के लिए भी 500 अतिरिक्त होमगार्ड उपलब्ध कराये जाएंगे। पुलिस थानों - सांगानेर, प्रतापनगर और जवाहर सर्किल में अत्यधिक अपराध के प्रकरण दर्ज होने के कारण दो नये पुलिस स्टेशन मय नफरी के खोले जाएंगे।

इसी प्रकार, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को सुदृढ़ करने के लिए वहां पर तैनात 20 चेतक और वाल सिटी में तैनात मोटर साइकिलों के रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पर नये वाहन उपलब्ध कराये जाएंगे। रात्रि गश्त के लिए 175 अतिरिक्त होमगार्ड और यातायात व्यवस्था के लिए 75 अतिरिक्त होमगार्ड नियोजित किये जाएंगे।

जेल, जेल की बाबत निवेदन करना चाहता हूं। जैसे पुलिसकर्मियों के लिए आपने जेल के लिए फर्माया था। पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी किट व भत्ते की व्यवस्था प्रस्तावित है, उसी तर्ज पर जेल के प्रहरी से लेकर उप-कारापाल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

को वर्दी किट संबंधी भत्तों की एवज में एकमुश्त वर्दी किट सात हजार रुपया वार्षिक अगले वर्ष से दिया जाएगा। जेल में कैदियों के द्वारा खाना बनाया जाता है। कैदी यह कार्य करते हैं, उनको उसके लिए मजदूरी का भुगतान तो किया ही जाता है, जहां आर.ए.सी. पुलिस लाइन, थानों, बोर्डर होमगार्ड के जवानों के लिये मैस में लांगरियों की व्यवस्था है। वहीं जेल के प्रहरियों के लिए भी अभी तक कोई इस प्रकार की मैस की व्यवस्था नहीं थी। अत: मैं घोषणा करता हूं कि 105 विभिन्न श्रेणियों की कुल जेलों में 170 लांगरियों की व्यवस्था की जाएगी।

राजस्थान पूरे देश में खुले बंदी शिविरों के संचालन में अग्रणी रहा है। इन शिविरों की स्थापना महात्मा गांधी के सिद्वांतों के अनुरूप की गई थी। राजस्थान में कुल 37 खुले बंदी शिविर हैं, इस साल महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के मद्देनजर इन खुले बंदी शिविरों में आवासीय व्यवस्थाओं के विस्तार के हेतु दो करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया जाना प्रस्तावित है और आवश्यकता पड़ने पर और संसाधन भी उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाएगा।

मैंने आपका हुकम पूरा किया और मैं अपना यहीं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। मंत्री जी, हो गया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या-6, मांग संख्या-13, मांग संख्या-16, मांग संख्या-17 को पारित किया जाए।

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 - न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,42,95,46,000/- (ग्यारह अरब बयालीस करोड़ पिचानवे लाख छियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 13 - आबकारी का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 - आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,68,79,20,000/- (एक अरब अड़सठ करोड़ उनासी लाख बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16 - पुलिस का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 - पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,37,59,89,000/- (पैंसठ अरब सैंतीस करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17 - कारागार का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 - कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,94,37,97,000/- (एक अरब चौरानवे करोड़ सैंतीस लाख सतानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.13 बजे मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

रेवदर में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास

255. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं? मानदंडों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र-छात्राओं का बाहुल्य है? यदि हां, तो पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए मंडार, भटाणा व दत्तानी में नवीन छात्रावास खोलने व रेवदर मुख्यालय पर पहले से संचालित छात्रावास की छात्र क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास खोलने के लिये राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 4 के अन्तर्गत मापदण्ड निर्धारित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। रेवदर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं का बाहुल्य है, जिसकी पंचायतवार सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) विभाग द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए मंडार, भटाणा व दत्तानी में नवीन छात्रावास खोलने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पर ही स्वीकृत किया जा सकता है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भाखड़ा माइनर में सी.ए.डी. खाले को पक्का करने की योजना

260. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

भाखड़ा माइनर में सी.ए.डी. के खाले को सरकार कब तक पक्का बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग द्वारा पक्का खाला निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं तथा माह जून 2019 तक इस परियोजना में राशि रु. 124.00 करोड़ व्यय किये जाकर 60,436 हैक्टेयर क्षेत्र में खाला निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। (विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ)

वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत दी जा रही केन्द्रीय सहायता को बन्द कर दिया गया था। भाखड़ा परियोजना फेज-प्रथम के दिनांक 01.04.2017 को शेष कमाण्ड क्षेत्र 87,689 हैक्टेयर एवं भाखड़ा परियोजना फेज-द्वितीय (नवीन) हेतु 1,79,138 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र हेतु डीपीआर तैयार कर भारत सरकार की नवीन प्रस्तावित ISBIG के तहत स्वीकृति हेतु माह अक्टूबर 2017 में प्रेषित कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा वांछित स्वीकृति मिलने के पश्चात् परियोजना के अन्तर्गत सभी पक्के खालों का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में आगजनी की घटनाएं

263. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में बाड़मेर जिले में आगजनी की कितनी घटनायें घटित हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(2) उपरोक्त घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई हेतु कितने प्रकरणों को निस्तारित कर दिया गया है एवं कितने प्रकरण अभी तक लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नियमों में परिवर्तन कर प्रकरण में जमाबन्दी, नक्शा आदि को संलग्न करना आवश्यक किया गया है? यदि हां, तो भूमिहीन काश्तकार, दूसरे के जमीन पर काश्त करने वाले मजदूर वर्ग के आवासीय घर में आगजनी की घटना होने पर सहायता राशि किस प्रकार उपलब्ध करवायी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में आगजनी की पिछले 5 वर्षों में घटित घटनाएं निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	**वर्षवार घटित घटना**
2014-15	460
2015-16	237
2016-17	293
2017-18	322
2018-19	247
योग	1559

(2) उपरोक्त 1559 घटनाओं में से हुए नुकसान की भरपाई हेतु 1557 प्रकरणों को विभागीय नियमानुसार निस्तारित कर दिया गया है। शेष दो प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। भारत सरकार के एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार प्राकृतिक आपदा घटित होने पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

पीलीबंगा व रावतसर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

265. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के पीलीबंगा व रावतसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उपखण्ड मुख्यालय पीलीबंगा से लगभग 26 किमी की दूरी पर राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़ संचालित है जिसमें सत्र 2018-19 में 4167 विद्यार्थी (2288 छात्र एवं 1588 छात्राएं) अध्ययनरत थे।

उपखण्ड मुख्यालय पीलीबंगा में वर्तमान में निजी क्षेत्र में 10 महाविद्यालय (07 सहशिक्षा एवं 03 महिला शिक्षा) संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

उपखण्ड मुख्यालय रावतसर से लगभग 45 किमी की दूरी पर राजकीय महाविद्यालय, नोहर संचालित है जिसमें सत्र 2018-19 में 3828 विद्यार्थी (1637 छात्र एवं 2191 छात्राएं) अध्ययनरत थे।

उपखण्ड मुख्यालय रावतसर में वर्तमान में निजी क्षेत्र में 12 महाविद्यालय (09 सहशिक्षा एवं 03 महिला शिक्षा) संचालित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उपखण्ड मुख्यालय पीलीबंगा एवं रावतसर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नीलकण्ठ महादेव मंदिर ब्यावर को पर्यटन स्थल घोषित करने की योजना

268. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नीलकण्ठ महादेव मंदिर ब्यावर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर में अकाल राहत के अन्तर्गत देय सुविधाएं

270. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर भयंकर अकाल की चपेट में है? यदि हां, तो जिले में कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा आपदा राहत के नियमों में लघु एवं सीमान्त किसानों के अलावा आवारा पशुओं एवं अन्य किसानों के गौवंश को आपदा राहत में चारे की व्यवस्था करने के आदेश दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केन्द्र सरकार के उक्त नियमों के चलते बाड़मेर में हजारों गौवंश के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया है जिससे गौवंश की मौत हो रही है? क्या राज्य सरकार बाड़मेर, जैसलमेर जिले के भयंकर अकाल से नियमों में शिथिलता देने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार आपदा राहत के इन नियमों में शिथिलता देते हुए जिले के गौवंश को बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जिले में अभी तक बहुत ही कम पशु शिविर स्वीकृत हुए हैं? यदि हां, तो अभावग्रस्त गांवों की तुलना में कितने शिविर स्वीकृत हैं एवं शिविर कम स्वीकृत होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के कुल 2775 गांवों में से 2741 ग्रामों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस. डी. आर. एफ. मानदण्डों में प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। एसडीआरएफ नोर्म्स में संशोधन भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। राज्य सरकार के गोपालन विभाग द्वारा 30.00 करोड रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे खरीफ संवत् 2075 में लघु एवं

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

सीमान्त के अतिरिक्त अन्य कृषकों एवं भूमिहीन किसानों के पशुओं के संरक्षण हेतु बाड़मेर जिले में 663 पशु शिविर एवं जैसलमेर जिले में 326 पशु शिविर तथा 31 घोषित पशु शिविर स्वीकृत किये गये हैं।

(4) एसडीआरएफ नोर्म्स में संशोधन भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। गौवंश को बचाने हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों एवं पशुपालकों के पशुओं के संरक्षण हेतु आवश्यक्तानुसार पशु शिविर एवं घोषित पशु शिविर खोले जाने हेतु राज्य सरकार के गोपालन विभाग द्वारा 30.00 करोड रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे खरीफ संवत् 2075 में लघु एवं सीमान्त के अतिरिक्त अन्य कृषकों एवं भूमिहीन किसानों के पशुओं के संरक्षण हेतु बाडमेर जिले में 663 पशु शिविर एवं जैसलमेर जिले में 326 पशु शिविर तथा 31 घोषित पशु शिविर स्वीकृत किये गये हैं।

(5) बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायतों की मांग के आधार पर लघु एवं सीमान्त काश्तकारों हेतु 365 पशु शिविर एवं 50 घोषित पशु शिविर तथा लघु एवं सीमान्त काश्तकारों से भिन्न अन्य काश्तकारों एवं भूमिहीन काश्तकारों हेतु 663 पशु शिविर स्वीकृत किये गये हैं।

नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

271. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत दस वर्षों में प्रतिवर्ष कितने नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए? संभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार की नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के बारे में क्या नीति है? कितने नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने की प्रक्रिया में चल रहे हैं?

(3) प्रदेश में निजी औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? क्या निजी विकास को प्रोत्साहन देने के संबंध में सरकार की कोई नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा विगत 10 वर्षों में कुल 24 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं। प्रति वर्ष विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों की संभागवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(2) रीको द्वारा किसी भी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उस क्षेत्र की औद्योगिक विपुलता को दृष्टिगत रखते हुए एवं औद्योगीकरण के सर्वेक्षण के पश्चात् नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में 14 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। सम्भागवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) निजी औद्योगिक क्षेत्रों की सूचना विभाग में संधारित नहीं की जाती है।

जी हां। राज्य में निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने संबंधित राजस्थान एमएसएमई पालिसी, 2015 की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फर्जी डिग्रियों के रोकथाम की योजना

272. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनेकों निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियां जारी करने के प्रकरण दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में फर्जी डिग्रियों की रोकथाम हेतु कोई ठोस नीति लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के क्रिया कलापों पर सतत निगरानी हेतु कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अलवर जिले में भी निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियां जारी करने के प्रकरण दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो किन-किन विश्वविद्यालयों के और उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से 25003 फर्जी डिग्रियां/अंकतालिकायें जारी करने का प्रकरण 2014 में एसओजी पुलिस ने दर्ज किया था। इस संदर्भ में सरकार ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 24.11.15 द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन करते हुए विश्वविद्यालय में प्रशासक नियुक्त किया गया था।

प्रदेश के कुछ अन्य निजी विश्वविद्यालयों द्वारा भी फर्जी डिग्रियां जारी करने/अनियमितता के प्रकरण समय-समय पर विभाग की जानकारी में आए हैं। ऐसे प्रकरण एवं उनमें की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों द्वारा अनियमितताएं किये जाने पर उनके परिसमापन तक की शक्तियां प्राप्त हैं। तथापि निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विनियामक आयोग गठित करने का प्रकरण भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां। निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण हेतु विनियामक आयोग गठित करने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) अलवर जिले के 'सनराईज विश्वविद्यालय बगड राजपूत (अलवर)' के सम्बन्ध में भी फर्जी डिग्रियां जारी करने, अनुचित तरीके से डिग्रियां प्रदान करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विवरण परिशिष्ट-1 के बिन्दु संख्या 9 में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पिण्डवाड़ा तहसील को टीएसपी क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव

273. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पिण्डवाड़ा तहसील को टीएसपी क्षेत्र घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में पिण्डवाड़ा तहसील को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले पिण्डवाड़ा तहसील के 51 ग्राम अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किये गये जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अत: शेष ग्रामों को मापदण्डों की पूर्ति नहीं के कारण पूर्व प्रेषित प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोनीजाथान ग्राम में अनुसूचित जाति की भूमि पर अवैध कब्जा

274. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

ग्राम रोनीजाथान में अनुसूचित जाति की कितनी भूमि पर कितने समय से कौन-कौन व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है? क्या सरकार उक्त कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कब्जाधारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में अनुसूचित जाति की भूमि अन्य जाति के लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने की जांच मौके पर पटवारी हल्का रोनीजाथान से करवाई गयी। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसूचित जाति के किसी भी खातेदार व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर दीगर जाति के व्यक्ति का कब्जा होना जाहिर नहीं आया। मौके पर जांच के दौरान हाजिरान ने बताया कि हाल खसरा नम्बर 1642 रकबा 1.64 है., खसरा नं. 1657 रकबा 2.44 है. किता 2 रकबा 4.08 है. बारानी-प्रथम जो कि सिवायचक लगानी दर्ज रिकार्ड है, में से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 05.01.1973 को भूमि आबंटन हुई थी परन्तु उक्त आबंटियों के पट्टों का अमल तत्समय से अब तक राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है। आबंटी जिन खसरा नम्बरों में आबंटन बता रहे हैं वे उपरोक्त खसरा नम्बरान वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी दर्ज रिकार्ड है, किसी के नाम खातेदारी/गैर खातेदारी में दर्ज नहीं है। उक्त नम्बरान पर हाल में सुरेन्द्र, राजेश पि. रामप्रसाद, मनीराम पुत्र रामस्वरूप, बत्तु, नरेन्द्र पि. लीलाराम व दौलतराम पुत्र गिरवर सभी की जाति मीना निवासी रोनीजाथान का अनधिकृत कब्जा काश्त है। इस संदर्भ में अतिक्रमियों के विरुद्ध एलआर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 08.07.2019 को रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और 15.07.2019 को

(राजस्व मंत्री)

अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं जिनमें 29.07.19 की तारीख पेशी निर्धारित है। शीघ्र निर्णय कर, प्रभावशाली बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

पर्यटन से रोजगार

275. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में पर्यटन नीति बनी हुई है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान पर्यटन नीति से पर्यटन क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है? क्या सरकार वर्तमान पर्यटन नीति में कोई आवश्यक समयानुकूल परिवर्तन करने का विचार रखती है?

(3) क्या पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को स्वरोजगार दिलाने की दिशा में सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 में पर्यटन नीति जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पर्यटन नीति से पर्यटन क्षेत्र में सृजित रोजगार की सांख्यिकी विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज) में नवीन पर्यटन नीति बनाया जाना प्रावधित है।

(3) पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को स्वरोजगार दिलाने के लिए सरकार की पर्यटन इकाई नीति, 2015 प्रचलित है। नीति की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

हस्त उद्योगों को पुनर्जीवित करने की योजना

300. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नागौर व जोधपुर जिले के पारम्परिक हैंड टूल उद्योग व अन्य हस्त उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नागौर व जोधपुर जिले में पारम्परिक हैंड टूल उद्योग के अधिकांश कारीगरों ने आयरन हैंडीक्राफ्ट (हस्तशिल्प) का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिनके सहयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा बाजार सहायता योजना के तहत स्टाल किराया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण व अनुदान की स्वीकृति तथा विभागीय मेलों व प्रदर्शनियों में प्राथमिकता से रियायती दरों पर स्टाल आबंटित की जाती है। नागौर में हैंड टूल उद्योग के विकास हेतु भारत सरकार के संस्थान एम.एस.एम.ई. तकनीकी विकास केन्द्र, आगरा द्वारा नागौर हैंड टूल तकनीकी विकास केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स लिमिटेड गढेपान में निर्मित खाद

301. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स लिमिटेड गढेपान कारखाने की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इस कारखाने में कौन-कौन सा खाद बनाया जाता है?

(2) क्या चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स लिमिटेड अपने यहां उत्पादन किए खाद के अलावा अन्य खाद, दवाइयां, बीज आदि को भी अपने ब्राण्ड नाम से बेचता है? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी वस्तु है जो अपने ब्रांड नाम से बेचता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यूरिया खाद के साथ ही चम्बल फर्टिलाइजर

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

एण्ड केमीकल्स लिमिटेड गढेपान अपने खाद के डीलरों को यूरिया के साथ-साथ अन्य खाद, दवाइयों को बेचने के लिए भी बाध्य करता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि यूरिया खाद की जब बाजार में कमी होती है तो किसानों को डीलर यूरिया के साथ-साथ अन्य खाद, बीज व दवाइयां लेने का दवाब बनाते हैं व किसान मजबूरी में इनको खरीदता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, गढेपान, कोटा इकाई ने उत्पादन वर्ष 1994 से प्रारम्भ हुआ। इसमें यूरिया खाद उत्पादित किया जाता है।

(2) चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, गढ़ेपान, कोटा, उत्तम नीम यूरिया के अलावा खाद, दवाइयां, बीज आदि को भी खाद नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदाय अनुमति पत्र मिलने के बाद अपने ब्राण्ड से उपलब्ध करवाता है, जो कि निम्न प्रकार है:-

1. उत्तम डी.ए.पी.
2. उत्तम कीटनाशक
3. उत्तम पोटाश
4. उत्तम जिंक
5. अन्य कृषि आदान आदि

उपरोक्त संबंध में खाद, फासफोरस एवं पोटाश का भी वितरण किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) ऐसा कोई प्रकरण जानकारी में अब तक नहीं आया है।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना

302. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार भिवाड़ी, चौपानकी, खुशखेड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों में दूषित पानी को ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर उसके शुद्ध पानी को उपयोग करने

(श्री संदीप कुमार)

का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी:-

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल के उपचार के लिए वर्तमान में एक संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र कार्यरत है जिसकी क्षमता 9 एमएलडी है। इस उपचार संयंत्र को उन्नयन करने हेतु एक प्रारम्भिक परियोजना रुपये 146 करोड़ की भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण एसोसिएशन (बी.जे.पी.एन.ए.) द्वारा बनवाई गई थी। राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु भारत सरकार से अनुग्रह किया गया था। अनुग्रह स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा उक्त परियोजना के लिए रुपये 146 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

रुपये 146 करोड़ की इस परियोजना में वर्तमान संयंत्र को उन्नयन करने हेतु 6 एमएलडी क्षमता के आर. ओ. प्लांट, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट के संग्रहण के लिए पाइप लाइन एवं उपचारित पानी के पुन: उपयोग के लिए पाइप लाइन के कार्यों को सम्मिलित किया गया।

संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र को उन्नयन करने के लिए आवश्यक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण एसोसिएशन (बी.जे.पी.एन.ए) द्वारा आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। साथ ही रीको द्वारा विस्तृत परियोजना (डी.पी.आर.) रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट) की नियुक्ति का कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जलीय अपशिष्ट का पूर्ण उपचार के पश्चात इकाइयों द्वारा ही पुन: उपयोग किया जायेगा।

औद्योगिक क्षेत्र चौपानकी :-

औद्योगिक क्षेत्र चौपानकी में स्थापित इकाइयों/आगे स्थापित होने वाली इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल के उपचार के लिए निगम द्वारा

(उद्योग मंत्री)

संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्तर) की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि ग्राम शाहडोद में अवाप्त की जा चुकी है।

औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा:-

औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा में स्थापित इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल के उपचार के लिये रीको द्वारा संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्तर) की स्थापना किये जाने हेतु आवश्यक भूमि नवीन औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर में आरक्षित की गई है।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए आरक्षित भूमि लाभान्वित इकाइयों द्वारा गठित ट्रस्ट/एसपीवी को नि:शुल्क आबंटित की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्रों चौपानकी एवं खुशखेड़ा में कार्यरत विभिन्न इकाइयां जब दूषित जल का सामूहिक रूप से उपचार करना चाहेगी तब संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना लाभान्वित इकाइयों द्वारा गठित ट्रस्ट/एसपीवी द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से की जायेगी।

संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी की गई की स्थापना व संचालन की सम्मति की शर्तों के अनुसार की जायेगी।

संयुक्त उपचार संयंत्र की स्थापना न होने तक, जल अधिनियम 1974 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया से उत्सर्जित होने वाले दूषित जल का पूर्ण उपचार (अपने स्वयं के स्तर पर उपचार संयंत्र स्थापित कर) करना आवश्यक है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्वयं के स्तर पर उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक स्थापना एवं संचालन की सम्मति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र चौपानकी व खुशखेड़ा:-

औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योग संचालन हेतु सम्मति (Consent to Operate) इस शर्त के साथ जारी की जाती है कि उद्योग में उत्पन्न उच्छिष्ठ को स्वयं के उच्छिष्ठ उपचार संयन्त्र (Effluent Treatment Plant) में उपचार कर उद्योग परिसर में वृक्षारोपण इत्यादि लाभकारी (Gainful Purposes) के लिये काम में लिया जाएगा

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दिव्यांग व्यक्तियों को मोटराइज्ड (थ्री व्हीलर) उपलब्ध कराने के मानदण्ड

303. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को मोटराइज्ड (बैटरी वाली थ्री व्हीलर) उपलब्ध कराने के मानदण्ड तय किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी जरूरतमंद बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तियों को मोटराइज्ड नि:शुल्क उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार की एडिप योजना के अन्तर्गत गंभीर रूप से दिव्यांगों के लिये और क्वाड्रिप्लेजिक (एससीआई) मस्कुलर डिस्ट्राफी, स्ट्राक, प्रमस्तिष्कघात, पक्षाघात और ऐसी स्थिति वाले दिव्यांगजन, जिनके तीन/चार अंग अथवा शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से दिव्यांग हो, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या अधिक है, के लिये मोटराइज्ड ट्राई-साईकिल (बैट्री चलित) देने का प्रावधान है। मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैट्री चलित) की कुल लागत 42 हजार रुपये है। जिन दिव्यांगजनों/अभिभावकों की आय 15 हजार रुपये तक है, उन दिव्यांगजनों को योजना के तहत 25 हजार रुपये अनुदान सहायता से मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैट्री चलित) उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अनुदान/छूट से अधिक की अतिरिक्त लागत राशि रुपये 17 हजार प्रार्थी स्वयं वहन कर सकता है या प्रार्थी अपने क्षेत्र के माननीय विधायक/सांसद से छूट से अधिक की निधि/सांसद निधि से स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध कर सकते हैं। इसके मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार द्वारा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत चलन निशक्तता वाले ऐसे विशेष योग्यजन, जो कि मोटराइज्ड ट्राई साइकिल चलाने में सक्षम है, को नियमित अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा हेतु सुलभ आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1000 मोटराइज्ड ट्राई साइकिल नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने की योजना प्रारम्भ की गई थी, जिनमें से वर्ष 2018-19 में 556 मोटराइज्ड ट्राई साइकिल जिलों को वितरित की जा चुकी है। मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) चलन निशक्तता वाले ऐसे विशेष योग्यजन, जो कि मोटराइज्ड ट्राई साइकिल चलाने में सक्षम हो, को नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अनुमत कार्यों की सूची मे वर्णित यथा विशेष योग्यजन हेतु तिपहिया साइकिल (मैनुअल/बैट्री संचालित/मोटरयुक्त), व्हील चैयर (बैट्री संचालित/मोटरयुक्त), स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) एवं अन्य उपकरण के अन्तर्गत स्कूटर/स्कूटी (दो पहियों के अतिरिक्त) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक 9990-1008 दिनांक 05.09.2018 के अनुसार नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। उक्त परिपत्र के प्रति परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

चलन निशक्तता वाले ऐसे विशेष योग्यजनों को बजट उपलब्धता के आधार पर नियमित अध्ययन हेतु सुलभ आवाजाही के उदेश्य से नि:शुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाये जाने की योजना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में गुर्जर छात्रावास में उपलब्ध सुविधाएं

304. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितने गुर्जर छात्रावास हैं? उक्त छात्रावासों में प्रत्येक में कहां-कहां कितने-कितने छात्र-छात्राएं हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जितने भी गुर्जर छात्रावास हैं उनमें कौन-कौनसी सुविधाओं का अभाव है? इनमें जो कमियां हैं उन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार नये गुर्जर छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जाति विशेष के नाम से राज्य सरकार द्वारा छात्रावास स्वीकृत

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

नहीं किया जाता है। देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक उत्थान हेतु देवनारायण बालक छात्रावास (स्वीकृत छात्र क्षमता 50) बांदीकुई में निर्मित भवन में संचालित हो रहे हैं। वर्ष 2018-19 में 50 छात्र प्रवेशित रहे हैं। प्रवेशित छात्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वर्ष 2019-20 में छात्रावास में प्रवेश हेतु आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

(2) राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों में नि:शुल्क आवास, भोजन, नाश्ता, बिस्तर, स्कूल ड्रेस इत्यादि सहित अन्य सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(3) देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु संचालित देवनारायण बालक छात्रावास बांदीकुई में किसी प्रकार की सुविधा का अभाव नहीं है।

(4) जी नहीं। बजट की उपलब्धता एवं क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर छात्रावास स्वीकृत कराया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छात्रवृत्ति के लम्बित प्रकरण

305. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में छात्र-छात्राओं को किस-किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि की छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अप्रैल, 2014 से 30 जून, 2019 तक जिला चित्तौड़गढ़ के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उसमें से कितनी राशि का भुगतान अब तक किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में स्वीकृत छात्रवृत्तियों का भुगतान अभी तक शेष है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में ऐसे कितने छात्रवृत्ति के प्रकरण लम्बित हैं जिनमें महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति का भुगतान तो कर दिया गया है किन्तु प्रथम एवं तृतीय वर्ष

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

की छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक भी किया जाना शेष है? कारण सहित संस्थावार, छात्र-छात्राओं की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार छात्रवृत्ति से वंचित शेष छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, डा अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डा अम्बेडकर विमुक्त घुमन्तु तथा अर्द्ध घुमन्तु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति एवं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत देय राशि एवं पात्रताओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अप्रैल 2014 से 30 जून, 2019 तक विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत जिला चित्तौड़गढ़ में स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि एवं भुगतान की गई राशि का योजनावार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) गत पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) में से वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2018-19 में विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत छात्रवृत्तियों का भुगतान शेष नहीं है।

वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक के स्वीकृत छात्रवृत्तियों का भुगतान लम्बित है जिनका विवरण लम्बित रहने के कारण सहित लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या, वर्षवार एवं वर्गवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत महाविद्यालयों के द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है लेकिन प्रथम एवं तृतीय वर्ष की छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं हो पाया है, का संस्थावार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

चूंकि उक्त आवेदन पत्रों का अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण पहले आओ पहले पाओ की नीति के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(5) जी हां। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अलावा अन्य सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लम्बित आवेदन पत्रों को नियमानुसार पात्र पाये जाने पर वर्ष 2019-20 में भुगतान कर दिया जावेगा।

चूंकि अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण पहले आओ पहले पाओ की नीति के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन से वंचित प्रकरण

306. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली कोष कार्यालय में वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन के कौन-कौन से प्रकरणों में कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से प्रकरणों में पेंशन राशि का भुगतान कितनी-कितनी अवधि में कर दिया जायेगा?

(3) उक्त में से ऐसे भी प्रकरण हैं जिन्हें पेंशन योजना से बाहर किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौनसे प्रकरण हैं एवं इन्हें किन-किन कारणों से बंद किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से ऐसे कौन-कौनसे प्रकरण हैं जिनका भौतिक सत्यापन हुए तीन माह से भी ज्यादा समय हो गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली कोष कार्यालय में 1 अप्रैल, 2019 से 15.07.2019 तक वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग प्रकरणों में कुल 12 पेंशनरों की पेंशन स्थायी रूप से रोकी गई है एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल 217 व शहरी क्षेत्र में कुल 1308 पेंशनरों की पेंशन अस्थाई रूप से रोकी गई है। कुल 1537 पेंशनरों की पेंशन रूकी हुई है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त पेंशनरों के पेंशन रूकने के कारण निम्न हैं:

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

1. सरकारी सेवा में होने

2. पुनर्विवाह

3 गलत बैंक विवरण होने

(2) पाली कोष कार्यालय के अधीन पेंशनर जिनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद है, वे ई-मित्र पर जाकर अपना बैंक विवरण सही करवाकर, वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशन आनलाइन रेगुलर दिखने पर एरियर राशि सहित पेंशन का भुगतान करा जा सकेगा।

(3) पाली कोष कार्यालय के अधीन 12 पेंशनरों की पेंशन स्थायी रूप से रोकी गई है जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त पेंशनरों के पेंशन बंद किये जाने के कारण निम्न हैं:

1. सरकारी सेवा में होने

2. पुनर्विवाह

3. गलत बैंक विवरण

(4) पाली कोष कार्यालय के अधीन तीन माह की अवधि के 9 प्रकरण हैं, जो ई-मित्र द्वारा गलत तरीके से वार्षिक सत्यापन के कारण पेंशन बंद की गई है। इनकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में पी.पी.पी. मोड पर संचालित सीएचसी एवं पीएचसी

307. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पीपीपी मोड पर सीएचसी एवं पीएचसी को दे रखा है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कब से एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पीपीपी मोड पर संचालित सीएचसी एवं पीएचसी में चिकित्सा व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही हैं जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पीपीपी मोड पर संचालित सीएचसी एवं पीएचसी में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुर्जर बड़ौदा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुकार दिनांक 25.04.2017 से पीपीपी मोड पर संचालित है। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपीपी मोड पर संचालित नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड पर देने का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था, लेकिन पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान नहीं दिये जाने की शिकायतें प्राप्त होने के कारण विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर दिये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं की पुन: समीक्षा की जा रही है।

(2) पीपीपी मोड पर उक्त संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों में गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान नहीं दिये जाने की शिकायतें प्राप्त होने के कारण पुन: समीक्षा की जा रही है।

उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्ष 2018-19 की भौतिक प्रगति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। पीपीपी मोड पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं के संबंध में विभाग द्वारा पुन: समीक्षा की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदाकर्मी

308. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में किस-किस श्रेणी के कितने संविदाकर्मी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त संविदाकर्मियों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संविदाकर्मियों को स्थाई करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्रियान्विति के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में प्रबन्धकीय संवर्ग, चिकित्सकीय संवर्ग तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के पदों पर कुल 11695 संविदा कार्मिक कार्यरत हैं, जिनका पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों की समस्याओं के यथोचित निवारण हेतु मंत्रीगण की समिति का गठन किया गया है।

(3) राज्य सरकार की कार्य योजना के बिन्दु संख्या 25 ''कर्मचारी एवं पैंशनर्स कल्याण'' के उप बिन्दु संख्या 05 में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का यथोचित समाधान कर नियमित किये जाने का उल्लेख है।

सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों की समस्याओं का यथोचित निवारण हेतु मंत्रीगण की समिति का गठन किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आसीन्द के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद

309. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसींद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आसीन्द जो कि उपखण्ड का सबसे बड़ा चिकित्सालय है जिसमें चिकित्सकों के 15 पद स्वीकृत हैं लेकिन वर्तमान में 3 चिकित्सक ही कार्यरत हैं जिनमें भी एक चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के आउटडोर को देखते हुए और चिकित्सक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आसीन्द, जिला-भीलवाड़ा में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	कनिष्ठ विशेषज्ञ	8	2	6
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	0	1
3	चिकित्सा अधिकारी	6	0	6

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र.सं.	**पद**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
4	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1	0
	योग	**16**	**03**	**13**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आसीन्द से कोई भी चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

चिकित्सकों के पदौन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के तहत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती प्रकिया/ स्थानान्तरण से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

पनवाड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

310. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति खानपुर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खानपुर एवं सरोलाकलां स्वीकृत हैं।

रामगंज मण्डी में चिकित्सा संवर्ग के रिक्त पद

311. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ

(श्री मदन दिलावर)

एवं अन्य कर्मचारियों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र वार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में चिकित्सकों के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संस्थावार विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संस्थावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदौन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को आगामी भर्ती/स्थानान्तरण प्रक्रिया से प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

विभाग में नर्सिंग/पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। विभाग में पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक उपरान्त भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन के अन्तर्गत संचालित होटल

312. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने होटल संचालित हैं तथा संचालित होटलों में से कितने लाभ व हानि में चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त करपोरेशन को वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कुल कितना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समग्र घाटा रहा व घाटे से उबारने के लिए सरकार ने कोई नीतिगत निर्णय लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कुल कितने देशी व विदेशी पर्यटक आए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चूरू में स्थित चिरमी होटल का निर्माण कब हुआ तथा वर्तमान में कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं एवं अब तक उक्त होटल का समग्र लाभ व घाटा कितना-कितना रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन के अन्तर्गत कुल 27 होटल/मोटल/केफेटेरिया संचालित हैं, जिनका लाभ-हानि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन में वितीय वर्ष 2018-19 तक लगभग 171.48 करोड़ रुपये का समग्र घाटा है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किये जाने हेतु पर्यटन निगम के अध्यधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारित किये जाने के प्रस्ताव का राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2017-18 व 2018-19 में राज्य में आए देशी व विदेशी पर्यटकों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) होटल चिरमी, चूरू का निर्माण दिनांक 15.12.1997 को हुआ है तथा वर्तमान में यह इकाई बन्द है तथा इस इकाई में कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अब तक इस होटल का राशि रुपये 81.33 लाख का घाटा है। हानि का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन की योजना

313. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती शोभा चौहान)

(1) क्या सरकार प्रदेश में घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन के साथ-साथ ग्रामीण पर्यटन के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) पाली जिले के सोजत व रायपुर तहसील में कौन-कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनको सरकार संरक्षित करने का विचार रखती है?

(3) सोजत व रायपुर तहसील में घरेलू पर्यटक के कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जिनके विकास हेतु सरकार की क्या-क्या कार्य योजना है?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत के धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों के विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग की वर्तमान ग्रामीण पर्यटन योजना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पाली जिले के सोजत तहसील में सोजत दुर्ग मय परकोटा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा पूर्व में ही संरक्षित घोषित किया हुआ है। सोजत दुर्ग, जिला पाली में करवाए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्यों के लिए युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम खारिया सोढा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु रु. 10.00 लाख के कार्य प्रस्तावित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावठा (आमेर) में पानी पहुंचाने की योजना

314. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

आमेर विश्व का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, आमेर स्थित मावठा यहां के पर्यटन का आकर्षण का केन्द्र है जो सूख चुका है। क्या सरकार की मावठा में पानी डालने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आमेर विश्व का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का संरक्षित स्मारक है।

आमेर स्थित मावठे में जल की आवक वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा होने से होती है। विगत चार वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण मावठे में जल की आवक नहीं हुई है।

पूर्व में बीसलपुर से पानी भरने के प्रयास हुए थे परन्तु वर्तमान में बीसलपुर में पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण बीसलपुर से पानी लिया जाना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में मावठा में पानी डालने की कोई योजना पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में विचाराधीन नहीं है।

पाली में राजस्व विभाग की निकाली गई भर्तियां

315. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक विभाग में किस-किस संवर्ग की कब-कब भर्तियां निकाली गईं तथा उनमें से कितने व कौन-कौन से पदों पर भर्ती की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली में किस-किस जिले के आवेदकों का पदस्थापन किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2018 तक विभाग में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा वर्ष 2015 में पाली जिले के लिए पटवारी के 134 पदों की भर्ती निकाली गई थी, जिनमें से 80 पदों पर भर्ती की गई है।

(2) जिला पाली में निम्नांकित जिलों के आवेदकों का पदस्थापन पटवारी के पद पर किया गया:-

क्र.सं.	जिले का नाम	संख्या पटवारी
1.	पाली	30
2.	जोधपुर	21
3.	हनुमानगढ़	2
4.	सीकर	2

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	जिले का नाम	संख्या पटवारी
5.	झुंझुनूं	1
6.	चूरू	3
7.	जैसलमेर	3
8.	नागौर	12
9.	दौसा	2
10.	जयपुर	1
11.	सवाईमाधोपुर	1
12.	अलवर	1
13.	अजमेर	1
कुल		**80**

तखतगढ़ (सुमेरपुर) में उप तहसील कार्यालय की स्थापना

316. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में तखतगढ़ कस्बे में उपतहसील कार्यालय खोलने के मापदण्ड पूर्ण नहीं करती है। सामान्यतया: गैर जनजाति/गैर रेगिस्तानी क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र मे तहसील के लिए 30 पटवार मण्डल एवं उप तहसील के लिए 15 पटवार मण्डलों का होना आवश्यक है।

सिरोही जिले में ग्रामदानी के गांव

317. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले में कुल कितने ग्रामदानी गांव हैं और इनमें कितनी कृषि भूमि निहित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) उक्त ग्रामदानी गांवों में कितने किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है? इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में कुल 20 ग्रामदानी गांव हैं, जिनमें कुल 10119.62 हैक्टेयर कृषि भूमि है।

(2) सिरोही जिले में ग्रामदानी गांवों में किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या शून्य है।

मजरों-झौंपड़ों को राजस्व ग्राम घोषित करने के मानदण्ड

318. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मजरों-झौंपड़ों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु मापदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो इस संबंध में जारी नियम/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम आरामपुरा (ग्राम पंचायत नीमोला) तथा ग्राम पुरोहित जी की झोपड़ियां (ख्यावदा) को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किये जाने से सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं होने से आवागमन की समस्या बनी हुई है तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए किए जाने वाले ग्राम विकास के अन्य आवश्यक कार्य भी नहीं हो रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सड़क निर्माण व विकास के कार्य उनके लिये निर्धारित मापदण्ड अनुसार किए जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम आरामपुरा (ग्राम पंचायत नीमोला) के प्रस्ताव जिला कलक्टर कोटा द्वारा तैयार किये जा रहे हैं तथा ग्राम पुरोहित जी की झोपड़ियां (ख्यावदा) राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के मापदण्ड पूर्ण नहीं करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोहावट में माडा योजना अन्तर्गत संचालित कार्य

319. श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लोहावट में कितने एवं कौन-कौन से ग्राम माडा योजना के अन्तर्गत हैं? उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौन से काम स्वीकृत किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 2014 से 30 जून, 2019 तक उक्त योजनान्तर्गत किन-किन गांवों में क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लोहावट माडा योजनान्तर्गत नहीं आता है।

(2) उक्त क्षेत्र माडा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। अत: उक्त योजनान्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनजाति क्षेत्रों में आबंटित राशि

320. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों के लिए आबंटित बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई विशेष पैकेज देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा प्रदेश के जन जाति क्षेत्रों में किस- किस योजना में किस-किस मद में कितनी राशि आवंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजातियों के लिए वर्ष 2018-19 में संशोधित अनुमानों में राशि रुपये 1458420.20 लाख आबंटित हुए हैं। वर्ष 2019-20 परिवर्तित बजट अनुमानों (मोडिफाइड बजट अनुमान) में 1595388.75 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रकार जनजाति क्षेत्रों के लिए बजट में 9.39 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को वर्ष 2018-19 में संशोधित अनुमानों में 55106.02 लाख रुपये आबंटित हुए हैं एवं वर्ष 2019-20 के

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

परिवर्तित बजट अनुमानों (मोडिफाइड बजट अनुमान) में 63963.87 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रकार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के बजट में 16.07 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।

(3) सरकार जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष पैकेज के रूप में जनजाति कल्याण निधि योजना को संचालित कर रही है।

घाटोल में जनजाति छात्रावासों का संचालन

321. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कौन-कौन से स्थानों पर जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है एवं उक्त छात्रावासों में वर्तमान में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं?

(3) उक्त छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों का कक्षा-6 से कक्षा 12 तक का परीक्षा परिणाम वर्ष 2017-18, 2018-19 में कितना-कितना रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में नये जनजाति छात्रावास खोलने के लिये ग्राम पंचायत अमरधून पंचायत समिति घाटोल, ग्राम पंचायत नायन पीपलखूंट की जनता द्वारा मांग की जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र घाटोल में निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:-

- आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों/खेल बालिका छात्रावास का संचालन।
- आश्रम छात्रावास में नि:शुल्क कोचिंग योजना।
- छात्रगृह किराया योजना।
- जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा सहायता राशि।

(राज्य मंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास)

- प्रथम श्रेणी उतीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता।
- जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।
- नि:शुल्क स्कूटी योजना।
- मां बाड़ी केन्द्रों का स्वच्छ परियोजना द्वारा संचालन।
- उक्त के अतिरिक्त सड़क/एनीकट निर्माण/सामुदायिक भवन उपस्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, सामुदायिक जलोत्थान योजनाएं, हैण्डपम्प स्थापना पशु औषधालय, मां बाड़ी केन्द्र निर्माण आंगनबाड़ी भवन, आश्रम छात्रावास निर्माण, मरम्मत कार्य, पुलिया निर्माण, बारादरी हाल, चारदीवारी निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जाते हैं।
- कृषि कूप उर्जीकरण एवं विद्युत पम्प सेट क्रय अनुदान।
- कृषि विभाग में एकीकृत बाडी विकास, मिनीकिट पाइप लाइन अनुदान।
- दुग्ध उत्पादन - डेयरी विकास।
- बायफ द्वारा कृत्रिम गर्भाधान बाडी विकास योजना।
- उद्यानिकी विकास कार्यक्रम:-

1. सब्जी प्रदर्शन
2. स्प्रे मशीन
3. किसान भ्रमण एसपीबीपीएल कृषकों को भ्रमण कराते हैं।

(2) विधान सभा घाटोल में 7 आश्रम छात्रावास, 1 खेल छात्रावास व 1 आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जनजाति छात्रावासों का संचालन के स्थान एवं सत्र 2018-19 में अध्ययनरत छात्र-छात्रा का विवरण निम्नानुसार है-

1 बालक आश्रम छात्रावास रूपजी का खेडा, 75 छात्र

2 बालक आश्रम छात्रावास नरवाली, 75 छात्र

3 बालक आश्रम छात्रावास पडोली राठौड, 75 छात्र

4 बालक आश्रम छात्रावास बोरदा, 125 छात्र

5 बालिका आश्रम छात्रावास घाटोल, 75 छात्रा

6 बालिका आश्रम छात्रावास जगपुरा, 50 छात्रा

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

7 बालिका आश्रम छात्रावास बस्सी आडा, घाटोल 50 छात्रा

8 बालिका खेल छात्रावास घाटोल, 50 छात्रा

9 बालिका आवासीय विद्यालय हरेग जी खेडा, 210 छात्रा

कुल - 785 छात्र-छात्रा अध्ययनरत हैं।

(3) उक्त छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का परीक्षा परिणाम वर्ष 2017-18, 2018-19 में निम्नानुसार रहा।

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	क्षमता	रिजल्ट	
			2017-18	2018-19
1	रा.ब.आ.छा. रूपजी का खेडा	75	88 प्रतिशत	93 प्रतिशत
2	रा.ब.आ.छा. नरवाली	75	83 प्रतिशत	88 प्रतिशत
3	रा.ब.आ.छा. पडौली राठौड़	75	80 प्रतिशत	87 प्रतिशत
4	रा.बा.आ.छा. बोरदा	125	90 प्रतिशत	95 प्रतिशत
5	रा.क.आ.छा. घाटोल	75	80 प्रतिशत	92 प्रतिशत
6	रा.बा.आ.छा. जगपुरा	50	83 प्रतिशत	85 प्रतिशत
7	रा.क.आ.छा. बस्सी आडा	50	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
8	कन्या खेल, घाटोल	50	85 प्रतिशत	100 प्रतिशत
9	आ.वि. हरेग जी खेडा	210	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत

(4) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र घाटोल में नया जनजाति छात्रावास खोलने के लिये ग्राम पंचायत अमरधून पंचायत समिति घाटोल, ग्राम पंचायत नायन पीपलखूंट का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सहाड़ा में संचालित महाविद्यालयों में रिक्त पद

322. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में संचालित महाविद्यालयों में कितने पद सृजित हैं? उन पदों पर कितने अधिकारी/कर्मचारी किस-किस दिनांक से कार्यरत हैं एवं कितने पद किस-किस दिनांक से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में संचालित राजकीय महाविद्यालय, रायपुर जिला भीलवाडा में शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त एवं कब से रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-01 पर एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त एवं कब से रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

राजकीय महाविद्यालय, रायपुर जिला भीलवाड़ा में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों को पदोन्नति/चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/ अनुकम्पात्मक नियुक्ति/स्थानांतरण के समय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कामां व पहाड़ी में महाविद्यालयों में रिक्त पद

323. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कामां व पहाड़ी में स्वीकृत महाविद्यालयों में कौन-कौनसे विषय स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत विषयों के लिए व्याख्याताओं की नियुक्ति की जा चुकी है?

(2) क्या सरकार इस सत्र में उक्त महाविद्यालयों में सभी विषयों के व्याख्याताओं की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, कामां में वर्तमान में कला संकाय में अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं संस्कत विषय संचालित हैं।

राजकीय महाविद्यालय, कामां में शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त एवं कब से रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

पहाड़ी में सत्र 2013-14 में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय को समीक्षाधीन रखा गया था जिसे बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 131 के तहत पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। इसकी अनुपालना में विभाग के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, कामां के शैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों को पदोन्नति/चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/अनुकम्पात्मक नियुक्ति/ स्थानांतरण के समय भरा जा सकेगा।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

पहाड़ी में सत्र 2013-14 में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय को समीक्षाधीन रखा गया था जिसे बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 131 के तहत पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। इसकी अनुपालना में विभाग के स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के खोलने के मानदण्ड

324. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकारी एवं निजी कालेज खोलने हेतु क्या मानदण्ड एवं दिशा-निर्देश निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में संचालित सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों की सूची विधान सभावार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्र में बाड़मेर जिले में जनसहभागिता से महाविद्यालय खोलने हेतु शिथिलन एवं प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड परिशिष्ट-01 पर व निजी महाविद्यालय खोलने के नीति परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में प्रदेश में संचालित 252 राजकीय महाविद्यालयों की जिलेवार व विधान सभा वार सूची परिशिष्ट-03 पर संलग्न है व निजी क्षेत्र में संचालित 1601 महाविद्यालयों की जिलेवार व विधान सभा वार सूची परिशिष्ट-04 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

325. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नारायण सिंह देवल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने-कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा के किस-किस संस्कृत विद्यालयों में कितने-कितने शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्कृत विभाग के अधीन संचालित राजकीय संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्राध्यापकों के विभिन्न विषयों के 134 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 690 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पद, प्राध्यापक के 152 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 177 पद, अध्यापक के 226 पद, शारीरिक शिक्षक ।।। ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष ।।। ग्रेड के 31 पदों एवं कनिष्ठ सहायक के 131 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका, प्राध्यापक विभिन्न विषय एवं वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के संस्कृत विद्यालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले के शास्त्री महाविद्यालय का क्रमोन्नयन

326. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मुरारी लाल)

(1) जिला दौसा में कितने विद्यालय किस-किस स्तर के संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दौसा स्थित शास्त्री महाविद्यालय को आचार्य महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले में संस्कृत शिक्षा विभाग के 7-वरिष्ठ उपाध्याय, 12-प्रवेशिका, 27-उच्च प्राथमिक एवं 14-प्राथमिक राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। विधान सभावार विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संवर्गवार विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) निर्धारित नीति में वर्णित प्रावधान को पूरा करने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही विद्यालय क्रमोन्नत किया जाना सम्भव है।

(4) वर्तमान में महाविद्यालय को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

निर्धारित नीति में वर्णित प्रावधान को पूरा करने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही शास्त्री महाविद्यालय को आचार्य में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय हेतु स्वीकृत बजट

327. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, अजमेर के नवीन भवन का

(श्री वासुदेव देवनानी)

निर्माण कब कराया गया तथा इसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई? उक्त महाविद्यालय का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा क्या उक्त कार्य अब पूर्ण हो गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार नवनिर्मित भवन में उक्त महाविद्यालय का संचालन कब से करेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार महाविद्यालय भवन के विकास हेतु द्वितीय चरण के अंतर्गत कोई बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, अजमेर के नवीन भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड अजमेर द्वारा कराया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य 2017 से प्रारम्भ हुआ तथा वर्तमान में महाविद्यालय के भूतल तथा नक्शे के अनुसार प्रथम तल के आगे के पांच कमरों का निर्माण कार्य किया जा चुका है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड अजमेर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी तक महाविद्यालय भवन पर प्रोरेटा व्यय सहित 4,17,98,602/- रुपये का व्यय हुआ है।

महाविद्यालय के प्रथम तल का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है।

(2) नवनिर्मित भवन में महाविद्यालय का संचालन चालू शैक्षणिक सत्र में किया जाना सम्भावित है।

(3) महाविद्यालय भवन के शेष निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 154.81 लाख का बजट प्रावधान वित्त विभाग द्वारा रखे जाने की सहमति प्रदान की गई है।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बिना मान्यता प्राप्त बांटी जा रही डिग्रियों पर रोकथाम

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत प्रदेश के हजारों छात्र-छात्राओं को बांटी जा रही फर्जी डिग्रियों की समस्या के संदर्भ में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि राजस्थान के अलग-अलग जिलों में संचालित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बिना मान्यता प्राप्त ही बी.एससी. (कृषि) आनर्स की डिग्रियों बांटी जा रही हैं। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2015 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार तक पहुंचे कई अभ्यर्थियों को आर.पी.एस.सी. ने यह कहकर अपात्र घोषित कर दिया कि महात्मा ज्योति राव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर को बी.एससी. कृषि (आनर्स) पाठ्यक्रम/कोर्स करवाने की मान्यता नहीं है। महात्मा ज्योति राव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर सहित एक दर्जन विश्वविद्यालय बिना मान्यता के ही बी.एससी. एग्रीकल्चर (आनर्स) पाठ्यक्रम की डिग्रियां बांट रहे हैं, जिससे प्रदेश के हजारों छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। हर साल लाखों रुपये की फीस वसूलकर ये निजी विश्वविद्यालय छात्रों को गुमराह करते हुए विश्वविद्यालयों में प्रवेश देते हैं और फर्जी डिग्रियां थमा रहे हैं।

महोदय, प्रदेश में हजारों विद्यार्थियों के हाथ में बिना मान्यता की डिग्रियां हैं, अब ये किससे गुहार करें? उच्च शिक्षा मंत्री को तत्काल ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालय अभी भी बिना मान्यता वाले पाठ्यक्रम (बी.एससी. कृषि-आनर्स) के लिए नए विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहे हैं, उन्हें तत्काल रोका जाए। जिन अभ्यर्थियों ने ऐसे निजी विश्वविद्यालय से बी.एससी (आनर्स) एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त की और जिन्हें अब

आर.पी.एस.सी. ने सहायक कृषि अधिकारी भर्ती के लिए अपात्र घोषित किया है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार कोई विकल्प निकाले।

बलजीत यादव

(बहरोड़)

ग्राम पंचायतों के अधीन संचालित पेयजल योजनाओं के संधारण व्यय व विद्‌युत खर्च का प्रावधान

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग मंत्री से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं- जनता जल योजना, पीएनटी योजना, सिंगल फेज इत्यादि। जनता जल योजना के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण का व्यय सम्बन्धित ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ग्राम पंचायतों के सरपंचों से यह लिखवाकर ले लिया जाता है कि ग्राम पंचायत द्‌वारा हर माह बिल का भुगतान किया जाएगा। वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होने के कारण इन योजनओं के बिजली के बिलों के भुगतान व संधारण नहीं होने के कारण यह योजनाएं बन्द हो जाती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या पायी जाती है।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नियमों में संशोधन कर इन योजनाओं हेतु आवश्यक बिजली बिल एवं संधारण व्यय का प्रावधान जन स्वास्थ्य एवं अभियात्रिकी विभाग के अन्तर्गत किया जाए अथवा ग्राम पंचायत को इस हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किये जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम जनता को शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल प्राप्त हो सके।

अतः आपसे आग्रह है कि इस पर व्यक्तिगत ध्यान देकर समस्या का स्थायी समाधान कराएं ताकि ग्रामीण जनता को पेयजल प्राप्त हो सके।

कान्ति प्रसाद मीणा

(थानागाजी)

बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग का कार्यालय खुलवाना

महोदय,

मैं आपका ध्यान व्यापक जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग का कार्यालय नहीं होने के कारण जिले के दूरदराज सीमावर्ती मजदूरों को अपने मजदूर डायरी पेंशनें इत्यादि हेतु बालोतरा जाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला भू भाग की दृष्टि से बहुत बड़ा है जहां सीमावर्ती पंचायत समितियां गडरारोड़, चौहटन, धनाउ, सेड़वा, बाखासर रामसर से करीबन 200 किमी की दूरी पर बालोतरा स्थित है, जहां पर श्रम विभाग का कार्यालय है। राज्य सरकार की मजदूर कल्याण की योजनाओं के तहत आम गरीब मजदूर को मजबूरन जिला मुख्यालय को छोड़कर दूर 200 किमी बालोतरा जाना पड़ता है अथवा मजदूर दलालों के चक्कर में पड़ता है। श्रम विभाग का कार्यालय बाड़मेर जिला मुख्यालय पर खोलने को लेकर विभिन्न श्रमिकों संगठनों से लेकर आमजन द्वारा लम्बे समय से मांग उठाई जा रही है लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि व्यापक जनहित एवं मांग को देखते हुए श्रम विभाग का अतिरिक्त कार्यालय बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कराएं ताकि आमजन को राहत मिल सके। प्रदेश में पूर्व में अजमेर जिले में ऐसे दो जगह कार्यालय खुले हुए हैं।

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

किशनगंज में संचालित राजकीय चिकित्सालयों के रिक्त पदों पर भर्ती

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, शाहबाद में पीएचसी, सीएचसी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर अनेक डाक्टर एवं नर्सों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इससे ग्रामवासियों को बारां शहरी क्षेत्र में जाना पड़ता है। कई बार मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के चिकित्सालयों में रिक्त पड़े सभी पदों को तुरन्त प्रभाव से भरकर अनुगृहीत करें।

सादर।

निर्मला सहरिया

(किशनगंज)

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों की वापसी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पिछली भाजपा सरकार की गौरव यात्रा के दौरान बगड़ थाना क्षेत्र के ग्राम नूनिया गोठड़ा में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रकट किया था और भाजपा सरकार के खिलाफ व कांग्रेस शासन की नीतियों के पक्ष में नारे लगाये थे। ऐसे में गौरव यात्रा में शामिल भाजपा पदाधिकारियों के इशारे पर बगड़ थाना (जिला झुंझुनूं) पुलिस ने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा संख्या-197/18 दर्ज कर लिया था। यद्यपि मुकदमे में लगे आरोप थाना पुलिस द्वारा प्रमाणित नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी उक्त मुकदमे को पैंडिंग रखकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के भविष्य पर अनावश्यक तलवार लटकी हुई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कहीं कोई अभद्र व्यवहार या हिंसक प्रदर्शन नहीं किया गया था, केवल शांतिपूर्ण ढंग से भाजपा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में नारे लगाये गये थे, फिर भी इनके खिलाफ बगड़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सादर निवेदन है कि राजस्थान में लोकप्रिय कांग्रेस सरकार सत्ता में आ चुकी है, उक्त झूठे मुकदमे सरकार द्वारा वापस लिए जाएं व उक्त मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त करवाकर अनुगृहित करें।

जे. पी. चंदेलिया

(पिलानी)

बीकानेर-नापासर से जसरासर मेगा हाईवे निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीकानेर शहर में हल्दीराम

प्याऊ से रिडमलसर पुरोहितान, रिडमलसर सिपाहीयान, गाडवाला, नापासर, सिंथल, मूंडसर, सूरतसिंहपुरा, कुचौर, आयूनी, नयागांव, साधासर से जसरासर सड़क मार्ग को चौड़ा कर मेगा हाईवे बनाया जाए। यह क्षेत्र किसानों के अथक परिश्रम से मूंगफली व सरसों उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है। 70 किमी. लगभग हाईवे बनने से 3 लाख आबादी वाले नापासर व इन गांवों के किसानों व निवासियों को लाभ होगा। नापासर में रीको का औद्योगिक क्षेत्र है। इस मार्ग से औद्योगिक विकास व रोजगार के अवसर बढ़ेगे।

इस मार्ग के बनने से न सिर्फ क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे बल्कि बीकानेर के इन गांवों की राजधानी जयपुर से दूरी भी कम होगी।

आपसे निवेदन है कि सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से बीकानेर-नापासर जसरासर मेगा हाईवे का निर्माण कराए।

इसी आशा और विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सुमित गोदारा
(लूणकरणसर)

इन्दिरा गांधी नहर में रावी व्यास नदी से आ रहे प्रदूषित पानी की रोकथाम

महोदय,

भाखड़ा एवं गंगनहर से राजस्थान की हनुमानगढ़-गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के काश्तकारों एवं निवासियों को इंदिरा गांधी नहर से पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। पंजाब की फैक्ट्रियों से निकले रासायनिक एवं प्रदूषित पानी के साथ-साथ मरे हुए मवेशियों के शव भी इस नहर में बहकर पानी के साथ आ जाते हैं। क्षेत्र के लोगों के लिए इस नहर का पानी ही पेयजल का एकमात्र स्रोत है। जिस प्रकार पंजाब में कैंसर रोगी, हृदय रोगी एवं अन्य बीमारियां प्रदूषित जल से हो रही हैं, वैसी ही स्थिति राजस्थान के प्रभावित जिलों में होने की पूर्ण संभावना है। फैक्ट्रियों एवं गंदे नालों का दूषित पानी मिलाये जाने के विरोध में जनता उद्वेलित हो रही है। आये दिन शुद्ध जल के लिए उपखण्ड कार्यालयों के समक्ष धरना-प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ेगी। अगर समय रहते राजस्थान के नागरिकों के जीवन से जुड़ी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो घड़साना किसान आन्दोलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

शुद्ध जल सुरक्षित कल अभियान से आम जनता जुड़ रही है।

एनजीटी ने पंजाब नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रदूषित पानी नहीं रोकने पर पंजाब सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अतः प्रदूषित पानी की रोकथाम के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस समस्या का निदान किया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान में पंजाब से आ रहे प्रदूषित पानी की रोकथाम की ओर ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

संतोष बावरी

(अनूपगढ़)

हिन्दू धर्म के प्रथम अवतार के अवतरण दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना

महोदय,

राजस्थान प्रदेश में विभिन्न अवसरों तथा विभिन्न व्यक्तियों के जन्म दिवसों पर सार्वजनिक/ऐच्छिक अवकाश घोषित किये हुए है। कुछेक ऐसे प्रकरण भी हैं जिनमें सार्वजनिक/ऐच्छिक अवकाश घोषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं होते हुए भी अवकाश घोषित है, जबकि हिन्दू धर्म की पौराणिक मान्यताओं तथा धार्मिक प्रचलित परम्पराओं के अनुसार हिन्दू धर्म अनुसार ईश्वर (विष्णु) के प्रथम अवतार श्री मत्स्य भगवान के अवतरण दिवस चैत्र शुक्ला तृतीया के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया हुआ नहीं है। हिन्दू धर्म के अनुसार अब तक भगवान के नौ अवतार होना माना जाता है, जिनमें से प्रथम अवतार मत्स्य भगवान का है।

यह राजस्थान की करोड़ों आबादी की भावना का मामला है। इस सम्बन्ध में आवश्यक ध्यान देकर अवकाश घोषित किये जाने पर आम जन भावना का सम्मान होगा। आशा है राज्य सरकार इस बाबत विशेष कार्यवाही कर सार्वजनिक अवकाश घोषित करेगी।

रामनारायण मीना

(पीपल्दा)

रामगढ़ (अलवर) मुख्यालय पर नगरपालिका का गठन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला अलवर के विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के मुख्यालय की आबादी 2011 की जनगणना अनुसार लगभग

14 हजार है। यह काफी बड़ा कस्बा है एवं S.D.O., S.A.O. मुख्यालय है। उक्त मुख्यालय क्षेत्र के समुचित विकास के लिए यहां नगरपालिका का गठन करना आवश्यक है।

अतः सदन में आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि रामगढ़ (अलवर) मुख्यालय में नगरपालिका गठन की स्वीकृति के लिए आदेश प्रदान करें।

सफिया जुबेर
(रामगढ़)

पैदल यात्रियों की सुविधा हेतु सड़क के दोनों ओर चार फीट का पट्टा, सीसी रोड निर्माण

महोदय,

पूरा राजस्थान प्रदेश पैदल यात्राओं के लिये प्रसिद्ध है। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर देवस्थानों पर पैदल यात्रियों का आना-जाना बहुत मात्रा में रहता है।

जीपुरा सुन्दरी, केशरियाजी, राजकपुरजी, नाकोडाजी, रामदेव, आवरीमाताजी, कालकामाताजी, अजमेर, सांवलियाजी, खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी, डिग्गी, गोगामेडी, तेजाजी, भृर्तहरि, श्रीमहावीरजी तथा हमारे जैन सन्त सतियां जी मा.सा. जो पैदल ही इधर से उधर विहार करते हैं और इन सभी में आये दिन देखते हैं, सुनते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, की पैदल यात्री दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। हर वर्ष कई दुर्घटनाएं होती हैं, मृत्यु हो जाती है, कई घायल यात्री उम्रभर के लिए अपंग हो जाते हैं।

इसलिए मै आपके माध्यम से मा. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि पूरे राजस्थान की सभी सड़कों के साइड में चार फीट चौड़ा एक पट्टा, सी.सी. रोड बनवाने की कृपा कराएं ताकि पैदल यात्री दुर्घटनाओं से बच सकें।

धन्यवाद।

लाखन सिंह
(करौली)

सुमेरपुर के फालना विद्यालय से लापता छात्र प्रकरण की अविलम्ब जांच

महोदय,

पाली जिले के सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 23.11.2016 को फालना विद्यालय की छुट्टी के समय के पश्चात् से नेतरा गांव के छात्र मनोहर सिंह पुत्र प्रकाश सिंह राजपुरोहित लापता हैं। इस साधारण परिवार के मां-बाप का वह इकलौता पुत्र था जिसकी आज दिन तक कोई खोज खबर नहीं है। पाली एवं जालोर जिले के 36 कौम के बैनर तले इसके लिए कई धरने दिये, इसके बावजूद आज तक निराशा हाथ लगी है। जितने भी प्रयास किये गये वे सब नाकाफी साबित हुए हैं। इसकी पुनः बड़े स्तर की कमेटी बनाकर इसकी जांच करें, जिससे जो दोषी हों, जिन्होंने उस छात्र को अगवा किया, उनको सजा मिले और उन दु:खी माता पिता को न्याय मिल सके।

अतः उक्त समस्या के समाधान के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

छगन सिंह

(आहोर)

भूमिहीन किसानों को मुआवजा

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आज गांवों में किसान वर्ग दो भागों में बंट गया है। एक तो वो किसान हैं, जिनके पास स्वयं की जमीन है और एक वो भी किसान ही है जिनके पास स्वयं की जमीन तो नहीं है, लेकिन वो किसी अन्य किसान से जमीन बोने के लिए ही लेता है। उसके बदले में एक राशि तय होती है, फिर वो उस जमीन में खेती करता है। यह जमीन मात्र एक फसल या दो फसल बोने तक का ही सौदा होता है। अब अगर अकाल पड़े या फसल खराबा होता है तो मुआवजा खेत के मालिक यानी जिसके नाम जमीन है, उसको ही मिलता है तो जिस किसान ने उस जमीन को बोने के लिए खेत मालिक को रुपये भी दे दिये और अगर अकाल पड़ गया तो उस बेचारे किसान को मुआवजा एक रुपया ही नहीं मिला और जिसने पहले से पैसे भी ले लिये, उसी को और मुआवजा मिलेगा, क्योंकि जमीन उसके नाम है।

अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि भूमिहीन किसान जो खेती दूसरों की जमीन पर करता है, उसके लिए भी मुआवजे की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। गहनता से विचार कर इस संबंध में व्यवस्था दी जाये।

मंजु देवी

(जायल)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 6 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-6 मुख्य शीर्षक **न्याय प्रशासन** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. छीपाबड़ौद (बारां) में नया ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

2. सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय पर सिविल न्यायालय खोले जाने की चर्चा के लिये।
3. सिवाना के सिविल कोर्ट को ए.डी.जे. कोर्ट में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. राजकीय विभागों द्वारा सामान्य तौर से स्वीकृत विकास कार्यों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी स्टे आदेशों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

5. मावली में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
6. उदयपुर में हाई कोर्ट बैंच खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

7. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ए.सी.जे.एम. न्यायालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

8. ब्यावर शहर में पोक्सो कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ए.डी.जे. कोर्ट, एस.सी. एण्ड एस.टी. कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

9. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पोक्सो कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
10. प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण लम्बित होने से न्याय में हो रही देरी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

11. विधान सभा क्षेत्र दौसा के उपखण्ड नागल राजावतान में मुंसिफ कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

12. बाड़मेर जिले के तहसील मुख्यालय गडरारोड़ में सिविल कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

13. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर ए.डी.जे. कोर्ट व डी.जे. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

14. विभिन्न न्यायालयों में लंबे समय से लंबित चल रहे मुकदमों को फास्ट कोर्ट लगाकर निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

15. विभिन्न कोर्टों में लंबे समय से लंबित मुकदमों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

16. खेरली नगरपालिका (कठूमर) में एम.एम. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
17. कठूमर (अलवर) में सी.जे.एम. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. कठूमर (अलवर) में नये खोले गये कोर्ट में वकीलों को बैठने की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर) :

19. अलवर शहर में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (बालोतरा):

20. सेशन कोर्ट बालोतरा में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
21. जिला न्यायालय बालोतरा के अपर्याप्त भवन को स्थानान्तरित कर जेरना रोड पर निर्मित करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. जिला कोर्ट बालोतरा में फरियादियों के बैठने हेतु विश्राम कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ए.डी.जे. कोर्ट को पोक्सो कोर्ट के अधिकार दिये जाने या अलग से पोक्सो कोर्ट खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ए.डी.जे., ए.सी.जे.एम. दोनों कोर्टो के लिए अलग से भवन बनाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर एवं तहसील सेमारी में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

26. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के सांगोद व कनवास के कनिष्ठ न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या को ध्यान में रखकर सांगोद में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के कनवास उपखण्ड के सी.जे.एम. उपखण्ड कनवास कोर्ट का अपीलेंट कोर्ट रामगंजमण्डी के स्थान पर कोटा ए.डी.जे. कोर्ट रखने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

28. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) के उपखण्ड टोडारायसिंह में अतिरिक्त जिला सैशन न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

29. प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के विवादित प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई कर निर्णय कराने हेतु चर्चा के लिये।

30. न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

31. सिरोही में जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

32. राजस्थान न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के अनुपात में न्यायाधीश के पद बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

33. शिवगंज जिला सिरोही में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. न्यायालयों के आदेशों की अवमानना के प्रकरणों में सरकारी वकील की फीस अवमानना के दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूलने के संबंध में चर्चा के लिये।

35. राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

36. प्रदेश के न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के कारण फैसलों में अत्यधिक विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

37. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्रीविजयनगर में ए.सी.जे.एम. कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

38. विधान सभा क्षेत्र मावली के मावली न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र मावली के मावली कोर्ट में स्थान की कमी को देखते हुए भवन विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

40. चौमूं (जयपुर) में स्थापित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. चौमूं (जयपुर) में स्थित न्यायालयों को एक ही स्थान पर संचालन के लिए नवीन भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

42. जयपुर जिले में स्थापित न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश के और पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

43. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के रायपुर ग्राम न्यायालय का अपीलीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय जैतारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के जैतारण उपखण्ड मुख्यालय पर एस.सी./ एस.टी. कोर्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. पाली मुख्यालय पर संचालित तीन पोक्सो कोर्ट में से एक जैतारण उपखण्ड मुख्यालय पर सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सार्दुलशहर):

46. विधान सभा क्षेत्र सार्दुलशहर में ए.डी.जे. कोर्ट खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर):

47. कोटा में अधिवक्ताओं के लिए ई-लाइब्रेरी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. कोटा न्यायालय परिसर में सी.सी. टी.वी. कैमरे लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. न्यायालय परिसर कोटा के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. कोटा में उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

51. प्रदेश के न्यायालयों में न्यायाधीश एवं अन्य कार्मिकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

52. जालौर जिले के विभिन्न न्यायालयों में आशुलिपिकों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. जालोर स्थित फैमिली कोर्ट एवं पोक्सो कोर्ट का साप्ताहिक कैम्प कोर्ट भीनमाल में किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. जालौर में एन.डी.पी.सी. एक्ट से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु एक अलग न्यायालय स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

55. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के न्यायालय परिसर में पेश होने वाले व्यक्तियों के लिये पेयजल, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के न्यायालय परिसर में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

57. उदयपुर में हाई कोर्ट बैंच नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर):

58. जिला सत्र न्यायालय नागौर का मुख्यालय मेड़ताशहर में है, जिला मुख्यालय नागौर में ही खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र नागौर में एक अतिरिक्त ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र नागौर के मूण्डवा कस्बे में सिविल न्यायालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

61. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में काफी मुकदमे विचाराधीन हैं अतः पीलीबंगा में ए.सी.जे.एम. कोर्ट, ए.डी.जे. कोर्ट व रावतसर में ए.डी.जे. कोर्ट खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं):

62. विधान सभा क्षेत्र लाड़नूं में मुंसिफ कोर्ट को क्रमोन्नत कर ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

63. बीकानेर में राजस्थान हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने की जरूरत पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

64. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के ए.सी.जे.एम. कोर्ट में वकीलों तथा परिवादियों के बैठने की समुचित सुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

65. प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लाखों वाद लम्बित होने से आमजन को हो रही समस्या के समाधान हेतु अतिरिक्त न्यायालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. अजमेर के निर्माणाधीन नये कोर्ट भवन एवं परिसर को शीघ्र व समय पर पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

67. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

68. आदिवासी बहुल क्षेत्र के न्यायालयों में लम्बित मामलों के शीघ्र

निस्तारण हेतु अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

69. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड मुख्यालय बाप में मुंसिफ कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा):

70. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के भिनाय में मुंसिफ कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगन सिंह (आहोर):

71. विधान सभा क्षेत्र आहोर के आहोर उपखण्ड में मुंसिफ कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

72. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना में सिविल कोर्ट व न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

73. रानीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर संचालित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एसीजेएम) में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

74. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के पावटा में मुंसिफ न्यायालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

75. अधीनस्थ न्यायालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित करने तथा सीधी भर्ती के रिक्त शीघ्रलिपिक व कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

76. अधीनस्थ न्यायालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पदों को पदोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. नवलगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

78. अधीनस्थ न्यायालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार को देखते हुए मंत्रालयिक संवर्ग के अतिरिक्त पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

79. जैतारण उपखण्ड मुख्यालय के जैतारण व बर में वकीलों, परिवादियों के लिए बार-चैम्बर की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

80. उदयपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र में जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

81. उदयपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में भवन व पार्किंग पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण जनता को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

82. सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों का पारिश्रमिक बहुत कम होने से अच्छे वकीलों का अभाव तथा उचित न्यायिक सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिये।

83. प्रदेश में न्यायाधीशों के कई पद रिक्त होने से लोगों को न्याय प्राप्त करने में हो रही कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये।

84. प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में केस लम्बित होने से समय पर न्याय नहीं मिल पाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

85. विधान सभा क्षेत्र डग में मुंसिफ न्यायालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानीमण्डी न्यायालय में वकीलों के चेम्बर्स बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र डग में न्यायालय परिसर चोमेहला में वकीलों के लिये बैठने की व्यवस्था एवं कम्युनिटी हाल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

88. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभरलेक तथा किशनगढ़-रेनवाल के न्यायालयों में परिवादियों तथा आगंतुकों के लिए सुविधाएं विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभरलेक तथा किशनगढ़-रेनवाल के न्यायालयों में वकीलों हेतु सुविधाएं विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिकों तथा कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

91. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिकों तथा कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अराई में मुंसिफ कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ स्थित न्यायालयों में वकीलों एवं परिवादियों के लिए सुविधाएं विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़ कस्बे में एन.आई. कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसंमद):

95. राजसमंद के सभी न्यायालय एक ही परिसर में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. राजसमंद न्यायालय के भवन की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. राजसमंद के न्यायालय परिसर में स्वच्छता संबंधी कार्य, टायलेट ब्लाक एवं आर.ओ. वाटर प्लांट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई):

98. बांदीकुई में डी.जे. कोर्ट खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

99. न्यायालयों में वर्षों से मुकदमे लंबित होने से फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई):

100. बसवा में ए.डी.जे. कोर्ट खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

101. बाड़ी में प्रकरणों की संख्या को देखते हुए एक और अतिरिक्त ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. बाड़ी न्यायालय के जर्जर भवनों एवं जगह की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए नवीन न्यायालय भवन बनाने एवं आवास बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. बाड़ी में परिवादी एवं वकीलों को चैम्बर उपलब्ध कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

104. ए.डी.जे. कोर्ट-2 डीग जो विधान सभा क्षेत्र नगर के प्रकरणों के लिए संचालित है, उसे नगर में ही खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

105. बहरोड़ न्यायालय परिसर में परिवादियों के लिये टीनशैड, बैंच और अन्य पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. बहरोड़ न्यायालय परिसर में वकीलों के बैठने के चैम्बर नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. बहरोड़ न्यायालय में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. बहरोड़ न्यायालय परिसर में पेयजल की उचित व्यवस्था और नई बोरिंग करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. बहरोड़ में नये पोक्सो कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

110. नोखा में मुकदमों की बड़ी संख्या को देखते हुए एडीजे कोर्ट की स्थापना पर चर्चा के लिये।

111. बीकानेर की जनता के लिए न्याय की सुलभता के लिए बीकानेर में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

112. गंगापुर शहर में कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स नहीं होने से उत्पन्न अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के उपखण्ड वजीरपुर में सिविल न्यायाधीश का पद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

114. कोर्ट परिसर फतेहपुर में लाइब्रेरी बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. ए.डी.जे. कोर्ट फतेहपुर का भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

116. मुण्डावर में ए.डी.जे. कोर्ट के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

117. मुण्डावर के नीमराना में सिविल कोर्ट व न्यायिक मजिस्ट्रेट खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. मुण्डावर ए.डी.जे. कोर्ट में पुस्तकालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. मुण्डावर ए.डी.जे. कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

विधान सभा भवन
जयपुर।
दिनांक : 21 जुलाई, 2019

प्रमिल कुमार माथुर
सचिव।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-13 मुख्य शीर्षक **आबकारी** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में शराब की अवैध संचालित दुकानें बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

2. बारां जिले में गांव-गांव में चल रही अवैध शराब की दुकानों को बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

3. शराब की दुकान आबंटन हेतु लोकेशन का निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. प्रदेश में शराब की प्रत्येक दुकान पर निर्धारित मूल्य (रेट) की सूची लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. राजस्थान में गुजरात राज्य की भांति पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. प्रदेश में नई आबकारी नीति के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व वसूली की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. प्रदेश में उपखण्डवार आबकारी निरीक्षक के पद स्वीकृत कर कार्यालय सृजन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

8. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में आबकारी विभाग व पुलिस विभाग की मिलीभगत से गांव-गांव बिक रही अवैध शराब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में विभाग की संचालित देशी/विदेशी शराब की दुकानों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

10. प्रदेश में बिना लाइसेन्स के अवैध शराब के ठेकों को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चितौड़गढ़):

11. प्रदेश में शराब की बढती दरों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

12. प्रदेश में सरकार द्वारा स्वीकृत दुकानों के अतिरिक्त संचालित अवैध दुकानों को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

13. प्रदेश में अवैध शराब व डोडा की तस्करी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

14. सीमावर्ती जिला बाड़मेर के गांवों में बिना लाइसेंस शराब की दुकानें खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल) :

15. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में संचालित शराब की दुकानें कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

16. शराब विक्रताओं द्वारा मुद्रित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

17. शराब विक्रताओं द्वारा मुद्रित मूल्य से अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

18. प्रदेश के दलित बस्तियों में शराब की दुकान नहीं खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
19. प्रदेश में शराब की दुकानों पर सायंकाल 08 बजे बाद भी नियम विरुद्ध शराब बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
20. शराब दुकानदारों द्वारा दुकान में ही ग्राहकों को शराब पिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
21. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पुलिस प्रशासन द्वारा सायंकाल 08 बजे बाद भी खुली रखने वाले दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

22. अलवर जिले में स्थित जिला आबकारी अधिकारी का एक अतिरिक्त पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. अलवर जिले में सीमावर्ती प्रान्तों से हो रहे शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. अलवर जिले में सभी तहसील मुख्यालयों पर आबकारी थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

25. गारण्टी राशि पूर्ति करने वाले शराब कारोबारी को ही शराब बिक्री करने की अनुमति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित हथकढ़ी शराब की बिक्री पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा उपखण्ड के आबकारी थाने को सलूम्बर वृत्त में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर, सराड़ा व सेमारी में आबकारी विभाग द्वारा अफीम के पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जनजाति TSP क्षेत्र में हथकढ़ी महुए की शराब के अवैध व्यवसाय में शामिल परिवारों को मुख्यधारा में लाने एवं उनके कल्याण के संबंध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के टीएसपी क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर):

31. आबकारी थाना सवाई माधोपुर के भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

32. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सड़कों में किनारे नियम विरुद्ध चल रहे शराब के ठेकों को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में संचालित अवैध शराब के ठेकों को बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

34. आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानों से अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. आबकारी विभाग द्वारा संचालित शराब ठेकों को महिला संगठनों द्वारा बन्द कर स्थान परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
36. प्रदेश में संचालित शराब के ठेकों को मन्दिर, विद्यालयों, चिकित्सालय व राजकीय कार्यालयों से दूर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
37. विधान सभा क्षेत्र केश्वरायपाटन में शराब की अवैध दुकानों को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
38. केशवरायपाटन व रामगंजमण्डी क्षेत्र में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें समय पर बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

39. जयपुर से अजमेर नेशनल हाई-वे पर गाडोता महला में अवैध शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
40. प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित समय सायंकाल 08.00 बजे के बाद भी शराब बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

41. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में डोडा-अफीम के अवैध विक्रय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
42. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में शराब के बिक्री के निर्धारित समय उपरान्त अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
43. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में अवैध शराब की आवक पर समुचित रोकथाम के उपायों के संबंध में चर्चा के लिये।
44. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में हथकढ़ शराब बनाने व बिक्री पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
45. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में बिना लाइसेंस के बीयरबार और खुलेआम होटलों में शराब बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

46. शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृति में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवेहलना करने वाले आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।
47. राज्य की आबकारी नीति में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की

वाणिज्यिक नक्शा स्वीकृति होने पर ही दुकान की लोकेशन स्वीकृत करने को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. राज्य की आबकारी नीति में कृषि भूमि पर शराब की दुकान न खोलने को शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. राज्य की आबकारी नीति में आवासीय क्षेत्र में शराब की दुकान न खोलने को शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. राज्य की आबकारी नीति में शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय की वाणिज्यिक नक्शा स्वीकृत होने पर ही दुकान की लोकेशन स्वीकृत करने को शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

51. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में शराब बन्दी लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. प्रदेश में सायंकाल 08.00 बजे पश्चात् भी शराब की दुकानों पर शराब बिक्री किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. प्रदेश में विद्यालयों, महाविद्यालयों व धार्मिक स्थलों के नजदीक शराब की दुकानों का संचालन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित शराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. अजमेर शहर में अवैध शराब एवं बेचान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

56. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की समस्त ग्राम पंचायतों में शराब की अवैध दुकानों को बन्द करने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की सभी शराब लाइसेंस की दुकानों के स्थान पर ग्राम पंचायत मुख्यालय से बाहर नियमानुसार एक ही ब्रांच खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में बिना लाइसेंस के बीयरबार और खुले आम होटलों में शराब बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में शराब के बिक्री के निर्धारित समय उपरान्त अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की शराब बिक्री की लाइसेंसयुक्त दुकानें

भी नियमानुसार संचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

61. जयपुर शहर में शराब की दुकानों पर आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. जयपुर शहर में शराब की दुकानें निर्धारित समय सायंकाल 08.00 बजे के पश्चात् भी पुलिस की मिलीभगत से देर रात तक खुले रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

63. प्रदेश में शराब की निर्धारित दर से अधिक कीमत लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

64. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में सायंकाल 08.00 बजे बाद शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में ब्रांच के नाम पर संचालित अवैध शराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में बिना लाइसेंस के चल रही शराब की अवैध दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी):

67. प्रदेश में नान कार्मिशियल क्षेत्र में लाइसेंसधारी दुकानों द्वारा शराब बेचने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

68. विभाग द्वारा जयपुर जिले में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

69. जयपुर जिले में अवैध शराब की बिक्री करने वाली होटलों व दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम वफ मण्डा-रीको भीडा, कालाडेरा, शंकरडा, उदयपुरिया, किशनमानपुरा में अवैध शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सार्दुलशहर):

72. विधान सभा क्षेत्र सार्दुलशहर में संचालित अवैध शराब की दुकानों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

73. विधान सभा क्षेत्र भादरा में संचालित शराब की अवैध दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

74. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में संचालित शराब की दुकानों को सायंकाल 08.00 बजे बाद नियमानुसार बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में संचालित आबकारी थाने के लिये जमीन आबंटन कर भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

76. विभाग में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण अवैध शराब के प्रकरण बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. बांसवाड़ा जिले में आबकारी अधिकारी का रिक्त पद होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

78. प्रदेश में अवैध शराब की दुकानों को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

79. जालौर जिले में अवैध शराब की दुकानों को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं):

80. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में आबकारी निरीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महुवा):

81. विधान सभा क्षेत्र महुवा में संचालित अवैध शराब की दुकानों को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र महुवा के बालाहेडी महुवा एवं मण्डावर में संचालित अवैध शराब की दुकानों को बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

83. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आबकारी थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

84. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के अनुसूचित जाति बहुल मिठराऊ में शराब की दुकानों को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के आबकारी थाने में निरीक्षक का पद सृजित कर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

86. उदयपुर जिले में मुद्रित मूल्य से अधिक शराब की राशि वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. उदयपुर जिले में सायंकाल 08.00 बजे बाद भी शराब की दुकानें खुली रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों, मन्दिरों व धार्मिक स्थानों के पास संचालित शराब की दुकानों को बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. उदयपुर जिले में लाइसेंसशुदा दुकानों के अतिरिक्त संचालित अवैध शराब की दुकानों को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

90. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अनुज्ञापत्रधारक शराब विक्रताओं द्वारा एक ही अनुज्ञापत्र से कई जगह दुकानें खोलकर अवैध शराब बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अनुज्ञापत्रधारकों द्वारा देशी/अंग्रेजी शराब की मनमानी कीमत वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

92. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के अनुसूचित क्षेत्र में शराब के ठेकों की अनियमितता और लाइसेन्स के वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

93. प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. डूंगरपुर जिले में अनियमित रूप से खोली गई शराब की दुकानों को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. प्रदेश में देशी महुआ से शराब बनाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

96. विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित अवैध शराब के ठेकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन):

97. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में अनुसूचित जाति की बस्तियों में संचालित अवैध शराब के ठेकों को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी):

98. प्रदेश में शराब की लाइसेंसधारी दुकानों के संचालन को रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

99. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के जैतारण में आबकारी विभाग के नये भवन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. जैतारण में संचालित अवैध शराब की दुकानों, मुद्रित मूल्य से अधिक पर शराब बेचने व निर्धारित समय बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. प्रदेश में शराब सेवन से होने वाले शारीरिक विकारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

102. रानीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर आबकारी निरीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

103. प्रदेश में शराब ठेकेदारों द्वारा शराब की अधिकृत एक दुकान लेकर अन्य कई स्थानों पर अवैध दुकानें संचालित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. प्रदेश में प्रतिवर्ष शराब तस्करी के बढ़ते प्रकरणों के संबंध में चर्चा के लिये।

105. प्रदेश में शराब बिक्री से होने वाली आय के कारण शराबबन्दी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

106. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शराब की दुकानों पर अंकित मूल्य से अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शराब को निर्धारित दुकानों की बजाय किराना की दुकानों/जनरल स्टोर पर बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शराब बिक्री हेतु निर्धारित समय के बाद भी शराब बिक्री करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

109. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में आबकारी थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

110. विधान सभा क्षेत्र डग में बस स्टैण्ड, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र व मन्दिर से कम से कम 500 मीटर दूरी पर ही शराब की दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र डग में शराब की एक दुकान स्वीकृत होने पर उसकी कई शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. प्रदेश में अन्य राज्यों की तर्ज पर पूर्ण शराबबन्दी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसंमद):

113. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित शराब की दुकानों को बन्द कराकर दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र के सेवाली वार्ड-। में आवासीय कालोनी में शराब की दुकान आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

115. प्रदेश में शराब की दुकानों की लोकेशन एवं शराबबन्दी लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

116. विधान सभा क्षेत्र नदबई में अवैध शराब की दुकानों के संचालन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई):

117. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में शहर के अन्दर व गांवों के पास शराब के ठेकों को आबादी से दूर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

118. प्रदेश में मदिरा की दुकानों को देवस्थान एवं विद्यालयों से दूर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. प्रदेश में अवैध रूप से बिक रही शराब को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र देवली के उनियारा में रात्रि 08 बजे बाद शराब की दुकानों पर बिक रही शराब को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

121. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में विभाग के भवन निर्माण हेतु राशि आबंटित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

122. विधान सभा क्षेत्र नगर में अवैध शराब की बिक्री को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

123. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के शराब के ठेकों पर नकली व प्रतिबंधित शराब की बिक्री के संबंध में चर्चा के लिये।

124. बहरोड़ और नीमराना में शराब की दुकानों की संख्या कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्वीकृत शराब ठेके के अतिरिक्त खोले जाने वाली अवैध ब्रांच पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में स्थित आबकारी थाने पर पुलिस स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

127. जयपुर के मानसरोवर योजना के रजत पथ 38/373 से जुड़े आवासीय परिसर में अवैध रूप से संचालित After 7 Restro Bar के संचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से एक ही लाइसेंस से शराब की अनेक दुकानें संचालित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

129. प्रदेश में शराब सेवन के दुष्प्रभावों के प्रभावी प्रचार-प्रसार द्वारा युवा पीढ़ी को मद्यपान की बुरी आदतों से बचाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. प्रदेश में मन्दिरों, विद्यालयों, आवासीय क्षेत्रों, महिलाओं के आवाजाही वाले मुख्य बाजारों व मैरिज पैलेस के निकट शराब दुकानें नहीं खोलने के सख्त नियम बनाकर सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

132. विधान सभा क्षेत्र नोखा में विभाग के वृत्त निरीक्षक कार्यालय के लिये नगरपालिका नोखा परिक्षेत्र में जमीन आबंटन व कार्यालय भवन के निर्माण के लिये राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

133. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में रात्रि 08 बजे बाद भी शराब की दुकानें खुलने के संबंध में चर्चा के लिये।

विधान सभा भवन प्रमिल कुमार माथुर

जयपुर। सचिव।

दिनांक : 19 जुलाई, 2019

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक **पुलिस** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के थानों में आने वाले फरियादियों के प्रकरणों में जांच हेतु जाने के लिये गाड़ियों का किराया वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

2. बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में पाली चौकी को क्रमोन्नत कर नवीन थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

3. सिवाना मुख्यालय पर वृत्ताधिकरी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. ग्राम पंचायत मोतीसरा पंचायत समिति सिवाना को पुलिस थाना समदड़ी से हटाकर पुलिस थाना सिवाना में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. जिला बाड़मेर के पूरे क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाएं आत्महत्या, मर्डर, दुष्कर्म, लूट एवं डकैती को रोकने के लिए पुलिस द्वारा नई पहल, विशेष योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. राजस्थान पुलिस की 24 घण्टे सेवा के मध्यनजर रखते हुए पुलिस को विशेष अलाउन्स, साप्ताहिक अवकाश आदि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. सिवाना क्षेत्र के समदड़ी थाना के अजीत गांव में स्थाई पुलिस चौकी लगाने, चौकी पादरू, मोकलसर को गश्त के लिए वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

8. यातायात पुलिस को मजबूत व सशक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।
9. पुलिस भर्ती में सभी जिलों व संभाग के युवकों को अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. यातायात पुलिस व पुलिस द्वारा राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती चालान बनाने से आमजन को होने वाली कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
11. भ्रष्टाचार करते पकड़े गये पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शुकन्तला रावत (बानसूर):

12. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के तीनों थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

13. प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों द्वारा ली जा रही सेवाओं में प्रतिदिन कार्य करने का समय नियमानुसार निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
14. चित्तौड़गढ़ के पुलिस थाना विजयपुर भदेसर का नवीनीकरण व जीर्णोद्धार करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

15. ब्यावर में साकेतनगर थाना खोलने एवं पुलिस थाना, ब्यावर सिटी थाना, ब्यावर सदर थाना, थाना जवाजा एवं थाना टाटगढ़ इत्यादि में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

16. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर चोरी एवं डकैती की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस गश्त को दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।
17. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी खराब होने तथा उनको सही नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
18. जिला मुख्यालय बाड़मेर में बढ़ते यातायात दबाव के चलते ट्रैफिक पुलिस थाना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

19. उप तहसील मुख्यालय बैजूपाड़ा में पुलिस थाना खोलने एवं दौसा जिले के थानों का पुनर्गठन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

20. जयपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था में पुलिस की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

21. ग्राम भुंवार व खोहरा कलां को पुलिस थाना हनुमाननगर से पुलिस थाना जहाजपुर में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. पुलिस चौकी कुराडिया एवं पुलिस चौकी हनुमान गेट के भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

23. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में शहरी क्षेत्र में Housing Board Colonies में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

24. थाना राशमी, थाना कपासन एवं थाना आकोला के जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन बनाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

25. Dy. SP लक्ष्मणगढ़ (अलवर) द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

26. Dy. SP लक्ष्मणगढ़ (अलवर) द्वारा मु.नं. 164/19 में दुष्कर्म से पीड़ित महिला को प्रताड़ित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. थाना कठूमर द्वारा मु.नं. 259/16 में अपराधियों को संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. कठूमर थाना पुलिस की मिलीभगत से खानों में चल रहे अवैध ट्रैक्टर व शराब ठेकों पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. थाना खेरली (अलवर) के ग्राम रोनीजाथान में पुलिस चौकी खोलने के लिये आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

30. अलवर जिले की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये स्वीकृत पदों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिये आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. अलवर शहर के वैशाली नगर में नया पुलिस थाना स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. अलवर जिले की पुलिस का आधुनीकरण करने हेतु पर्याप्त वाहन एवं शस्त्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. अलवर जिले की भौगोलिक स्थिति के कारण अपराध ग्राफ बढ़ने के कारण जिला पुलिस अधीक्षक का एक अतिरिक्त पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

34. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए वृत्ताधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
35. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्थित विभिन्न पुलिस थानों में तैनात पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण 2 वर्ष पूरे होते ही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

36. बालोतरा में ट्रैफिक पुलिस थाना की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
37. बालोतरा में यातायात व्यवस्था हेतु ट्रैफिक पुलिस के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
38. डोलीटोला नाके पर स्थाई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
39. बालोतरा में महिला पुलिस थाना/चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

40. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पुलिस थाना गिगला का भवन व आवासीय क्वार्टर बनाने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
41. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नव सृजित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय व आवासीय भवन बनाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
42. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पुलिस थाना परसाद, पुलिस थाना सेमारी, पुलिस थाना गिगला, पुलिस थाना सराड़ा के सिपाहियों के लिये आवासीय क्वार्टर बनाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गांव उथरदा, खैराड़, टोकर में नई पुलिस चौकियां खोलने व सल्लाड़ा, ईटाली खेड़ा में अस्थाई पुलिस चौकियों को स्थाई रूप में सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

44. उपखण्ड टोडारायसिंह की ग्राम पंचायत उनियारा खुर्द में पुलिस चौकी (नवीन) की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा टोंक के नगरपालिका क्षेत्रों में नवीन यातायात पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) के उपखण्ड मालपुरा में आर.ए.सी. की अस्थायी चौकियों को स्थायी करने एवं भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. टोडारायसिंह उपखण्ड की ग्राम पंचायत मोर में नवीन पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) के उपखण्ड टोडारायसिंह में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर):

49. ग्राम मलारना चौड़ में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीयनगर):

50. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में पुलिस की नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

51. बून्दी जिले के उपखण्ड मुख्यालय तालेड़ा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

52. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय बामनवास का भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

54. प्रदेश के पुलिस थानों में पुलिस अधिकारियों की भांति दो से तीन वर्ष में पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण रेंज बदलकर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. प्रदेश के पुलिस थानों/पुलिस चौकियों/पुलिस अधीक्षक/पुलिस

महानिरीक्षक कार्यालयों में कैमरे लगाकर आनलाइन कर देखरेख हेतु कन्ट्रोल जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर व एक सार्वजनिक स्थान पर स्क्रीन लगाकर जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. पुलिस के थानों व चौकियों में अवैध कार्य कराने हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा मौखिक आदेशों से पुलिस कर्मियों की नियुक्तियों पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. प्रदेश के पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी/ कर्मचारियों की नियुक्तियों में भेदभाव करने पर चर्चा के लिये।

58. प्रदेश के पुलिस थानों के थानाधिकारियों व संबंधित पुलिस कर्मियों द्वारा परिवाद/रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

59. जयपुर जिले के पुलिस थाना जोबनेर, दूदू, फागी, चाकसू, भांकरोटा, सेज बगरू, कालवाड़ के कार्यक्षेत्र में बजरी माफियाओं के द्वारा पुलिस की मिलीभगत से अवैध कारोबार करने से उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र दूदू के कार्यक्षेत्र में आने वाले पुलिस थाना फागी, दूदू, नरेना में स्वीकृत स्टाफ कम होने व रिक्त पदों की वजह से उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

61. सवाई माधोपुर, टोंक जिले में पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पुलिस सुविधाओं में आधारभूत सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

62. सिरोही जिले में खुलेआम हो रही मादक पदार्थों की बिक्री को रोकने में पुलिस की असफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

63. सिरोही जिले की सीमा से गुजरात में हो रही शराब की तस्करी को नहीं रोक पाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

64. आबूरोड क्षेत्र में पुलिस संरक्षण में चलाये जा रहे जुए के अड्डों के संबंध में चर्चा के लिये।

65. जोधपुर रेंज में सब-इंस्पेक्टरों की पदोन्नति में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

66. प्रतापगढ़ जिले में ग्राम पंचायत देवपुरा एवं रामपुरिया में पुलिस चौकी खुलवाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

67. प्रतापगढ़ में अरनोद उपखण्ड में पुलिस चौकी कोटड़ी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

68. अजमेर शहर में प्रतिदिन लगने वाले जाम से आमजन को निजात दिलाये जाने के लिये यातायात पुलिस का एक नया सर्किल अजमेर दक्षिण के नाम से खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) में बढ़ते अपराधों एवं आबादी विस्तार के कारण रामगंज थानान्तर्गत जौन्सगंज में एक नई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. अजमेर शहर की आबादी विस्तार एवं बढ़ते अपराधों के कारण नाका मदार क्षेत्र के नाम थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण की आदर्श नगर पुलिस चौकी के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. अजमेर शहर में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण हेतु पुलिस नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

73. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के आमेण ल्हास एवं गुराड़ी चौराहा में नई पुलिस चौकियां स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

74. पुलिस थाना मकराना में मुकदमे दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

75. प्रदेश में पुलिस हिरासत में हुई मौतों के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

76. प्रदेश में पुलिस की नफरी में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. पिछले छह माह में जयपुर शहर में आपराधिक मामलों में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

78. प्रदेश में महिला उत्पीड़न और दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में हो रही बेतहाशा वृद्धि को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

79. बीकानेर की तहसील डूंगरगढ़ के ग्राम सूडसर में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. बीकानेर के ग्राम सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. प्रदेश के पुलिस थानों में बढ़ रही हत्या एवं बलात्कार की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

83. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पुलिस के लिये स्टाफ क्वार्टर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड़ थाने का भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

85. श्रीविजयनगर में बढ़ते अपराध के कारण सर्किल इंस्पेक्टर का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

86. पुलिस थाना मावली में स्टाफ क्वार्टर बनाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र मावली के ईण्टाली में पुलिस थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

88. चौमूं कस्बे में अभय कमाण्ड के अधीन सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जाटावाली व हस्तेड़ा चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. चौमूं थाने में दर्ज मुकदमों के आधार पर पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. थाना चौमूं में दर्ज हत्या, गुमशुदगी, चौरी, डकैती, दुष्कर्म आदि मुकदमों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

92. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के सभी थानों में पर्याप्त पुलिस बल व वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों पर बनाये गये झूठे मुकदमों से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पुलिस का व्यवहार सख्त व भ्रष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

95. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अपराधों पर नियंत्रण हेतु बांसखोह में पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

96. राज्य में नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. अभय कमाण्ड में 800 सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने तथा सबको चालू रखने की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. अजमेर उत्तर के नागफणी इलाके में स्थित पहाड़ी पर स्थायी चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. अजमेर में क्रिश्चनगंज थाने का क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण एक नया थाना और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. अजमेर जैसे संवेदनशील जिले में शहर व ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग पुलिस अधीक्षक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

101. कोटा शहर में ई-चालान न बनने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. कोटा शहर के समस्त थानों में आनलाइन सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत पुलिस कर्मियों को प्रदूषण व खराब मौसम से बचाव के लिए मास्क व छायादार शेड, वर्दी उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. कोटा शहर में संजय गांधी नगर एवं छत्रपुरा में पुलिस चौकी बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

105. जालौर जिले के समस्त पुलिस थानों में कार्यस्थल को अधिक सुविधायुक्त बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. जालौर जिले में पुलिस कर्मियों के लिये पर्याप्त आवास निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. अभय योजनान्तर्गत लगे कैमरों को दुरुस्त रखते हुए उनकी मोनिटरिंग करने तथा नये कैमरे लगाने के संबंध में चर्चा करने के लिये।

108. जालौर जिले में सिपाही, हवलदार एवं ASI के रिक्त पदों को पदोन्नति/नई भर्ती से भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र जालौर के जीवाणा एवं बाकरा रोड में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

110. विधान सभा क्षेत्र भादरा के पवन व्यास, चक राजासर हत्याकाण्ड से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र भादरा के पहलू खान प्रकरण में चार्जशीट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

112. संदेह के आधार पर पूछताछ के लिये लाये गये किसी भी व्यक्ति को थाने लाने पर उसका मेडिकल करवाने एवं सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. पाली शहर में अभय कमांड योजना में लगने वाले सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य जो बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसे शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. पाली शहर के मंडिया रोड के पास स्थित शहीद भगतसिंह आवासीय योजना के आसपास नई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. पाली जिले के पाली शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाने के पुलिस अधिकारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों जिन्होंने अनुसूचित जाति की महिला से गैंगरेप के आरोपियों को तत्परता से गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

116. पाली जिले के थाना रोहट को वृत्त निरीक्षक स्तर के थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी):

117. रामगंजमण्डी तहसील क्षेत्र में पुलिस थानों के प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने के बजाय परिवाद के नाम पर पुलिस की लूट-खसोट से बचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

118. बन्दूक लाइसेंस के Renewal में पुलिस द्वारा सत्यापन में देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

119. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में स्वामी विवेकानन्द बस स्टैण्ड की अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई पुलिस चौकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में एन.एच. 62 पर पुलिस थाना स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के चाणोद गांव में स्थित पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर थाना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पुलिस थाना सुमेरपुर, तखतगढ़, साण्डेराव, गुडा सेन्दला में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

124. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के समस्त थानों एवं टी.एस.पी. क्षेत्र के थानों में जब्त किये वाहनों की नीलामी के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

125. घाटोल मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस बल देने के संबंध में चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड घाटोल पर पुलिस थाना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

127. राजगढ़ (चूरू) में एफ.आई.आर. 172/2019 में हत्या के नामजद अपराधियों को गिरफ्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

128. चूरू जिले में राजगढ़ व अन्य क्षेत्र में महिलाओं की खरीद-फरोख्त को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. होमगार्ड कांस्टेबल के मानदेय व कार्य दिवस बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से अधीक्षक की पदोन्नति हेतु DPC शीघ्र सम्पादित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

131. पीलीबंगा व रावतसर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

132. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में पुलिस चौकी मोदरा को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं):

133. राज्य में पुलिस विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. लाडनूं में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में नया पुलिस थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

136. पुलिस में सुधार तथा पुलिस को कार्य प्रणाली, व्यवहार तथा आचरण के संबंध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में स्थित थानों में पुलिस कर्मियों/ अनुसंधान अधिकारियों की वृद्धि एवं अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती तथा प्रत्येक रैंक में निश्चित समयावधि में पदोन्नति के अवसर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. अपराधों के प्रभावी नियंत्रण, अभियोगों के अनुसंधान तथा समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

140. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की रायसर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

141. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के पुलिस थाना बाखासर, सेउवा, चौहटन में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

142. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की उमरडा चौकी को थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. उदयपुर ग्रामीण के काया ग्राम पंचायत में या बारा पाल में थाना या पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में धार में पुलिस थानों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. हिरण मगरी एरिया व सविना खेडा बाईपास 100 फीट रोड क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम हेतु पुलिस बल बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की कालोनियों में रह रहे किरायेदारों का सत्यापन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

147. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के रेवदर ब्लाक व आबू रोड शहर में आये दिन चोरी लूटखसोट की बढ़ रही घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पुलिस चौकी भट्टाणा से आये दिन गौ-वंश तस्करी एवं अवैध शराब तस्करी में पुलिस की मिलीभगत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

149. शहरी क्षेत्र में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाकर यातायात व्यवस्था सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

150. पसेला और नादिया मूर्ति तोड़ काण्ड में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. पुलिस विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में दर्ज किये आदिवासियों के खिलाफ मनमानी और झूठे मामले व केसों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

152. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में विभिन्न गांव में हुई हत्याओं का खुलासा नहीं होने से पुलिस की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. अनुसूचित क्षेत्र में पुलिस विभाग की गतिविधियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

154. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में प्रस्तावित नया पुलिस थाना अमरे का बेरा अथवा राणेरी में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा):

155. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में थाना भिनाय, मसूदा एवं विजयनगर का C.O. आफिस का हैड क्वार्टर विजयनगर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

156. विधान सभा क्षेत्र आहोर के शंखवाली को आहोर थाना क्षेत्र से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र आहोर में चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र आहोर में C.O. Office खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र आहोर में हुई हत्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन):

160. हिण्डौन सिटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

161. जैतारण सर्किल के सभी पुलिस चौकियों एवं थानों में पारदर्शिता लाने के लिये सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सभी पुलिस थानों एवं चौकियों में पुलिस अधिकारियों/सिपाहियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. जैतारण सर्किल में लम्बे समय से लगे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी/ सिपाहियों का जैतारण सर्किल से बाहर तबादला कर ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. जैतारण सर्किल के निम्बोल, आनन्दपुर कालू, निमाज, बगड़ी,

जैतारण, कुशालपुरा पुलिस थाना/पुलिस चौकियों के नवीन भवन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

165. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में 19.12.2017 से संचालित अस्थाई पुलिस चौकी सांकड़ को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में 19.12.2017 से संचालित अस्थाई पुलिस चौकी बडगांव को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. जालौर जिले में आये दिन हो रही लूट, हत्या, चोरी, डकैती व बलात्कार की घटनाओं की रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

168. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के भाभरू में नया पुलिस थाना सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

169. साइबर क्राइम को रोकने के लिये पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने तथा प्रत्येक जिले में एक नया साइबर थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

170. राज्य के पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

171. अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों से मुकाबला करने हेतु पुलिस को अत्याधुनिक हथियार, वाहन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

172. पुलिस बल का बहुत बड़ी संख्या में उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा, अधिकारियों की सुरक्षा, सेवानिवृत्त अधिकारियों की सुरक्षा तथा लोक सेवकों की सुरक्षा में तैनाती से नफरी की कमी होने तथा उनके स्थान पर होमगार्ड के तैनात करने के संबंध में चर्चा के लिये।

173. प्रदेश में पुलिस बल को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिये वर्ष में 10 दिनों के लिए प्रत्येक कर्मचारी को किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ने के लिए चर्चा के लिये।

174. पुलिस विभाग में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की अपराधी प्रवृत्ति है या सर्विस रिकार्ड बहुत ज्यादा खराब है उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

175. शहरी एवं ग्रामीण पुलिस थानों में नफरी का निर्धारण अपराधों के अनुसार नहीं होने से नफरी का पूरा उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

176. वर्ष 2019 के प्रारम्भ से अब तक बढ़ रहे अपराधों विशेषकर महिला अपराधों में प्रदेश देश के तीसरे स्थान पर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

177. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पुलिस थाना, ओगणा क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवों को पुलिस थाना, गोगुंदा में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्राम कठार व मजावद में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

179. पुलिस थाना बगड़ (जिला झुंझुनूं) में नवयुवकों/छात्रों के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 197/18 को वापस लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

180. पुलिस की कार्य प्रणाली, भ्रष्टाचार व बजरी के अवैध खनन व परिवहन में पुलिस की भूमिका पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

181. थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति को तुरन्त एफ.आई.आर. की नकल की छायाप्रति देने में पुलिस द्वारा टालमटोल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. थाना डग के अन्तर्गत आने वाले ग्राम उमटिया जो कि मध्य प्रदेश (M.P.) सीमा से लगा हुआ गांव है, में पुलिस चौकी खोली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. पुलिस कर्मियों के वेतन से रु. 300/- प्रति माह प्रस्तावित कटौती के स्थान पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को पुनर्भुगतान की जाने वाली राशि के अनुरूप कटौती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

184. पुलिस कांस्टेबल को भी सहायक उप निरीक्षक के अनुसार 5000/- रुपये पैट्रोल भत्ता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों को मोबाइल सैट व नेट का पैकेज दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

186. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों में रिक्त पदों को शीघ्र करने के संबंध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

188. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न थानों/चौकियों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. प्रदेश के सभी थानों के स्वागत कक्षों में तथा थाने के बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

191. प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु शहरों के व्यस्ततम बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्डों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाकर निगरानी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ कस्बे में यातायात पुलिस में टी.आई. का पद सृजित कर अन्य यातायात पुलिस कर्मियों के पद बढ़ाकर उन्हें शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

193. बनास नदी के क्षेत्र जहां पर भारी मात्रा में बजरी का दोहन हो रहा है उसे रोकने हेतु पुलिस फ्लाइंग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. पुलिस थाना कांकरोली, राजनगर, महिला थाना राजनगर में सी.सी.टी.वी. कैमरों को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. पुलिस थानों में लम्बे समय से चल रहे नियुक्त कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल को हटाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. पुलिस थानों में साफ-सुथरा वातावरण रखने एवं आमजन से फ्रैण्डली तरीके से व्यवहार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई):

197. बांदीकुई में महिला पुलिस थाना खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

198. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के सभी थाना क्षेत्रों में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु नफरी बढ़ाये जाने व रात्रि काल में होमगार्डस् की सेवाएं लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

199. पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

200. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की भौगोलिक परिस्थिति एवं दस्यु समस्या को देखते हुए सोने का गुर्जा में नवीन थाना खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

201. दस्यु प्रभावित क्षेत्र बाड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बिजोली, सूरौठी कृषि उपज मंडी, बटेश्वर कलां में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

203. पुलिस का संख्या बल बढ़ाये जाने, नई चौकियां खोली जाने, पुलिस को वाहन उपलब्ध कराये जाने तथा राजस्थान में भी पुलिस कर्मियों को 8 घण्टे की ड्यूटी देने का फैसला किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

204. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के विभिन्न थानों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के नगरफोर्ट में हुए भजनलाल हत्याकांड के केस संख्या 0074 के मुलजिम को अभी तक भी गिरफ्तार नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में पुलिस द्वारा खनन माफिया के बढ़ते अपराधों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण करने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में मुख्य-मुख्य स्थानों पर अपराधियों पर नजर रखने के लिये सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

209. मेवात क्षेत्र अलवर व भरतपुर में संचालित गो-रक्षक चौकियों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. पुलिस कर्मियों के लिये प्रतिदिन ड्यूटी घंटे तय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

211. बहरोड़, नीमराणा और मांदण पुलिस थानों में नफरी की कमी और कई पद रिक्त होने के संबंध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के जापानी जोन, माजरी, काठुवास और निम्भोर पुलिस चौकी पर चौपहिया वाहन उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

213. कई घंटों ड्यूटी करने के कारण तनावग्रस्त पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त करने के लिए साप्ताहिक अवकाश दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में लगातार अपराध बढ़ने के कारण बहरोड़ में एक और पुलिस थाना खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

215. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कायलाना-माचिया सफारी पार्क संलग्न क्षेत्र, कालीबेरी, कबीर नगर, गेवां-बागा, बापू कालोनी में नई पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. जोधपुर में बढ़ रही चोरी की वारदातों को रोकने के लिये अभियान पूर्वक कार्य करने, मुख्य बाजारों में सी.सी.टी.वी. स्थापित करने एवं स्थाई कार्ययोजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिये अभियान पूर्वक कार्यवाही करने एवं ऐसी घटनाओं पर स्थाई रोक लगाने के लिये माइनर दोषियों के खिलाफ भी सख्त कानूनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के पुलिस थानों में रिक्त पदों को भरने,

नवीन पद सृजित करने एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के पुलिस थानों में एवं पुलिस थाना क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सी.सी.टी.वी. लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

220. विधान सभा क्षेत्र नोखा के तीनों पुलिस थानों (नोखा, पांचू, जसरासर) में स्वीकृत सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने पर चर्चा के लिये।

221. नोखा पुलिस थाने को निरीक्षक स्तर पर क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

222. नोखा, नागौर, बीकानेर व श्रीडूंगरगढ़ किसानों की गतिविधियों का बड़ा क्षेत्र होने व इनमें नोखा केन्द्रीय स्थान पर स्थित होने के कारण आईबी की चौकी नोखा में स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र नोखा में स्थित पांचू कस्बे में पांचू पुलिस की जमीन जो थाने से मात्र 500 मीटर दूर और कस्बे के बीचोंबीच स्थित है, इस जगह को पुलिस से लेकर पांचू बस स्टैण्ड स्थापित कर पांचू को ट्रैफिक जाम की स्थिति से निजात दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र नोखा के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थाना पांचू का हलका भौगोलिक दृष्टि से विशाल होने के कारण ग्राम पंचायत कक्कू में पुलिस चौकी की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

225. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की पंचायतें बधीन, शामदा, चूड़ला को हरसौरा थाने से हटाकर ततारपुर थाने में जोड़ने व रसगठा व मातौर पंचायतों को खैरथल थानों से हटाकर ततारपुर थाने में जोड़ने तथा कांकर व कुतीना की माढण थाने से हटाकर नीमराना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में बढ़ते अपराध को देखते हुए सोड़ावास व अजरका चौकी क्रमोन्नत करने के संबंध में। साथ ही हरियाणा बार्डर में चौकियां बनायी जाने तथा रात्रि में पुलिस थानों से हरियाणा बार्डर तक गश्त के संबंध में चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में मुण्डावर कस्बा जो कि उपखण्ड

मुख्यालय है वहां पर थोड़े से ट्रैफिक में जाम लग जाता है वहां पर यातायात पुलिस की व्यवस्था किये जाने तथा नीमराना व शाहजहांपुर कस्बे में यातायात पुलिस की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अधिकांश थानों व चौकियों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

229. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नीमराना कस्बा जो कि एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है अलवर जिले का जो दूसरा एस.पी. कार्यालय भिवाड़ी से चेंज कर नीमराना में बनाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

विधान सभा भवन | प्रमिल कुमार माथुर

जयपुर। | सचिव।

दिनांक : 21 जुलाई, 2019

परिशिष्ट-5

मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक **कारागार** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. प्रदेश के कारागारों में आये दिन हो रही मारपीट की घटनाओं एवं अवैध हथियारों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।
2. प्रदेश की जेलों में कैदियों के पास मिलने वाले मोबाइल फोन की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

3. बारां जिले के छबड़ा में स्थित उप कारागृह में नई बैरकों के निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

4. बालोतरा उप कारागार में निर्धारित संख्या से अधिक कैदी रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में विचाराधीन युवा एवं महिला बंदियों को अलग से रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. बालोतरा उप कारागार में बन्दियों से मिलने आने वाले परिजनों के लिए प्रतीक्षालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. प्रदेश के कारागारों में बन्दियों को नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

9. प्रदेश के सभी कारागारों में कैदियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

10. जिला चित्तौड़गढ़ कारागृह में क्षमता से अधिक बन्दियों को रखने से सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

11. ब्यावर सेन्ट्रल जेल में बन्दियों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक कमेटी का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

12. केन्द्रीय कारागार बाड़मेर में नफरी बढाने एवं जेल की सुरक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

13. जहाजपुर कारागार हेतु क्षतिग्रस्त पुराने भवन के स्थान पर नये आधुनिक कारागार के निर्माण की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

14. राजसमंद जिला कारागार भवन छोटा पड़ने से उसे राजसमंद पुलिस लाइन के पास स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

15. प्रदेश के कारागारों में हवा, पानी, बिजली, टी.वी., सफाई की सुमचित व्यवस्था तथा कारागार का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

16. अलवर शहर स्थित सेन्ट्रल जेल सहित अन्य कारागारों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं स्वीकृत पदों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. अलवर शहर स्थित सेन्ट्रल जेल सहित अन्य कारागारों में बिजली, पानी व अन्य सुविधाओं को बढाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. अलवर शहर स्थित सेन्ट्रल जेल सहित अन्य कारागारों में बैरक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. अलवर शहर स्थित सेन्ट्रल जेल को अलवर शहर से बाहर अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

20. कारागार बालोतरा में कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं की कमी की पूर्ति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. कारागृह बालोतरा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप कारागृह सलूम्बर में पुराने कैदियों तथा जेल के कर्मचारियों की मिलीभगत से नये कैदियों के साथ मारपीट करने अवैध राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. राज्य की विभिन्न जेलों में बन्द कैदियों द्वारा मोबाइल, सिम, घातक हथियार, अवैध वस्तुएं एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उप कारागृह को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से हटाकर सुरक्षित क्षेत्र में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. राजस्थान की सभी जेलों में जेल कर्मियों की भर्ती करने एवं जेल कर्मियों को आधुनिक हथियार व अन्य आवश्यक उपकरण संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराड़ा में उप कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन):

27. प्रदेश की कारागारों में नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण 06 माह में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. प्रदेश के कारागारों में कैदियों को दिये जाने वाले भोजन, नाश्ता एवं चाय की गुणवत्ता व मात्रा में आवश्यकतानुसार सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. प्रदेश के कारागारों में कैदियों से प्रतिदिन होने वाली चौथ वसूली को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. जिला कारागारों का निर्माण कैदियों की संख्या के अनुपात में कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. कारागार विभाग में रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती करके नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

32. महिला कारागृह में नवजात बच्चों की समुचित देखभाल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. सेन्ट्रल जेल, जयपुर में खाद्य पदार्थो की कालाबाजारी के संबंध में चर्चा के लिये।

34. प्रदेश के कारागृह में कैदियों से पैसे लेकर मोबाइल उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. कारागार में कई सप्ताह तक कैदियों को मरीज बताकर सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. महिला कारागृह में गर्भवती कैदियों को समुचित सुविधा प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

37. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में स्थित सम्पूर्णानंद खुली जेल को जयपुर शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

38. प्रदेश के कारागारों में बन्द अपराधियों से मोबाइल फोन बरामद किये जाने की घटनाओं में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश के कारागारों से बन्द अपराधियों के फरार होने की घटनाओं में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. जयपुर स्थित केन्द्रीय कारागार सघन आबादी क्षेत्र में होने के कारण शहर से दूर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. प्रदेश के कारागारों में बन्द अपराधियों में आपस में मारपीट की घटनाओं में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. प्रदेश के कारागारों में बन्द आतंकवादियों एवं हार्डकोर अपराधियों को अलग रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

43. रायसिंहनगर की जर्जर हो चुकी जेल का नवनिर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

44. मावली कारागार का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण तथा स्टाफ क्वार्टर्स बनाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

45. कारागारों में अवैध रूप से सामान पहुंचने में भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. कारागारों में बन्द मुल्जिमों की पेशी वीडियो कान्फ्रेन्स से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. प्रदेश की कारागारों में निर्धारित संख्या से अधिक बन्दियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश की कारागारों में गैंगवार से हुई हत्यओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

49. प्रदेश के कारागारों में जेल मेन्युअल के अनुसार खाद्य सामग्री नहीं मिलने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश के कारागारों में बन्दियों की संख्या के अनुसार स्थान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश के कारागारों में पुस्तकालयों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

52. राजस्थान की जेलों में कैदियों के साथ जेल प्रशासन का रुख सही नहीं होने से कैदियों से अवैध वसूली की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. कारागार में कैदियों को सरकार द्वारा देय सुविधायें उपलब्ध नहीं होने तथा जेलों में फैल रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. जेलों में कैदियों के पास प्रहरियों की मिलीभगत से पहुंचे मोबाइल से कैदियों द्वारा बाहर के लोगों को धमकियां दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. जेलों में कैदियों से मिलने आने वाले व्यक्तियों द्वारा जेल प्रशासन से मिलीभगत कर हथियार कैदियों तक पहुंचाये जाने से उत्फन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश की जेलों में सरकार द्वारा कैदियों को खाने की उपलब्धता तथा कैदियों से मिलने आने वाले व्यक्तियों से लूट-खसोट की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

57. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर एवं श्रीगंगानगर में नई जेल स्थापित करने एवं कैदियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

58. विधान सभा क्षेत्र भादरा के पुराने कारागार भवन के पुनर्निर्माण करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

59. जालौर स्थित जिला कारागार बहुत छोटा है उसके स्थान पर बड़ा नया कारागार बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

60. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कारागार बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

61. बांसवाड़ा के कारागृह में स्टाफ, जेलर एवं साधनों की कमी तथा बन्दियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड कार्यालय परिसर में कारागार खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

63. जिला अलवर की जेल में बन्द महिलाओं की सुरक्षा एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

64. प्रदेश की जेलों में जैमर लगाये जाने के उपरान्त भी कैदियों द्वारा जेलों में मोबाइल फोन इस्तेमाल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. प्रदेश की जेलों में कैदियों से अवैध वसूली एवं जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. अजमेर केन्द्रीय कारागार शहर के मध्य में स्थित होने से आमजन को हो रही परेशानी के समाधान हेतु शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन):

67. हिण्डौन शहर में जेल शहर के मध्य में होने के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)

68. रानीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर उप कारागृह स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

69. कारागार विभाग एवं पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में वेतन विसंगति के कारण कार्य की गुणवत्ता में आ रही निरन्तर गिरावट के संबंध में चर्चा के लिये।

70. कारागृहों में विचाराधीन प्रकरणों के अभियुक्तों को उनके द्वारा किये गये अपराधों के अनुरूप अलग-अलग बैरकों में रखने की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. प्रदेश की जेलों में करोड़ों रुपये खर्च कर जैमर लगाने के बाद भी उसे लगाने के उद्देश्य में सफलता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. कारागारों में बन्दी विचाराधीन प्रकरणों के अभियुक्तों को समय पर पेशी हेतु ले जाने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जेलों में यातना भुगतने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों को उपलब्ध करायी जा रही खाद्य सामग्री को टेण्डर प्रक्रिया के स्थान पर सहकारी उपभोक्ता संघ के भण्डारों से गुणवत्ता युक्त सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

74. प्रदेश में नये कारागृहों हेतु जमीन आबंटन होने के उपरान्त भी नये कारागृह आबादी क्षेत्र के बाहर नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानीमण्डी के कारागृह में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से एवं नया कारागार नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमेहला में नया कारागृह खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश के कारागृहों में कैदियों को परिवारजन से बात करने हेतु लैण्डलाइन सुविधा निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

78. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभरलेक कारागार में आगुंतकों हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

79. प्रदेश के कारागारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. कारागारों में कैदियों की खाद्य व्यवस्था सुचारु करने एवं भोजन की राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. प्रदेश के कारागार में कैदियों को समय-समय पर अलग-अलग कौशल विकास के प्रशिक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. प्रदेश के कारागारों में पानी, बिजली, टीवी, खेल उपकरण, लाइब्रेरी आदि की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

83. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में उप कारागार खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. जिला धौलपुर के कारागार में जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. जिला धौलपुर के कारागार में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई)

86. प्रदेश के कारागारों में कैदियों को खाना व अन्य सुविधाएं ठीक से नहीं दिये जाने तथा परिजनों को मिलने नहीं दिये जाने तथा सुविधा शुल्क वसूला जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

87. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के गंगापुर में कारागार हेतु भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के गंगापुर कारागार में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

89. डीग व भरतपुर की जेलों में कैदियों के लिये संचालित योजनाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

90. बहरोड़ कारागार में कैदियों के परिजनों और अन्य आगुन्तकों के लिए प्रतीक्षालय व अन्य सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

91. बहरोड़ कारागार के जर्जर भवन की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. बहरोड़ में कारागार का नया भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. बहरोड़ कारागार में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने और कर्मचारियों के लिए वाटर कूलर और अन्य सुविधाएं बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

94. नोखा कारागार को मरम्मत के नाम पर बन्द किया गया था, मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद पुन: शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

95. प्रदेश की जेलों में प्रहरी सहित अन्य रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. प्रदेश के कारागारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

97. प्रदेश के कारागारों में सुविधा/सुधार के संबंध में चर्चा के लिये।

विधान सभा भवन — प्रमिल कुमार माथुर

जयपुर। — सचिव।

दिनांक : 19 जुलाई, 2019

परिशिष्ट-6

मांग संख्या 6, 13, 16 व 17 पर माननीय सदस्य श्री संजय शर्मा का शेष लिखित वक्तव्य

1. राजस्थान में ड्राइवर कांस्टेबलों को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त विभागीय ग्रेड पे नियमों के विपरीत जाकर उप निरीक्षक के पद की ग्रेड पे के स्थान पर सहायक उप निरीक्षक पद की ग्रेड पे दी जा रही है, जो कि सरासर अन्याय है।
2. राजस्थान के अनेक जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा अलग-अलग नियमों व न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए ग्रेड पे दी जा रही है।
3. राज्य में ड्राइवर कांस्टेबलों को विभागीय नियमों के अनुसार ग्रेड पे लेने के लिए माननीय न्यायालयों की शरण लेनी पड़ रही है।
4. राज्य सरकार से मांग है कि नियमों में उचित संशोधन करते हुए राजस्थान में कार्यरत सभी ड्राइवर कांस्टेबलों को एक समान ग्रेड पे दी जाए।
5. राजस्थान पुलिस कर्मियों को 9, 18, 27 वर्ष के हिसाब से वेतन वृद्धि के साथ-साथ पदौन्नतियां भी सिविल सर्विस की तरह समय पर दी जाएं और पीछे की लंबित पदोन्नतियां शीघ्र पूर्ण की जाएं।
6. पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था ड्यूटी व अनुसंधान हेतु दूर-दूर तक थाना अन्तर्गत क्षेत्रों में जाना पड़ता है जिसके लिए वह अपने निजी वाहन का उपयोग करते हैं। निजी वाहन के उपयोग के एवज में 1000/- रु. से 2000/- रुपये तक या कुछ राशि स्वीकृत कर प्रतिमाह पेट्रोल/मोटरसाइकिल भत्ता एवं स्टेशनरी भत्ता दिये जाने का प्रावधान लागू किया जाए।
7. पुलिस विभाग में वर्ष 2004 से पूर्व के भर्तीशुदा कर्मचारियों के 550/- रु. प्रतिमाह मेडिक्लेम के नाम से काटे जाते हैं। उन पैसों का भामाशाह योजना की तरह एक कार्ड बनाया जाना चाहिए जो कि आपातकाल में इलाज के लिए पैसों का इन्तजाम नहीं होने की स्थिति में काम आ सकें, जिस प्रकार से वर्ष 2004 के बाद के कर्मचारियों का कार्ड बना हुआ है।

राजस्थान होमगार्ड्स अधिनियम नियम 1962-1963 में संशोधन कर मध्यप्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों की भांति नियमित ड्यूटी एवं 60 वर्ष तक सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान लागू किया जाए।

होमगार्ड्स की परिवेदनाओं पर राज्य मानवाधिकार भी उक्त सन्दर्भ में अनुशंषाएं कर चुका है।